



# ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड



वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

# ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड



## चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट

2022–23

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673

पंजीकृत कार्यालय :

प्लॉट नं. 5ए-5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

## अंतर्वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी सूचना	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	3
3.	चतुर्थ वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना	5
4.	बोर्ड की रिपोर्ट	13
5.	सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	31
6.	कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	35
7.	सी एंड एजी की टिप्पणियां – एकल	45
8.	एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	47
9.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का एकल वित्तीय विवरण	63
10.	सी एंड एजी की टिप्पणियां – समेकित	120
11.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	122
12.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित वित्तीय विवरण	133

कंपनी सूचना :	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड सीआईएन प्रतिशत यू11201डीएल2019जीओआई348673 (ओएनजीसी विदेश की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी)  पंजीकृत कार्यालय दीनदयाल ऊर्जा भवन, प्लॉट. 5ए-5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070, भारत दूरभाष : 91 11 26754316 ई-मेल : <a href="mailto:cs_ovrl@ongcvidesh.in">cs_ovrl@ongcvidesh.in</a>
निदेशक मंडल :	श्री ओमकार नाथ ज्ञानी, अध्यक्ष श्री श्याम सिंह, निदेशक श्री रमिंदर सिंह साहनी, निदेशक श्रीमती निशा ढींगरा
सांविधिक लेखा परीक्षक :	मैसर्स जैन चोपड़ा एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजी. सं. 000038एन
सचिवीय लेखा परीक्षक	मैसर्स अंशु गुप्ता एंड कं. कंपनी सचिव सीपी सं. 1646
कंपनी सचिव :	श्रीमती निशा ढींगरा एफसीएस – 10726
बैंकर्स :	भारतीय स्टेट बैंक





कंपनी की चौथी वार्षिक साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओएनजीसी विदेश) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है जिसका उद्देश्य रोवुमा ब्लॉक मोजाम्बिक परियोजना (एरिया-1) के एरिया -1 में एलएनजी परियोजना के विकास के माध्यम से प्राकृतिक गैस संसाधनों का मुद्रीकरण करना है। ओएनजीसी विदेश द्वारा एरिया -1 में धारित 10 प्रतिशत प्रतिभागिता अधिकार को 01 जनवरी, 2020 से इस कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया था।

एरिया- 1 में पाँच अन्वेषण क्षेत्र (फील्ड) हैं, नामतः प्रोस्परिडेड, गोल्फिन्हो-अटम, ओर्का, तुबारो और तुबारो-टाइग्रे। उपलब्ध गैस संसाधन के परिमाण को देखते हुए, एरिया-1 में 42 एमएमटीपीए की पूर्ण क्षेत्र विकास क्षमता के साथ एक बड़े एलएनजी निर्यात केन्द्र के रूप में उभर कर आने की क्षमता है। प्रमुख गैस संसाधन दो क्षेत्रों में स्थित हैं, नामतः प्रोस्परिडे और गोल्फिन्हो-एटम। जून 2019 में अंतिम निवेश निर्णय की घोषणा के बाद, एरिया 1 संघ वर्तमान में 13.12 एमएमटीपीए की दो ट्रेन एलएनजी सुविधा के निर्माण के माध्यम से अपतटीय ब्लॉक में गोल्फिन्हो एटम क्षेत्र की प्रारंभिक विकास योजना के तहत प्रगति कर रहा है।

मार्च, 2021 में परियोजना स्थल के आसपास उग्रवाद की घटनाओं के कारण गतिविधियां बाधित होने तक एरिया 1 एलएनजी परियोजना मोटे तौर पर समयबद्ध प्रगति कर रही थी। मार्च, 2021 में पाल्मा जिले में उग्रवाद से संबंधित हमलों के कारण, एरिया - 1 ऑपरेटर (टोटलएनर्जी) ने 2 अप्रैल 2021 तक सभी परियोजना कर्मियों को साइट से बाहर निकाल लिया और बाद में एरिया 1 अन्वेषण उत्पादन और रियायत संविदा सहित प्रमुख समझौतों/संविदाओं के तहत अप्रत्याशित घटना (एफएम) की घोषणा की गयी। आज की तिथि में एरिया - 1 परियोजना एफएम में बनी हुई है और यह संरक्षण मोड में है।

अंतर्राष्ट्रीय और मोजाम्बिक सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप काबो डेलगाडो प्रांत (सीडीपी) में सुरक्षा स्थिति में सुधार हो रहा है। सीईओ, टोटलएनर्जी ने 03 फरवरी, 2023 को सीडीपी का दौरा किया और सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ऑपरेटर ने सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की सूचना दी है और उसका मानना है कि यदि प्रगति समान प्रक्षेपवक्र में जारी रहती है, तो जुलाई-23 जुलाई-सितंबर 2023 के दौरान परियोजना गतिविधियों को फिर से शुरू करना संभव हो सकता है। संशोधित परियोजना लागत और समयसीमा को अनुकूलित करने के लिए इस परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रमुख संविदाकारों / उप-संविदाकारों के साथ बातचीत की जा रही है। परियोजना के दोबारा शुरू होने पर ऋण आहरण को फिर से शुरू करने के लिए परियोजना ने परियोजना वित्तपोषण ऋणदाताओं के साथ भी बातचीत की है।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा ओवीआरएल को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपकी कंपनी, आपकी कंपनी के सभी हितधारकों के लिए भी हृदय से सराहना करना चाहती है।

हम अपनी सफलता और गति को बनाए रखने/प्राप्त करने हेतु दृढ़ संकल्प के साथ आने वाले वर्षों में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

23.08.2023

नई दिल्ली

हस्ताक्षर

(ओमकार नाथ ज्ञानी)

अध्यक्ष



## ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673

पंजी. कार्यालय: प्लॉट सं. 5ए-5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110070

ई-मेल : [cs\\_ovrl@ongcvidesh.in](mailto:cs_ovrl@ongcvidesh.in) दूरभाष : 011 – 2675 5436

### सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल) के सदस्यों का चौथा वार्षिक साधारण अधिवेशन का आयोजन 23 अगस्त, 2023, बुधवार के दिन प्रातः 11:00 बजे दीनदयाल ऊर्जा भवन, प्लॉट सं. 5ए-5बी, वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग, नई दिल्ली – 110 070 स्थित पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित कार्यवाही संपादित करने हेतु आयोजित किया जाएगा :

सामान्य कार्यवाही:

मद सं. 1

निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित कर संबंधित दस्तावेजों के साथ अंकेक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और इसका अंगीकरण करना :

“यह संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों को, बोर्ड रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को एतद्वारा प्राप्त किया जाए, विचार किया जाए तथा अंगीकृत किया जाए और उन्हें एतद्वारा प्राप्त किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है तथा अंगीकृत किया जाता है।”

मद सं. 2

निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित कर श्री श्याम सिंह की निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति :

संकल्प :

“यह संकल्प किया जाता है कि श्री श्याम सिंह (डीआईएन : 09345740), जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को पात्र होने के कारण, कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जा सकता है और एतद्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है।

मद सं. 3

निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित कर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा यथा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकार प्रदान करना :

“यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, कंपनी के लेखा परीक्षकों, जो भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाएं, को निदेशक मंडल द्वारा जैसा युक्तियुक्त माना जाए, संदेय पारिश्रमिक का निर्णय करने तथा उसे निर्धारित करने हेतु कंपनी के निदेशक बोर्ड को प्राधिकृत करने हेतु सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाए और एतद्वारा प्रदान किया जाता है।”

विशेष कार्यवाही :

मद सं. 4

निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित कर एरिया : 1 ऑफशोर मोजांबिक परियोजना – एसेटको स्ट्रक्चर इंपलिमेंटेशन का अनुमोदन :

“यह संकल्प किया जाता है कि इंपलिमेंटेशन ऑफ एसेटको स्ट्रक्चर के क्रियान्वयन, जिसमें क) मोजांबिक में मोज एलएनजी1 एसेटको, लिमिटेड (एसेटको) अन्य बातों के साथ-साथ गोल्फिन्हो –एतम परियोजना के मौजूदा और भावी अवसंरचना को विकसित करेगा, स्वामित्व ग्रहण करेगा और ख) मोजांबिक में मोज एलएनजी1



होल्डकॉ लिमिटेड (मोज हॉल्डकॉ), अन्य बातों के साथ-साथ, यथा अपेक्षित नीति आयोग / आरबीआई या किसी अन्य विनियामक निकाय की सहमति / अनुमोदन के अधीन, एसेटकों में कोटा / शेयरों का स्वामित्व ग्रहण करेगा और प्रबंधन करेगा, शामिल है, के लिए सदस्यों का अनुमोदन दिया जा सकता है और एतद्वारा दिया जाता है:

“यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 (1) (क) और तदधीन बनाए गए नियमों (किसी सांविधिक उपांतरणों या उसके पुनर्अधिनियमन सहित) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड द्वारा अपने मौजूदा गोल्फिन्हो : एतम दो ट्रेन समर्पित परियोजना परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति से इक्विटी स्थानांतरण के स्वरूप में एसेटको को हस्तांतरण, और उसके बाद एसेटको में इक्विटी को मोजहोल्डको में इक्विटी से विनिमय के लिए सदस्यों की सहमति दी जा सकती है और एतद्वारा दी जाती है”;

“यह और संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए, कंपनी की ओर से, किसी निदेशक और कंपनी के कंपनी सचिव को संयुक्त रूप से और/या अलग – अलग, उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, वह सभी कार्य, विलेख, बात, चीजें करने और जैसा आवश्यक, उचित या वांछनीय समझा जाता है, संबंधित प्राधिकरणों में आवश्यक फॉर्म दाखिल करने और सभी आवश्यक दस्तावेज, आवेदन और विवरणी पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ताक्षर

दिनांक : 01 अगस्त, 2023

निशा ढींगरा

स्थान : नई दिल्ली

कंपनी सचिव

टिप्पणी :

1. बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने के लिए हकदार सदस्य अपने स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के अनुसरण में, परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। सम्यक रूप से भरा हुआ परोक्षी प्ररूप अधिवेशन के प्रारंभ होने से अड़तालीस घंटे (48 घंटे) से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें अधिवेशन में संपादित की जाने वाली विशेष कार्यवाही से संबंधित विवरण दिया गया है, इसके साथ संलग्न है।
3. कॉर्पोरेट सदस्य जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसरण में, इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि(यों) को नामित करना चाहते हैं, उनसे इस अधिवेशन में उनकी ओर से भाग लेने और मत देने के लिए ऐसे प्रतिनिधि(यों) के नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।
4. वार्षिक साधारण अधिवेशन में विचार किए जाने वाली किसी कार्यवाही मद के संबंध में कोई सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से [cs\\_ovrl@ongcvidesh.in](mailto:cs_ovrl@ongcvidesh.in) पर मेल भेजने का अनुरोध किया जाता है।
5. एजीएम के स्थान का संपूर्ण विवरण एजीएम की नोटिस का हिस्सा है।
6. संलग्न सूचना में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज इस अधिवेशन की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को कारोबार समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के निरीक्षण हेतु रखे रहेंगे।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और 189 के अंतर्गत अनुरक्षित सांविधिक रजिस्टर कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए रखे हैं और यह एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध रहेंगे।

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

संलग्न नोटिस में सूचीबद्ध विशेष कार्यवाहियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित विवरण में दिए गए हैं :

### मद संख्या 4 : एसेटको स्ट्रक्चर इंपलिमेंटेशन

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड एरिया-1 ऑफशोर मोजांबिक परियोजना (एरिया-1) में 10 प्रतिशत प्रतिभागिता अधिकार (पीआई) धारित करता है। एरिया 1 परिसंघ ने 6.56 एमएमटीपीए क्षमता की दो अभितटीय एलएनजी ट्रेनों, एकीकृत संरचना के अंतर्गत प्रत्येक, के माध्यम से गोल्फिन्हो – एतम (जी – ए) के विकास के लिए 18 जून 2019 को अंतिम निवेश निर्णय (एफआईडी) लिया।

एरिया 1 परिसंघ ने प्रारंभिक जी – ए विकास का निधियन करने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसियों (ईसीए) / वाणिज्यिक बैंकों से 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कर्ज सीमा के अंतर्गत सीमित आलंब (रिकॉर्स) वित्तपोषण व्यवस्थाओं के अंतर्गत परियोजना वित्तपोषण को अंतिम रूप दिया। पाल्मा जिले में खराब हो रही सुरक्षा परिस्थितियों के कारण, काबो डेलगाडो प्रोविस (सीडीपी) – एरिया 1 रियायतग्राही ने 11 मई 2021 को अप्रत्याशित घटना (एफएम) की घोषणा कर दी। सुरक्षा स्थितियों में सुधार से अब वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में संभावित एफएम समाप्ति और परियोजना पुनः शुरुआत दिखाई दे रही है।

वर्तमान संरचना के अंतर्गत, रियायतग्राही जी – ए दो ट्रेन परियोजना अवसंरचना को विकसित करेगा, स्वामित्व ग्रहण करेगा और अनुरक्षण करेगा। इसके अलावा मौजूदा वाणिज्यिक संरचना के अंतर्गत, रियायतग्राही ने सेलर एसपीई (विपणन और पोत परिवहन कार्यकलापों के लिए सिंगापुर में अधिनिगमित) और परियोजना वित्तपोषण हेतु ऑनशोर एंड ऑफशोर बोरोअर एसपीई के नियंत्रक कंपनी के रूप में आबुधाबी ग्लोबल मार्केट (एडीजीएम), यूई में यूई होल्डको स्थापित किया है। ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता रियायतग्राहियों को उधार देने के लिए उधारदाताओं से निधियां उधार लेंगे।

इस व्यवस्था के अंतर्गत, रियायतग्राही (ओवीआरएल), शेयरधारक (ओएनजीसी विदेश) और उनके प्रायोजक (ओवीआरएल के मामले में ओएनजीसी), प्रत्येक को इसके समेकित वित्तीय स्थिति विवरण में उनके संबंधित प्रतिभागिता अधिकार के अनुपात में परियोजना वित्तपोषण कर्ज के उनके आनुपातिक हिस्से को अभिज्ञात करना अपेक्षित है। इसके अलावा वर्तमान संरचना में कुछेक सीमाएं हैं, जैसे कई अधिकार क्षेत्र में कई उधारदाताओं के साथ विनियामकीय और कर्ज प्रबंधन चुनौतियां, परियोजना वित्तपोषण परिप्रेक्ष्य से भावी विकासों के लिए सीमित

शिथिलता क्योंकि आस्तियां और देनदारियां स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं हैं; और प्रतिस्पर्द्धी शर्तों पर परियोजना के भावी विकास के लिए परियोजना वित्तपोषण प्राप्त करने की रियायतग्राही की क्षमता सीमित करना।

वर्तमान संरचना में उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए, पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्तपोषण संरचनाओं के साथ संरेखित करने के लिए मौजूदा कॉरपोरेट और वित्तपोषण संरचना (एसेटकों स्ट्रक्चर) के पुनरीक्षण के संबंध में साझीदारों के बीच ऑपरेटर के एक प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है।

यह नोट किया जा सकता है कि, परियोजना वित्तपोषण के अनुमोदन के समय, एरिया – 1 पक्षकारों ने, प्रत्येक रियायतग्राही के आवश्यक कॉरपोरेट, शासकीय, और विनियामकीय अनुमोदनों प्राप्त करने के अध्यक्षीन, परियोजना वित्तपोषण दस्तावेजों में एसेटकों स्ट्रक्चर के विकल्प शामिल करने पर सहमति दी थी। तदनुसार, ऑपरेटर अब एसेटकों स्ट्रक्चर को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है और उसी के अंतर्गत ड्रॉ-डाउन किया जाना है जिसके लिए रियायतग्राही स्तरीय अनुमोदन मांगा जा रहा है।

निदेशक मंडल मद संख्या 4 में यथा उपवर्णित विशेष कार्यवाही का सदस्यों द्वारा अनुमोदन किए जाने की सिफारिश करता है।

## पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशक का संक्षिप्त जीवन परिचय

श्री श्याम सिंह

श्री श्याम सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को मूल कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) द्वारा ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल) के निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में वे ओवीएल, दिल्ली में प्रधान, परियोजना वित्त के रूप में कार्यरत हैं। वे एनआईटी तिरुचिरापल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं और वित्त में विशेषज्ञता के साथ एमबीए की डिग्री धारित करते हैं। उन्होंने वर्ष 1990 में हजीरा गैस प्रसंस्करण परिसर, हजीरा में उत्पादन अभियंता के रूप में ओएनजीसी में शामिल हुए। उन्होंने वर्ष 1998 में वित्त में एमबीए पूरा किया और वर्ष 1998 में वित्त क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए। तब से, उन्होंने ओएनजीसी के विभिन्न पदों और स्थानों पर कार्य किया है। वे वर्ष 2014 में ओएनजीसी से प्रतिनियुक्ति पर ओएनजीसी विदेश में शामिल हुए। ओएनजीसी विदेश में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनवरी, 2016 से मार्च, 2019 तक केएमजी कजाकिस्तान की अनुषंगी कंपनी एसओएलएलपी, कजाकिस्तान में उप महा निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उन्हें ओएनजीसी के तेल एवं गैस कारोबार में तेतीस वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ तेल और गैस व्यवसाय और वित्त के साथ – साथ तेल एवं गैस प्रौद्योगिकी प्रबंधन पहलुओं की बहुत अच्छी समझ है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ताक्षर

दिनांक : 01 अगस्त, 2023

निशा ढींगरा

स्थान : नई दिल्ली

कंपनी सचिव

## बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल/कंपनी) की वित्तीय और प्रचालनात्मक प्रदर्शन पर चौथी वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार खुशी महसूस हो रही है।

आपकी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओएनजीसी विदेश/मूल कंपनी) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी (डब्ल्यूओएस) है जिसने वर्ष 2013 के दौरान रोवुमा एरिया-1 अपतटीय ब्लॉक, मोजाबिक (एरिया - 1 परियोजना) में 16 प्रतिशत प्रतिभागिता अधिकार (पीआई) (ओएनजीसी द्वारा प्रत्यक्षतः धारित 10 प्रतिशत प्रतिभागिता अधिकार (पीआई) और व्यास रोवुमा एनर्जी मोजाबिक लिमिटेड (बीआरईएमएल) के माध्यम से 6 प्रतिशत प्रतिभागिता अधिकार) अधिग्रहित किया है।

### 1. वित्तीय प्रदर्शन :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के मुख्य बिन्दुओं का वित्तीय वर्ष 2021-22 के संगत प्रदर्शन के साथ नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
प्रचालनों से राजस्व	शून्य	शून्य
अन्य आय	1321.42	747.58
कुल व्यय	9806.11	8065.60
अपवादात्मक (आय)/व्यय	(25488.41)	(2477.00)
सहयोगी कंपनियों से लाभ का हिस्सा	(211.46)	(40.06)
कर और पूर्ववर्ती अवधि समायोजन पूर्व लाभ/(हानि)	16792.26	(4881.08)
कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	16792.26	(4881.08)
आस्थगित कर आय सहित कर व्यय	(7654.51)	1247.23
अवधि का लाभ/(हानि)	24446.77	(6128.31)
अन्य व्यापक आय / (व्यय), कर के निवल	3957.30	878.49
अवधि की कुल व्यापक आय / (व्यय)	28404.07	(5249.82)
प्रति शेयर आय (भारतीय रुपये)		
मूल	2.48	(0.87)
तनुकृत	2.44	(0.87)
निवल मूल्य	90762.28	53997.80

2. परियोजना विवरण, भावी दृष्टिकोण, और पहलू :

क. परियोजना की प्रस्तावना : -

एरिया -1 ऑफशोर मोजाम्बिक ('एरिया -1') रोवुमा बेसिन का हिस्सा है जो मोजाम्बिक के उत्तरी भाग में स्थित है और 80,000 वर्ग किमी में फैले तंजानिया-मोजाम्बिक तटीय बेसिन का हिस्सा है।

यह ब्लॉक दिसंबर, 2006 के दौरान अधिनिर्णीत किया गया था और अपतटीय मोजाम्बिक रोवुमा बेसिन के सुदूर उत्तरी भाग में तटीय रेखा और करीब 2400 बाथीमीटर के बीच अवस्थित है। एरिया-1 को इस ईपीसीसी (अन्वेषण और उत्पादन रियायत संविदा) के तहत विकसित किया जा रहा जो जनवरी, 2007 में प्रभावी हुआ था। टोटल एनर्जी ई एंड पी मोजाम्बिक एरिया 1 लिमिटेड (टीईपीएमए1) 26.5 प्रतिशत पीआई के साथ एरिया 1 का प्रचालक है।

इस परियोजना के अन्य कंसोर्टियम साझीदार इस प्रकार हैं :

- मित्सुई ई एंड पी मोजाम्बिक एरिया 1 लिमिटेड (मित्सुई) : 20 प्रतिशत
- बीपीआरएल वेंचर्स मोजाम्बिक बी.वी. (बीपीआरएल) : 10 प्रतिशत
- पीटीटीपीईपी मोजाम्बिक एरिया 1 लिमिटेड (पीटीटीपीईपी) : 8.5 प्रतिशत
- बीआरईएमएल<sup>+</sup> : 10 प्रतिशत
- ओवीआरएल : 10 प्रतिशत
- ईएनएच रोवुमा एरिया यूएम, एस.ए. (ईएनएच) : 15 प्रतिशत

\* यह कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रमशः प्रतिशत 60 : 40 के अनुपात में संयुक्त स्वामित्व में है।

परियोजना सिंहावलोकन

● अद्यस्तल :

मुख्य रूप से दो क्षेत्र परिसरों, प्रोस्पेरिडेड और गोल्फिन्हो-एटम (जी-ए) में ओलिगोसीन, इओसीन, पेलियोसीन और क्रेटेशियस कुंडों में अन्वेषणात्मक और मूल्यांकन वेधन द्वारा बड़ी मात्रा में गैस भंडार की पुष्टि की गयी है।

इसके अलावा, ओर्का, टुबाराओ और टुबाराओ-टाइग्रे क्षेत्रों में भी गैस की खोज हुई है। क्षेत्र-1 का औसत पुनर्प्राप्ति योग्य गैस अनुमान 64 टीसीएफ है। प्रारंभिक योजना जी-ए फील्ड से 13.12 एमएमटीपीए (6.56 एमएमटीपीए) के दो ट्रेन एलएनजी संयंत्र स्थापित करके खोजे गए गैस संसाधनों को विकसित करना है।


एरिया-1 के दो मुख्य क्षेत्रों/परिसरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है:

❖ प्रोस्पेरिडेड फील्ड

प्रोस्पेरिडेड फ़ील्ड मोज़ाम्बिक और तंजानिया सीमा से लगभग 70 किमी दक्षिण में एरिया-1 और एरिया-4 में स्थित एक विस्तृत क्षेत्र है। यह 1400 मीटर से 2000 मीटर तक की गहराई में स्थित है।

प्रोस्पेरिडेड खोज विंडजैमर, बारक्वेटाइन, लागोस्टा और कैमारो संभावनाओं का एक समामेलन है और एरिया – 1 की पूर्वी सीमा से लेकर एरिया – 4 तक फैली हुई है। प्राथमिक कुंडों में ओलिगोसीन युग के दो स्टैकड गहन समुद्र वाटर फैन हैं, जिन्हें ओलिगोसीन फैन 1 और 2 कहा जाता है, इसके अलावा परिसर के दक्षिणी भाग में छोटे इओसीन और पेलियोसीन फैन हैं।

चित्र 1 एरिया 1 अन्वेषित क्षेत्र अवस्थिति



❖ गोल्फिन्हो-एटम फ़ील्ड

जी-ए गैस क्षेत्र प्रोस्पेरिडेड कॉम्प्लेक्स के उत्तर में एरिया-1 के भीतर स्थित है। यह 500 मीटर से 1300 मीटर तक पानी की गहराई में तट से दूर स्थित है। जी-ए में दो ओलिगोसीन कुंड हैं, जैसे प्रोस्पेरिडेड में इन्हें



ओलिगोसीन फ़ैन-1 और ओलिगोसीन फ़ैन-2 कहा जाता है; हालाँकि जी-ए के फ़ैनों का चरित्र अधिक चैनलाइज्ड है।

- वेधन और समापन

एरिया – 1 रियायतें वेधन और समापन के चरणबद्ध कार्यक्रम में जी-ए फ़ील्ड का विकास करेगी। जी-ए फ़ील्ड के विकास में ऊर्ध्वाधर और कोणीय कूपों दोनों का उपयोग किया जाएगा।

एरिया-1 संसाधनों का प्रारंभिक विकास जी – ए फ़ील्ड के भीतर होगा जिसमें 18 कूपें शामिल होंगे। इसके अलावा अप्रत्याशित घटनाक्रम (एफएम) के कारण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई वेधन नहीं किया जा रहा है।

- अपतटीय विकास

समुद्रमग्न प्रणाली एक अपतटीय समुद्रमग्न अवसंरचना है और संग्रहण प्रणाली है जो अपतटीय कूपों से एलएनजी सुविधा को हाइड्रोकार्बन पहुँचाएगी। जलमग्न प्रणाली में समुद्रमग्न पेड़, जंपर्स और फ्लाइंग लीड्स जो प्रत्येक कूप को इन-फील्ड गैस संग्रहण लाइनों को बांधने के लिए आवश्यक है, पाइपलाइन इंड मेनिफोल्ड, पाइपलाइन इंड टर्मिनेशन संग्रहण लाइनें, मुख्य ट्रंक लाइनें, नियंत्रण प्रणालियां, रसायन वितरण उपकरण, एक सर्विस लाइन, और मड मैट्स शामिल हैं।

समुद्रमग्न नियंत्रण प्रणाली को एलएनजी सुविधा नियंत्रण प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, और ट्रीज और मैनिफोल्ड पर समुद्रमग्न नियंत्रण पुर्जों इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक अंबिलिकल और वितरण उपकरण के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह अंबिलिकल उत्पादन सुगम करने के लिए विद्युत शक्ति, संचार, हाइड्रोलिक फ्लूइड, और रसायन प्रदान करेगा। आवश्यक क्षमता के लिए दो स्वतंत्र अंबिलिकल प्रणालियां उपलब्ध करायी जाएंगी।

- अभितट विकास


अभितट, इसके दायरे में एलएनजी संयंत्र सहित एकीकृत एलएनजी सुविधा का निर्माण शामिल है और साझी सुविधाएं, उत्तरी मोजाबिक में कैबो डेलिगेडो प्रांत में अफुनगी प्रायद्वीप पर एरिया-4 के साथ साझा किया जाएगा। एलएनजी संयंत्र द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण, भंडारण, और और संबद्ध कंडेसेंट निर्यात के लिए दो ट्रेन, 13.12 एमटीपीए सुविधा होगी।

समुद्रमग्न प्रणाली से आपूर्ति की गयी प्राकृतिक गैस को परियोजना स्थल पर प्रसंस्करण के लिए प्राप्त किया जाएगा। प्रि-ट्रिटमेंट के बाद, ज्यादातर प्राकृतिक गैस को एलएनजी के रूप में बिक्री के लिए द्रवीकृत किया जाएगा, जबकि एक छोटा हिस्सा घरेलू बाजार में बेची जाएगी। एलएनजी का उत्पादन एक मानक एलएनजी प्रक्रिया का अनुपालन करता है जिसका क्रम गैस इनलेट प्राप्ति, खट्टी गैस निष्कर्षण, डिहाइड्रेषन, भारी गैस अंश का निष्कर्षण, द्रवीकरण, भंडारण, और ऑफलोडिंग है। एलएनजी प्रक्रिया और संबंधित गैस प्रसंस्करण एपीसीआई सी3 एमआर प्रौद्योगिकी अपनाता है।

अभितटीय सुविधा एक दूरस्थ, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील स्थान पर है जहाँ बुनियादी ढांचे का अभाव है। निर्माण और प्रचालन के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे (जैसे, हवाई पट्टी, सड़क, आवास, और सहायक

सेवा जिसमें सुविधा ऑफलोडिंग सुविधा और एलएनजी एवं कंडेसेंट निर्यात जेटी शामिल है) परियोजना के दायरे में शामिल है।

‘अफुंगी प्रोजेक्ट साइट’ नामक के नाम से अफुंगी प्रायद्वीप पर लगभग 7,000 हेक्टेयर भूमि एक एलएनजी पार्क के लिए आवंटित की गई है, जहां यह परियोजना स्थित है। डीयूएटी (भूमि उपयोग अधिकार) के अंतर्गत सरकार द्वारा भूमि उपयोग संस्वीकृत किया गया था। टीईपीएम1, ईएनएच और एरिया – 4 प्रचालक में से प्रत्येक का इस कंपनी (रोवुमा बेसिन एलएनजी लैंड, लिमिटेड) में एक तिहाई हिस्सा है जो डीयूएटी के अनुसरण में प्रदत्त भूमि उपयोग अधिकार धारित करते हैं। साझा क्षेत्रों को दर्शाने वाला एक प्रोजेक्ट खाका नीचे दिखाया गया है।



चित्र 3. साझे हित क्षेत्रों के साथ परियोजना खाका

#### ● वाणिज्यिक संरचना

एरिया-1 रियायतग्राही ने मोजाबिक एलएनजी1 कंपनी पीटीई लिमिटेड (विक्रेता एसपीई, विपणन और पोत परिवहन गतिविधियों के लिए सिंगापुर में अधिनिगमित) और मोजाबिक एलएनजी1 फाइनेंसिंग कंपनी पीटीई लिमिटेड (उधारकर्ता एसपीई, परियोजना वित्तपोषण हेतु एडीजीएम, यूई में अधिनिगमित) के 100 प्रतिशत शेयरों के नियंत्रक कंपनी के रूप में 21 अप्रैल 2019 को एडीजीएम, यूई में मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (एचओएलडीको) को अधिनिगमित किया था। एरिया 1 कंसोर्टियम साझीदार एरिया 1 की पीआई धारिता के अनुपात में होल्डको में शेयर धारित करते हैं। अफ्रिकन डेवलपमेंट बैंक (एरिया 1 परियोजना वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं में से एक) से उधारी सुगम करने के लिए एक अभितटीय एसपीई (एसपीई का सह उधारकर्ता) को टेमपोज (ऑपरेटर) और टोटल ई एंड पी मॉरिशस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (टीईपीएमएचएल) द्वारा मोजाबिक में अधिनिगमित किया गया था।

इस परियोजना के दायरे में एलएनजी विपणन, बिक्री, और पोत परिवहन और साथ ही साथ परियोजना वित्तपोषण भी शामिल है। विपणन दायरे में मुख्यतया इस परियोजना को विकसित करने के लिए आवश्यक पूंजीगत निवेश को सुदृढ़ करने के लिए वित्तपोषण योग्य बिक्री और खरीद प्राप्त और निष्पादित करना शामिल है। इसके अलावा इस परियोजना के दायरे में अनुभवी पोत स्वामियों/संचालकों के साथ दीर्घावधिक

टाइम चार्टर पार्टिज के तहत पोत चार्टरिंग पर आधारित एक समग्र पोत परिवहन रणनीति विकसित और निष्पादित करना भी शामिल है।

यह परियोजना कर्ज और इक्विटी निधियन के संयोजन के माध्यम से वित्तपोषित की जाएगी। 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कर्ज सीमा के साथ परियोजना वित्तपोषण को एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसिज (ईसीए) और वाणिज्यिक बैंकों के साथ अंतिम रूप दिया गया है और मूल कंपनी कंपनी की इक्विटी पूंजी के प्रति निधियां / अग्रिम प्रदान कर रही है।

### 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भंडार (2पी)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी का 2पी भंडार 125.49 एमएमटीओई था।

### परियोजना प्रगति –

प्रारंभिक विकास के हिस्से के रूप में, एरिया-1 कंसोर्टियम लगभग 13.12 एमएमटीपीए की कुल अंकित क्षमता वाली दो एलएनजी ट्रेनों के निर्माण के माध्यम से जी-ए क्षेत्र का मुद्रीकरण कर रहा है, जिसके लिए एरिया 1 भागीदारों ने कंसोर्टियम स्तर पर 15.421 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के अनुमानित लागत पर 18 जून, 2019 को अंतिम निवेश निर्णय (एफआईडी) लिया। एरिया-1 परियोजना ने दुनिया भर में डिलीवरी गंतव्यों के साथ 11.14 एमएमटीपीए की कुल मात्रा के लिए यूरोप और एशिया के विश्वसनीय खरीदारों के साथ दीर्घकालिक एलएनजी बिक्री और खरीद समझौते (एसपीए) हासिल किए। इसके अलावा, प्रारंभिक जी-ए विकास को वित्तपोषित करने के लिए ईसीए/वाणिज्यिक बैंकों के साथ 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सीमा के साथ परियोजना वित्तपोषण को अंतिम रूप दिया गया है।

एरिया-1 एलएनजी परियोजना वर्ष 2024 की पहली छमाही तक पहली एलएनजी हासिल करने के लिए मोटे तौर पर तय समय पर प्रगति कर रही थी, जब तक कि मार्च, 2021 में परियोजना स्थल के आसपास उग्रवादी घटनाओं के कारण गतिविधियां बाधित नहीं हो गईं। मार्च 2021, में उग्रवाद से संबंधित हमलों के कारण पाल्मा जिले में सुरक्षा स्थिति खराब हो गई। ऑपरेटर ने 2 अप्रैल, 2021 तक सभी परियोजना कर्मियों को साइट से हटा दिया और एरिया 1 परियोजना को बाद में एरिया 1 ईपीसीसी सहित प्रमुख समझौतों/अनुबंधों के तहत एफएम घोषित किया गया। परियोजना वर्तमान में संरक्षण मोड में है और साइट पर कोई कर्मचारी नहीं है और मार्च 2023 के अंत तक कुल प्रगति 33.2 प्रतिशत है।



परियोजना स्थल पर सड़क निर्माण


आज की तिथि में यह परियोजना एफएम में बनी हुई है और वर्तमान में संरक्षण मोड में है।

● वित्त वर्ष 2022 – 23 के दौरान प्रमुख बिन्दु

- ❖ आज तक यह परियोजना एफएम में बनी हुई है और वर्तमान में संरक्षण मोड में है। परियोजना की लागत को इक्विटी से वित्त पोषित किया जा रहा है क्योंकि एफएम के प्रभाव में रहते हुए परियोजना वित्त के तहत किसी भी तरह की कमी की अनुमति नहीं है।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय और मोजाम्बिक सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप काबो डेलगाडो प्रांत (सीडीपी) में सुरक्षा स्थिति में सुधार जारी है। रवांडा और एसएडीसी सैनिकों की तैनाती के बाद से उत्तरी मोजाम्बिक में मार्च 2021 के स्तर की तुलना में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। परियोजना स्थल, पाल्मा और एमडीपी जिलों के आसपास सुरक्षा स्थिर हो गई है, हालांकि, इन क्षेत्रों के बाहर स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है।
- ❖ सीईओ, टोटल एनर्जीज ने 3 फरवरी, 2023 को सीडीपी का दौरा किया और सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ऑपरेटर ने सुरक्षा के मोर्चे पर मोजाम्बिक सरकार (जीओएम) के साथ समझ के संरेखण की सूचना दी और सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार को स्वीकार किया और माना कि यदि समान प्रक्षेपवक्र में प्रगति जारी रही, तो वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में परियोजना गतिविधियों को फिर से शुरू करना संभव है। पुनरारंभ की प्रत्याशा में, एरिया-1 कंसोर्टियम परियोजना स्थल पर कुछ प्रारंभिक कार्य (सुरक्षा, मरम्मत, ड्रेजिंग, सामाजिक आर्थिक परियोजनाएं आदि) कर रहा है।
- ❖ एरिया -1 कंसोर्टियम एक सामाजिक निवेश रणनीति के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है ताकि लक्ष्य समुदायों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण आदि में एक ठोस, दीर्घकालिक सुधार संभव हो सके, जिसका लक्ष्य रोजगार सृजन और प्रभावित समुदायों के सतत विकास के माध्यम से सामाजिक ढाल हासिल करना है।
- ❖ जुलाई 2022 में, परियोजना को एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया (के - एक्सिम) से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त प्रतिबद्धता प्राप्त हुई, जिससे परियोजना वित्तपोषण उधारदाताओं से प्राप्त कुल प्रतिबद्धता 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

- ❖ एरिया-1 ऑपरेटर संशोधित परियोजना लागत और कार्यक्रम के अनुमान के आधार पर वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में परियोजना को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। संशोधित बेसलाइन लागत और शेड्यूल को केवल वर्ष 2023 के अंत तक संविदाकारों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा।
- समस्याएं एवं सरोकार
  - ❖ स्थायी और सत्यापन योग्य तरीके से सुरक्षा स्थिति बहाल होने पर परियोजना गतिविधियों को फिर से शुरू करना।
  - ❖ रुक जाने, स्टैंडबाय/संरक्षण मोड में रहने और पुनः आरंभ करने के कारण परियोजना पर अतिरिक्त लागत आ रही है। ड्राडाउन फिर से शुरू होने तक परियोजना लागत को इक्विटी के लिए वित्त पोषित किया जाना चाहिए क्योंकि परियोजना वित्त के तहत कोई परियोजना वित्तपोषण ड्रॉडाउन की अनुमति नहीं है, जब एफएम प्रभावी है।
- आगे बढ़ने का मार्ग
  - ❖ ऑपरेटर वर्तमान में प्रमुख संविदाकारों / उप-संविदाकारों के साथ पुनः आरंभ लागत और संशोधित परियोजना समयसीमा को अनुकूलित करने के लिए बातचीत कर रहा है।
  - ❖ परियोजना वित्तपोषण ड्रॉडाउन के लिए ऑपरेटर परियोजना वित्त उधारदाताओं के साथ बातचीत।
  - ❖ भारतीय छूटग्राहियों को संशोधित बहु-वर्षीय बजट के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले अतिरिक्त निवेश अनुमोदन के लिए भारत सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता है।
- परियोजना की वर्तमान स्थिति :

परियोजना एफएम के कारण संरक्षण मोड में बनी हुई है। वर्तमान में, एरिया 1 ऑपरेटर वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में परियोजना को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। विलंब की अवधि को देखते हुए, एफआईडी में अनुमोदित लागत और समय अनुसूची अब परियोजना के निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतिरिक्त लागत तत्वों में एफएम के कारण के कारण ठहराव और संरक्षण लागत, रीमोबिलाइजेशन और मुद्रास्फीति/लागत वृद्धि शामिल है (विलंब की अवधि ने परियोजना को एक अलग बाजार में डाल दिया है, जो उचित रूप से प्रत्याशित था जब संविदाकारों ने एफआईडी में अपनी शर्तों का प्रस्ताव दिया था) और सुरक्षा परियोजनाओं पर, कार्बो फुटप्रिंट कटौती आदि के लिए कुछ अतिरिक्त गुंजाइश। संशोधित परियोजना लागत एरिया 1 भागीदारों के बीच चर्चा और अंतिम रूप देने के अधीन है। पहली एलएनजी पुनः आरंभ के 48 महीनों में मिलने की उम्मीद है।



### पत्तन सुविधा निर्माण का हवाई दृश्य

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 सह पठित कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 8 के अंतर्गत सांविधिक प्रकटन और घोषणाएं

2.1 वार्षिक विवरणी : धारा 134 (3) (क)

इस अधिनियम की धारा 92 (3) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुरूप, इस बैठक के 60 दिनों के अंदर कंपनी द्वारा एमजीटी-7 में वार्षिक विवरणी कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी। अधिनियम की धारा 92(1) के अनुसार कंपनी का वार्षिक विवरण, विहित प्ररूप एमजीटी 7 में कंपनी की वेबसाइट <http://www.ongcvidesh.com/investor-page/OVRL> पर रखा गया है।

2.2 बोर्ड बैठकों की संख्या : धारा 134 (3) (ख)

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 7 बैठकें आयोजित की गयीं थी। इस संबंध में और अधिक विवरण हेतु कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट देखें।

2.3 निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य : धारा 134 (3) (ग)

निदेशकों के उत्तरदायित्व वक्तव्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसरण में, आपके निदेशकों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित की अभिपुष्टि करते हैं :

क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, प्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और यह कि इसमें कोई तात्त्विक विचलन नहीं है;

ख) निदेशकों ने लेखांकन नीतियों का चयन इस प्रकार से किया है और उन्हें सतत रूप से उसी प्रकार लागू किया गया है तथा निर्णय व अनुमान इस प्रकार किए गए हैं जो उचित व विवेकपूर्ण हैं ताकि वे 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य-स्थिति के बारे में तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में वास्तविक व उचित दृष्टिकोण प्रदान करें;

ग) निदेशकों द्वारा कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;

घ) निदेशकों ने “चालू समुत्थान” आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; तथा

च) निदेशकों द्वारा सभी प्रकार के लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की गयी है और इस प्रकार की व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं तथा वे कारगर ढंग से कार्य कर रही हैं।

#### 2.4 धोखाधड़ी की सूचना : धारा 134(3)(गक)

अधिनियम की धारा 143(2) सह पठित तद्धीन संरचित प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी के किसी दृष्टांत की कोई सूचना नहीं दी गयी है।

#### 2.5 स्वतंत्र निदेशक : धारा 134 (3) (घ)

आपकी कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, चूंकि आपकी कंपनी गठन चरण में हैं, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग के लिए कॉरपोरेट संबंधी दिशानिर्देश – 2010 लागू नहीं हैं।

#### 2.6 धारा 178 की उपधारा (1) के अंतर्गत कंपनी में मौजूद निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक और अन्य समितियां संबंधी कंपनी की नीति : धारा 134 (3) (ङ)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 जून 2015 के तहत निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी नीति प्रयोज्य नहीं है और साथ ही उनके प्रदर्शन मूल्यांकन संबंधी नीति से कंपनी को छूट प्राप्त है।

#### 2.7 लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए प्रत्येक विशेषक, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर बोर्ड के स्पष्टीकरण या उसकी टिप्पणियां : धारा 134(3)(ड)

लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित विशेषक या की गयी प्रतिकूल टिप्पणियां या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या टिप्पणियां निम्नवत हैं :

क. लेखाओं पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट –

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–22 के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। इसके अलावा, आपकी कंपनी को सी एंड एजी की “शून्य” टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जो इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्नक – I के रूप में संलग्न है।

ख. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट –

बोर्ड ने मैसर्स आशु गुप्ता एंड कं., पेपेवर कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट का भाग है और अनुलग्नक – II के रूप में संलग्न है।

2.8 ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण : धारा 134 (3) छ

आपकी कंपनी अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) व्यवसाय में लगी हुई है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (11) के तहत प्रदान की गई छूट में शामिल है। तदनुसार, कंपनी द्वारा अनुषंगी और सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण, में किए गए निवेश या को प्रदत्त गारंटी या प्रतिभूति के विवरण की सूचना देना आवश्यक नहीं है।

2.9 संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण : धारा 134 (3) (ज)

अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के तहत यथा विनिर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का कोई विवरण नहीं है।

आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण के टिप्पण सं. 28 की ओर आकृष्ट करते हैं जो भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटन निर्धारित करता है।



अस्थायी आवास हेतु फ्लोटेल

2.10 कंपनी के कारोबार की स्थिति : धारा 134 (3) (झ)



चूँकि आपकी कंपनी निर्माण चरण अधीन है इसके प्रचालनों से कोई राजस्व जनित नहीं हुआ था। खर्च की गयी कुल राशि 9,806.11 मिलियन रुपये थी। इसके अलावा, कंपनी ने 24,446.77 मिलियन रुपये का समेकित लाभ दर्ज किया है।

इसके अलावा, ओएनजीसी विदेश को इस कंपनी को कैश कॉल और भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कैश सिंक आधार पर निवेश सीमा के अंदर 10 प्रतिशत पीआई से संबंधित एरिया – 1 में अन्य निवेशों के लिए निधियन सहायता प्रदान करने की भी आवश्यकता है। चूँकि इक्विटी में निवेश सावधिक रूप से की जाती है, यह प्रस्ताव किया गया था कि प्रारंभ में ऋण / अग्रिम के माध्यम से निधियन सहायता प्रदान करने और इस अधिनियम की धारा 62(3) के अंतर्गत लागू प्रावधानों के अनुरूप सावधिक रूप से इक्विटी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।

#### 2.11 आरक्षित निधियों में हस्तांतरण : धारा 143 (3) (अ)

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए (24,446.77) मिलियन रुपये की राशि का लाभ समेकित किया है और आरक्षित निधि और अधिशेष में हस्तांतरित किया था। इसे इस रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पण 14 में उल्लेख किया गया है।

#### 2.12 लाभांश : धारा 134 (3) (ट)

वाणिज्यिक प्रचालनों और लाभ सृजन के अभाव में, बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं कर रहा है।

#### 2.13 वित्तीय विवरणों की तिथि और बोर्ड रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तात्त्विक परिवर्तनों और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, के विवरण :

कंपनी चूकता शेयर पूंजी में वृद्धि के अलावा, वित्तीय विवरणों की तिथि और बोर्ड रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं हुए हैं और या कोई प्रतिबद्धताएं नहीं की गयीं हैं।

#### 2.14 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय : धारा 134 (3) (ड)

वित्तीय वर्ष 2022-22 के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क. ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम : आपकी कंपनी का भारत में प्रचालन नहीं है और इस तरह की धारा कंपनी पर प्रयोज्य / लागू नहीं हैं। फिर भी आपकी कंपनी परिचालन देश में ऊर्जा की कमी के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संरक्षण के लिए हमेशा उचित कदम उठाती रही है।

मोजाम्बिक एरिया 1 एलएनजी परियोजना के लिए, एलएनजी संयंत्र (निर्माणाधीन) की विद्युत उत्पादन इकाई के डिजाइन को अपशिष्ट हीट रिकवरी यूनिट को एकीकृत करके संशोधित किया गया है। जब एलएनजी संयंत्र चालू हो जाएगा, तो इसके परिणामस्वरूप ईंधन गैस की खपत में लगभग 20

एमएमएससीएफडी (वार्षिक औसत) और जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 350 किलो टन सीओ<sub>2</sub> समतुल्य/ वर्ष की कमी आएगी।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम : मोजाम्बिक एरिया 1 एलएनजी परियोजना के लिए, प्लांट ग्रिड में सक्रिय रूप से हरित ऊर्जा डालने से बिजली उत्पादन इकाई से उत्सर्जन को कम करने के लिए अगले एलएनजी संयंत्र (क्षमता 13.12 एमएमटीपीए) में संयंत्र सौरकरण को शामिल किया गया है। जब एलएनजी संयंत्र चालू हो जाएगा, तो इसके परिणामस्वरूप ईंधन गैस की खपत में लगभग 5 एमएमएससीएफडी (वार्षिक औसत) और जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 100 किलो टन सीओ<sub>2</sub> समतुल्य/वर्ष कमी आएगी।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन : आपकी कंपनी हमेशा समय-समय पर खुद को तकनीकी रूप से अद्यतित रखने की कोशिश कर रही है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय : कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं किया गया था। तथापि, इस अवधि के दौरान बहिर्वाह 7,412.64 मिलियन रुपये के समतुल्य था।

2.15. जोखिम प्रबंधन नीति और प्रधान, संरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) : धारा 134 (3) (ढ)

आपकी कंपनी अभी भी व्यवसाय के निर्माण के चरण में है और इसने फिलहाल कोई व्यावसायिक प्रचालन शुरू नहीं किया है। इसलिए, उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति तब बनेगी जब व्यवसाय प्रचालन शुरू होगा। तथापि, बोर्ड समय-समय पर जोखिम का षमन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए साधनों की समीक्षा करता है और साथ ही साथ उन सभी मामलों पर नियमित रूप से बोर्ड बैठकों में चर्चा की जाती है जो कारोबार के लिए महत्वपूर्ण हैं और तदनुसार मानक कारोबार संव्यवहार के भाग के रूप में जोखिम प्रबंधन किया जाता है। साथ ही, मोजाम्बिक परियोजना को मूल कंपनी ओएनजीसी विदेश के जोखिम प्रबंधन ढांचा के अंतर्गत कवर किया गया है।

आपकी कंपनी सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने का प्रयास करती है जो लोगों, पर्यावरण, समुदायों और भौतिक संपत्ति की रक्षा करता है।



मुख्य द्वार परिसर निर्माण क्षेत्र चित्र 1

2.16 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) : धारा 134 (3) (ण)

आपकी कंपनी को मोजाबिक एरिया – 1 रोवुमा में ई एंड पी गतिविधियां करने के लिए स्थापित किया गया था और भारत में कंपनी की कोई गतिविधि नहीं की जा रही है।

इसलिए, सीएसआर गतिविधियों के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रचालनात्मक और भारतीय लाभ नहीं हैं। धारा 135 (1) के अंतर्गत निवल मूल्य अपेक्षा के सिवाय सीएसआर उपबंध 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं थे।

2.17 बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन : धारा 134 (3) (त)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसे कानून के अंतर्गत बोर्ड / निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित उपबंध से छूट प्राप्त है।

2.18 अन्य मामले : धारा 134 (3) (थ) सह पठित नियम 8

कंपनी द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गयी है/प्रकटन किए गए हैं :

2.18.01 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन : धारा 134 (3) (द)

आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में वित्तीय वर्ष 2022-22 के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2.18.02 निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) के विवरण : नियम 8(5)(iii)

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के पैरा 2 में निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) के विवरण दिए गए हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। इसके अलावा, आपकी कंपनी के कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अनर्हता) नियम, 2014 के नियम 14 के उपबंधों के अंतर्गत निरर्हक नहीं हैं।

2.18. 03 कंपनियों जो वर्ष के दौरान कंपनी की अनुषंगी कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी बनीं / नहीं रह गयीं : नियम 8(5)(iv)

क. कंपनियां जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुषंगी कंपनी बनीं : शून्य

ख. कंपनियां जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुषंगी कंपनी नहीं रह गयीं : शून्य

ग. कंपनियां जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी बनीं : शून्य

घ. कंपनियां जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं रह गयीं : शून्य

2.18.04 सार्वजनिक जमा : नियम 8(5) (v) एवं (vi) के अनुसार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के आशय में जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

2.18. 05 विनियामकों/न्यायालयों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और तात्त्विक आदेश, यदि कोई हो : नियम 8(5) (vii) :

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए विनियामकों/न्यायालयों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण और तात्त्विक आदेश पारित नहीं किए गए हैं, जिससे कंपनी के चालू समुत्थान स्थिति या इसके भावी प्रचालनों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

2.18.06 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली : नियम 8(5) (viii)

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी की नीतियों के पालन के माध्यम से, सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर, प्रयोज्य कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर और अनधिकृत उपयोग से संपत्ति की सुरक्षा कर प्रचालनों के कुशल आयोजन के उद्देश्य से व्यवसाय के आकार और जरूरतों के आनुपातिक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए संरचित हैं।

2.18.07 लागत लेखा परीक्षा : नियम 8(5) (ix)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) सह पठित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के अनुसार, लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के उपबंध इस कंपनी पर लागू नहीं हैं।

2.18.08 महिलाओं का कार्य-स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) : नियम 8(5) (x)

सभी कर्मचारी ओएनजीसी/ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नियंत्रक/मूल कंपनी के वेतन पंजी पर हैं, जिसने कार्यस्थल पर महिला के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी नीति लागू की है और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक अनुपालन समिति (आईसीसी) के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

### 2.18.09 शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता : नियम 8 (5) (xi)

वर्ष के दौरान शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही के विवरण, वित्तीय वर्ष के अंत तक उनकी स्थिति के साथ "शून्य" थी।

### 2.18.10 एकबारगी निपटान के समय और ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन का अंतर : नियम 8 (5) (xii)

एकबारगी निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर का विवरण उनके कारणों सहित "शून्य" था।



मुख्य फाटक परिसर निर्माण क्षेत्र चित्र 2

## 3. सामान्य प्रकटन

### 3.01 लेखा परीक्षक –

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तदनुसार मैसर्स जैन चोपड़ा एंड कं., सनदी लेखाकार, दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

### 3.02 सचिवीय मानक


अधिनियम की धारा 118 (10) के अनुसरण में, कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

### 3.03 निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में राशियों का अंतरण :

कंपनी के पास ऐसी कोई निधि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा करना अपेक्षित था।

### 3.04 अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी :

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 1,50,00,00,00,000 (पंद्रह हजार करोड़ रुपये मात्र) है। चुकता शेयर पूंजी को नवंबर, 2020 के दौरान 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रुपये) से बढ़ा कर 50,07,83,00,000 (पांच हजार सात करोड़ तेरासी लाख रुपये मात्र) कर दिया गया, मार्च, 2021 के दौरान बढ़ा कर 69,85,27,38,310 रुपये (उनहत्तर हजार पचासी करोड़ सताइस लाख अड़तीस हजार तीन सौ दस रुपये मात्र) और फरवरी, 2022 के दौरान 87,87,75,38,310 (आठ हजार सात सौ सतासी करोड़ पचहत्तर लाख तीन सौ 10 रुपए मात्र), अगस्त, 2022 के दौरान 1,05,05,59,48,950 (दस हजार पाँच सौ और पाँच करोड़ उनसठ लाख अड़तालिस हजार नौ सौ पचार रुपए मात्र) और जनवरी, 2023 के दौरान 1,09,01,95,88,870 (दस हजार नौ सौ और एक करोड़ पनचानवे लाख अठासी हजार आठ सौ और सात रुपए मात्र) कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 1,09,01,95,88,870 रुपये है।



## पत्तन सुविधा निर्माण

### 3.05 प्रबंधकीय परिश्रमिक :

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197 के उपबंध इस कंपनी पर लागू नहीं हैं। इसके अलावा आपकी ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, इसलिए सभी निदेशकों को नियंत्रक कंपनी द्वारा ओएनजीसी विदेश के कर्मचारियों के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

### 3.06 निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन :

अधिनियम की धारा 184 (1) के अनुसार, आपके निदेशकों ने कंपनी में उनके हितों का प्रकटन करते हुए कंपनी को नोटिस दिया है जिनमें उनके और उनके रिश्तेदार रुचि रखते हैं या जिनसे उनका सरोकार है।

आपकी कंपनी के निदेशकों में से कोई भी निदेशक कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के नियम 14 के साथ पठित अधिनियम के खंड 152 (5) एवं 164 (2) प्रावधानों के तहत निरर्हक नहीं है।



परियोजना स्थल अस्थायी आवास

3.07 वित्तीय वर्ष के दौरान और इस बोर्ड रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन :

- श्री विनोद हलन, निदेशक मंडल में अपर निदेशक पद से प्रविरत हो गए।
- श्री ओमकार नाथ ज्ञानी 21 अप्रैल 2022 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।
- श्रीमती निशा ढींगरा को 27 जून, 2022 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त की गयीं।
- श्री मधुकर मोहन 18 अगस्त, 2022 को निदेशक मंडल में निदेशक के पद से प्रविरत हो गए;
- श्री रामिन्दर सिंह साहनी को 18 अगस्त, 2023 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

आपके निदेशक, आपकी कंपनी के निदेशक के रूप में श्री मधुकर मोहन और श्री विनोद हलन द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान की हार्दिक प्रशंसा करते हैं।

3.08 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

अधिनियम की धारा 203 के उपबंधों के अनुसार सुश्री निशा ढींगरा (एफसीएस – 10726) को 31 मार्च 2023 से कंपनी के कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

3.09 एक स्वस्थ समुदाय का निर्माण

आपकी कंपनी ने हमेशा एक सामाजिक निवेश रणनीति के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके एरिया -1 संघ में स्वस्थ और शिक्षित जीवन शैली को प्रोत्साहित किया है। इस उद्देश्य के लिए सामाजिक निवेश पहल हेतु तीन विषयों की पहचान की गई है :

- स्वास्थ्य और पोषण : ऐसे कार्यक्रमों में निवेश करना जो ऑपरेटर के मोजाम्बिक कार्यबल के स्वास्थ्य की रक्षा और वृद्धि करते हैं, साथ ही परियोजना के प्रचालन के पास समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं।
- शिक्षा और क्षमता निर्माण : तेल और गैस रोजगार से परे अवसरों का विस्तार करने के लिए कौशल विकसित करने और ज्ञान बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के लिए निवेश को लक्षित करना।
- आजीविका : ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, जो लाभार्थियों को स्वामित्व के सुरक्षित हस्तांतरण के माध्यम से लक्षित समुदायों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में एक ठोस, दीर्घकालिक सुधार को सक्षम बनाती हैं।





परियोजना स्थल – संविदाकार शिविर

#### 4. कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट :

आपकी कंपनी कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को हासिल करने का प्रयास करती है। कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

#### 5. सांविधिक प्रकटन :

आपके निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक प्रकटन किए हैं।

#### 6. वित्तीय लेखांकन

वित्तीय विवरणों को 01 अप्रैल .2016 से लागू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक और अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में तैयार किया गया है।

#### 7. आभारोक्ति :

निदेशक मंडल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों, विशेष रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और डीपीई, लेखापरीक्षकों और अन्य नियामक प्राधिकरणों के बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक मंडल मूल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश को कंपनी को अपना सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए निष्ठापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है, जिन्होंने कंपनी के उत्कृष्ट परिणाम और उपलब्धि सुनिश्चित की है। निदेशक मंडल सभी स्तरों पर लोगों की मूल्यवान सेवा और समर्पित प्रयासों की अत्यधिक सराहना करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी का विकास और उत्कृष्टता जारी रहे।

कृते ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली  
तिथि : 01 अगस्त 2023

ह./—  
(श्री ओमकार नाथ ज्ञानी )  
अध्यक्ष

आशु गुप्ता एंड कं.

कंपनी सचिव

204ए, द्वितीय तल, 23, एस. बी. आई. बिल्डिंग,  
डीएलएफ टॉवर के सामने, शिवाजी मार्ग,  
नई दिल्ली – 110015  
दूरभाष : 011-45700331, 9899021740  
ई-मेल : [ashugupta.cs@gmail.com](mailto:ashugupta.cs@gmail.com)

फार्म संख्या – एम आर 3  
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट  
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनियों के (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियम,  
2014 के नियम 9 के अनुसरण में}

सेवा में,

सदस्यगण

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड,

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

पंजी. कार्यालय : प्लॉट सं. 5ए-5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग,

वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070

हमने ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् “कंपनी” कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना और उत्तम कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुवर्तन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गयी थी जिसने हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनाओं का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए युक्तिसंगत आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों व दाखिल की गई विवरणियों व अन्य अभिलेखों के सत्यापन और साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकरणों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा अवधि के दौरान इसके नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया है और साथ ही यह सूचित करते हैं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं

और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक, उस तरीके से और इसमें इसके पश्चात् की गयी रिपोर्टिंग के अध्यक्षीन स्थापित हैं :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों व जमा की गई विवरणियों के साथ साथ कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच की है :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा तदधीन बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और तदधीन बनाए गए नियम;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा तदधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक तदधीन बनाए गए नियम और विनियम;
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशा निर्देश लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं थे: –
  - (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का सारभूत अधिग्रहण और नियंत्रण) विनियम, 2011;
  - (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;
  - (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
  - (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ और उद्यम इक्विटी) विनियम, 2021;
  - (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व सूचीकरण) विनियमन, 2008;
  - (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकरण) विनियम, 1993;
  - (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009;
  - (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018;

(vi) उपर्युक्त के अलावा, प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार, कंपनी किसी अन्य उद्योग विषिष्ट केंद्रीय और राज्यीय कानूनों से विनियमित नहीं होती है क्योंकि कंपनी की कारोबार गतिविधियों भारतीय अधिकार क्षेत्र से बाहर निष्पादित की जा रही हैं।

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) बोर्ड, समिति (यों) और साधारण अधिवेशन (नों) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 (“सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015”)– लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं थे।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के :

1. *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के प्रावधानों के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 26.06.2022 तक कोई महिला निदेशक नहीं थी।*

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों के साथ गठित किया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

वर्ष के दौरान सभी बोर्ड बैठकें कम दिनों के नोटिस पर, विधि के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित की गयीं थी। तथापि, कार्यसूची मर्दे अग्रिम में भेजी गयीं थी हैं और बैठक से पूर्व कार्यसूची मर्दों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड या समिति बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए सिवाय ऐसे मामले में जहाँ निदेशक (को) की विसम्मति विशिष्ट रूप से अभिलेखित किए गए थे।

कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालना तंत्र के आधार पर और कंपनी के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत और उनके द्वारा नोट किए गए कंपनी पर प्रयोज्य सभी कानूनों से संबंधित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर हमारी राय है

कि प्रबंधन में प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने तथा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार व परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं संस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त हम सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, इत्यादि के अनुसरण में कोई ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम / कार्यवाहियां नहीं की गई हैं जिनका कंपनी की कार्यवाहियों पर एक बड़ा प्रभाव हो सकता है सिवाय निम्नलिखित के –

1. कंपनी ने 20 जुलाई 2022 को आयोजित सदस्यों की असाधारण आम बैठक में अधिकृत शेयर पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए करने के लिए अपने संगम ज्ञापन (एमओए) में संशोधन किया है।
2. दिनांक 02.08.2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में, कंपनी ने नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नकदी के अन्यथा विचारन के लिए अग्रिम / ऋण के इक्विटी में रूपांतरण पर 10 रुपए प्रत्येक के 1,71,78,41,064 इक्विटी शेयरों का आवंटन किया था।
3. दिनांक 20.01.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में, कंपनी ने नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नकदी के अन्यथा विचारन के लिए अग्रिम / ऋण के इक्विटी में रूपांतरण पर 10 रुपए प्रत्येक के 39,63,63,992 इक्विटी शेयरों का आवंटन किया था।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 17. 07. 2023

यूडीआईएन : एफ004123ई000622433

आशु गुप्ता

व्यवसायगत कंपनी सचिव

एफसीएस सं. 4123

सीपी सं. : 6646

टिप्पण 1 : इस रिपोर्ट को हमारी समतिथि रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए जिसे अनुलग्नक क के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक- क

सेवा में,

सदस्यगण

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड,

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

पंजी. कार्यालय : प्लॉट सं. 5ए-5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग,

वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070

हमारी समतिथि रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

- 1 सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करने की है।
- 2 हमने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुपालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। ये सत्यापन, परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
- 3 प्रयोज्य वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन और वित्तीय अभिलेखों लेखा बहियों के अनुरक्षण का इस लेखा परीक्षा में समीक्षा नहीं की गयी है क्योंकि यह कार्य सांविधिक लेखा परीक्षकों और अन्य विनिर्दिष्ट पेशेवरों द्वारा समीक्षा अधीन है।
- 4 जहां कहीं भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में और घटनाक्रमों आदि के लिए प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्राप्त किया है।
- 5 कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जाँच परीक्षण आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक, सीमित थे।
- 6 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की अर्थक्षमता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता के संबंध में, जिसकी सहायता से प्रबंधन कंपनी की कार्यवाहियों का आयोजन किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 17. 07. 2023

यूडीआईएन : एफ004123डी000736646

आशु गुप्ता

व्यवसायरत कंपनी सचिव

एफसीएस सं. 4123

सीपी सं. : 6646

## कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

### ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल/कंपनी) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(45) के अंतर्गत यथा परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। आपकी कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओएनजीसी विदेश) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (डब्ल्यूओएस) है। वर्तमान में, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपनी पीई सर्वेक्षण रिपोर्ट में, आपकी कंपनी को कंपनी का कारोबार प्रचालन शुरू होने तक निर्माणाधीन कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

“कॉरपोरेट अभिशासन मानक को विधि के परे जाना चाहिए और विधि की भावना को संतुष्ट करना चाहिए न कि सिर्फ विधि के अक्षरों को”

### कॉरपोरेट अभिशासन दर्शन

कॉरपोरेट अभिशासनसंव्यवहारों, प्रक्रियाओं, नीतियों और नियमों की प्रणाली है जिसके द्वारा एक कंपनी को निर्देशित, प्रशासित या नियंत्रित किया जाता है। कॉरपोरेट अभिशासन का मूल उद्देश्य कंपनी के संसाधनों को इस तरह से आवंटित करना है जो सभी हितधारकों अर्थात् शेयरधारकों, उधारदाताओं, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, पर्यावरण और समुदाय के लिए मूल्य को अधिकतम करता है। कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता, विवेक, निष्पक्षता, जवाबदेही और व्यावसायिकता के मापदंडों पर अपने निर्णयों का मूल्यांकन करके अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह होने के लिए कंपनी के अधिकारियों पर कंपनी के कामकाज की जिम्मेदारी डालता है और तदनुसार हम यह कह सकते हैं कि “पारदर्शिता, प्रकटन और जवाबदेही” कॉरपोरेट अभिशासन के तीन मुख्य स्तंभ हैं।

“एक कर्तव्यनिष्ठ कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, हमारी कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों का विश्वास बढ़ाने, और इस प्रकार दीर्घावधिक सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करने के अलावा विवेक, खुलापन, निष्पक्षता, दक्षता और जवाबदेही पर आधारित उत्तम कॉरपोरेट संव्यवहारों के लिए प्रतिबद्ध है।”

➤ कॉरपोरेट अभिशासन का तात्पर्य नियमों, संव्यवहारों और प्रक्रियाओं के समग्र प्रणाली से है जिनसे कंपनी विनियमित होती है। यह लोग, प्रक्रियाओं, प्रदर्शन और प्रयोजन के बीच एक अन्योन्य क्रिया है। हमारे मूल्य और व्यवहार हमारे कॉरपोरेट अभिशासन के मूल सिद्धांत हैं।



- “निष्पक्षता, प्रकटन और रिपोर्टिंग, जो न केवल सांविधिक विनियमों का अनुपालन करते हैं अपितु पूरे संगठन के नैतिक आचरण का भी संवर्द्धन करते हैं, सुनिश्चित कर अंततोगत्वा शेयरधारकों का विश्वास बढ़ाना”। यह उत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन के मानकों का पालन करके और नैतिक प्रबंधन संव्यवहारों और सभी हितधारकों के साथ एक मूल्यवान संबंध और विश्वास को बनाए रखने की दिशा में प्रयासों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।
- हमारा कॉर्पोरेट अभिशासन हमारी संस्कृति, हमारी नीतियों और हमारे हितधारकों के साथ संबंधों को शामिल करने वाली मूल्य प्रणाली का प्रतिबिंब है। सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता हमारे कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम हर समय अपने हितधारकों के विश्वास को प्राप्त करें और इसे बनाए रखें। कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों की अनुपालनाओं का विवरण निम्नलिखित खंडों में दिया गया है :

#### 1. कॉर्पोरेट अभिशासन के सिद्धांत

मजबूतअभिशासन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में, आपकी कंपनी कॉर्पोरेट अभिशासन के निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करती है :

1. हितधारकों के हित में सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और प्रणालियां तैयार करना।
3. पारदर्शी प्रणाली और मूल्य सुनिश्चित करना, जो हितधारकों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और कंपनी और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हों।
4. हितधारकों को सभी महत्वपूर्ण सूचना का समय पर और पर्याप्त प्रकटन सुनिश्चित करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने की प्रक्रिया व्यवस्थित और तर्कसंगत है।
6. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के कर्मचारी कॉर्पोरेट मूल्यों से सहमत हैं और अपने आचरण में उन्हें अपनाते हैं।

#### 2. निदेशक मंडल

एक उपयुक्त कॉर्पोरेट अभिशासन प्रणाली वाली कंपनियों, विविधीकृत बोर्ड के साथ, जिसमें विकास-मानसिकता और संधारणीयता संबंधी सरोकार हैं, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में, समृद्ध होने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के दायरे में पारदर्शी और कार्यसाधक तरीके से कार्य करता है।

## 2.1 बोर्ड की संरचना

आपकी कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जो रणनीतियों और नीतियों का सूत्रीकरण करता है और समय-समय पर इसकी कार्यसाधकता की समीक्षा करता है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में यथा विहित तीन (03) से कम न हो, जिसमें कम से कम एक (01) महिला निदेशक हो। आपकी कंपनी ने श्रीमती निशा ढींगरा, को दिनांक 27.06.2023 से नियुक्त कर "अधिनियम" के कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, महिला निदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियमों की भी अनुपालना की है।

इसके अलावा, चूंकि यह कंपनी गठन चरण में है, सभी बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां / नामांकन मूल कंपनी ओएनजीसी विदेश द्वारा किए जाते हैं। इस तरह के सभी नामिती या तो ओएनजीसी विदेश के निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल में नीचे यथा उल्लिखित चार (04) निदेशक शामिल हैं :-

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	पद	डीआईएन	कार्यकाल	
				तिथि से	तिथि तक
1.	श्री ओमकार नाथ ज्ञानी	अध्यक्ष	08150155	21 अप्रैल, 2022	आदिनांक
2.	श्री श्याम सिंह	सदस्य	09345740	05 अक्टूबर, 2021	आदिनांक
3.	श्री रमिन्दर सिंह साहनी	सदस्य	09345597	18 अगस्त 2022	आदिनांक
4.	श्रीमती निशा ढींगरा	सदस्य	09651330	27 जून .2022	आदिनांक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

1. श्री विनोद हलन 21 अप्रैल 2022 से अपर निदेशक के पद से प्रविरत हुए।
2. श्री ओमकार नाथ ज्ञानी 21 अप्रैल 2022 से कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।

3. श्रीमती निशा ढींगरा 27 जून, 2022 से निदेशक के रूप में नियुक्त की गयीं।
4. श्री मधुकर मोहन 18 अगस्त 2022 से निदेशक पद से प्रविरत हुए।
5. श्री रमिन्दर सिंह साहनी 18 अगस्त 2022 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

## 2.2 बोर्ड बैठकें

### I. निदेशक मंडल की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त का अभिलेखन

कंपनी सचिव निदेशक मंडल की सभी बैठकों में भाग लेते हैं और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करते हैं। अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित मसौदा कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को प्रचालित किया जाता है। निदेशक मंडल के अध्यक्ष मसौदा कार्यवृत्त पर निदेशकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार कर कार्यवृत्त को अंतिम रूप देते हैं और अनुमोदित करते हैं और उसी को नोटिंग हेतु बाद की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विहित सचिवीय मानकों के अनुसार कंपनी बोर्ड की सभी बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्तों का अनुरक्षण करती है। इन कार्यवृत्तों को कानून के तहत यथा विसम्मत मतों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाता है।

### II. अनुवर्तन तंत्र :

बोर्ड बैठकों के दिशानिर्देश बोर्ड के निर्णयों पर कृत कार्रवाईयों के लिए प्रभावी बैठक पश्च अनुवर्तन, समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया सुगम करते हैं। निदेशक मंडल के निदेशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) समय-समय पर बोर्ड के समक्ष आवधिक रूप से समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है और शमन प्रक्रियाएं क्रियान्वित की जाती हैं।

### III. वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें :

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के दौरान बोर्ड की 12 (बारह) बैठकें आयोजित की गयीं थी। अधिनियमकी धारा 173 के अंतर्गत यथा उपबंधित दो बोर्ड बैठकों के बीच का अधिकतम अंतराल 120 दिन से अधिक नहीं था। दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 01 दिन (16 मई 2022 – 18 मई 2022) और 79 दिन (01 नवंबर, 2022–20 जनवरी 2023) था।

वि.वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	बोर्ड बैठक सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड में शामिल सदस्यों की	उपस्थित निदेशकों की संख्या
---------	----------------	--------------	----------------------------	----------------------------

			संख्या	
1.	22	21. 04. 2022	3	3
2.	23	16. 05. 2022	3	3
3.	24	18. 05. 2022	3	2
4.	25	27. 06. 2022	4	4
5.	26	20. 07. 2022	4	4
6.	27	02. 08. 2022	4	4
7.	28	18. 08. 2022	4	4
8.	29	20. 09. 2022	4	3
9.	30	01. 11. 2022	4	4
10.	31	20. 01. 2023	4	4
11.	32	01. 02. 2023	4	4
12.	33	31. 03. 2023	4	4

#### IV. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी सूचना :

निदेशक मंडल को कंपनी से संबंधित सभी सूचना संपूर्णतः उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्य किसी भी विषय पर सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो वे कंपनी के प्रबंधन के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। निदेशक मंडल को इसकी बैठकों में विचारार्थ सामान्यतः उपलब्ध कराई गयी सूचना में निम्नलिखित शामिल हैं : :

1. पिछली बोर्ड बैठक (बैठकों) के कार्यवृत्त।
2. बोर्ड द्वारा वांछित मामलों संबंधी एटीआर।
3. कंपनी पर लागू होने वाले सभी कानूनों के अनुपालन की तिमाही आधार पर समीक्षा।
4. वार्षिक परिचालन योजनाएँ और कोई अद्यतन।
5. परिचालन और वित्तीय स्थिति की आवधिक समीक्षा।
6. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उन्हें देय शुल्क का निर्धारण।

7. तिमाही वित्तीय परिणाम।
8. वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट
9. सांविधिक अपेक्षाओं की आवधिक अनुपालन स्थिति।

#### V. निदेशक मंडल की भूमिका

- ✓ बोर्ड की प्राथमिक भूमिका न्यासिता का है – कंपनी के रणनीतिक निदेश के माध्यम से शेयरधारक मूल्य को संरक्षित रखना और बढ़ाना;
- ✓ न्यासी के रूप में यह सुनिश्चित करना बोर्ड की वैश्वासिक जिम्मेदारी है कि कंपनी का लक्ष्य शेयरधारक मूल्य और इसकी संवृद्धि से संरक्षित है;
- ✓ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित नियंत्रण निदेशित करता है और प्रयोग करता है जिससे कि कंपनी इस प्रकार से प्रबंधित है जो हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करता हो;
- ✓ यह कंपनी की अभिशासकीय संव्यवहारों की कार्यसाधकता की निगरानी करता है और यथा आवश्यक उसमें परिवर्तन करता है;
- ✓ यह कंपनी को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करता है और कंपनी और शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है;
- ✓ यह कॉर्पोरेट संबंधी कार्यों पर स्वतंत्र निर्णय करता है;
- ✓ यह कॉर्पोरेट रणनीति, प्रमुख कार्य योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजनाओं, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारण, क्रियान्वयन निगरानी और कॉर्पोरेट प्रदर्शन, और प्रमुख पूंजीगत व्ययों का पर्यवेक्षण, अधिग्रहण और विनिवेशों की समीक्षा और मार्गदर्शन करता है।

#### VI. बोर्ड बैठकों की प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। निदेशकों द्वारा संसूचित निर्णयन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के वैधानिक प्रावधानों और सचिवीय मानक के अनुपालन में बैठकों की कार्यसूचियों को साधारणतया कम से कम 7 दिवस अग्रिम में परिचालित किया जाता है। तथापि, प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण निदेशकों की सम्मति से अल्प अवधि सूचना पर बैठकें भी बुलायी जाती हैं।

कंपनी ने निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का भी प्रस्ताव करती है ताकि उन्हें कानून के तहत प्रतिभागिता करने में सक्षम किया जा सके।

### 2.3 बोर्ड उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2022 –23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों, वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) में उपस्थिति, और 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद के विवरण निम्नवत थे :

निदेशकों का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिए	23 अगस्त, 2022 को आयोजित पिछली एजीएम में उपस्थिति	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या*
श्री ओमकार नाथ ज्ञानी (डीआईएन 08150155) (21 अप्रैल 2022 से)	12	12	हाँ	1 (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड), निदेशक
श्री श्याम सिंह (डीआईएन 09345740) (05अक्टूबर 2021 से)	12	11	हाँ	—
श्री रमिन्दर सिंह साहनी, (डीआईएन 09345597) (दिनांक 18 अगस्त 2022से)	6	6	हाँ	—
श्रीमती निशा ढींगरा (डीआईएन 09651330) (27जून .2022)	9	8	हाँ	—
श्री मधुकर मोहन (डीआईएन 08993015) (11 दिसंबर 2020 से 17 अगस्त 2022 तक)	6	6	—	—

\* भारत के बाहर कॉरपोरेट कंपनियों, धारा 8 कंपनियां और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां (पब्लिक कंपनी के नियंत्रक/अनुषंगी कंपनी नहीं होने के कारण) में धारित निदेशकके पद शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी :

1. यह कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के कारण और साथ डीपीई वर्गीकरण के अनुसार निर्माण चरण में होने के कारण, सभी निदेशक नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा नियुक्त/नामित किए गए हैं।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई मौद्रिक संबंध या लेनदेन नहीं है।
4. निदेशक पदों के विवरण संबंधित निदेशक से प्राप्त नवीनतम प्रकटन पर आधारित हैं।

2.4 नियुक्त किए जाने या पुनर्नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त जीवन परिचय :

नियुक्त या पुनर्नियुक्त चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त जीवन परिचय जिसमें विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति, कंपनियों के नाम जिनमें वे निदेशक पद धारित करते हैं, कंपनी की 3थी वार्षिक साधारण अधिवेशन के आयोजन से संबंधित सूचना में संलग्न है।

2.5 अनुपालनाएं

आपकी कंपनी ने प्रयोज्य कानूनों, नियमों और विनियामक प्राधिकरणों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और कंपनी पर दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देशों से किसी मामले पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे।

2.6 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

क. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के नाते और साथ ही डीपीई वर्गीकरण के अनुसार गठन चरण के अधीन होने के कारण, वर्तमान में आपकी कंपनी में बोर्ड स्तर की नियुक्तियाँ ओएनजीसी विदेश द्वारा की जाती हैं। बोर्ड के सभी सदस्य नियंत्रक कंपनी के निदेशक/अधिकारी हैं, जो समय-समय पर उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करती है।

बोर्ड के सदस्यों को अग्रिम रूप से प्रचालित कार्यसूची सुविस्तृत प्रकृति की होती है। तथापि, जब कभी भी आवश्यक होता है, बोर्ड की बैठकों में व्यवसाय से संबंधित मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों/पेशेवरों/सलाहकारों द्वारा चर्चा के दौरान प्रस्तुतियाँ/जानकारी प्रस्तुत की जाती है।

ख. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित नीति

ओवीआरएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसे 5 जून 2015 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के माध्यम से निदेशकों की नियुक्ति और प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) और (त), 149(6)(क) और (ग) धारा और 178(2), (3) और (4) के उपबंधों से छूट दी गई है।

3. बोर्ड स्तरीय समितियां

“अधिनियम” के अनुसार आपकी कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के कारण इसे न तो बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने और बोर्ड की लेखा परीक्षा और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, यह कंपनी एक निर्माणाधीन श्रेणी की कंपनी होने के कारण, वर्तमान में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

4. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

सभी बोर्ड सदस्य और ओवीआरएल के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ओएनजीसी विदेश (नियंत्रक कंपनी) द्वारा नामित किए गए हैं जो ओएनजीसी विदेश के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू व्यवसाय संव्यवहार संहिता द्वारा विनियमित हैं।

5. अनुषंगी कंपनी

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार इस कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं थी।

6. सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम

मोज एलएनजी 1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (ओवीआरएल), सेलर एसपीई (विपणन और पोत परिवहन गतिविधियों के लिए सिंगापुर में अधिनिगमित), उधारकर्ता एसपीई और सह-उधारकर्ता एसपीई (परियोजना वित्तपोषण गतिविधियों हेतु क्रमशः एडीजीएम, यूई और मोजांबिक में अधिनिगमित) की नियंत्रक कंपनी के रूप में एरिया 1 मोजांबिक



रियायतग्राही द्वारा दिनांक 21.04.2019 को अबु धाबी ग्लोबल मार्केट (एजीडीएम), यूएई में अधिनिगमित मोजएलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष शेयर धारित करता है, ।

## 7. साधारण अधिवेशन

### 7.1 वार्षिक साधारण अधिवेशन

पिछलेदो वार्षिक साधारण अधिवेशन का विवरण निम्नवत है :

एजीएम	वित्तीय वर्ष	तिथि	स्थान	विशेष संकल्प पारित
प्रथम	2019-2020	29.12.2020	पंजीकृत कार्यालय	नहीं
द्वितीय	2020-2021	14.09.2021	पंजीकृत कार्यालय	नहीं
तृतीय	2021-2022	23.08.2022	पंजीकृत कार्यालय	नहीं

### 7.2 असाधारण साधारण अधिवेशन (ईजीएम)

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान, कंपनी ने 01 असामान्य साधारण अधिवेशन (ईजीएम), 20 जुलाई, 2022 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित किया, जिसमें सदस्यों ने कंपनी की अधिकृतशेयर पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया।

## 8. प्रकटन

8.1 संबंधित निदेशक (कों) से प्राप्त प्रकटनों के आधार पर :

क) निदेशक मंडल में शामिल कोई भी निदेशक "अधिनियम" की धारा 165 के तहत यथा विहित सीमाओं से अधिक निदेशक पद धारित नहीं कर रहे हैं।

ख) निदेशक मंडल में शामिल कोई भी निदेशकसभी कंपनियों में, जिसमें वे डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.3.2 के अनुसार निदेशक हैं, 10 (दस) से अधिक समितियों के सदस्य या 5 (पाँच) से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।

लेखा परीक्षा और हितधारक संबंध समिति से संबंधित समिति की सदस्यता/अध्यक्ष पद की गिनती की गयी है।

### 8.2 निदेशकों के पारिश्रमिक

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित 'अधिनियम' की धारा 197 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके अलावा आपकी कंपनी ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, इसलिए सभी निदेशकों को ओएनजीसी विदेश के कर्मचारियों के रूप में नियंत्रक कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए किसी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं किया है, जो कंपनी के कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया हो या जो निजी प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए व्यय किए गए थे।

#### 9.कंपनी सचिव/अनुपालना अधिकारी की भूमिका

कंपनी सचिव (सीएस) यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं कि विधि के अनुसार प्रक्रियाविधि का अनुपालन किया जा रहा है और नियमित रूप से उनकी समीक्षा की जा रही है। सीएस यह भी सुनिश्चित करते हैं कि निदेशक मंडल / समिति बैठकों में प्रभावी निर्णयन हेतु निदेशकों को सभी प्रासंगिक सूचना, विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है। सीएस प्राथमिकतया प्रयोज्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित कर, निदेशकों को मार्गदर्शन प्रदान कर, बैठकों का आहवाहन कर और अभिशासकीय मामलों के लिए प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरणों के बीच अंतर्फलक के रूप में कार्य कर कंपनी के कामकाज के आयोजन में निदेशक मंडल को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

श्रीमती निशा ढींगरा दिनांक 31.03.2023 से कंपनी की सीएस और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (सीएमपी) हैं। इसके अलावा, केएमपी की नियुक्ति से संबंधित "अधिनियम" की धारा 203 कंपनी में दोनों पदों को धारित करने की अनुमति देती है, क्योंकि ओवीआरएल का निदेशक अधिनियम के अनुसार कोई केएमपी पद नहीं है। इसलिए, दोनों पदों को धारित करना विधि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।

#### 10. संचार के साधन

कंपनी अपने वार्षिक रिपोर्ट और साधारण अधिवेशनों की नोटिसों के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ संवाद करती है।

सूचना : साधारण अधिवेशन की सूचना ईमेल के माध्यम से सभी सदस्यों को भेजी जाती है।

वेबसाइट : कंपनी का एक वेबपेज है ([https://www.ongcvidesh.com/investor-page/#1670578062123-06a2d509-e8ae](https://www ONGCVIDESH.COM/investor-page/#1670578062123-06a2d509-e8ae)), जहाँ प्रासंगिक सूचना उपलब्ध हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी कंपनी के वेबपेज पर उपलब्ध है।

वार्षिक रिपोर्ट : वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, और अन्य महत्वपूर्ण सूचना निहित है, सभी सदस्यों और उसके अन्य हकदार को परिचालित की गयीं हैं।

#### 11. वार्षिक साधारण अधिवेशन

तिथि : 23 अगस्त, 2023

समय : 11:00 बजे

स्थान: वैकोर भवन, प्लॉट नं. 5ए –5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110 070

#### 12. शेयरधारिता वितरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता की सूची		
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
1	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	10901958881
2	श्री ओमकार नाथ ज्ञानी *	1
3	श्री संजीव तोखी*	1
4	श्री विनोद हलन*	1
5	श्री श्याम सिंह*	1
6	श्री शिबाजी मुखोपाध्याय*	1
7	श्री रमिन्दर सिंह साहनी*	1
	कुल	10901958887

\*ऊपर क्रम संख्या 2 से 7 तक में उल्लिखित शेयरधारिता ओएनजीसी विदेश की ओर से नामिति के रूप में है।

### 13. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित "अधिनियम" की धारा 204 के अनुसरण में, कंपनी ने सुश्री आशु गुप्ता एंड कं., को कंपनी सचिव – एक स्वतंत्र कंपनी सचिव पेशेवर फर्म, को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षकों ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (सचिवीय मानक एसएस-1) और साधारण अधिवेशन (सचिवीय मानक एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानकों की अनुपालना के साथ "अधिनियम" और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोज्य विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना पर सचिवीय लेखा परीक्षा निष्पादित की है। "अधिनियम" के प्रयोज्य प्रावधानों की अनुपालना की पुष्टि करने वाली सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गयी थी जिसे निदेशक मंडल द्वारा पढ़ा गया और नोट किया गया था और यह रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है।

### 14. स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा विषेशक

वर्ष 2022– 23 के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई समुक्ति नहीं की गयी है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) से शून्य टिप्पणियां प्राप्त की हैं और वे बोर्ड रिपोर्ट के भाग हैं।

### 15. सांविधिक लेखा परीक्षकों को शुल्क

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स जैन चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, को 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल 1.332 मिलियन रुपये (13.32 लाख) और लागू कर का भुगतान किया गया है (पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष 24 की सीमित समीक्षा सहित)।

### 16. निगरानी तंत्र

विधि के तहत अपेक्षानुसार, कंपनी के लिए निगरानी तंत्र प्रयोज्य नहीं है।

### 17. संबंधित पक्षकार लेनदेन

वर्ष के दौरान "अधिनियम" की धारा 188(1) के तहत दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन (आरपीटी) व्यवसाय के सामान्य क्रम में और असन्निकट (आर्म्ज लेंथ) आधार पर किए गए थे। आरपीटी को लेन-देन की

प्रकृति, मूल्य और अन्य संबंधित नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए सर्वग्राही अनुमोदन के मानदंडों के साथ सर्वग्राही अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था। कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण आरपीटी नहीं किए गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अलावा, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी-28 और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-28 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

#### 18. घोषणा

कंपनी सचिव इस दस्तावेज में प्रदत्त आंकड़ों की जिम्मेदारी लेते हैं।

सं. डीजीए (ई)/आरईपी/01-50/ओवीआरएल/एस्पीएस/2022-23/953092

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग  
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)  
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
Office of the Director General of Audit (Energy)  
New Delhi

दिनांक : 20/07/2023

सेवा में,  
निदेशक,  
ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड  
नई दिल्ली

विषय : 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ताक्षर

संलग्नक : यथोपरि।

(संजय कुमार झा)  
महानिदेशक

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उल्लिखित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार किए गए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के लिए ही उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा उनकी संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 19 जुलाई 2023 के तहत किया गया है, जो उनकी पूर्व की लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13 मई 2023 का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेजों को उपयोग में लिए बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जानकारीयों तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा की गयी कुछ टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन के आलोक में, इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर मेरी और कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
के निमित्त और उन की ओर से

हस्ता.

(संजय कुमार झा)

लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान : नईदिल्ली

दिनांक : 20 जुलाई, 2023



## 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के समेकित वित्तीय लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के समेकित वित्तीय लेखाओं को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के लिए ही उत्तरदायी हैं। 19 जुलाई 2023 की उनकी संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जो 13 मई की उनकी पूर्व की रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है, के तहत यह कहा गया है कि उनके द्वारा यह कार्य कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से और सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यात्मक दस्तावेजों के बिना किया गया है और हमने ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेजों को उपयोग में लिए बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जानकारियों तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा की गयी कुछ टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन के आलोक में, इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर मेरी और कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

के निमित्त और उनकी ओर से  
हस्ता.

(संजय कुमार झा)

लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 जुलाई, 2023

जैन चोपड़ा एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

8, चन्द्रा हाउस, प्रथम तल, डॉ. लेन, गोल मार्केट, नई दिल्ली – 110001

1960, प्रथम तल, औट्राम लाइन, दिल्ली 110009

दूरभाष : 011-2334 0155, 2334 2776 मो. : 9810247478

ई-मेल : [jainchopra.company@gmail.com](mailto:jainchopra.company@gmail.com)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण, ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

एकल इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी संशोधित रिपोर्ट

यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट हमारी पूर्व की दिनांक 13 मई 2023 को जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अधिक्रमण में जारी की जा रही है। यह संशोधित रिपोर्ट सी एंड एजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के दौरान दी गयी टिप्पणी के अनुसार एसए 706 (संशोधित) के अंतर्गत सुझाए गए अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले की रिपोर्टिंग के संबंध में रिपोर्ट की जाने वाली अतिरिक्त सूचना और सीएआरओ, 2020 के खंड 3(ix)(क) और 3(xvii) में अतिरिक्त सूचना के आलोक में जारी की जा रही है। आगे हम पुष्टि करते हैं कि पूर्व में व्यक्त राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और साथ ही 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित किसी आंकड़े में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राय

हमने "ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड" ('कंपनी') के संलग्न एकल इंड एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इसके तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण और नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरण की टिप्पणियां शामिल है। उक्त वित्तीय विवरण संयुक्त हित बिलिंग (जेआईबी) के माध्यम से ऑपरेटर द्वारा भेजे गए व्यय विवरणों के आधार पर लेखाओं का संकलन है, जिसे किसी भी चरण में अंकेक्षित नहीं किया गया है। हमने उससे संबंधित अंतर्निहित दस्तावेजों और वाउचरों की लेखा परीक्षा नहीं की है। हमने प्रबंधन द्वारा यथा अभिनिर्धारित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटनों पर भरोसा किया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा ऊपर यथा कथित हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार प्रदान करते हैं जिस प्रकार यह अपेक्षित है तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, (इंड एस) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों (वित्तीय स्थिति) तथा उस तिथि को समाप्त अवधि में इसकी हानि जिसमें अन्य व्यापक हानि शामिल हैं, वर्ष के दौरान इक्विटी परिवर्तनों और इसके नकद प्रवाह से संबंधित सच्चे और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

#### राय का आधार

हमने इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा का आयोजन अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी में और वर्णन किया गया है। हम भारतीय लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता, कंपनी अधिनियम 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं और एकल इंड एस वित्तीय वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा विचारों को उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

#### मामले पर जोर

1. कंपनी ने वर्ष के दौरान 25,488.41 मिलियन रुपए की राशि की क्षरण हानि के विपर्यय का आकलन किया है, जिसमें व्यापार संयोजन के अंतर्गत व्यापार हस्तांतरण के पूर्व नियंत्रक कंपनी की बहियों में अभिज्ञात 19,833.07 मिलियन रुपए की क्षरण हानि शामिल है। इस प्रकार कंपनी को बिना किसी संगत प्रोद्भवन के वर्ष के लाभ में उपर्युक्त राशि की वृद्धि हो गयी (टिप्पणी संख्या 24.2 देखें)
2. कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2023-24 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुसार मौजूदा कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में अंतरित होने का विकल्प चुना है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावी कर दर 34.944 प्रतिशत से 25.168 प्रतिशत हो गया है और तदनुसार बिना किसी संगत प्रोद्भवन के वर्ष

के लाभ और हानि विवरण में 7654.51 मिलियन रुपए की राशि की आस्थगित कर देयता (निवल) का विपर्यय प्राप्त हुआ है। (टिप्पणी संख्या 25.3 देखें)

3. 3128.69 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2637.40 मिलियन रुपए) की अन्य वर्तमान आस्तियों में ऑपरेटर से देय के रूप में दर्शाए गए 349.39 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 600.29 मिलियन रुपए) शामिल है और इसे अप्रत्याभूत और अच्छा माना गया है। इसकी पुष्टि नहीं की गयी है। (टिप्पणी संख्या 12 देखें)
4. नियंत्रक कंपनी के साथ प्रशासनिक व्यय साझा करने के लिए नियंत्रक कंपनी, इस कंपनी के निगमन के बाद से अभी भी आधार निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में कोई भी व्यय प्रभारित (बुक) नहीं किया गया है क्योंकि इसे प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण न माना गया है। (टिप्पणी सं. 21.4 देखें)

उपर्युक्त मामले में हमारी राय उपांतरित नहीं की जाती है।

#### प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के एकल इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को समग्र रूप से, और उस पर हमारी राय बनाने में इस एकल इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किए गए थे, और हम इन मामलों पर कोई पृथक राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने हेतु नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखा परीक्षा मामला अभिनिर्धारित किया है :

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
अचल आस्ति अभिलेख : ऑपरेटर द्वारा अधिग्रहित और उपयोग में लायी गयी अचल आस्तियों को निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य में शामिल किया जा रहा है और अग्रणित किया जा रहा है। सृजित की गयी और निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की गयी परिसंपत्तियों / सुविधाओं का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। (टिप्पणी संख्या 6 देखें)	प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि एक बार जब उत्पादन शुरू हो जाएगा सभी परिसंपत्तियों अर्थात् प्रचालक में निहित सभी उत्पादन परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों की इन्वेंटरी बनाया जाएगा और प्रासंगिक इंड एस की अपेक्षाओं के अनुसार उसे लेखा बही में दर्ज किया जाएगा। निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य की संरचना के संबंध में किसी सूचना के अभाव में हम उसकी संरचना पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।  इसके अलावा किसी विस्तृत सूचना के अभाव में हम

	उसमें शामिल वस्तुओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जो हो सकता है कि पूंजीकरण के लिए अर्हक न हो।
सर्वेक्षण लागत कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में 27.81 मिलियन रुपए की सर्वेक्षण लागत लेखांकित किया है।	लेखांकित सर्वेक्षण लागत की राशि ऑपरैटर द्वारा प्रदत्त विवरण पर आधारित है जो अनकेंक्षित है। हमने ऑपरैटर द्वारा यथा प्रस्तुत और प्रबंधन द्वारा यथा अनुमोदित ऐसी सूचना पर भरोसा किया है।
अप्रत्याशित घटनाक्रम : कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में ब्याज सहित 9544.79 मिलियन रुपये की राशि लेखांकित किया है। (टिप्पणी सं. 22 एवं 23 देखें)	अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण लेखांकित राशि प्रबंधन द्वारा विश्लेषित और प्रदत्त सूचना पर आधारित है। हमने प्रबंधन द्वारा यथा प्रदत्त ऐसी सूचना पर भरोसा किया है।

अन्य मामले

हमने कूपों के अन्वेषणात्मक, विकासात्मक के रूप में वर्गीकरण, उन पर व्ययित लागत के आवंटन, तेल और गैस परिसंपत्तियों के प्रमाणित (अविकसित)/संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों, क्षरण, डिकमिशनिंग लागतों की देयता, प्रगतिधीन परियोजनाओं के समापन हेतु मूल्यांकन और समय-सीमा के संबंध में प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किए गए तकनीकी/वाणिज्यिक आकलनों, पर भरोसा किया है। तथापि, इस प्रकार से मूल्यांकित आकलनों को किसी तकनीकी वाह्य एजेंसी सत्यापित नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों में इन मामलों के संबंध में हमारी राय उपांतरित नहीं की गयी है।

एकल इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और उनका दायित्व जो इसके अभिशासन के लिए भारित हैं

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी प्रस्तुति से संबंधित है जिनमें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, समय समय पर यथा संशोधित, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन लाभ और नकद प्रवाह के संबंध में कंपनी की एक वास्तविक और निष्पक्ष स्थिति दर्शायी गई है।

इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उन्हें रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; वे निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण हों; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, कार्यान्वित व उनका रखरखाव करना जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, वे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी प्रस्तुति से प्रासंगिक है जो एक वास्तविक व उचित स्थिति को दर्शाते हैं तथा वास्तविक मिथ्या बयानी से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो के संदर्भ में हो, भी शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन कंपनी की चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का यथा प्रयोज्य प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

एकल इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा लक्ष्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण, समग्र रूप से तथ्यात्मक मिथ्या बयानी, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, से मुक्त है, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानक के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा हमेशा तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का, जब यह मौजूद हो, पता लगा लेगा। मिथ्या बयानी धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है या त्रुटिवश हो सकती है और इसे तथ्यात्मक माना जाता है यदि अलग अलग या समुदित रूप से, इससे प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करना और निष्पादित करना और हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटिवश हुई मिथ्या बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन लोप, मिथ्या प्रस्तुति, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ हासिल करना ताकि प्रदत्त परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस विषय पर भी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से परिचालन में हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की युक्तियुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबद्ध प्रकटन का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के चालू समुत्थान आधार लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता है जो इस कंपनी की चालू समुत्थान के रूप जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर अर्थपूर्ण आशंका प्रकट करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू समुत्थान के रूप में अस्तित्व को समाप्त कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु, जिनमें प्रकटन भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और यह मूल्यांकन करना कि क्या ये एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन – देन और घटनाक्रमों को उस तरीके से निरूपित करते हैं जिससे उचित प्रस्तुति हासिल होता है।



तात्त्विकता एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में मिथ्या बयानी का वह परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या समुदित रूप से, यह संभाव्य बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित रूप से जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम (i) हमारी लेखा परीक्षा के दायरे की आयोजना और हमारे कार्य के निष्कर्षों के मूल्यांकन; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी अभिज्ञात मिथ्या बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, परिमाणात्मक तात्त्विकता और गुणात्मक तात्त्विकता पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषय – वस्तुओं में, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और इसका समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिसमें हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में हमारे द्वारा चिन्हित आंतरिक नियंत्रण में अर्थपूर्ण विचलन भी शामिल हैं, के संबंध में उनको संसूचित करते हैं जो इनके अभिशासन के लिए भारित हैं।

हम उनको, जो अभिशासन के लिए भारित हैं, को यह भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने निरपेक्षता के सापेक्ष प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों और और जहाँ प्रयोज्य है, संबंधित सुरक्षापायों के बारे में भी संसूचित करते हैं जिनके संबंध में हमारी निरपेक्षता को प्रभावित कर सकने की क्षमता, के संबंध में तर्कसंगत रूप से सोचा जा सकता है।

उन मामलों में से, जिन मामलों में अभिशासन से भारित को संसूचित किया गया है, हम उन मामलों को चुनते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे मुख्य लेखा परीक्षा मामले थे। हम इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कानून और विनियम ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को प्रतिबन्धित नहीं करता है या जब, हम अत्यंत ही दुर्लभ परिस्थितियों में, निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के ऐसे प्रतिकूल परिणाम होंगे जिनके ऐसी सूचना के जनहित हितलाभों पर भारी पड़ने की अपेक्षा है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) की शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षा अनुसार हम उक्त

आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले के संदर्भ में एक विवरण 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

2. कंपनी की बहियों और अभिलेखों को इस प्रकार जांचने के आधार पर जैसा कि हमारे द्वारा उचित माना गया है तथा उस सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार जो कि हमें प्रदान किए गए हैं, हमने इस अधिनियम की धारा 143 (5) की शर्तों के अनुसार अपनी रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए निदेशों व उप निदेशों के आधार पर 'अनुलग्नक ख' के रूप में यहां संलग्न की है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा अनुसार, हम सूचित करते हैं कि :

(क) हमने सभी सूचनाएं व व्याख्याएं मांगी व प्राप्त कर ली हैं, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मतानुसार, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को कंपनी द्वारा रखा गया है, जहां तक हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से ज्ञात होता है।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा लिए गए एकल तुलन पत्र तथा लाभ – घाटा विवरण, (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल हैं) और नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी परिवर्तन विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(घ) हमारी राय में, उक्त एकल इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) 31 मार्च 2023 को निदेशकों की ओर से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया है, कि कोई भी निदेशक 31 मार्च 2023 को अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस प्रकार के नियंत्रण की प्रचालन प्रभाविता के संदर्भ में 'अनुलग्नक ग' में संदर्भित हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें।

(छ) यथा संशोधित इस अधिनियम की धारा 197 (16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस अवधि के दौरान इसके निदेशकों को कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संलग्न अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) कंपनी का कोई लंबित मुकदमा नहीं है;

ii) हमें दी गयी सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी की व्युत्पन्न संविदाएं सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं;

iii) इनमें कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षण और संरक्षण कोष के लिए स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

iv) (क) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है कि, इसके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकल इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 32.18 में यथा प्रकटित के अलावा, कंपनी द्वारा कोई भी निधि इस समझौते/समझ, लिखित में अभिलेखित या अन्यथा, कि मध्यवर्ती या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिज्ञात अन्य व्यक्तियों या निकायों को उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति प्रदान करेगा, किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जिसमें विदेशी निकाय ("मध्यवर्ती") भी शामिल हैं, को अग्रिम नहीं दिया है या ऋण नहीं दिया या उनमें निवेश नहीं किया है (या तो उधार ली गयी निधियों से या शेयर प्रीमियम या या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से)।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है कि, इसके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकल इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 32.18 में यथा प्रकटित के अलावा, कंपनी ने कोई भी निधि इस समझौते/समझ, लिखित में अभिलेखित या अन्यथा, कि कंपनी या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निधियन पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") को या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिज्ञात अन्य व्यक्तियों या निकायों को उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी

की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति प्रदान करेगा, किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जिसमें विदेशी निकाय ("निधियन पक्षकार") भी शामिल हैं, निधि प्राप्त नहीं की है।

(ग) लेखा परीक्षा प्रक्रियाविधियों जिन्हें प्रदत्त परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो हमें विश्वास दिलाता हो कि ऊपर (क) और (ख) के तहत यथा प्रदत्त, नियम 11(ड) के उप खंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए प्रतिवेदनों में कोई तात्त्विक मिथ्याब्यानी है।

v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के उपबंधों के उल्लंघन में वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

vi) हमारी जांच के आधार पर, जिनमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपनी लेखा बहियों अनुरक्षण के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा लीक (ट्रेल) (संपादन संलेख) का अभिलेख रखने की विशेषता है और सॉफ्टवेयर सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इसी सॉफ्टवेयर को पूरे वर्ष परिचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में हमें लेखा परीक्षा लीक में किसी छेड़छाड़ का दृष्टांत नहीं मिला है।

कृते जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 19 जुलाई 2023

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार

(सदस्यता संख्या : 017199)

यूडीआईएन :.....

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल इंड एस वित्तीय विवरणों पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाएँ संबंधी रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अनुलग्नक

(i) (क) (अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में :

- (i) कंपनी परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उचित अभिलेख बनाए रखती है।
- (ii) ऑपरेटर द्वारा अधिग्रहित परिसंपत्तियां, यदि कोई होता है, को इसमें शामिल किया जा रहा है और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणित किया जाता है और कंपनी द्वारा कोई पृथक अभिलेख या इन्वेंटरी नहीं रखी जा रही है।
- (ब) कंपनी के पास कोई अमूर्त आस्तियां नहीं हैं, सिवाय जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में शामिल हैं।  
तथापि, वित्तीय विवरणों में विकास अधीन अमूर्त आस्तियों के तहत दर्शायी अधिग्रहण लागत (पीआई) के संबंध में विवरण कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय में रखे जाते हैं।
- (ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।
- (ग) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- (घ) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।  
कंपनी के पास कोई अमूर्त आस्तियां नहीं हैं सिवाय उन आस्तियों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत उल्लिखित हैं।
- (ङ) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और तदधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई बेनामी संपत्ति धारित नहीं करती है।
- (ii) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार,
- (i) इन्वेंटरी में केवल ऑपरेटर की अभिरक्षा में भारत के बाहर परियोजना में धारित भंडार और पुर्जे शामिल है।

प्रदत्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऑपरेटर द्वारा 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार परियोजना स्थल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कभी भी वर्तमान आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से, समुदित रूप से पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी संस्वीकृत नहीं की गयी हैं।

तथापि, कंपनी ने परियोजना वित्तपोषण व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य प्रतिभूति करार (सीएसए) प्रतिभूति अभिरक्षक के रूप में कार्य करते हुए स्टैंडर्ड बैंक एस. ए. की एक सहयोगी संस्था, होल्डको में अपनी शेयरों पर अभिरक्षा व्यवस्था प्रदान किया है।(टिप्पणी 8.1.4 देखें)

(iii) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार,

(i) कंपनी ने सहयोगी कंपनी में निवेश किया है।

(ii) कंपनी ने संभावित क्रेताओं को अपेक्षित एलएनजी बिक्री के संबंध में प्रदर्शन प्रत्याभूति प्रदान की है।

(क) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने संभावित क्रेताओं को अपेक्षित एलएनजी बिक्री के संबंध में प्रदर्शन प्रत्याभूति प्रदान की है।

(अ) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने संभावित क्रेताओं को अपेक्षित एलएनजी बिक्री के संबंध में प्रदर्शन प्रत्याभूति प्रदान की है।

(ब) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने संभावित क्रेताओं को अपेक्षित एलएनजी बिक्री के संबंध में प्रदर्शन प्रत्याभूतियां प्रदान की है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सहयोगी कंपनी में किए गए निवेश और प्रदत्त प्रदर्शन प्रत्याभूतियां कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास एक संयुक्त उद्यम में मेजबान सरकार की कंपनी के विकासात्मक व्यय के हिस्से का भुगतान करने के स्वरूप में अग्रणीत ऋण है। ऋण का ब्याज समेत पुनर्भुगतान अन्वेषण और उत्पादन रियायत संविदा के अनुरूप तेल एवं गैस परियोजना से तेल एवं गैस के उत्पादन की शुरुआत के बाद किया जाएगा। (टिप्पणी 12.1 देखें)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, अग्रणीत ऋण और और ब्याज की राशि क्रमशः 18,177.94 मिलियन रुपए और 3,648.15 मिलियन रुपए है।

(घ) यह राशि पुनर्भुगतान हेतु अभी देय नहीं है।

(ङ) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(च) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण की प्रकृति का कोई ऋण या अग्रिम संस्वीकृत नहीं किया है, जो या तो मांग पर पुनर्भुगतान योग्य हो या किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि के विनिर्दिष्ट किए बिना हो।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने उन निदेशकों / या किसी ऐसी कंपनी को ऋण प्रदान नहीं किए हैं जिनमें निदेशक का हित हो जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 के उपबंध लागू होते हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 इस कंपनी के लिए लागू नहीं होती है।

(v) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक उपबंध और तद्धीन बनाए गए नियमों के आशय के अंदर किसी प्रकार का सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3 (v) के उपबंध कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

(vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी की गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत संबंधी अभिलेखों का रखरखाव करने के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vii) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी आय कर और वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित निर्विवादित सांविधिक देयों का उपयुक्त प्राधिकरण में भुगतान कर रही है और 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार संदेय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई बकाया नहीं है। अन्य सांविधिक देयों अर्थात् भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, उपकर और कोई अन्य सांविधिक देय इस अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं थे।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी ऐसे सांविधिक देय नहीं थे, जिनका किसी विवाद के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

(viii) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ लेन-देन को लेखा बहियों में अभिलेखित नहीं किया गया है और अन्यथा अभ्यर्पित किया गया है या वर्ष के दौरान आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में प्रकट किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उधार लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान वर्ष के दौरान देय नहीं हुआ है। तथापि, कंपनी ने लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक की है। संबंधित विवरण इस प्रकार है :

कंपनी का नाम	राशि (मिलियन रुपए में)	देय तिथि	भुगतान की तिथि	विलंब की अवधि (दिवस)	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो
ओएनजीसी	1,126	30.06.2020	—	1004	ब्याज अतिदेय हैं
विदेश लिमिटेड	1,168	30.09.2020	—	912	
	927	31.12.2020	—	820	
	793	31.03.2021	—	730	
	940	30.06.2021	—	639	
	712	30.09.2021	—	547	
	1,039	31.12.2021	—	455	
	674	31.03.2022	—	365	
	1,056	30.06.2022	—	274	
	1,360	30.09.2022	—	182	
	2,298	31.12.2022	—	90	

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जान बुझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हाँ, लिए गए ऋण को उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था।

(घ) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अल्प अवधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है।

(ङ) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।



(च) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण नहीं लिया है सिवाय जैसा इस रिपोर्ट के खंड संख्या (ii) में उल्लिखित हैं।

(x) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) या अन्य सार्वजनिक पेशकश (ऋण पत्र सहित) के माध्यम से पैसा नहीं जुटाया है।

(ख) हमें प्रदान की गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजी अंशों (शेयरों) का कोई अधिमानी आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है या रूपांतरणीय ऋण पत्र (पूर्णतः या अंशतः या विकल्प पर रूपांतरणीय) जारी नहीं किए हैं।

कंपनी ने केवल अपनी नियंत्रक कंपनी को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

(xi) (क) भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण प्रथाओं के अनुसार, और हमें प्रदान की गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें कंपनी की लेखा बहियों की हमारी परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई दृष्टांत नहीं मिले हैं या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी इस अवधि के दौरान देखा या संसूचित नहीं किया गया है, ना ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गयी है।

(ख) वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 के उप-खंड (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के तहत यथा विहित प्ररूप एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को दाखिल नहीं की गयी है।

(ग) हमें व्हिसल ब्लोअर से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(xii) (क) यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।

(ग) हमें प्रदान की गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।

(xiii) हाँ, संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है। प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार लेन-देन के विवरणों का वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया गया है।

- (xiv) (क) वर्ष के दौरान परियोजनाओं की लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षा सहित कोई लेखा परीक्षा नहीं करायी गयी है।  
तथापि, कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक आंतरिक लेखा परीक्षा करवाया है जिसमें बहुत कम लेन-देन हैं।
- (ख) हाँ, लेखा परीक्षा अधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया था।
- (xv) हमारी राय में और लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमें दी गयी सूचना के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार के गैर नकदी लेनदेन नहीं किए गए हैं। इसलिए, इस आदेश के खंड 3 (xv) के उपबंध इस कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।
- (xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है और तदनुसार, इस आदेश के खंड 3 (xvi) के उपबंध कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी गैर – बैंककारी वित्तीय या आवासीय वित्तपोषण गतिविधियां नहीं की हैं और/या गतिविधियों में शामिल नहीं रही है।
- (ग) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित, कंपनी मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (घ) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।
- (xvii) हाँ। कंपनी को 8077.20 मिलियन रुपये की राशि की हानि हुई है और ठीक पिछले वर्ष 7227.78 मिलियन रुपये की हानि हुई है।
- (xviii) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षकों ने त्याग पत्र नहीं दिया है।
- (xix) कंपनी की परियोजना निर्माणाधीन है। यह परियोजना पूरी तरह नियंत्रक कंपनी द्वारा वित्तपोषित है। नियंत्रक कंपनी केवल इसके बाहरियों और परियोजना के मद में कंपनी की प्रतिबद्धताओं का भुगतान कर रही है।
- (xx) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।
- (ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

कृते जैन चोपड़ा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

स्थान : नई दिल्ली  
तिथि : 19 जुलाई 2023

(अशोक चोपड़ा)  
भागीदार

(सदस्यता संख्या : 017199)

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख"

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंड एस विवरणों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में उल्लिखित अनुलग्नक :

क्र.सं.	निर्देश	कृत कार्रवाई	एकल इंड एस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखाओं की संपूर्णता / शुद्धता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ बताए जाएं।	हाँ, कंपनी में एसएपी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित है। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिनमें कोई लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से बाहर की गयी है।	शून्य
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गयी है या कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज माफी / छूट का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताएं। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया गया है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है)।	कंपनी का मूल कंपनी के साथ बैंक टू बैंक व्यवस्था के अंतर्गत 15 नवंबर 2019 के कारोबार हस्तांतरण करार के कारण उधार थे। तथापि, कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गयी है या कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज माफी / छूट का कोई मामला नहीं है। इसके अलावा वर्ष के दौरान कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।	शून्य

पुनर्भुगतान अनुसूची			
विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार शेष (मिलियन रुपये में)		
1000 मिलियन अमे. डालर	82150	30 मार्च, 2025	
500 मिलियन अमे. डालर	41075	12 जुलाई, 2026	
600 मिलियन अमे. डालर	49,290	27 अक्टूबर, 2026	
100 मिलियन अमे. डालर	8,215	27 जनवरी, 2027	
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को उसकी निबंधनों और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखा रखा गया था / उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजनाओं के लिए इस प्रकार की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई / प्राप्य नहीं है।	शून्य

कृते जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार

(सदस्यता संख्या : 017199)

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 19 जुलाई 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का 'अनुलग्नक ग'

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के इंड एस वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट' शीर्षक के तहत अनुच्छेद 3(च) में उल्लिखित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार "ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड" ("कंपनी") का इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंड एस वित्तीय विवरणों के हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण का संयोजन करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल का दायित्व भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण करने से संबंधित मार्ग दर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना व रखरखाव करने का है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा रखरखाव करने को शामिल किया गया है जो इसके व्यवसाय को क्रमबद्ध तरीके से व कुशलतापूर्वक संचालित करना सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्व प्रचालन कार्य कर रहे थे इनमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समयबद्ध तैयारी शामिल हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में राय व्यक्त करना है। हम अपना लेखा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण की लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत विहित माने गए वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक टिप्पणी") संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण दिशा निर्देश टिप्पणी तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार आयोजित की हैं। उन मानकों और दिशा निर्देश टिप्पणी के लिए आवश्यकता होता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें तथा इन उचित आश्वासनों को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और नियंत्रण बनाए रखा जा रहा है तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रण प्रभावी रूप से सभी वास्तविक मामलों में प्रचालित किए जा रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन पद्धतियां और उनकी प्रचालन संबंधी कुशलता शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या इसमें कोई वास्तविक क्षीणता मौजूद है, और आंकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की रूप रेखा व प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिम का आंकलन शामिल होता है, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जिन्हें हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारी लेखा परीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथोचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) उन

अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित होती है जो उचित विस्तार युक्त, सटीक होते हैं तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के सौदों व निपटान को उचित तौर पर प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि वित्तीय विवरणों को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने के लिए अनुमत किए जाने की अनिवार्यता के साथ लेनदेन को दर्ज किया गया है, तथा कंपनी की उन प्राप्तियों व व्ययों को कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है; तथा (3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा निपटान को रोकने अथवा समय पर उनका पता लगाने के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करना जिनका वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना हावी होती है, त्रुटियों और धोखाधड़ी के होने तथा उनके ज्ञात न होने के कारण तथ्यात्मक मिथ्या बयानी होती है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के पूर्वानुमान जोखिम पर आधारित होते हैं जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा जिससे नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर दूषित हो सकते हैं।

राय

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परीक्षण मूल कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर आमतौर पर अनुपालित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार किया गया है और मूल कंपनी के स्तर पर ही सतत रूप से इसकी निगरानी की गयी है।

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी वास्तविक आयामों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निहित है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2023 तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण संबंधी दिशा निर्देश टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।



कृते जैन चोपड़ा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

स्थान : नई दिल्ली  
तिथि 19 जुलाई 2023

(अशोक चोपड़ा)  
भागीदार

(सदस्यता संख्या : 017199)



31 मार्च 2023  
को समाप्त वर्ष के लिए  
एकल वित्तीय विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड  
(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एकलतुलन पत्र

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
<b>I</b>	परिसंपत्तियां			
(1)	गैर – मौजूदा परिसंपत्तियां			
	क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
	(i) अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	1.53	2.43
	ख) उपयोग अधिकार परिसंपत्तियां	6	–	–
	ग) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य			
	(i) तेल और गैस परिसंपत्तियां	–	147.47	–
	1) निर्माणाधीन विकास कूप	–	66,394.44	58,486.51
	2) निर्माणाधीन तेल और गैस सुविधाएं	–	–	–
	घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	–	–	–
	ड) प्रगतिधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	7		
	(i) प्रगतिधीन अन्वेषणात्मककूप	–	18,305.98	17,298.08
	(ii) अधिग्रहण लागत	–	220,183.06	179,006.42
	च) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) निवेश	8	2,806.95	1,683.39
	(ii) व्यापार प्राप्य	–	–	–
	(iii) ऋण	–	–	–
	(iv) स्थल प्रत्यावर्तन निधि के लिए जमा	–	–	–
	(v) वित्त पट्टा प्राप्य	–	–	–
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	21,826.28	17,858.72
	छ) गैर मौजूदा कर परिसंपत्तियां (निवल)	–	–	–
	ज) अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	9	1,119.23	1,003.13

	कुल गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	—	330,784.94	275,338.68
<b>(2)</b>	मौजूदा परिसंपत्तियां			
	(क) माल सूचियां (इन्वेंटरी)	10	375.48	386.97
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) कैश और कैश कॉल समतुल्य	11	4.69	2.87
	(ii) ऋण	—	—	—
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	3,128.69	2,637.40
	(ग) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	9	73.77	142.98
	कुल मौजूदा परिसंपत्तियां	—	3,582.63	3,170.22
	कुल परिसंपत्तियां	—	334,367.57	278,508.90
<b>II</b>	इक्विटी एवं देयताएं			
(1)	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	108,910	87,789.66
	(ख) अन्य इक्विटी	14	(17,907.62)	(33,767.69)
	कुल इक्विटी	—	91,002.95	54,021.97
	देयताएं			
(2)	गैर मौजूदा देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं	—	—	—
	(i) उधार राशियां	15	180,730.00	166,650.00
	(ii) पट्टा देयता	—	—	—
	(iii) अन्य वित्तीय देयता	—	—	—
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	17	48,003.88	50,276.62
	कुल गैर मौजूदा देयताएं	—	228,733.88	216,926.62
(3)	मौजूदा देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) व्यापार की चुकाई जाने वाली राशियां	—	—	—

1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशियां	—	—	—
2) सूक्ष्म उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां	18	931.45	1,259.67
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	13,430.23	6,220.34
(ख) अन्य मौजूदा देयताएं	19	269.07	80.30
(ग) प्रावधान			
(घ) मौजूदा कर देयताएं (निवल)			
कुल मौजूदा देयताएं	—	14,630.75	7,560.31
कुल देयताएं	—	243,364.63	224,486.93
कुल इक्विटी और देयताएं	—	334,367.57	278,508.90
एकल वित्तीय परिणामों की संलग्न टिप्पणियां देखें	1-34		

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी की ओर से  
हस्ता.

(निशा ढींगरा)  
कंपनी सचिव

हस्ता.  
(श्याम सिंह)  
सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

(रमिंदर सिंह साहनी)  
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

यूडीआईएन : 23017199 बीजी वाय वाय आईआर 3533

स्थान : नई दिल्ली  
तिथि : 10 मई 2023

ह0  
(अशोक चोपड़ा)  
भागीदार (स. सं. 017199)

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

	मद	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालनों से राजस्व	—	—	—
II	अन्य आय	20	1,321.42	747.58
III	कुल आय (I+II)	—	1,321.42	747.58
IV	व्यय			
	तैयार माल की सूची में परिवर्तन			
	अधि उठान/कम उठान के कारण कमी / (वृद्धि)			
	उत्पादन, परिवहन, विक्रय और वितरण व्यय	—	—	—
	बड़े खाते डाली गयीं सर्वेक्षण लागत			
	(क) सर्वेक्षण लागत	—	27.81	242.47
	(ख) अन्वेषी कूप लागत	—	—	—
	मूल्यहास, निःशेषण, परिशोधन और क्षति	21	1,08	1,43
	वित्तीय लागतें	22	7,672.38	3,140.30
	प्रावधान, बड़े खाते और अन्य क्षरण	—	—	—
	अन्य व्यय	23	2,104.84	4,681.40
	कुल व्यय (IV)	—	9,806.11	8,065.60
V	असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (III - IV)	—	(8,484.69)	(7,318.02)
VI	असाधारण (आय) / व्यय	24	(25,488.41)	(2,477.00)
VII	कर पूर्व लाभ / (हानि) (V - VI)	—	17,003.72	(4,841.02)
VIII	कर व्यय :			
	(क) मौजूदा कर से संबंधित	—	—	—
	— मौजूदा अवधि	—	—	—
	— पूर्व अवधि	—	—	—
	(ख) आस्थगित कर	25	(7,654.51)	1,247.23
	कुल कर व्यय	—	(7,654.51)	1,247.23
IX	वर्ष का लाभ / (हानि) (VII - VIII)	—	24,658.23	(6,088.25)
X	अन्य व्यापक आय			
	(क) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	—	—	—
	(i) परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन	—	—	—
	— उपर्युक्त से संबंधित आय कर	—	—	—
	(ख) मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	—	—	—
	(i) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	—	5,294.97	1,350.36

	– उपर्युक्त से संबंधित आय कर	–	(1,332.64)	(471.87)
	कुल अन्य व्यापक आय	–	3,962.33	878.49
XI	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय / (हानि) (IX + X)	–	28,620.56	(5,209.76)
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय : (10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य पर)	26	–	–
	मूल (रुपए )	–	2.50	(0.87)
	तनुकृत (रुपए )	–	2.46	(0.87)
	एकल वित्तीय विवरण से संलग्न टिप्पणी देखें	1– 34	–	–

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता.

(निशा ढींगरा)

कंपनी सचिव

हस्ता.

(श्याम सिंह)

सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

(रमिंदर सिंह साहनी)

निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

यूडीआईएन : 23017199 बीजी वाय वाय आईआर 3533

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 10 मई 2023

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार (स. सं. 017199)

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड  
(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673 )

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाहका एकल वित्तीय विवरण

मद	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
<b>i) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
कर पश्चात निवल लाभ	—	24,658.23
निम्नलिखित के लिए समायोजन	—	—
— ब्याज आय	(1,321.42)	—
— इक्विटी लेखांकित निवेशितियों के लाभ का हिस्सा	—	—
— मूल्यह्रास, निःशेषण, परिशोधन और क्षति	1.08	—
— वित्तपोषण लागत	7,672.38	—
— अप्राप्तविदेशी मुद्रा हानि / (लाभ)	(14.31)	—
— अपवादात्मक मदें	(25,488.41)	—
— आय कर व्यय	(7,654.51)	—
	(26,805.19)	—
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व प्रचालन लाभ	—	(2,146.96)
निम्नलिखित के लिए समायोजन	—	—
— अन्य परिसंपत्तियां	(1,285.83)	—
— मालसूचियां (इन्वेंटरी)	43.23	—
— व्यापार की चुकाई जाने वाली राशियां और अन्य देयताएं	(247.37)	(1,489.96)
प्रचालनों से सृजित नकद	—	(3,636.92)
संदत्त आय कर (कर प्रतिदाय के निवल)	—	—
प्रचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद "क"	—	(3,636.92)
	—	—
<b>ii). निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य सहित)	—	(2,593.67)
अन्वेषणात्मक एवं विकास वेधन	—	(9.10)
संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय/सहयोगी कंपनियों में निवेश	—	(960.05)
निवेश गतिविधियों (में प्रयुक्त)/ से जनित निवल नकदी "ख"	—	(3,562.82)
<b>iii) वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
इक्विटी के प्रति अग्रिम	—	7,923.81
संदत्त ब्याज	—	(726.60)
वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी "ग"	—	7,197.21
नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि / कमी (क + ख + ग)	—	(2.53)
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	—	2.87
वर्ष के दौरान विनिमय अंतरों का प्रभाव	—	4.35



मद	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
<b>i) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	—	4.69
		—
		2.87

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का मिलान

विवरण	31 मार्च 2019 को	नकद प्रवाह	गैर नकद मदें	31 मार्च 2022 को
उधारें	166,650.00	—	14,080.00	180,730.00
अन्य वित्तीय देयताएं – प्रोद्भूत ब्याज	6,216.19	(726.60)	7,935.94	13,425.53
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल देयताएं	172,866.19	(726.60)	22,015.94	194,155.53

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता.

(निशा ढींगरा)

कंपनी सचिव

हस्ता.

(श्याम सिंह)

सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

(रमिंदर सिंह साहनी)

निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 10 मई 2023

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार (स. सं. 017199)

यूडीआईएन : 23017199 बीजी वाय वाय आईआर 3533

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष को इक्विटी परिवर्तन विवरण

(i) इक्विटी शेयर पूंजी

1 अप्रैल 2022 को शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्कथित शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	इक्विटी पर प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागत	31 मार्च 2023 को शेष
87,789.66	—	87,789.66	21,142.05	(21.14)	108,910.57
1 अप्रैल 2021 को शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्कथित शेष	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	इक्विटी पर प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागत	31 मार्च 2022 को शेष
69,852.74	(69.85)	69,782.89	18,024.80	(18.03)	87,789.66

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान शेयर निर्गत किए हैं, जिसमें नकदी के अलावा विचारन हेतु मोजाबिक कारोबार के हस्तांतरण के लिए क्रय विचारन के मद में 48,052.02 मिलियन रुपए के मूल्य हेतु 4,802,202,286 शेयर शामिल थे।

कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2021 से नवंबर, 2022 तक (पिछले वर्ष जनवरी, 2021 से सितंबर, 2021 तक) अग्रिम को इक्विटी में परिवर्तित कर 21,142.05 मिलियन (पिछले वर्ष 18,024.80 मिलियन रुपए के मूल्य के) मूल्य के 2,114,205,056 (पिछले वर्ष 1802480,000 शेयर) शेयर जारी किए हैं।

कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए 21.14 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 18.03 मिलियन रुपए) की राशि के स्टांप ड्यूटी व्यय किए हैं। कंपनी ने इक्विटी से कटौती के रूप में इक्विटी का निर्गम से संबंधित लेनदेन लागत को अभिज्ञात किया है।

(ii) अन्य इक्विटी (टिप्पणी 14 देखें)

मद	नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत योगदान	ओएनजीसी से मान्य पूंजीगत योगदान	आरक्षित और अधिशेष			विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण को रूपांतरित करने पर विनिमय अंतर	कुल
			पूंजीगत आरक्षित निधि	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन		

मद	नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत योगदान	ओएनजीस से मान्य पूंजीगत योगदान	आरक्षित और अधिशेष			विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण को रूपांतरित करने पर विनिमय अंतर	कुल
			पूंजीगत आरक्षित निधि	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन		
1 अप्रैल 2021 को शेष	8,751.44	24.92	23,441.40	—	(71,038.61)	(234.62)	(39,055.47)
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	—	—	(6,088.25)	—	(6,088.25)
वर्ष की अन्य व्यापक आय, आय कर के निवल	—	—	—	—	—	878.49	878.49
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	—	—	—	—	(6,088.25)	878.49	(5,209.76)
वर्ष के दौरान परिवर्तन	10,486.41	11.13	—	—	—	—	10,497.54
31 मार्च 2022 को शेष	19,237.85	36.05	23,441.40	—	(77,126.86)	643.87	(33,767.69)
1 अप्रैल 2022 को शेष	19,237.85	36.05	23,441.40	—	(77,126.86)	643.87	(33,767.69)
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	—	—	24,658.23	—	24,658.23
वर्ष की अन्य व्यापक आय, आय कर के निवल	—	—	—	—	—	3,962.33	3,962.33
वर्ष की कुल व्यापक आय	—	—	—	—	24,658.23	3,962.33	28,620.56
वर्ष के दौरान परिवर्तन	(12,760.51)	—	—	—	—	—	(12,760.51)
31 मार्च 2023 को शेष	6,477.34	36.05	23,441.40	—	(52,468.62)	4,606.20	(17,907.62)

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता.

(निशा ढींगरा)

कंपनी सचिव

हस्ता.

(श्याम सिंह)

सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

(रमिंदर सिंह साहनी)

निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 10 मई 2023

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार (स. सं. 017199)

यूडीआईएन : 23017199बीजीवायवायआईआर 3533

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड  
(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. कॉरपोरेट सूचना

“ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (‘ओवीआरएल’ या ‘कंपनी’)” भारत में अधिवासित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 15 अप्रैल 2019 को अधिनिगमित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 5ए – 5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070 में अवस्थित है। ओवीआरएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है।

यह कंपनी मुख्यतया कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के लिए भारत के बाहर तेल एवं गैस रकबों की तलाश करने और उनके अर्जन के काम में लगी है।

2. भारतीय लेखांकन मानक (“इंड एस”) का अनुप्रयोग

इन इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, वित्तीय विवरणों को अधिकृत किए जाने तक कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और अधिसूचित किए गए सभी भारतीय लेखांकन मानकों ध्यान में रखा गया है।

2.1 जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी न किए गए मानक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (“एमसीए”) समय समय पर नये मानक या कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अंतर्गत मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। 31 मार्च 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2023 के प्रारंभ होने वाली वार्षिक प्रतिवेदन अवधियों के लिए प्रयोज्य होंगे। ये संशोधन इस प्रकार हैं :

इंड एस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

ये संशोधन कंपनियों को उनकी वस्तुगत लेखांकन नीतियों का प्रकटन अपेक्षित करते हैं न कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को। अन्य सूचना के साथ लेखांकन नीति सूचना महत्वपूर्ण है जब यह सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जाती है।

## इंड एस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां

यह संशोधन कंपनियों को लेखांकन नीतियों और लेखांकन प्राक्कलनों में भेद करने में मदद करेगा। लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन को लेखांकन प्राक्कलनों की परिभाषा को लेखांकन प्राक्कलनों की परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया है। नयी परिभाषा के अंतर्गत, लेखांकन प्राक्कलन वित्तीय विवरणों की मौद्रिक राशियां हैं जो मापन की अनिश्चितता के अध्यक्षीन हैं। कंपनी को इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

## इंड एस 12– आय कर

यह संशोधन मान्यता छूट के दायरे को परिमित करता है ताकि यह अब उन लेन-देनों पर लागू नहीं होगा जो प्रारंभिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों को उदित करते हैं। कंपनी को इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

## अन्य संशोधन

अन्य संशोधन में इंड एस 102, शेयर आधारित भुगतान, इंड एस 103, व्यवसाय संयोजन, इंड एस 109, वित्तीय विलेख, इंड एस 115, ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व, मुख्यतया संपादन प्रकृति के हैं ताकि संबंधित इंड एस पर बेहतर स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सके। कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

### 3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 3.1 अनुपालन का विवरण

एकल इंड एस वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत जारी किए गए इंड एस और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा तेल एवं गैस उत्पादनकारी गतिविधियों (इंड ए एस) के लिए जारी किए गए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार तैयार किया गया है।

#### 3.2 तैयार करने और प्रस्तुत करने के आधार

इन वित्तीय विवरणों को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछेक परिसंपत्तियों और देयताओं के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य/परिशोधित लागत/निवल वर्तमान मूल्य पर मापा गया है, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में वर्णित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को सतत् रूप से अनुप्रयुक्त किया गया है सिवाय जहां नये जारी किए गए इंड एस को प्रारंभिक तौर पर अंगीकृत किया गया है या मौजूदा लेखांकन मानक में कोई संशोधन अब तक प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन आवश्यक करता है।

ऐतिहासिक लागत सामान्यतः सेवाओं एवं वस्तुओं के विनिमय में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होते हैं।

चूँकि परिचालन चक्र को उद्योग की विशिष्ट प्रकृति के कारण सामान्य क्रम में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसे 12 माह की अवधि के अनुरूप अवधारित किया गया है। तदनुसार, सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची 3 में निर्धारित कंपनी परिचालन चक्र तथा इंड एस – 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार मौजूदा अथवा गैर मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा अमेरिकी डॉलर ('यूएसडी') है (टिप्पणी 4.1 (क) देखें)। एकल इंड एस वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किया गया है (टिप्पणी 3.17 देखें) और सभी मूल्यों को निकटतम दो दशमलव मिलियन रुपए में, सिवाय अन्यथा वर्णित, पूर्णांकित किया गया है।

उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मौजूदा बाजार स्थितियों के अधीन माप तिथि को किसी आस्ति की बिक्री से प्राप्त होगी अथवा बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी देनदारी को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर निर्धारित परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके निर्धारण में नियोजित आदानों को प्रेक्षित करने की क्षमता पर निर्भर करते हुए तीन स्तरों में से किसी एक स्तर में वर्गीकृत करती है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है :

- (क) स्तर 1 आदान समान परिसंपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में तयशुदा मूल्य (गैर समायोजित) हैं।
- (ख) स्तर 2 आदान आस्ति अथवा देनदारी के लिए स्तर – 1 के अंतर्गत शामिल तयशुदा मूल्य को छोड़कर, वे आदान हैं जो या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रेक्षणीय हैं।
- (ग) स्तर 3 आदान आस्ति अथवा देनदारी के प्रेक्षणीय आदान हैं, जो प्रेक्षणीय संबंधित बाजार आंकड़ों अथवा बाजार प्रतिभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में कंपनी के आकलनों को दर्शाते हैं।

### 3.3 अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत रहित क्षरण हानि, यदि कोई हो, पर अभिलेखित करती है।

कंपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के निपटान पर, निवल निपटान धनराशि और अग्रेणित राशियों के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात किया गया है।

### 3.4 संयुक्त प्रचालनों में हित/अधिकार

कोई संयुक्त प्रचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत उन पक्षकारों का परिसंपत्तियों पर संयुक्त अधिकार होता है, और इस व्यवस्था से संबंधित देनदारियों का संयुक्त दायित्व होता है।

संयुक्त प्रचालनों से हुई आय और व्यय के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों में कंपनी के हिस्से को इसके भाग के आउटपुट की बिक्री से हुई कंपनी की आय और कोई देनदारियां और व्यय जो कंपनी ने संयुक्त प्रचालनों के लिए वहन किया है, सिवाय मूल्यहास, सर्वेक्षण और क्षरण के जो कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप हुए व्यय, के साथ व्यवस्था के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसी तरह के मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर विलयित किया जाता है।

ऐसे क्षेत्रों के हाइड्रोकार्बन भंडारों को कंपनी के भागीदारी अधिकार के अनुपात में शामिल किया गया है।

### 3.5 साझे नियंत्रण कारोबार संयोजन

साझे नियंत्रण कारोबार संयोजन का अर्थ है कोई कारोबार संयोजन जिसमें वे निकाय और कारोबार शामिल हैं जिनमें सभी संयोजक या कारोबार अंततः उसी पक्षकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कारोबार संयोजन से पहले और बाद में थे, और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होते हैं।

कंपनी इंड एस 103 के परिशिष्ट ग के अनुसार लेखांकन के हित समुच्चयन पद्धति का उपयोग करते हुए साझे नियंत्रण के अधीन इसके कारोबार संयोजन के लिए लेखा जोखा रखती है। अधिग्रहणकर्ता के निर्धारण योग्य परिसंपत्तियों, देयताओं और आकस्मिक देयता जो मान्यता की परिभाषा पर खरे उतरते हैं, को अधिग्रहण की तिथि को उनकी वहन राशि पर अभिज्ञात किया जाता है। अंतरणकर्ता की आरक्षित निधियों को संरक्षित रखा जाता है और उसी प्ररूप में अंतरिती के वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात किया जाता है जिस प्ररूप में अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया होता है। अधिग्रहण तिथि, यदि यह ऐसी तिथि से पूर्व स्थापित की जाती है, पहले की अवधि की शुरुआत होती है। तथापि, यदि कारोबार संयोजन ऐसी तिथि के पश्चात होता है, तो अधिग्रहण तिथि उसी तिथि को माना जाता है।

वित्तीय विवरणों में उन संयोजनकारी निकायों या कारोबारों के वित्तीय विवरण शामिल होते हैं जिनमें साझे नियंत्रण संयोजन होते हैं जैसे कि वे उस तिथि से संयोजित हुए थे जब संयोजनकारी निकाय या कारोबार पहली बार नियंत्रक पक्षकार के नियंत्रण अधीन आए थे।

आय विवरण में प्रत्येक संयोजनकारी निकायों या कारोबारों के प्रस्तुत पूर्वतम तिथि या उस तिथि से जब संयोजनकारी निकाय या कारोबार साझे नियंत्रण अधीन आए थे, जहाँ अवधि छोटी हो, के परिणाम शामिल होते हैं, चाहे साझे नियंत्रण संयोजन की तिथि कुछ भी हो।

वित्तीय विवरणों में तुलनात्मक राशियां इस प्रकार प्रस्तुत की गयीं हैं जैसे कि निकाय या कारोबार पिछली तुलन पत्र तिथि से संयोजित किए गए थे या जब वे पहली बार साझे नियंत्रण अधीन आए थे, जो भी अवधि छोटी हो।



पेशेवर शुल्क, पंजीकरण शुल्क सहित अंतरण लागत, शेयरधारकों को सूचना प्रस्तुत करने की लागत, पूर्ववर्ती अलग अलग कारोबारों के संयोजन में व्यय की गयी लागतें या हानियां इत्यादि, जिन्हें साझे नियंत्रण संयोजन के संबंध में व्ययित किए गए थे, उनका लेखा जोखा हित समुच्चयन पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया था, को उस वर्ष के व्यय में अभिज्ञात किया गया है जिस वर्ष में वह हुआ था।

### 3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (तेल एवं गैस परिसंपत्तियों को छोड़कर)

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के क्रम में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को लागत, ह्रास कोई मान्य क्षरण हानि पर दर्शाया जाता है। किसी आस्ति की लागत में इसका क्रय मूल्य अथवा इसके निर्माण की लागत (लागू कर समंजन के निवल), उस स्थान पर आस्ति को लाने और प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य अवस्था में लाने के लिए कोई प्रत्यक्ष लागत और टिप्पणी 3.12 के अनुसार डिकमिशनिंग लागत शामिल होती है। इसमें वृत्तिक शुल्क और, अर्हक परिसंपत्तियां के लिए, उधार लागत जो कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार पूंजीकृत किया गया है, शामिल होता है। ऐसी संपत्तियां जब अभीष्ट उपयोग के लिए पूर्ण और तैयार हो जाती हैं, उन्हें पीपीई के उपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। पीपीई के किसी मद के भाग, जिनके भिन्न उपयोगी जीवन काल होते हैं और महत्वपूर्ण मूल्य होता है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत सुधार अथवा अन्य कारकों से प्रोद्भूत बाद के व्यय को पृथक घटक के रूप में दर्शाया जाता है।

इन पीपीई का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब ये परिसंपत्तियां अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

मूल्य ह्रास पीपीई (पूर्ण स्वामित्व भूमि, तेल एवं गैस परिसंपत्तियां और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत से उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर प्रदान की जाती है, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा उल्लिखित पीपीई के उपयोगी जीवन काल पर बड़े खाते डाले गए मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए या कंपनी के तकनीकी आकलन के आधार पर प्रदान किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि नीचे प्रदत्त उपयोगी जीवनकाल उस अवधि को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है जिस अवधि में प्रबंधन इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की प्रत्याशा रखता है। ब्लॉकों से संबंधित पीपीई के मामले में जहाँ लाइसेंस अवधि पीपीई के उपयोगी जीवनकाल से कम होती है, कंपनी उस वित्तीय वर्ष में पीपीई को बड़े खाते डाल

देती है जिस वर्ष में लाइसेंस समाप्त हो जाता है या यदि उस पीपीई से कोई भावी आर्थिक लाभ की प्रत्याशा नहीं होती है, ब्लॉक अभ्यर्पित कर दिया जाता है। इन परिसंपत्तियों का प्राक्कलित उपयोगी जीवन काल इस प्रकार है :-

विवरण	वर्ष
फर्निचर एवं जुड़नार	3 से 10
वाहन	5 से 20
कार्यालय उपकरण	3 से 15

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और आवश्यक होने पर अनुमानों में परिवर्तन संदर्शी रूप से किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) पर वर्धन/कटौती के संबंध में मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपात आधार पर वर्धन/हटाए जाने की तिथि के संदर्भ में किया जाता है सिवाय 100 अमेरिकी डॉलर (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 8,215 रुपए के समतुल्य) से अधिक न होने वाली निम्न मूल्य मदों के जिनका पूर्ण मूल्यह्रास वर्धन के समय पूरी तरह से कर दिया जाता है।

पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) पर पूंजीगत सुधार या अन्य कारकों के चलते बाद में किए जाने वाले व्यय हेतु उसके शेष उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास संदर्शी रूप से मुहैया करवाया जाता है।

नवीकृत/पुनःस्थापित पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर मूल्यह्रास, जिन्हें पृथक रूप से पूंजीकृत किया जाता है, पुनः आंकलित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

अन्वेषणात्मक/विकास ड्रिलिंग हेतु प्रयुक्त सहायक उपकरण तथा सुविधाओं सहित पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर मूल्यह्रास को प्रारंभ में ड्रिलिंग लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उसका व्यय/निपटान नोट 3.10 के अनुसार किया जाता है। सर्वेक्षण क्रियाकलापों हेतु नियोजित उपकरण/परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

पीपीई के किसी मद को निपटान के समय अथवा परिसंपत्ति के सतत् उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य कर दिया जाता है। पीपीई की किसी मद के निपटान या हटाए जाने पर होने वाले किसी लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि के मध्य अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ एवं हानि विवरण प्रदान की जाती है।

### 3.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

**(i)** अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त परिसंपत्तियां :

निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियां जिन्हें पृथक रूप से अधिग्रहित किया जाता है, उन्हें लागत ह्रास संचित परिशोधन तथा क्षरण हानियों पर लिया जाता है। परिशोधन को पूंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष से अधिक न होने वाली उनके उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार पर मान्यता दी जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को संदर्शी रूप से रेखांकित किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान अथवा उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों तथा हानियों का मापन निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि के मध्य अंतर के रूप में किया जाता है और इसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

**(ii)** विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां— निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप :

अन्वेषणात्मक तथा मूल्यांकन कूपों के वेधन तथा उन्हें उपकरण प्रदान किए जाने में वहन की गई सारी अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागतों को प्रारंभ में विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों—निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूपों के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जब तक कि इन्हें या तो नोट संख्या 3.8 के अनुसार पूर्णता पर तेल तथा गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करवाया जाए अथवा शुष्क या और उपयोग न होने, जैसा भी मामला हो, वाले के रूप में निर्धारित किए जाने के पश्चात अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागत के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

अन्वेषणात्मक प्रकार के स्ट्रेटीग्राफिक जांच कूपों की ड्रिलिंग की लागत को प्रारंभ में विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों—निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि इन्हें या तो नोट संख्या 3.8 के अनुसार पूर्णता पर तेल तथा गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करवाया जाए अथवा शुष्क या पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अभ्यर्पित के रूप में निर्धारित किया जाता है।

अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन की लागत को तब तक अग्रणीत नहीं किया जाता है जब तक यह तर्कसंगत रूप से दर्शाया न जाए कि पर्याप्त मात्रा में भंडारों के संकेत हैं, भंडारों का आकलन करने में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा परियोजना आर्थिक एवं प्रचालन रूप से अर्थक्षम है। अग्रणीत की गयीं ऐसी सारी लागतें कंपनी की नीति के अनुसार क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

### 3.8 मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का क्षरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किसी “रोकड़ सृजक इकाई” (सीजीयू) की अपनी मूर्त (तेल तथा गैस परिसंपत्तियां, निर्माणाधीन विकास कूप (डीडब्ल्यूआईपी)), और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यो सहित) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रदर्शित मूल्य की समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षरण हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान क्षरण हानि (यदि कोई हो) की सीमा के निर्धारण के लिए लगाया जाता है। जब किसी पृथक संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो कंपनी उस परिसंपत्ति के नकदी सृजक इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है।

वसूली योग्य राशि उचित मूल्य ह्रास निपटान की लागत तथा उपयोग के मूल्य में से जो भी उच्चतर हो, होगी। उपयोग में होने वाले मूल्य का आकलन करते समय अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को एक कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो आरिस्त के उस समय के मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और उस परिसंपत्ति से जुड़े विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (अथवा नकदी सृजक इकाई) की वसूली योग्य राशि का अनुमान इसकी अग्रणीत राशि से कम लगाया गया हो तो परिसंपत्ति (अथवा नकदी सृजक इकाई) की अग्रणीत राशि को कम करके उसकी

वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। क्षरण हानि को तत्काल लाभ एवं हानि एकल विवरण में मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में यह देखने के लिए एक आकलन किया जाता है कि इसके कोई संकेत हैं कि पहले पहचान की गई क्षरण हानि के कोई संकेत अब मौजूद हैं अथवा कम हो गए हैं। पिछली क्षरण हानि को मान्यता दिए जाने के समय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन होने से क्षरण हानि को वापिस किया जाता है। यदि ऐसा हो तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को बढ़ाकर इसके वसूली योग्य मूल्य से कम पर लाया जाता है और मूल्यह्रास के निवल निर्धारित की गई अग्रणीत राशि में पिछले वर्षों हेतु किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती है। वापिस किए जाने के पश्चात मूल्यह्रास प्रभार को भविष्य की अवधियों में परिसंपत्ति की संशोधित अग्रणीत राशि को आवंटित किया जाता है, किसी अपशिष्ट मूल्य को घटाते हुए, इसके शेष उपयोगी जीवनकाल में एक व्यवस्थित आधार पर क्षरण हानि की वापसी को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्वेषणात्मक चरण के दौरान क्षरण परीक्षण को क्षेत्र / परियोजना स्तर पर किया जाता है जब निकट भविष्य में आगे के अन्वेषण क्रियाकलापों की योजना नहीं बनाई जाती अथवा जब यह दर्शाने के लिए पर्याप्त डाटा मौजूद होता है, यद्यपि विशिष्ट क्षेत्र में विकास के होने की संभावना है, अन्वेषण परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को सफल विकास या बिक्री द्वारा पूरी तरह से वसूले जाने की संभावना नहीं है। क्षति को बाद में इस सीमा तक वापिस किया जाता है कि क्षति की स्थितियां अब मौजूद नहीं हैं।

### 3.9 अन्वेषण एवं मूल्यांकन, विकास और उत्पादन लागत

#### (i) अधिग्रहण पूर्व लागत

तेल एवं गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के अधिकार को प्राप्त करने से पूर्व किए गए व्यय जब जब वहन किया जाता है, व्यय में दिखाया जाता है।

#### (ii) अधिग्रहण लागत

अर्जन लागत में, किसी संपत्ति अथवा प्रमाणित या अप्रमाणित खनिज अधिकार क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा अन्यथा अर्जन करने पर आने वाली सारी लागतें शामिल होती हैं और इनका लेखांकन कार्य निम्नानुसार किया जाता है :

#### अन्वेषण और विकास चरण

अन्वेषण या विकास के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं से संबंधित अधिग्रहण लागत को प्रारंभ में क्रमशः विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां— क्रमशः निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप अथवा विकासाधीन तेल और गैस परिसंपत्तियां— निर्माणाधीन विकास कूप के रूप में लेखांकित किया जाता है। ऐसी लागतों को तब तेल और गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करते हुए पूंजीकृत किया जाता है जब कूप वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाता है। परित्याग/छोड़ दिए जाने के मामले में, ऐसी लागतों को बट्टे खाते में डाला जाता है।

#### उत्पादन चरण :

उत्पादनशील तेल एवं गैस परिसंपत्ति की अधिग्रहण लागत को तेल तथा गैस परिसंपत्ति के अंतर्गत प्रमाणित संपत्ति अधिग्रहण लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के प्रमाणित भंडारों पर उत्पादन पद्धति की इकाई का उपयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है।

#### (iii) सर्वेक्षण लागत

तेल एवं गैस की खोज में संपादित सर्वेक्षण और संभावना तलाश क्रियाकलापों की लागतों को अन्वेषण लागत के रूप में उसी वर्ष के व्यय में दर्शाया जाता है, जिस वर्ष में उन्हें व्यय किया जाता है।

#### (iv) विकासाधीन तेल और गैस परिसंपत्ति – निर्माणाधीन विकास कूप

विकास कूपों से संबंधित सभी लागतों को प्रारंभ में “निर्माणाधीन विकास कूप” के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और “पूर्णता” पर “तेल और गैस परिसंपत्तियों” के अंतर्गत अंतरित कर दिया जाता है।

#### (v) उत्पादन लागत

उत्पादन लागत में सहायक उपस्कर एवं सुविधाओं के मूल्यहास एवं लागू प्रचालन लागतों सहित कूप शीर्ष –पूर्वएवं कूप शीर्ष –पश्चात व्यय सम्मिलित रहते हैं।

### 3.10 प्रतिभागिता अधिकारों से संबंधित अर्जन लागतों का क्षरण

क्षरण जाँच के प्रयोजनों के लिए, कंपनी के प्रत्येक सीजीयू (अथवा सीजीयू के समूह) जिन्हें संयोजन की सहक्रियाओं से लाभ प्राप्त होना अपेक्षित है, को अर्जन लागत आवंटित किया जाता है।

कोई सीजीयू जिसे अर्जन लागत आवंटित किया जाता है, का वार्षिक रूप से क्षरण के लिए जाँच की जाती है, जब यह संकेत मिलता है कि उस सीजीयू में क्षरण हो सकता है। यदि रोकड़ सृजक इकाई की वसूली योग्य राशि इसके बही मूल्य से कम होता है, क्षरण हानि पहले उस इकाई को आवंटित किसी अर्जक लागत के बही मूल्य को कम करने के लिए आवंटित की जाती है और फिर इस इकाई के प्रत्येक परिसंपत्ति के बही मूल्य के आधार पर अनुपातिक आधार पर सीजीयू की अन्य परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाता है। अर्जन लागत के लिए स्वीकृत क्षरण हानि को बाद की अवधियों में वापस नहीं किया जाता है।

संबंधित सीजीयू के निपटान पर, अर्जन लागत पर आरोप्य बही मूल्य को निपटान पर लाभ अथवा हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

### 3.11 तेल और गैस परिसंपत्तियां

तेल एवं गैस परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित निःशेषण और क्षरण हानियों को घटाकर दर्शाया जाता है। जब किसी क्षेत्र/परियोजना में कोई कूप वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है, तब इन्हें प्रमाणित विकसित तेल एवं गैस भंडारों वाले क्षेत्र/परियोजना के वास्ते सृजित किया जाता है।

भूमि के अस्थायी अधिभोग, सफल अन्वेषणात्मक कूपों, सभी विकसित कूप (सेवा कूप सहित), वेधन हेतु प्रयुक्त सम्बद्ध उपस्कर पर मूल्यहास एवं अनुमानित भावी डिकमिशनिंग लागतों को पूंजीगत किया जाता है तथा इन्हें तेल एवं गैस संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तेल तथा गैस परिसंपत्तियों का निःशेषण "उत्पादन की यूनिट पद्धति" का उपयोग करते हुए किया जाता है। निःशेषण की दर की गणना रक्षित संपत्ति मूल्य के निवल आकलित भावी डिक्मिशनिंग लागत सहित संबंधित प्रमाणित विकसित भंडारों और संबंधित पूंजीगत लागतों (सिवाय अधिग्रहण लागत) पर विचार कर किसी क्षेत्र / परियोजना / परिशोधन आधार के संदर्भ में की जाती है। तेल तथा गैस परिसंपत्तियों की अधिग्रहण लागत को प्रमाणित भण्डारों पर विचार करते हुए निःशेषण किया जाता है। इन भण्डारों का अनुमानन वार्षिक आधार पर मूल कम्पनी ओएनजीसी द्वारा गठित भण्डार आकलन समिति (आरईसी) द्वारा किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय भण्डार अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं का पालन करती है।

### 3.12 साइड ट्रेडिंग

अन्वेषणात्मक कूप के मामले में, साइड ट्रेडिंग की लागत के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि किसी नए अन्वेषणात्मक कूप पर व्यय की गई लागत के साथ। साइड ट्रेड किए गए अन्वेषणात्मक कूपों के परित्यक्त कूप की लागत को "बट्टे खाते डाली गयी अन्वेषणात्मक कूप लागत" के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

विकासकूप के मामले में, परित्यक्त भाग और साइड ट्रेडिंग की समूची लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

उत्पादक कूपों और सेवा कूपों के मामले में, यदि साइड ट्रेडिंग अतिरिक्त प्रमाणित विकसित तेल तथा गैस भण्डारों में परिणत होती है या कार्य-निष्पादन के पूर्व में आकलित मानक से परे भविष्य के आर्थिक लाभों में वृद्धि करती है, तो साइड ट्रेडिंग पर व्ययित लागत को पूंजीकृत किया जाता है, जबकि कूप के परित्यक्त भाग की लागत का निःशेषण टिप्पणी 3.10 में उल्लिखित लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है। अन्यथा साइड ट्रेडिंग की लागत को "वर्क-ओवर व्यय" के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

### 3.13 डिक्मिशनिंग लागतें



डिकमिशनिंग लागतों में पुनःस्थापन की लागत शामिल होती है। डिकमिशनिंग लागतों हेतु प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी की किसी कूप को प्लग तथा परित्याग करने, किसी सुविधा अथवा संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मद को हटाना हो और जिस स्थल पर वह स्थित था उसका पुनःस्थापन करने का कोई संविदात्मक, कानूनी या निर्माण संबंधी बाध्यता हो।

स्वीकृत राशि वर्तमान मूल्यों पर मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निर्धारित अनुमानित भावी व्यय है और डिकमिशनिंग की प्रत्याशित तिथि तक उपयुक्त मुद्रास्फीति दर का उपयोग करते हुए बढ़ाई जाती है और उपयुक्त जोखिम रहित बट्टा दर का उपयोग करते हुए संसूचना तिथि तक कम की जाती है।

इन अवधारणाओं में किसी तात्विक परिवर्तनों को समाहित करने के लिए इन आकलनों का वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है।

डिकमिशनिंग प्रावधान की समतुल्य राशि को संबंधित परिसंपत्तियों की लागतों के साथ स्वीकृति दी जाती है। शुष्क अन्वेषणात्मक कूप से संबंधित डिकमिशनिंग लागत को अन्वेषणात्मक कूप लागत के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

आवधिक छूट वापसी के अलावा प्राक्कलित डिकमिशनिंग व्यय के वर्तमान मूल्य में किसी परिवर्तन को संबंधित परिसंपत्ति के डिकमिशनिंग प्रावधान और बही मूल्य में समायोजित किया जाता है। यदि प्रावधान वापसी संबंधित परिसंपत्ति के बही मूल्य से अधिक होती है, आधिक्य राशि को लाभ और हानि एकल लेखा विवरण में दर्शाया जाता है। प्रावधान पर छूट वापसी को लाभ और हानि के एकल लेखा विवरण में वित्तीय लागत के रूप में प्रभारित किया जाता है।

तथापि, वास्तविक डिकमिशनिंग लागतें अंततः अनिवार्य डिकमिशनिंग कार्य के लिए भावी बाजार मूल्य पर निर्भर करेगा जो संबंधित समय में बाजार स्थिति, यदि कोई हो, को परिलक्षित करेगा। इसके अलावा, डिकमिशनिंग का समय उस पर निर्भर करने की संभावना है जब फील्ड अर्थक्षम दरों पर उत्पादन करना बंद कर देता है।

संयुक्त प्रचालनों के अधीन आने वाली परिसंपत्तियों के मामले में डिक्मिशनिंग लागत के लिए किए गए प्रावधान को कंपनी के प्रतिभागी हित के अनुरूप विचार किया जाता है।

### 3.14 मालसूची (इन्वेंट्रीज)

पाइपलाइन / टंकियों की मालसूची सहित और खनिज तेल तथा कन्डेसंट को लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। तैयार माल की लागत अन्वेषण लागत निर्धारण विधि से निर्धारित किया जाता है। मालसूची के मूल्य में रॉयल्टी भी शामिल होती है (जहाँ कहीं भी लागू हो)।

समूह एकत्रीकरण स्टेशनों (जीजीएस) पर अर्द्ध-परिशोधित कच्चे तेल को अवशोषण लागत पद्धति से अथवा शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

समूह एकत्रीकरण स्टेशनों (जीजीएस) / प्लेटफॉर्म तक प्रवाह लाइनों में अर्द्ध-परिशोधित कच्चे तेल को नहीं मापा जाता है, क्योंकि यह माप योग्य नहीं है।

भंडार और अतिरिक्त पूरों की मालसूची का मूल्यांकन, भारत और अंतर्राष्ट्रीय लागत पर या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो पर, किया जाता है। अप्रचलित और खपत नहीं होने वाली माल सूचियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

गैर-सेवायोज्य तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं का, जब निर्धारण किया जाता है, को अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्यांकित किया जाता है।

### 3.15 राजस्व स्वीकृति

राजस्वों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वादा किया हुआ उत्पाद या सेवा किसी ग्राहक को हस्तांतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई उत्पाद तब हस्तांतरित होता है जब ग्राहक उस उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो ग्राहक को अभिरक्षा हस्तांतरण की बिन्दु पर है जहाँ

सामान्यतः स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है, बशर्ते कि संविदा मूल्य नियत हो या निर्धारण योग्य हो और प्राप्य की संग्रहणीयता तर्कसंगत रूप से आशवासित हो।

ऐसी प्रत्येक बिक्री सामान्यतया एकल निष्पादन दायित्व को निरूपित करती है।

किसी सेवा से प्राप्त राजस्व को उस लेखांकन अवधि में मान्य किया जाता है जिस अवधि में यह सेवा संविदात्मक रूप से सहमत दरों पर प्रदान की जाती है।

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य वस्तु के लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है और यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्य राशि जो कारोबार के सामान्य संचालन में, छूटों और लागू करों इत्यादि के निवल राशि को निरूपित करता है। मूल्यों में किसी भूतलक्षी पुनरीक्षण को निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के समय आकलित किया जाता है। किसी और टूअप को ऐसे पुनरीक्षण के वर्ष में अभिज्ञात किया जाता है।

कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस संपत्तियां, जिसमें कंपनी का अन्य उत्पादकों के साथ अधिकार है, से राजस्व को उस अवधि के दौरान उठायी गयी वास्तविक मात्रा के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को खनित तेल की हकदारी मात्रा और उठायी गयी मात्रा के बीच के किसी अंतर को, यदि धनात्मक (अर्थात् उठायी गयी मात्रा कम) होता है तो आनुपातिक उत्पादन व्यय को पूर्व भुगतान किया गया व्यय माना जाता है और यदि ऋणात्मक (अर्थात् उठायी गयी मात्रा अधिक) होता है तो संयुक्त प्रचालन समझौता (जेओए) / उत्पादन साझीदारी करार (पीएसए) के अनुसार उत्पादन व्यय के कंपनी के आनुपातिक हिस्से के सर्वश्रेष्ठ आकलन के लिए एक लाभ एवं हानि विवरण में संगत परिवर्तन के साथ संगत प्रभार वाले कच्चे तेल की अधिक उठान मात्रा के निपटान के मद में एक देयता सृजित की जाती है।

### 3.16 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

कंपनी की व्यावहारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर ('यूएसडी') है जो प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें यह परिचालित होता है, की मुद्रा दर्शाता है।

इंड एस 21— विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव, के अनुसार – कंपनी की व्यावहारिक मुद्रा (विदेशी मुद्रा) के अलावा किसी अन्य मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तिथियों को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्राओं में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिवस को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर मौद्रिक मदों जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक दरों पर मापा जाता है, को पुनः रूपांतरित नहीं किया जाता है।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों को उस अवधि के लाभ तथा हानि के एकल विवरण में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

### 3.17 प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरण

कंपनी ने इन एकल वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये (‘₹’) में प्रस्तुत किया है। कंपनी ने अपने परिणामों और वित्तीय स्थितियों को व्यावहारिक मुद्रा (यूएसडी) से प्रस्तुति मुद्रा (‘₹’) में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया है :

- प्रत्येक प्रस्तुत तुलन-पत्र के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों (इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य आरक्षित निधि को छोड़ कर) को तुलन पत्र की तिथि की अंतिम दर (31 मार्च 2023 को : 1 अमेरिकी डॉलर =82.15\*) पर रूपांतरित किया गया है;
- इक्विटी शेयर पूंजी, लंबित शेयर आवंटन के शेयरधारक अग्रिम सहित, को लेन-देन की तिथियों की विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है। पूंजीगत आरक्षित निधि को लेन-देन की तिथि की विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है। अन्य आरक्षित निधियों को उस अवधि के दौरान, जिससे वह संबंधित है, की औसत विनिमय दरों का उपयोग करते हुए रूपांतरित किया गया है;
- लाभ तथा हानि के प्रत्येक एकल विवरण के लिए आय एवं व्यय को लेन-देन की तिथि की विनिमय दरों पर रूपांतरित कर प्रस्तुत किया गया है सिवाय कुछ मदों को, जिनके लिए उस अवधि के औसत विनिमय दरों (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष : 1 अमेरिकी डॉलर =80.37\*) का उपयोग किया गया है;

- सभी परिणामी विनिमय अंतरों को 'विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण में विनिमय अंतर' के रूप में अन्य व्यापक आय में दर्शाया गया है, जिन्हें बाद में विदेशी प्रचालनों के निपटान पर लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

\*भारतीय स्टेट बैंक के टेलिग्राफिक अंतरण क्रय और विक्रय दरों के औसत के आधार पर निर्धारित।

### 3.18 बीमा दावे

कंपनी के बीमा दावों का लेखा निम्नवत होता है :

परिसंपत्तियों की संपूर्ण हानि के मामलों में या तो संबंधित परिसंपत्ति की बही लागत अथवा बीमा मूल्य (छूट के अध्यक्षीन) जो भी 'वसूली योग्य दावा – बीमा' शीर्ष के अंतर्गत कम है, बीमाकर्ता को सूचित कर अंतरित किए जाते हैं। जहां बीमा दावे से बही लागत से कम है, इस अंतर को लाभ तथा हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में, ऐसी परिसंपत्ति को उपयोग में लाने के लिए उपगत व्यय/भुगतान तीसरी पार्टी अथवा अन्य देयताओं (पॉलिसी छूट को कम करके), अगर कोई है तो, बीमाकर्ता से 'वसूली योग्य दावा-बीमा' माना गया है। बीमा पॉलिसी कटौतियां संगत व्यय वर्ष में व्यय की जाती हैं।

जब और ज्यों दावे बीमाकर्ता से प्राप्त होते हैं, प्राप्य दावे – बीमा और प्राप्त दावों के बीच अंतर, यदि कोई को एकल लाभ एवं हानि विवरण में समयोजित किया जाता है।

### 3.19 आय कर

आय कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

#### (i) वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कराधीन लाभ पर आधारित होता है। कराधीन लाभ, लाभ एवं हानि के विवरण में यथासूचित "कर पूर्व लाभ" से भिन्न होता है क्योंकि किसी एक वर्ष में आय या व्यय

की कर योग्य अथवा कटौती योग्य होने वाली मदें किसी अन्य वर्ष में कर योग्य तथा कटौती योग्य नहीं भी हो सकती हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या व्यापक रूप से अधिनियमित कर दरों तथा नियमों का उपयोग करके की जाती है।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रणीत राशियों तथा कराधेय लाभ की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर अभिज्ञात किया गया है। आस्थगित कर की देयताओं को सामान्यतया सभी कराधेय अस्थाई अंतरों के लिए अभिज्ञात किया गया है। आस्थगित कर की परिसंपत्तियों को सामान्यतया सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक अभिज्ञात किया गया है जहाँ तक इस बात की संभावना होती है कि कराधेय लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जिसके उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिस अवधि में उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है, देयताओं का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र में अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय जहाँ राजकोषीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सेट-ऑफ का अधिकार है और इस तरह के शेष को निवल आधार पर निपटाने का इरादा है।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है, जो उस तरीके का पालन करेगी जिस तरीके से कंपनी, रिपोर्ट अधीन अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि पुनः प्राप्त करने या निपटान करने की अपेक्षा करता है।

आस्थगित कर की परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसरण में संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) शामिल है जिससे आयकर की भावी देयता के विरुद्ध प्रतितुलन की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। तदनुसार, तुलन पत्र में मैट को आस्थगित कर की आस्ति के रूप में उस समय अभिज्ञात किया गया है, जब आस्ति को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है तथा इस बात की संभावना होती है कि आस्ति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

**(iii)** वर्ष का वर्तमान तथा आस्थगित कर व्यय

वर्तमान तथा आस्थगित कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय जब वे ऐसी मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो, उस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्रदान की जाती है।

**3.20 उधार लागतें**

अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से पहचान की गई अथवा विशेषक परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित उधार लागतों को इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। विशेष अर्हक परिसम्पत्ति वह है जो अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने में काफी समय लेती है। सभी अन्य उधार लागतों को एकल लाभ तथा हानि लेखों में प्रभारित किया जाता है।

**3.21 असामान्य रिग दिवस लागतें**

असामान्य रिग दिवस लागतों को गैर-आबंटन योग्य के रूप में माना जाता है तथा इन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

**3.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई वर्तमान बाध्यता (विधिक या तर्कसाध्य) हो और यह संभावना हो कि कंपनी द्वारा बाध्यता का निपटान अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित मूल्य का श्रेष्ठ अनुमान होता है। जब किसी प्रावधान का मापन वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाहों का उपयोग करके किया जाता है, तो इसकी अग्रणीत राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होता है (जब राशि के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो)।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को एकल वित्तीय विवरणों में लेखे की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभाव्य हो।

आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखे की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है, यदि आर्थिक लाभ अंतर्ग्रस्त होने वाले संसाधनों के बहिर्वाह बहुत कम हो।

### 3.23 वित्तीय विलेख

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को मान्यता, कंपनी के विलेख के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बनने पर की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का मापन प्रारंभ में उचित मूल्य पर किया जाता है। लेन-देन लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को छोड़कर) के अधिग्रहण या निर्गम पर सीधे आरोप्य होते हैं, को प्रारंभिक मान्यता पर, यथा उपयुक्त, वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण को सीधे आरोप्य संब्यवहार लागतों को एकल लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल मान्यता प्रदान की जाती है।



### 3.24 वित्तीय परिसंपत्तियां

#### (i) नकदी तथा नकदी समतुल्य

कंपनी सभी अत्यधिक नकदी वाले वित्तीय विलेखों, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में तत्काल परिवर्तनीय होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के अत्यल्प जोखिमों के अधीन होते हैं तथा जिनकी मूल परिपक्वता क्रय तिथि से तीन माह अथवा कम समय की होती है, को नकदी समतुल्य मानती है। नकदी तथा नकदी समतुल्य में बैंकों में शेष राशि आती है जो आहरण तथा उपयोग हेतु अप्रतिबंधित होते हैं, जब तक अन्यथा कथित न हो।

#### (ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन बाद में परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके किया जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां उसी व्यापार में धारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करती हैं जो पूर्णतः मूलधन तथा मूलधन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान है।

#### (iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से किया जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां उसी व्यापार में धारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री करना है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करती हैं जो पूर्णतः मूलधन तथा मूलधन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान है।

#### (iv) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसका मापन परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से न किया जाए।

(v) वित्तीय परिसंपत्तियों को विमान्य करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाए, अथवा जब यह वित्तीय परिसंपत्ति को और व्यापक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को किसी अन्य पक्ष को अंतरित कर दे।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पूर्ण रूप से विमान्य किए जाने पर (सिवाय अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट इक्विटी विलेखो (एफवीटीओसीआई) के लिए, परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि और प्राप्त और प्राप्य के योग के बीच अंतर को एकल लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(vi) लाभांश और ब्याज

निवेशों से लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब शेयरधारकों का भुगतान प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि हो जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रारंभिक मान्यता पर लागू प्रभावी ब्याज दर पर मान्यता दी जाती है। विलंबित प्राप्ति पर ब्याज के संबंध में राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में तर्कसंगत निष्चितता हो।

3.25 वित्तीय देयताएं और इक्विटी विलेख

(क) कर्ज अथवा इक्विटी लिखतों के रूप में वर्गीकरण

कंपनी द्वारा निर्गत कर्ज और इक्विटी विलेखों को संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय देयताओं और किसी इक्विटी विलेख की परिभाषाओं के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

#### (ख) इक्विटी विलेख

एक इक्विटी विलेख किसी ऐसी संविदा को कहते हैं जिसमें किसी कंपनी की परिसंपत्तियों में से इसकी सभी देयताओं की कटौती करने के पश्चात् अवशिष्ट हित का साक्ष्य होता है। कंपनी द्वारा जारी इक्विटी लिखतों को प्राप्त राशि पर मान्यता दी जाती है। नये साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गम पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य वृद्धिशील लागतों को कर प्रभावों के निवल इक्विटी से एक कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

#### ग) वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का मापन प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है।

नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज मुक्त ऋणों को संवितरण की तिथि को उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है और उचित मूल्य निर्धारण के अंतर को नियंत्रक कंपनी से स्वीकृत पूंजी योगदान के रूप में मान्य होता है। नियंत्रक कंपनी से प्राप्त मान्य पूंजीगत योगदान को इक्विटी परिवर्तन विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

देयता घटक को प्रभावी ब्याज दर का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पद्धति पर लेखांकित किया जाता है। यदि ऋण का पहले पुनर्भुगतान हो जाता है तो पहले मान्य नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत योगदान की अनुपातिक राशि को समायोजित किया जाता है।

#### (घ) वित्तीय देयताओं की विमान्यता

कंपनी केवल और केवल अपने दायित्वों के निपटान, निरस्त या समाप्त होने पर ही वित्तीय देयताओं को विमान्य करती है। विमान्य की गई वित्तीय देयता के वहन मूल्य और प्राप्त तथा प्राप्य प्रतिफल की राशि के रूप में मान्यता प्राप्त अंतर को लाभ एवं हानि के एकल विवरण में मान्यता दी जाती है।

### 3.26 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जनों की गणना कर पश्चात निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जन की गणना कर पश्चात लाभ को आधारभूत अर्जन प्रति शेयर निकालने के लिए लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी की जा सकने वाली इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी भाग देकर की जाती है।

### 3.27 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके सूचित किया जाता है जिसके द्वारा वर्ष हेतु लाभ को किसी गैर-नकदी प्रकृति के संव्यवहारों, पूर्व या भविष्य की प्रचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के विलंबन अथवा प्रोद्भवन और नकदी प्रवाहों के निवेश या वित्त-पोषण से संबद्ध आय या व्यय की मद हेतु समायोजित किया जाता है। नकदी प्रवाह को प्रचालन, निवेश तथा वित्त पोषण क्रियाकलापों में पृथक किया जाता है।

### 3.28 खंड प्रतिवेदन

प्रचालन खंडों की उस खंड को आवंटित किए जाने वाले संसाधनों के बारे में निर्णय करने के लिए और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न जोखिमों और प्रतिफलों, आंतरिक प्रतिवेदन प्रणालियों और उस आधार पर जिस पर प्रचालन के परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, की पहचान की जाती है और संसूचित किया जाता है।

### 3.29 पट्टे

इंड एस 116 “पट्टे” ने पट्टेदारों के लिए एक एकल, तुलन पत्र पर लेखांकन मॉडल की शुरुआत की है। परिणामस्वरूप, समूह ने, पट्टादार के रूप में, उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों को मान्यता दी, जो अन्तर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने के इसके अधिकारों को द्योतित करता है और पट्टा देयता जो पट्टा भुगतान करने के इसके दायित्व को द्योतित करता है।

पट्टादाता के रूप में

कंपनी किसी सक्रिय पट्टा संविदा में पट्टादाता नहीं है। इसलिए, और कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अंतर्गत, पट्टेदार के रूप में, इसने उपयोग अधिकार परिसंपत्ति जो अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग करने के इसके अधिकार द्योतित करता हो और पट्टा देयताएं जो पट्टा भुगतान करने के इसके दायित्व को द्योतित करता हो। सिवाय बारह माह या कम अवधि के पट्टे (अल्पावधिक पट्टे) के और निम्न मूल्य पट्टे के इन अल्पावधिक और निम्न मूल्य पट्टों के लिए, कंपनी पट्टा भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में अभिज्ञात करती है।

#### 4. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, मान्यताएं और अनिश्चितता के अनुमानन के प्रमुख स्रोत

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त कई लेखांकन नीतियों के उपयोग में निर्णय लेने, अनुमान तथा मान्यताओं को लेने की प्रबंधन की आवश्यकताएं अंतर्निहित हैं जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि, आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटीकरण और राजस्व तथा व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम प्रयुक्त अनुमानों तथा मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों तथा निहित मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन मानकों में संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमान संशोधित होते हैं तथा भविष्य की अवधियां प्रभावित होती हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में निर्णय, मान्यताओं तथा अनुमानन अनिश्चिता के प्रमुख स्रोत जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों तथा देयताओं की अग्रणीत राशि में कोई महत्वपूर्ण समायोजन कर सकते हैं, वे कार्यात्मक मुद्रा, तेल तथा गैस भंडारों, क्षति, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवनकाल, तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के निःशेषण, मौजूदा न किए जाने के प्रावधान, कर्मचारी लाभ बाध्यताओं, प्रावधान, आयकर हेतु प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के मापन से संबंधित हो सकते हैं।

#### 4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय

उन अनुमानों (टिप्पणी 4.2 देखें) को शामिल करने के अलावा प्रबंधन द्वारा कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

##### (क) व्यावहारिक मुद्रा का निर्धारण

कंपनी के प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालन करती है, की मुद्रा ('व्यावहारिक मुद्रा') अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) है, जिसमें कंपनी मुख्य रूप से नकदी का सृजन और व्यय करती है। तदनुसार, प्रबंधन ने अपनी व्यावहारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया है।

##### (ख) तेल तथा गैस परिसंपत्तियों में क्षरण के संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोजनीयता के मूल्यांकन में बाहरी कारकों (परिसंपत्ति के मूल्य में भारी कमी, प्रौद्योगिकीय, बाजार, आर्थिक या विधिक परिवेश, बाजार ब्याज दरों में बड़े परिवर्तन आदि) और आंतरिक कारकों (किसी परिसंपत्ति का अप्रचलित होना या उसमें भौतिक क्षति, परिसंपत्ति का खराब आर्थिक निष्पादन आदि) का आकलन अपेक्षित होता है जो तेल तथा गैस परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य मात्रा में बड़े परिवर्तनों में परिणत हो सकते हो।

##### (ग) अन्वेषणात्मक कूप

यह निर्धारण कि क्या किसी अन्वेषण कूप द्वारा खोज किए गए संभाव्य आर्थिक तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडार आमतौर पर कूप पूर्णता के पहले वर्ष में हो जाते हैं, पर इसमें भू-वैज्ञानिक ढांचे की जटिलता पर निर्भर करते हुए अधिक समय भी लग सकता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस की संभाव्य आर्थिक मात्राओं की खोज करने वाले अन्वेषण कूप तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां उत्पादन को प्रारंभ करने से पूर्व प्रमुख पूंजीगत व्यय (जैसे कि कोई अपतटीय प्लेटफार्म अथवा पाइपलाइन), की आवश्यकता होगी, अथवा जहां प्रमुख पूंजीगत व्यय की आर्थिक व्यवहार्यता उस क्षेत्र में और अन्वेषण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने पर निर्भर करती हो, एकल तुलन-पत्र में तब तक पूंजीकृत रहती है जब तक कि अतिरिक्त अन्वेषण या मूल्यांकन कार्य जारी हो अथवा उसकी टोस आयोजना बनाई गई हो।

कई वर्षों तक तुलन-पत्र में अन्वेषण कूपों तथा अन्वेषणात्मक प्रकार के स्ट्रेटीग्राफिक जांच कूपों का स्थगित रहना असमान्य नहीं है जबकि संभाव्य तेल तथा प्राकृतिक गैस फील्डों में अतिरिक्त मूल्यांकन ड्रिलिंग और भूकंपीय कार्य को निष्पादित किया जाता है अथवा ईष्टतम विकास योजनाओं तथा समय सारणी को स्थापित किया जा रहा होता है। ऐसी सभी वहन की जा सकने वाली लागतें कम से कम वार्षिक आधार पर नियमित तकनीकी, वाणिज्यिक तथा प्रबंधन समीक्षा के अधीन हैं ताकि खोज को विकसित करने या अन्यथा उससे मूल्य के निष्कर्षण हेतु सतत् मंशा की पुष्टि की जा सके। जहां ऐसा मामला न हो, लागतों को तत्काल व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

#### 4.2 अनिश्चितता आकलन की मान्यताएं और प्रमुख स्रोत

वे आकलन और पूर्वानुमान जिनका परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की मान्यता तथा मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, नीचे दिए गए हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

##### (क) डिकमिशनिंग हेतु प्रावधान का आकलन

कंपनी तेल एवं गैस परिसंपत्तियों के आर्थिक कार्यकाल के अंत में उनकी भावी डिकमिशनिंग हेतु इंड एस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां के सिद्धांतों के अनुसार डिकमिशनिंग के लिए प्रावधान का आकलन करता है। डिकमिशनिंग की इन गतिविधियों में से अधिकांश गतिविधियां भविष्य में होंगी, सटीक आवश्यकताओं को हटाने के समय पूरी करनी पड़

सकती है, में अनिश्चितताशामिल है। डिकमिशनिंग के लिए प्रौद्योगिकी एवं लागत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। भावी नकदी प्रवाहों की राशि एवं समय महत्वपूर्ण अनिश्चितता के अधीन होते हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी प्रवाहों को बढ़ा करने में प्रयुक्त ब्याज दर तथा मौजूदा लागत के अनुमानों को बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति की दर के साथ भावी व्यय के समय एवं राशि की समीक्षा की जाती है। तेल एवं गैस की परिसंपत्ति की दीर्घवधिक उत्पादन प्रोफाइल के आधार पर तेल एवं गैस की परिसंपत्तियों के अर्थक्षम जीवन काल का अनुमान लगाया जाता है।

#### (ख) परिसंपत्तियों का क्षरण

यह निर्धारित करना कि क्या किसी सीजीयू में कोई क्षरण हुआ है, और कितना हुआ है, में भविष्य के मूल्यों, प्रचालन व्ययों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव, छूट दरों, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा मूल्यवर्धित उत्पादों की उत्पादन प्रोफाइल जैसे अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान अंतर्ग्रस्त होते हैं। तेल तथा गैस परिसंपत्तियों हेतु प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों का अनुमान भविष्य के खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मूल्यों, उत्पादन तथा आरक्षित प्रमात्राओं के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों का उपयोग करके लगाया जाता है।

कंपनी के नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों का निर्धारण कर पूर्व छूट दरों को अनुप्रयोग कर किया जाता है जो प्रत्येक सीजीयू से संबंधित धन के समय मान और देयता के विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। खनिज तेल की बिक्री से भावी नकदी अंतर्प्रवाह की गणना ब्लूमबर्ग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार डेटेड ब्रेंट खनिज तेल के बाजार आधारित अग्रिम मूल्यों या स्वतंत्र प्रतिष्ठित अन्य पक्षकारों द्वारा ब्रेंट कुड ऑयल वायदा / पूर्वानुमान मूल्यों के अनुसार और बेंचमार्क खनिज तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के साथ इसके सहसंबद्ध के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक गैस की बिक्री से भावी नकदी प्रवाह की भी गणना संबंधित समझौतों और / अथवा बाजार अनुमान के अनुसार निर्धारित मूल्यों के आधार पर प्रत्याशित भावी मूल्यों के आधार पर की जाती है।

प्रयुक्त बट्टा दर एक स्थापित मॉडल से पूंजी की लागत पर आधारित होती है।



उत्पादनकारी / विकासशील सीजीयू के उपयोग मूल्य का निर्धारण प्रमाणित और संभावित भंडारों पर आधारित आकलित भावी नकद प्रवाहों पर विचार करते हुए किया जाता है। उपयोग मूल्य का निर्धारण करते समय मूल्यांकन / विकास की प्रत्याशित लागत के पूरे आकलन पर भी विचार किया जाता है।

उत्पादन प्रोफाइल का आकलन करने में कंपनी सभी संविदात्मक संभावित विस्तारों, जिन पर वे लाइसेंस की अवधि तक सीमित किए बिना अर्धक्षम रूप से उत्पादन योग्य होते हैं, पर विचार करते हुए पूरी अवधि में अपने भंडारों का आकलन करती है।

क्षरण गणना के आकलन में अनुप्रयुक्त बड़ा दरों का प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) भंडारों का आकलन

वर्ष के अंत में कंपनी के भंडारों का आकलन अंतिम नियंत्रक कंपनी ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की क्षेत्रीय आकलन समिति (आरईसी) द्वारा किया जाता है, जो सतत रूप से अंतर्राष्ट्रीय भंडार अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं का पालन करती है।

कंपनी अपने भंडारों का वार्षिक रूप से आकलन करती है और भंडारों का प्रकटन वित्त वर्ष के अंत में अर्थात् 1 अप्रैल को किया जाता है। इस कंपनी का गैर प्रचालक, संयुक्त प्रचालक और प्रचालक के रूप में भागीदारी हित के साथ पूरे विश्व में विभिन्न उत्पादनकारी और अन्वेषित परिसंपत्तियों में विश्व प्रमुख कंपनियों के साथ साझीदारी है। प्रत्येक परिसंपत्ति के प्रचालक / संयुक्त प्रचालक कंपनी वार्षिक आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों के भंडारों का मूल्यांकन करती है, और कंपनी के प्रतिनिधि तकनीकी / प्रचालन समिति बैठकों के माध्यम से उत्साह पूर्वक अंतःक्रिया करते हैं, जिनमें भंडारों के आकलन पर चर्चा की जाती है और इसे अंतिम रूप दिया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए अनुमोदित भंडारों की प्राप्ति पर, कंपनी मूल कंपनी ओएनजीसी के ई एंड डी निदेशालय के भंडार आकलन विशेषज्ञों के साथ इस पर चर्चा करती है और इसे मूल कंपनी ओएनजीसी के निदेशक (अन्वेषण) की अध्यक्षता में भंडार आकलन समिति (आरईसी) के विमर्श और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।

परिमाणात्मक आकलन, आकलन की मुख्य प्रक्रिया होती है जो इन-प्लेस हाइड्रोकार्बन की गणना करने के लिए कुंड चट्टानों और द्रव्य गुणधर्मों का उपयोग करती है और फिर यह आकलन करती है कि जो भाग एक दी हुई तिथि से, मौजूदा आर्थिक स्थितियों के तहत, स्थापित प्रचालन संव्यवहारों और विद्यमान सरकारी विनियमों के तहत दोहन के परिमाण का आकलन करती है। ज्यों ज्यों वे क्षेत्र जिनका यूक्तिसंगत अच्छा उत्पादन इतिहास होता है, परिपक्व होते हैं, निष्पादन पद्धतियों जैसे सामग्री शेष, उत्प्रेरण, गिरावट आलेख विश्लेषण का भंडारों के सटीक आकलन के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। कई उत्पादनकारी और अन्वेषित परिसंपत्तियों के लिए जिनमें कंपनियों का पण होता है, संबंधित प्रचालक और संयुक्त प्रचालक कंपनियां विधिवत जाँच और लेखा परीक्षा के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी परिसंपत्तियों के भंडारों का आवधिक रूप से तृतीय पक्ष संपरीक्षा आयोजित करवाती है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त परामर्शदाता द्वारा किया जाता है जो अपने मूल्यांकन के लिए नवीनतम औद्योगिक प्रथाओं का अपनाते हैं।

आकलनों का वार्षिक पुनरीक्षण वार्षिक अन्वेषणात्मक तथा विकास क्रियाकलापों और तत्संबंधी परिणामों पर आधारित होता है। नई इन-प्लेस मात्रा और अंतिम भंडारों का आकलन पहले से खोज किए गए क्षेत्रों में नई फील्ड खोजों या नई पूल खोजों हेतु लगाया जाता है। साथ ही मूल्यांकन क्रियाकलाप नए उप-सतह डाटा के कारण अनुमानों में संशोधन में भी परिणत होते हैं। इसी प्रकार, पेट्रो-भौतिक पैरामीटरों में बदलाव, स्थिर तथा परिवर्तनशील मॉडलों को अद्यतन करने और भंडारों में परिवर्तन में परिणत होने वाले निष्पादन विश्लेषण के कारण पुराने फील्डों हेतु पुनःव्याख्या क्रिया भी की जाती है। नई प्रौद्योगिकी के अंतर्क्षेप, वर्गीकरण तथा संविदात्मक प्रावधानों में परिवर्तन के चलते भी भंडारों के अनुमानन में संशोधन आवश्यक हो जाता है।

(घ) नकदी सृजक इकाई का निर्धारण (सीजीयू)

कंपनी मुख्यतः अभितट और अपतट में तेल और गैस अन्वेषण एवं उत्पादन का कारोबार करती है। उन फील्डों में जहां साझी उत्पादन / परिवहन सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है और जहाँ पर्याप्त आर्थिक अंतर्निर्भरता है, उसे एकल नकदी सृजक इकाई (सीजीयू) गठित माना जाता है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

5. अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

अग्रणीत राशि :	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
फर्निचर एवं जुड़नार	1.49	2.39
वाहन	0.02	0.02
कार्यालय उपकरण	0.02	0.02
कुल	1.53	2.43

लागत	फर्निचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2021 को शेष	6.32	1.29	0.54	8.15
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	1.58	—	—	1.58
निपटान / समायोजन / अंतरण	—	—	—	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	0.22	0.04	0.02	0.28
31 मार्च, 2022 को शेष	8.12	1.33	0.56	10.01
1 अप्रैल, 2022 को शेष	8.12	1.33	0.56	10.01
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	—	—	—	—
निपटान / समायोजन / अंतरण	—	—	—	—
विनिमय अंतर प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	0.69	0.11	0.05	0.85
31 मार्च, 2023 को शेष	8.81	1.44	0.61	10.86

संचित मूल्यहास एवं क्षरण	फर्निचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2021 को शेष	4.28	1.14	0.52	5.94
मूल्यहास व्यय	1.30	0.13	—	1.43
निपटान/समायोजन/अंतरण पर निरसन	—	—	—	—
विनिमय अंतर प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	0.15	0.04	0.02	0.21
31 मार्च, 2022 को शेष	5.73	1.31	0.54	7.58
1 अप्रैल 2022 को शेष	5.73	1.31	0.54	7.58
मूल्यहास व्यय	1.08	—	—	1.08
निपटान/समायोजन/अंतरण पर निरसन	—	—	—	—
विनिमय अंतर प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	0.51	0.11	0.05	0.67
31 मार्च, 2023 को शेष	7.32	1.42	0.59	9.33

5.1. कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य भागीदारों के साथ परिसंघीय (कंसोर्टियम) रूप में आयोजक सरकारों के साथ समझौते के तहत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण, विकास और उत्पादन से संबंधित अपना व्यवसाय कर रही हैं। कार्य क्षेत्रों / परियोजनाओं में कंपनी की गतिविधियों के संचालन कर रहे ऐसे कई समझौतों में ये प्रावधान हैं कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों के अर्जन / प्रथम उपयोग पर अथवा “लागत तेल” और “लागत गैस” के आवंटन के माध्यम से इन लागतों की 100 प्रतिशत वसूली पर अथवा संबंधित संविदा क्षेत्रों के परित्याग या संबंधित समझौते के निरस्तीकरण पर इस प्रकारकी परिसंपत्तियों तथा अन्य सहायक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व आयोजक सरकार या इसके द्वारा नामित कंपनियों के नाम हस्तांतरित हो जाएंगे। तथापि, समझौतों की शर्तों के अनुसार, परिसंघ और/ अथवा ऑपरेटर के पास इस प्रकार की सभी परिसंपत्तियों की धारिता होती है और वह संबंधित समझौतों की संपूर्ण अवधि के दौरान निःशुल्क रूप से पेट्रोलियम के संचालन के लिए इस प्रकार की सभी परिसंपत्तियों का निःशुल्क उपयोग करने का हकदार होता है। परिसंघ के पास इस प्रकार की परिसंपत्तियों का अभिरक्षण व अनुरक्षण अधिकार भी होता है और यह इनसे संबंधित सभी प्रकार के आकस्मिक घाटों व क्षतियों के जोखिमों को वहन करता है और इन परिसंपत्तियों का रखरखाव करने तथा इनके क्षतियों व हानियों की प्रतिपूर्ति व मरम्मत के लिए सभी आवश्यक लागतों को भी वहन करता है। इन सभी परिस्थितियों के तहत, इस प्रकार की परिसंपत्तियों को संबंधित समझौतों की वैद्यता अवधि के दौरान कंपनी के अभिलेखों में भी रखा जाता है।

5.2 प्रभारित मूल्यह्रास की गणना करते समय, अर्जन लागत के 2 प्रतिशत मूल्य के अवशिष्ट मूल्य पर अन्य पीपीई की मूर्त मदों के लिए विचार किया गया।

6. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य

मद	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
क) तेल और गैस परिसंपत्तियां				
(i) निर्माणाधीन विकास कूप	—	—	—	—
प्रारंभिक शेष	—	—	—	—
वर्ष के दौरान व्यय	9.10	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन (टिप्पणी सं. 6.2 देखें)	135.18			
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	3.19	147.47	—	—
	—	—	—	—
घटाएं : संचयित क्षरण	—	—	—	—
प्रारंभिक शेष	—	—	—	—
वर्ष के दौरान प्रावधानित	—	—	—	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	—	—	—	—
निर्माणाधीन विकास कूप की अग्रणीत राशि	—	147.47	—	—

मद	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
(ii) निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाएं	—	—	—	—
प्रारंभिक शेष	58,486.51	—	47,512.92	—
वर्ष के दौरान व्यय	2,593.67	—	7,055.80	—
वर्ष के दौरान समायोजन	308.58		2,304.39	
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	5,005.68	66,394.44	1,613.40	58,486.51
	—	—	—	—
घटाएं : संचयित क्षरण	—	—	—	—
प्रारंभिक शेष	—	—	—	—
अवधि के दौरान प्रावधानित	—	—	—	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	—	—	—	—
निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाओं की अग्रणीत राशि	—	66,394.44	—	58,486.51

6.1 सीडब्ल्यूआईपी संबंधी उधार लागत के पूंजीकरण को 1 अप्रैल 2021 से इस परियोजना में अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण निलंबित कर दिया गया है। मेजाबिक कारोबार से संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2020 से उधार लागत पूंजीकरण शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 तक जारी रहा।

6.2 ये समायोजन वर्तमान वर्ष में विकास कूपों में पुनर्वर्गीकरण से संबंधित है जो पिछले वर्ष में अर्थात् दिनांक 31.03.2022 में निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूपों के रूप में अभिज्ञात किए गए थे।

ओएनजीसी विदेश रोबुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

7. निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
क. निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप				
सकल लागत	-	-	-	-
प्रारंभिक शेष	17,298.08	-	19,054.00	-
वर्ष के दौरान समायोजन (टिप्पणी 7.4 देखें)	(443.76)	-	(2,304.39)	-
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	1,451.66	18,305.98	548.47	17,298.08
	-	-	-	-
घटाएं : संचित क्षरण	-	-	-	-
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
अवधि के दौरान प्रावधान	-	-	-	-
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	-	-	-	-
निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूपों की अग्रणीत राशि	-	18,305.98	-	17,298.08
ख. खनिज अधिकार अधिग्रहित करने के लिए अर्जन लागत	-	-	-	-
लागत	-	-	-	-
प्रारंभिक शेष	203,029.42	-	196,972.04	-
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	17,153.64	220,183.06	6,057.38	203,029.42

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
घटाएं : संचित क्षरण				
प्रारंभिक शेष	24,023.00	—	25,748.46	—
अवधि के दौरान प्रावधानित (टिप्पणी 24.1 और 24.2 देखें)	(25,488.42)	—	(2,477.00)	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	1,465.42	0.00	751.54	24,023.00
अर्जन लागत की अग्रणीत राशि	—	220,183.06	—	179,006.42

7.1 सीडब्ल्यूआईपी संबंधी उधार लागत के पूंजीकरण को 1 अप्रैल 2021 से इस परियोजना में अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण निलंबित कर दिया गया है।

मोजांबिक कारोबार से संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2020 से उधार लागत पूंजीकरण शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 तक जारी रहा।

7.2 अधिग्रहण लागत प्रमाणित या अप्रमाणित तेल एवं गैस संपत्तियों के संपत्ति या खनिज अधिकार अधिग्रहित करने की लागत से संबंधित है जो वर्तमान में अन्वेषण/विकास चरण में है; ऐसी लागतों को वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत से या अन्वेषण परियोजना के परित्याग के मामले में बड़े खाते डाले जाने पर उत्पादन इकाई पद्धति से तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में अंतरित कर निःशेषित किया जाएगा।

एरिया 1 ईपीसीसी के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक फील्ड की विकास और उत्पादन अवधि उस तिथि से शुरू होगी जिस तिथि से उस फील्ड की विकास योजना प्रभावी है (अर्थात् एफआईडी) और तीस (30) वर्षों की अवधि तक जारी रहेगी। यह अवधि एफएम के कारण विस्तारित की जा सकती है। एरिया 1 में मोजांबिक के विनियामक द्वारा अनुमोदित पाँच अन्वेषित फील्ड हैं जिनके लिए एफआईडी 18 जून 2019 को लिया गया था। अन्य फील्डों के लिए, 30 वर्षीय विकास और उत्पादन अवधि, प्रत्येक फील्ड की एफआईडी की तिथि से शुरू होगी। अंतिम फील्ड की एफआईडी वर्ष 2035 तक शुरू होने की अवधारणा के आधार पर, विकास और उत्पादन अवधि वर्ष 2064 तक माना गया है।



- 7.3 इस परियोजना में घोषित अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण 1 अप्रैल 2022 से अधिग्रहणलागत संबंधी उधार लागत के पूंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। मोजांबिक कारोबार से संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उधार और पूंजीकरण 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ और दिनांक 31.03.2021 तक जारी रहा।
- 7.4 समायोजन वर्तमान वर्ष में निर्माणाधीन विकास कूप में पुनर्वर्गीकरण से संबंधित है जो पिछले वर्ष में अर्थात् दिनांक 31.03.2022 में निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप में अभिज्ञात किया गया था।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

8. निवेश

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
लागत रहित क्षरण पर :		
(क) इक्विटी विलेखों में निवेश :	2,806.95	1,683.39
	2,806.95	1,683.39

8.1 इक्विटी विलेखों में निवेश

विवरण	निवेश मुद्रा	अंकित मूल्य / चुकता मूल्य	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
			शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अनुद्धृत निवेश (पूर्णतः चुकता)						
ख. सहयोगी कंपनी में निवेश						
(क) मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	अमे. डालर	1.00	34,168,460	2806.95	22,223,160	1,683.39
सहयोगी कंपनी में कुल निवेश		—	—	2806.95	—	1,683.39
घटाएं : संचित क्षरण		—	—	—	—	

सहयोगी कंपनियों में निवेश (I)				—	—	
इक्विटी विलेखों में निवल निवेश (I)				2806.95	—	1,683.39
अनुद्धृत निवेशों का समुदित अग्रणीत मूल्य				2806.95	—	1,683.39
निवेशों के मूल्य में क्षरण की समुदित राशि				—	—	—

### 8.1.2 सहयोगी कंपनी के इक्विटी विलेखों में निवेश के मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष	1,683.39	1,451.47
वर्षके दौरान परिवर्द्धन	981.31	184.30
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	142.25	47.62
वर्ष के अंत में शेष	2,806.95	1,683.39

### 8.1.3 सहयोगी कंपनी का विवरण

सहयोगी कंपनी का नाम	मुख्य कार्यकलाप	अधिनिगमन का स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार / मताधिकार का अनुपात	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार / मताधिकार का अनुपात

			31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
(क) मोज एलएनजी1 होल्लिंग कंपनी लि.	कंपनी विक्रेता एसपीई (विपणन एवं पोत परिवहन गतिवधियां) एवं उधारकर्ता एसपीई (परियोजना वित्तपोषण) के शेयरों का 100 प्रतिशत धारित करती है	यूएई में निगमित और प्रचालन मोजांबिक में	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

8.1.4 भारत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की ऋणों की सामान्य शर्तों में निहित विश्व बैंक के नकारात्मक रेहन प्रसंविदा के अधीन है, जो भारत की "सार्वजनिक संपत्तियों" पर प्रतिभूति हितों (मोटे तौर पर परिभाषित) की संस्वीकृति पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। तदनुसार, ओएनजीसी, ओवीएल और ओवीआरएल सहित एरिया 1 परियोजना के भारतीय प्रायोजक उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ डब्ल्यूबीएनपी प्रसंविदा से प्रभावित हैं और परिणामस्वरूप उनकी पीआई, और परियोजना परिसंपत्तियों में उनके हिस्से और प्राप्यों पर वरीय ऋणदाताओं के पक्ष में कोई रेहन, प्रभार या अन्य ऐसी प्रतिभूति संस्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया जाता है। उपर्युक्त के आलोक में, प्रसंविदात्मक प्रतिभूति पैकेज की स्वीकृति के बदले, ओवीआरएल ने परियोजना वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सीएसए (साझा प्रतिभूति करार) प्रतिभूति अभिरक्षक के रूप में स्टैंडर्ड बैंक, एस.ए. को होल्डको में शेयरों पर अभिरक्षा व्यवस्था प्रदान किया है।

9. अन्य परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	गैर मौजूदा	मौजूदा	गैर मौजूदा	मौजूदा
(क) जमा				
सरकार/ कर प्राधिकरणों में	1,085.68	—	970.01	—
(ख) पूर्व भुगतान				
- प्रत्याभूति प्रभार	33.55	2.36	33.12	2.18
- अन्य	—	71.41	—	140.18
कुल	1,119.23	73.77	1,003.13	142.98

9.1. ओएनजीसी (मुख्य नियंत्रक कंपनी) द्वारा मोजांबिक परियोजना में 10 प्रतिशत पीआई के लिए 1920 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का कर्ज सेवा वचन (डीएसयू) दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक परियोजना द्वारा 287.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आहरण (ड्रॉ-डाउन) किया गया है (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 287.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर), और कंपनी की 10 प्रतिशत पीआई की राशि 28.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 287.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पीआई तक सीमित डीएसयू के उचित मूल्य को बही में दर्ज किया गया है। परियोजना में विद्यमान अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के कारण वर्ष के दौरान आगे और कोई आहरण नहीं किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोबुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

10. मालसूची (इन्वेंट्री)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
स्टोर और कलपूर्जे	375.48	375.48	385.97	386.97
घटाएं : अप्रचलित / अचर मालसूची	—	—	—	—
कुल	—	375.48	—	386.97

11. नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष	4.66	2.81
रोकड़ शेष	0.03	0.06
कुल	4.69	2.87

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जबतक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो परिशोधित लागत पर)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	गैर मौजूदा	मौजूदा	गैर मौजूदा	मौजूदा
(क) पक्षकारों से प्राप्त की जाने वाली राशि				
– अप्रतिभूत, अच्छे माने गए				
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजांबिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)		2.76	–	2.64
भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (बीआरईएमएल)	–	0.37	–	0.71
अन्य	–	–	–	–
(ख) प्रतिभूति जमा				
– अच्छे माने गए, अप्रतिभूत	0.19	–	0.18	–
(ग) नकद में प्रतिलब्धियोग्य अग्रिम				
–अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	–	–	–	–
–अन्य से	–	2,776.17	–	2,033.76
(घ) ऑपरेटर से प्राप्य				
–अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	–	349.39	–	600.29
(ङ) प्रोद्भूत ब्याज				
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	3,648.15	–	2,118.49	–
–अग्रणीत ब्याज (टिप्पणी 12.1 देखें)	–	–	–	–

(च) अग्रनीत ब्याज(टिप्पणी 12.1 देखें)	—	—	—	—
—अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	18,177.94	—	15,740.05	—
कुल	21,826.28	3,128.69	17,858.72	2,637.40

12.1 अग्रनीत ब्याज और उस पर प्रोद्भूत ब्याज मोजाबिक प्रचालनों से संबंधित हैं, जो ईपीसीसी के खंड 9.13 (ड) और निधियन करार के खंड 4 के आधार पर एरिया 1 अपतट मोजाबिक से संबंधित मोजाबिक की राष्ट्रीय तेल कंपनियों से वसूली योग्य है। उक्त मद का, यह ध्यान में रखते हुए कि यह पुनर्भुगतान सीधे ही परियोजना से उससे वाणिज्यिक उत्पादन से धनात्मक नकद प्रवाह से सीधे ही संबद्ध है, क्षरण परीक्षण किया गया है।



ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

13. इक्विटीशेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी शेयर पूंजी	1,08,910.57	87,789.66
	1,08,910.57	87,789.66
अधिकृत :		
10 रुपए प्रत्येक के मूल्य के 15,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	150,000.00	100,000.00
निर्गत और अभिदत्त :		
10 रुपए प्रत्येक के मूल्य के 10,90,19,58,887 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, 8,78,77,53,831 इक्विटी शेयर)	109,019.59	87,877.54
पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर : 10 रुपए प्रत्येक के मूल्य के 10,90,19,58,887 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, 8,78,77,53,831 इक्विटी शेयर)	109,019.59	87,877..54
कुल	109,019.59	87,877..54

13.1 प्रतिवेदनाधीन अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान प्रतिवेदन अधीन वर्ष की शुरुआत में पुनर्कथित शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	इक्विटी पर प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागत	31 मार्च, 2023 को शेष
87,789.66	—	87,789.66	21,142.05	— (21.14)	1,08,910.57

1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष		—	—		
	69,852.74	(69.85)	69,782.89	18,024.80	(18.03)
					87,389.66

### 13.2 इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक एक मत प्रति शेयर का हकदार है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी के परिसमापन की दशा में इक्विटी शेयरों के धारक, सभी अधिमानी राशियों के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

### 13.3 नियंत्रि कंपनी और इसके नामिति द्वारा धारित शेयरों के विवरण :

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एवं इसके नामिती	10,901,958,887	109,019.59	8,787,753,831	87,877.54

13.4 आवंटित बोनस शेयर की कुल संख्या, नकदी में भुगतान किए बिना संविदा के अनुसरण में आवंटित शेयर और प्रतिवेदन तिथि के ठीक 5 वर्ष पहले की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या : शून्य।

13.5 शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा या प्रतिबद्धता के तहत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर, अपूर्ण निबंधनों और शर्तों सहित : शून्य

13.6 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण इस प्रकार हैं :-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशतशेयरधारिता	शेयरों की संख्या	प्रतिशतशेयरधारिता
नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी लिमिटेड एवं इसके नामिती	10,901,958,887	100 प्रतिशत	8,787,753,831	100 प्रतिशत

ओएनजीसी विदेश रोबुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

14 अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
क1. नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजी योगदान – निधियन*	4,530.18	17,694.41
क2. नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजी योगदान – ब्याज रहित ऋण का उचित मूल्य	1,947.16	1,543.44
क3. नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजी योगदान – गारंटी प्रभारों का उचित मूल्य	36.05	36.05
ख. आरक्षित निधि और अधिशेष		
- पूंजीगत आरक्षित निधि	23,441.40	23,441.40
- प्रतिधारित आय	(52,468.62)	(77,126.86)
ग. विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को रूपांतरित करने से उत्पन्न विनिमय अंतर (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	4,606.20	643.87
	(17,907.62)	(33,767.69)
विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
(क) पूंजी आरक्षित निधि	—	—
वर्ष के प्रारंभ में शेष	23,441.40	23,441.40
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
वर्ष के अंत में शेष	23,441.40	23,441.40

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
(ख) प्रतिधारित आय		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(77,126.86)	(71,038.60)
वर्षका लाभ / (हानि)	24,658.63	(77,126.86)
वर्ष के अंत में शेष	(52,468.63)	(77,126.86)
(ग) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर	—	—
वर्ष के प्रारंभ में शेष	643.87	(234.56)
वर्ष के दौरान परिवर्तन	3,962.33	878.49
अवधिके अंत में शेष	4,606.20	643.87

\*प्रकटन की गयीराशि इक्विटी के प्रति अग्रिम को निरूपित करते हैं

14.1 कंपनी ने मुख्य मूल कंपनी ओएनजीसी से ब्याज रहित प्रत्याभूति प्राप्त किया है। नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत अंशदान के रूप में दर्शायी गयी 36.05 मिलियन रुपए की राशि बिना किसी प्रतिफल के दी गयी वित्तीय गारंटी के उचित मूल्य के मद में है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

15 उधार

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	गैर – मौजूदा	मौजूदा	गैर – मौजूदा	मौजूदा
अप्रतिभूत –परिशोधित लागत पर				
(i) नियंत्रक कंपनी से ऋण	180,730.00	–	166,650.00	–
कुल	180,730.00	–	166,650.00	–

15.1 नियंत्रक कंपनी से ऋण

कंपनी ने मोजाबिक कारोबार के अधिग्रहण हेतु ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (मूल कंपनी) से ऋण लिया है। चालू वर्ष के दौरान, ओएनजीसी विदेशलिमिटेड द्वारा कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अपने आंतरिक संसाधनों से सावधि ऋण में से 89.785 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का पुनर्भुगतान किया है। इसलिए, ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड की बहियों में 89.785 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण से इक्विटी के प्रति अग्रिम में अंतरित कर दिया गया है।

15.2 ओवीएल और ओवीआरएल के बीच हस्ताक्षरित ऋण करार के अनुसार पुनर्भुगतान अनुसूची इस प्रकार है :

विवरण	31 मार्च 2023की स्थिति के अनुसार	आहरण तिथि	पुनर्भुगतान तिथि	कूपन
1000 मिलियन अमे. डा.	82,150.00	1 जनवरी, 2020	30 मार्च 2025	1000 मिलियन अमे. डा. +लायबोर +0.95 प्रतिशत

500 मिलियन अमे. डा.	41,075.00		12 जुलाई 2026	500 मिलियन अमे. डा. + लायबोर +0.97 प्रतिशत
600 मिलियन अमे. डा.	49,290.00		27 अक्टूबर, 2026	600 मिलियन अमे. डा. +लायबोर+0.85 प्रतिशत
100 मिलियन अमे. डा.	8,215.00		27 जनवरी 2027	100 मिलियन अमे. डा.— 3 माह अवधि एसओएफआर +0.90 प्रतिशत
कुल	180,730.00			

\*पुनर्भुगतान अनुसूची ऋण करार पर आधारित है। ऋण करार के खंड 4.2.1 के अनुसार, पुनर्भुगतान अनुसूची को परस्पर सहमत शर्तों पर पक्षकारों द्वारा उपांतरित किया जा सकता है।

लायबोर लंदन अंतर्राष्ट्रीय बैंक की प्रस्तावित दर को निरूपित करता है।

एसओएफआर प्रतिभूत ओवरनाइट वित्तपोषण दर को निरूपित करता है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

16. अन्य वित्तीय देयताएं

मद	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
	गैर – मौजूदा	मौजूदा	गैर – मौजूदा	मौजूदा
नियंत्रक कंपनी को संदेय	—	3.94	—	3.76
ओएनजीसी को संदेय	—	0.76	—	0.39
उपचयित ब्याज	—	—	—	—
—नियंत्रक कंपनी से ऋण	—	13,425.53	—	6,216.19
कुल	—	13,430.23	—	6,220.34



ओएनजीसी विदेश रोबुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

17. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

निम्नलिखित एकल तुलन पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर परिसंपत्तियों (देयताओं) का विश्लेषण है :

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	5,589.64	6,147.49
आस्थगित कर देयताएं	53,593.51	56,424.11
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	48,003.88	50,276.62

विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
	1	2	3	4	(1+2+3+4)
निम्न से संबद्ध आस्थगित कर (देयताएं) / परिसंपत्तियां					
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान (प्राप्य)	—	—	—	—	—
अग्रेनीत हानियां – मूल्यहास	3,997.14	2,150.35	—	—	6,147.49
अग्रेनीत हानियां कारोबार हानि	—	—	—	—	—
अप्रयुक्त कर जमा	—	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,997.14	2,150.35	—	—	6,147.49
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / अमूर्त	51,082.53	903.12		3,966.61	56,078.26
विदेशी करें	—	—	—	—	—
वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर	(125.99)	—	471.87	—	345.88
कुल आस्थगित कर देयताएं	51,082.54	903.12	471.87	3,966.61	56,424.14

निवल आस्थगित कर देयताएं	47,085.40	(1,247.23)	471.87	3,966.61	50,276.65
-------------------------	-----------	------------	--------	----------	-----------

विवरण	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	अवधि के लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष
	1	2	3	4	(1+2+3+4)
निम्न से संबद्ध आस्थगित कर (देयताएं) / परिसंपत्तियां					
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान (प्राप्य)	—	—	—	—	—
अग्रेनीत हानियां – मूल्यहास	6,147.49	(557.85)	—	—	5,589.64
अग्रेनीत हानियां कारोबार हानि	—	—	—	—	—
अप्रयुक्त कर जमा	—	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	6,147.49	(557.85)	—	—	5,589.64
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / अमूर्त	56,078.26	(8,212.36)	—	4,049.13	51,915.03
विदेशी करें	—	—	—	—	—
विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर	345.88	—	1,332.64	—	1,678.48
कुल आस्थगित कर देयताएं	56,424.14	(8,212.36)	1,332.64	4,049.13	53,593.51
निवल आस्थगित कर देयताएं	50,276.65	(7,654.51)	1,332.64	4,049.13	48,003.88

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

18. व्यापार संदेय – मौजूदा

मद	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय	931.45	1,259.67
कुल	931.45	1,259.67

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	बिल नहीं बनाया गया	देय नहीं	देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों से बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	931.45	—	—	—	—	—	931.45
(iii) विवादित देय (एमएसएमई)	—	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय (अन्य)	—	—	—	—	—	—	—
कुल	931.45	—	—	—	—	—	931.45

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	बिल नहीं बनाया गया	देय नहीं	देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों से बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	1,259.67	—	—	—	—	—	1,259.67
(iii) विवादित देय (एमएसएमई)	—	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय (अन्य)	—	—	—	—	—	—	—
कुल	1,259.67	—	—	—	—	—	1,259.67

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

19. अन्य मौजूदा देयताएं

मद	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक भुगतानों के लिए देयता	269.07	80.30
कुल	269.07	80.30

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

20. अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क) निम्नलिखित से ब्याज आय :		
(i) अन्य (ईएनएच अग्रणीत ब्याज)	1,321.42	747.58
कुल	1,321.42	747.58

ओएनजीसी विदेश रोबुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

21. मूल्यहास, निःशेषण, परिशोधन और क्षरण

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास	1.08	1.43
कुल	1.08	1.43

22. वित्त पोषण लागत

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज व्यय		
— नियंत्रक कंपनी से ऋण (टिप्पणी 22.1 देखें)	7,669.69	3,137.78
घटाएं : अर्हकारी परिसंपत्तियों की लागत में पूंजीकृत राशि	7,669.69	3,137.78
वित्तीय प्रत्याभूति शुल्क का परिशोधन	2.69	2.52
कुल	7,672.38	3,140.30

22.1 अप्रत्याशित घटनाक्रम पर विचार करते हुए, अप्रैल, 2021 से उधार लागतों के पूंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है और वर्ष के दौरान व्ययित 7,669.69 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3,137.78 मिलियन रुपए) मूल्य की उधार लागत लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

23 अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
विनिमय दर परिवर्तन हानि (निवल)	(14.31)	(1.22)
स्टैंडबाय / रुकना / परिरक्षण / निपटान लागत (टिप्पणी 23.4 देखें)	1,875.10	3,436.77
निम्न मूल्य पट्टा किराया	4.07	4.36
अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए स्टांप शुल्क	2.50	—
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (टिप्पणी 23.3 देखें)	1.49	1.00
कारोबार विकास और अन्य प्रकीर्ण व्यय	235.99	1,240.49
कुल	2,104.84	4,681.40

23.1 कंपनी ने 1 जनवरी 2020 से नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड से संयुक्त प्रचालन, एरिया 1 मोजांबिक में प्रतिभागिता अधिकार अधिग्रहित किया है। कंपनी ने पहले ही कार्यालय स्थान, कर्मचारी, परियोजनाओं के ऑफ साइट पर्यवेक्षण और संबंधित सेवाओं जैसी सेवाओं के लिए नियंत्रक कंपनी के साथ एक साझा सेवा करार का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है।

23.2 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान समीक्षाधीन अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 22-23 के लिए कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

23.3 टिप्पणी 23 में सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल हैं :

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षा शुल्क	1.37	1.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.12	—
कुल	1.49	1.00

23.4 पिछले वर्ष अप्रैल, 2021 के दौरान, एरिया-1, मोजांबिक के ऑपरेटर ने सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर इस परियोजना में अप्रत्याशित घटनाक्रम (एफएम) की घोषणा संसूचित की। एफएम स्थिति के आलोक में रोक, स्टैंडबाय, निपटान और परिरक्षण लागतों की प्रकृति के विभिन्न व्यय किए गए थे। कंपनी ने आकलन किया है कि चूंकि 1,875.10 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3,436.77 मिलियन रुपए) की राशि की ये लागत सीधे ही अंतर्निहित परिसंपत्ति के समापन पर रोप्य नहीं हैं और इसलिए इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

24. अपवादात्मक (आय) / व्यय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क्षरण (टिप्पणी 24.1 देखें)	(25,488.41)	(2,477.00)
कुल	(25,488.41)	(2,477.00)

24.1 वर्ष के दौरान अभिज्ञात क्षरण

यह कंपनी मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के लिए भारत से बाहर तेल एवं गैस रकबों के तलाश में लगी है। कंपनी ने एरिया – 1 ऑफशोर, मोजांबिक में प्रतिभागिता अधिकार अधिग्रहित किया है। तदनुसार, परियोजना स्तर पर क्षरण परीक्षण निष्पादित किया गया है।

सीजीयू के उपयोग मूल्य का निर्धारण एक बहु चरणीय दृष्टिकोण के अंतर्गत किया गया है, जिसमें भावी नकद प्रवाहों को प्रारंभ में प्रमाणित और संभावित भंडार (2पी) भंडार के आधार पर किया गया है। उपयोग मूल्य का निर्धारण करने के लिए भावी विकास की प्रत्याशित लागत का पूर्ण आकलन पर भी विचार किया गया है।

उपयोग मूल्य का आकलन करने में, परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से और इसके उपयोगी जीवन काल/लाइसेंस अवधि के अंत में इसके निपटान से प्राक्कलित भावी नकद प्रवाहों को उनके वर्तमान मूल्य से मिति काटा किया गया है। नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण उन छूट दरों को लागू कर किया गया है जो पूंजी की जोखिम समायोजित देश विशिष्ट भारित औसत लागत का उपयोग कर किया गया है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्य वर्द्धित



उत्पादों की बिक्री से भावी नकद अंतर्प्रवाहों को अमेरिकी डॉलर में मापे गये नकद प्रवाहों पर लागू दर का अनुप्रयोग कर छूट प्राप्त भावी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्य वर्द्धित उत्पादों के प्रबंधन के आकलन का उपयोग कर परिकलन किया गया है।

कंपनी ने अपनी नकदी सृजक इकाइयों की वसूली का निर्धारण करने में वैश्विक अनिश्चितताओं के संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कंपनी ने भविष्य की आर्थिक स्थितियों की आंतरिक और वाह्य सूचना/संकेतकों के आधार पर भावी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों का आकलन करने के लिए मौजूदा व्यावसायिक स्थितियों पर विचार किया है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, संबंधित सीजीयू के लिए 2पी भंडार को क्षरण परीक्षण के लिए आधार के रूप में माना गया था: 200.708 एमएमटीओई (टिप्पणी 33 देखें)।

उपयोग मूल्य की गणना करने के लिए विचार किए गए पूंजी की कर पूर्व भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी) : 9.49 प्रतिशत (पिछले वर्ष 10.02 प्रतिशत)। इसलिए, वर्तमान वर्ष में निम्नतर डब्ल्यूएसीसी से सामान्यतः क्षरण का विपर्यय हुआ है।

24.2 नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश ने अपने मोज़ाम्बिक व्यवसाय को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (बीटीए) के माध्यम से चालू समुत्थान के आधार पर स्थानांतरित कर दिया, जिसमें उसके दस प्रतिशत (10%) प्रतिभागिता अधिकार (पीआई) और संयुक्त संचालन समझौते के तहत संबंधित अधिकारों और हितों को प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2020 को कंपनी को सौंपना शामिल था। कंपनी को मोज़ाम्बिक व्यवसाय का उक्त हस्तांतरण, एक समूह के भीतर कंपनियों के बीच व्यवसाय का हस्तांतरण होने के कारण, सामान्य नियंत्रण के तहत एक व्यवसाय संयोजन माना गया था क्योंकि कंपनी ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। तदनुसार, एरिया-1 मोज़ाम्बिक में नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश की 10 प्रतिशत पीआई से संबंधित संचित मूल्यह्रास और संचित हानि प्रावधान सहित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रभावी तिथि को उनकी संबंधित राशि पर कंपनी को हस्तांतरित कर दी गईं। परिणामस्वरूप, 19,833.07 मिलियन रूपए (246.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का हानि प्रावधान भी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्ष के दौरान, कंपनी ने परियोजना के उपयोग मूल्य को 31 मार्च, 2023 तक उसके वहन मूल्य से अधिक होने के मद्देनजर पूर्ण हानि प्रावधान के विपर्यय होने का अनुमान लगाया है। तदनुसार, कंपनी, ऐसे हानि मूल्यांकन के आधार पर, 25,488.41 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 2,477 मिलियन रूपए ) की राशि के हानि प्रावधान के उक्त विपर्यय को मान्यता दी गई है, जिसमें लाभ और हानि के विवरण में ऊपर उल्लिखित व्यवसाय हस्तांतरण के तहत नियंत्रक कंपनी द्वारा हस्तांतरित 19,833.

07 मिलियन रुपए की हानि प्रावधान भी शामिल है। इंड एस 36 के पैरा 122 और 119 के साथ पठित पैरा 123 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि हानि की भरपाई संबंधित परिसंपत्ति को संचित हानि प्रावधान की सीमा तक आवंटित की जाएगी। इंड एस प्रावधानों के अनुसार उक्त हानि प्रत्यावर्तन, अनुमानित और लेखांकन के परिणामस्वरूप, कंपनी के कर पूर्व लाभ में 25,488.41 मिलियन रुपए की गैर-नकद, गैर-प्रचालनात्मक वृद्धि हुई है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

25. कर व्यय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निम्न से संबंधित मौजूदा कर		
— मौजूदा अवधि	—	—
— पूर्व अवधि	—	—
	—	—
आस्थगित कर		
मौजूदा अवधि से संबंधित	(7,654.51)	1,247.23
कुल	(7,654.51)	1,247.23

25.1 अवधि की आय कर व्यय को निम्नवत लेखांकन लाभ से मिलान किया जा सकता है :

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लाभ	17,003.72	(4,841.02)
25.168 प्रतिशत पर संगणित आय कर व्यय (31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए : 34.944 प्रतिशत)	4,279.50	—
असाधारण (आय)/व्यय के प्रभाव को कर योग्य लाभ के विनिर्धारण में विचार किया गया है	(6,414.92)	—
अन्य	(5,519.08)	1,247.23
लाभ या हानि में अभिज्ञात आय कर व्यय	(7,654.51)	1,247.23

25.2 ऊपर मिलान में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रयुक्त कर दर भारतीय कर कानूनों के अंतर्गत कर योग्य लाभ पर भारत में कॉरपोरेट निकायों द्वारा संदेय 25.168 प्रतिशत का कॉरपोरेट कर दर है।

25.3 नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश ने अपने मोजाम्बिक व्यवसाय को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (बीटीए) के माध्यम से चालू समुत्थान के आधार पर स्थानांतरित कर दिया, जिसमें उसके दस प्रतिशत (10%) प्रतिभागिता अधिकार (पीआई) और संयुक्त संचालन समझौते ("जेओए") के तहत संबंधित अधिकारों और हितों को प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2020 को कंपनी को सौंपना शामिल था। कंपनी को मोजाम्बिक व्यवसाय का उक्त हस्तांतरण, एक समूह के भीतर कंपनियों के बीच व्यवसाय का हस्तांतरण होने के कारण, सामान्य नियंत्रण के तहत एक व्यवसाय संयोजन माना गया था क्योंकि कंपनी ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। तदनुसार, एरिया-1 मोजाम्बिक में नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश की 10 प्रतिशत पीआई से संबंधित संचित मूल्यह्रास और संचित हानि प्रावधान सहित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रभावी तिथि को उनकी संबंधित अग्रणीत राशि पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गयी थी। इसके अलावा, प्रभावी तिथि को नियंत्रक कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले उक्त व्यवसाय से संबंधित अन्य इक्विटी के हिस्सा के रूप में शामिल आरक्षित निधि कंपनी द्वारा उसी रूप में हासिल किया गया था, जिसमें नियंत्रक कंपनी द्वारा उन्हें उनके वित्तीय विवरणों में रखा जा रहा था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2023-24 (प्रासंगिक वित्तीय वर्ष 2022-23 से ) से आयकर की धारा 115बीएए के अनुसार मौजूदा कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में बदलाव का विकल्प चुनकर प्रभावी कर दर को 34.94 प्रतिशत से बदलकर 25.168 प्रतिशत कर दिया है। तदनुसार, कंपनी ने, इस तरह की संशोधित कर दर के आधार पर, वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में 7,654.51 मिलियन रुपए की आस्थगित कर देनदारियों और प्रभार का विपर्यय किया है।

25.4 कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्तियों को गैर अवशोषित मूल्यह्रास पर ही अभिज्ञात किया है और न कि आगे अग्रणीत हानियों पर।

25.5 विवरण

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन	—	—
विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को रूपांतरित करने में विनिमय अंतर	5,294.97	1,350.36
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात कुल आय कर	(1,332.64)	(471.87)

अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात आयकर का निम्नवत द्विभाजन :	—	—
वे मदें जो लाभ या हानि पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	—	—
वे मदें जो लाभ या हानि पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे	(1,332.64)	(471.87)

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

26. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य वर्ष के लिए लाभ (मिलियन रुपसे में)	24,658.23	(6,088.25)
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत (संख्या मिलियन में)	9,869.14	7,005.03
प्रति शेयर तनुकृत अर्जन के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या मिलियन में)	10,025.95	7,005.03
प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन (रुपए )'	2.50	(0.87)
प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत अर्जन (रुपए )	2.46	(0.87)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रुपए )	10.00	10.00

26.1 प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत अर्जन

कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रति शेयर तनुकृत अर्जन को उतना ही माना है जितना मूल अर्जन है, क्योंकि कंपनी के मामले में, संभावित इक्विटी शेयरों का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण से प्रति शेयर हानि में कमी आएगी।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

## 27. खंड रिपोर्टिंग

27.1. उत्पाद और सेवाएं जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपने राजस्व प्राप्त करते हैं

कंपनी ने विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभों, आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणालियों और वे आधार जिन पर उस खंड को संसाधन आवंटित करने के बारे में निर्णय करने के लिए और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रचालन परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा करती है, को ध्यान में रखते हुए, प्रचालन खंडों की पहचान की है और रिपोर्ट किया है। कंपनी ने निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को रिपोर्ट योग्य खंडों के रूप में पहचान की है :

क. मध्य पूर्व और अफ्रिका

### 27.2 खंड राजस्व और परिणाम

27.2.1 रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा सतत प्रचालनों से कंपनी के राजस्व और परिणामों का एक विश्लेषण नीचे दिया गया है :

विवरण	खंड राजस्व		खंड लाभ (हानि)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका	—	—	24,658.23	(6,088.25)
कुल	—	—	24,658.23	(6,088.25)

27.2.2. खंड राजस्व शून्य है, क्योंकि परियोजना विकास अधीन है।

27.2.3. रिपोर्ट योग्य खंडों की लेखांकन नीतियां टिप्पणी 3.28 में वर्णित कंपनी की लेखांकन नीतियों के समान है। खंड लाभ प्रत्येक खंड के कर पूर्व लाभ को निरूपित करते हैं जिसमें वित्तपोषण लागत और अन्य जैसे ब्याज / लाभांश आय शामिल नहीं होते हैं। यह संसाधन आवंटन और खंड निष्पादन के प्रयोजनों हेतु मुख्य प्रचालक निर्णयकर्ता को सूचित किया गया उपाय है।

### 27.3. खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
खंड परिसंपत्तियां		
मध्य पूर्व और अफ्रिका	334,367.57	278,508.90
कुल खंड परिसंपत्तियां	334,367.57	278,508.90
खंड देयताएं	—	—
मध्य पूर्व और अफ्रिका	243,364.63	224,486.93
कुल खंड देयताएं	243,364.63	224,486.93

27.3.1. सभी परिसंपत्तियों को रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित किया गया है।

27.3.2. सभी देयताओं को रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित किया गया है।

27.3.3 खंड राजस्व, परिणामों, परिसंपत्तियों तथा देयताओं में प्रत्येक खंड को संबंधित अभिनिर्धारणीय राशियां तथा तर्कसंगत आधार पर आवंटित राशि शामिल है।

### 27.4. अन्य खंड सूचनां

विवरण	बड़े खाते डाली गयी अन्वेषण लागत सहित मूल्यहास, निःशेषण और परिशोधन		अन्य गैर नकदी मर्दे – बड़े खाते और क्षरण	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका	28.89	243.90		
	28.89	243.90		



27.5 क्षरण हानि

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका	(25,488.41)	(2,477.00)
	(25,488.41)	(2,477.00)

27.6 गैर मौजूदा परिसंपत्तियों में वर्द्धन

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व अफ्रिका	55,446.26	20,047.29
	55,446.26	20,047.29

27.7. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना :

यह कंपनी भारत में अधिवासित है, हालांकि कंपनी भारत से बाहर तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण, विकास और उत्पादन करने के लिए तेल एवं गैस रकबों की तलाश और अधिग्रहण करती है।

वित्तीय विलेखों को छोड़कर कुल गैर मौजूदा परिसंपत्तियों और कर परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के स्थान के अनुसार अलग अलग नीचे दर्शाया गया है :

स्थान	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
भारत	—	—
अन्य देश	327,977.99	273,655.29
कुल	327,977.99	273,655.29

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

28. संबंधित पक्षकार प्रकटन

28.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंध का विवरण :

क. मूल नियंत्रक कंपनी

1. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

ख. नियंत्रक कंपनी

1. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

ग. सहयोगी कंपनी

मोज एलएनजी1 होल्लिडिंग कंपनी लिमिटेड

घ. सह अनुषंगी कंपनी

1. ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाबिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)

ड. मुख्य प्रबंधन कार्मिक

ड.1. कार्यात्मक निदेशक

1. श्री मधुकर मोहन, निदेशक (11.12.2020 – 17.08.2022)

2. श्री विनोद हलन (9.11.2021 से 20.04.2022 तक)

3. श्री श्याम सिंह, निदेशक (5.10.2021 से – अभी बने हुए हैं)
4. श्री ओमकार नाथ ज्ञानी, निदेशक(21.04.2023–अभी बने हुए हैं)
5. सुश्री निशा ढींगरा (27.06.2022 –अभी बने हुए हैं)
6. श्री रमिंदर सिंह साहनी, निदेशक (18.08.2022– अभी बने हुए हैं)

## ड.2 कंपनी सचिव

- 1 सुश्री ज्योति सिंह (27.06.2022 – 31.03.2023)
2. सुश्री निशा ढींगरा (01.04.2022 –27.06.2022 और 31.03.2023– अभी बने हुए हैं)

## 28.2 लेनदेन का विवरण :

### 28.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेनदेन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि
क. जिनसे सेवाएं प्राप्त की गयीं :			
क). ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ओवीएल शाखा समापन प्राप्तियां और परिसंपत्ति अंतरण	–	2.54
ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ब्याज व्यय	7,265.97	3,051.49
ख. ऋण लिया गया			
क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण लिया गया	–	–
ख)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	–	–
ग) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण को इक्विटी के प्रति अग्रिम में परिणत किया गया	–	6,691.68
ग. इक्विटी			
क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	इक्विटी जारी की गयी	21,142.05	18,024.80
ख)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	मान्य इक्विटी	8,381.55	21,819.84
घ. गैर नकदी लेनदेन (इंड एस)		–	–

उचित मूल्यांकन)			
क)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ब्याज व्यय	403.72	86.29
ख) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	मान्य इक्विटी – प्रत्याभूति प्रभारें	–	11.13
ग) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय प्रत्याभूति शुल्क का परिशोधन	2.69	2.52
ड. कारोबार की खरीद			
क)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	कारोबार खरीद	–	–
च. दी गयी सेवाएं :			
क) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजांबिक लि. (बीआरईएमएल)	शाखा व्यय	1.51	1.45

#### 28.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेष

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
क. ऋण :			
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण	180,730.00	166,650.00
ख. अन्य			
क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	मान्य इक्विटी – निधियन	4,530.18	17,694.11
ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	13,425.53	6,216.19
ग)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	मान्य इक्विटी – एफवी ब्याज रहित ऋण	1,947.16	1,543.74
घ) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	मान्य इक्विटी – एफवी गारंटी प्रभार	36.05	36.05
ड)ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय गारंटी संबंधी जीएसटी प्रभारें	0.76	0.39

च)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	व्यय की प्रतिपूर्ति	3.94	3.76
छ) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजांबिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)	शाखा व्यय	2.76	2.64

### 28.2.3 सहयोगी कंपनियों के साथ लेनदेन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
क. मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड से अंतरित	—	—
ख. मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	इक्विटी पूंजी में प्रत्यक्ष निवेश	964.79*	187.30*

\*लेन-देन की तिथि की स्थिति के अनुसार समतुल्य भारतीय रुपए में निरूपित राशि वित्त वर्ष 22-23 के लिए 964.79 मिलियन रुपए और वित्त वर्ष 21-22 के लिए 187.30 मिलियन रुपए है।

### 28.2.4 सहयोगी कंपनियों के साथ लेनदेन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
क. मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड से अंतरित	28.75	26.51
ख. मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	इक्विटी पूंजी में प्रत्यक्ष निवेश	2,778.19	1,632.74

### 28.3 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधियों के साथ लेनदेन का प्रकटन

इस अवधि के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधियों से कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

टिप्पणी : कारोबार अधिग्रहण के संबंध में लेनदेन की राशि को कार्यात्मक मुद्रा ("अमेरिकी डॉलर") में दर्ज किया गया है और परिणामी राशि को लेनदेन की तिथि के विनिमय दर का उपयोग करते हुए प्रस्तुति मुद्रा ("भारतीय रुपए ") में दर्ज किया गया है। तथापि, अंतिम परिसंपत्ति और देयता शेष

को वर्ष अंत की विनिमय दर का उपयोग करते हुए प्रस्तुति मुद्रा में पुनर्कथित किया गया है। इसलिए, कुछेक मामलों में, लेनदेन की राशि प्रस्तुति मुद्रा में बकाया शेष में नहीं जुड़ने की संभावना हो सकती है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

29. संयुक्त व्यवस्थाओं में अधिकारों का प्रकटन :

29.1 संयुक्त प्रचालन

कंपनी के संयुक्त प्रचालनों के विवरण इस प्रकार हैं :

परियोजना का नाम और प्रचालन का देश	कंपनी की प्रतिभागिता	अन्य संघ सदस्य पीआई	प्रचालक	परियोजना स्थिति
ब्लॉक एरिया 1, मोजांबिक, अपतट	10 प्रतिशत	टोटल – 26.5 प्रतिशत, मित्सुइ – 20 प्रतिशत, ईएनएच – 15 प्रतिशत, बीपीआरएल – 10 प्रतिशत, बीआरईएमएल – 10 प्रतिशत, पीटीटीईपी – 8.5 प्रतिशत	टोटल	यह परियोजना विकास अधीन है

प्रयुक्त संकेताक्षर :

टोटल – टोटल ई एंड पी मोजांबिक एरिया 1, लि., मित्सुइ – मित्सुइ एंड कं. लिमिटेड, ईएनएच – इन्ग्रेस नेचुरल डि हाइड्रोकार्बन; बीपीआरएल – भारत पेट्रो रिसोर्सज लिमिटेड, बीआरईएमएल – ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजांबिक लिमिटेड, पीटीटीईपी – पीटीटी पेसिफिक कंपनी लिमिटेड।

29.1.1 संयुक्त प्रचालन ब्लॉकों / परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है :

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

मद	मौजूदा	गैर-मौजूदा	मौजूदा	गैर	मौजूदा	कुल	जारी प्रचालनों	बंद प्रचालनों से	अन्य व्यापक	कुल	व्यापक
----	--------	------------	--------	-----	--------	-----	----------------	------------------	-------------	-----	--------

	परिसंपत्तियां	परिसंपत्तियां	देयता	देयता	राजस्व	से लाभ या हानि	लाभ या हानि	आय	आय
अनंकेक्षित									
ब्लॉक एरिया 1, मोजांबिक	3,572.45	327,942.72	931.45	—	—	24,906.92	—	—	24,906.92
सकल योग	3,572.45	327,942.72	931.45	—	—	24,906.92	—	—	24,906.92
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार									
विवरण	मौजूदा परिसंपत्तियां	गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	मौजूदा देयता	गैर मौजूदा देयता	कुल राजस्व	जारी प्रचालनों से लाभ या हानि	बंद प्रचालनों से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
अनंकेक्षित									
ब्लॉक एरिया 1, मोजांबिक	3,025.47	273,619.74	7,560.31	—	—	(454.66)	—	—	(454.66)
सकल योग	3,025.47	273,619.74	7,560.31	—	—	(454.66)	—	—	(454.66)



29.1.2 संयुक्त प्रचालन ब्लॉकों / परियोजनाओं से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय सूचना इस प्रकार है :

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	नकदी और नकदी समतुल्य	मौजूदा वित्तीय देयताएं	गैर-मौजूदा वित्तीय देयता	मूल्यहास, निःशेषणऔर परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज व्यय	आय व्यय ब्याज	कर या
अनंकेक्षित								
ब्लॉक एरिया – 1, मोजाबिक	–	931.45	–	–	1,321.42	–	–	–
सकल योग	–	931.45	–	–	1,321.42	–	–	–
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार								
विवरण	नकदी और नकदी समतुल्य	मौजूदा वित्तीय देयताएं	गैर-मौजूदा वित्तीय देयता	मूल्यहास, निःशेषण और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज व्यय	आय व्यय ब्याज	कर या
अनंकेक्षित								
ब्लॉक एरिया 1, मोजाबिक	–	1,259.67	–	247.38	–	–	–	–
सकल योग	–	1,259.67	–	247.38	–	–	–	–

29.1.3 ऑपरेटर से प्राप्त अनंकेक्षित संयुक्त अधिकार बिलिंग विवरण, जिनके अंतर्निहित दस्तावेज ऑपरेटर पर उपलब्ध, के आधार पर संयुक्त प्रचालनों से हुई आय और व्यय के साथ परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी के हिस्से को कंपनी के वित्तीय विवरणों में समरूप मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर विलयित किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

30. वित्तीय विवरण

30.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य निम्नलिखित होता है :

- कंपनी की चालू समुत्थान क्षमता को संरक्षित रखना ताकि कंपनी हितधारकों को प्रतिआय प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुँचा सकना; और
- कंपनी ऋण और इक्विटी संतुलन की एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना।

कंपनी एक सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित रखते हुए शेयरधारकों हेतु मूल्य संवृद्धि के लक्ष्य में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी वित्तीय संरचना बनाए रखे। पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांशों की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापसी कर सकती है, नये शेयर जारी कर सकती है या कर्ज कम करने के लिए परिसंपत्तियों को बेच सकती है।

कंपनी की पूंजी संरचना में कंपनी का निवल कर्ज (नकदी और बैंक शेष द्वारा टिप्पणी 15 में यथा वर्णित उधारों का प्रतिसंतुलन) और कंपनी की कुल इक्विटी शामिल है।

30.1.1 पूंजी जुटाने का अनुपात

प्रतिवेदन अवधि के अंत में पूंजी जुटाने का अनुपात इस प्रकार था :-

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्ज (टिप्पणी 15 देखें)	180,730.00	166,650.00
नकद और नकद समतुल्य (टिप्पणी 11 देखें)	4.69	2.87
निवल कर्ज	180,725.31	166,647.13

कुल इक्विटी (टिप्पणी 13 और 14 देखें)	91,002.95	54,021.97
निवल कर्ज और कुल इक्विटी अनुपात	1.99	3.08

### 30.2 वित्तीय विलेखों की श्रेणियों

#### वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए	शून्य	शून्य
परिशोधित लागत पर मापे गए	—	—
(क) नकदी और नकद समतुल्य	4.69	2.87
(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,128.69	2,637.40

#### वित्तीय देयताएं

मद	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए	शून्य	शून्य
परिशोधित लागत पर मापे गए	—	—
(क) उधार	180,730.00	166,650.00
(ख) व्यापार संदेय	931.45	1,259.67
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	13,430.23	6,220.34

### 30.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

कंपनी की प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करते हुए, कंपनी का प्रबंधन जोखिम अनावरण का स्तर और परिमाण का विश्लेषण कर कंपनी के प्रचालनों से संबंधित मुख्य वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन भी करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और नकदी जोखिम शामिल हैं।

### 30.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम संभावित बाजार मूल्य परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाला जोखिम या अनिश्चितता और व्यापार के भावी प्रदर्शन पर उनका प्रभाव है। बाजार जोखिम के प्रमुख घटक वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम शामिल हैं।

कंपनी की मोजाबिक परियोजना अभी विकास चरण में है, इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय खनिज तेल मूल्यों से कोई जोखिम अनावरण नहीं है। खनिज तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन कंपनी के भावी नकदी प्रवाहों के मूल्य को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में व्यापक तथा लंबे समय तक कमी का कंपनी के सूचित परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

### 30.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। कंपनी विभिन्न विदेशी मुद्राओं में लेनदेन करती है और इसके परिणामस्वरूप विदेशी प्रचालनों के कारण मुद्रा दर उतार-चढ़ाव से अनावृत है।

### 30.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम से अनावृत है क्योंकि कंपनी नियंत्रक कंपनी से परिवर्तनीय ब्याज दर पर निधि उधार लेती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर ब्याज दरों से कंपनी के अनावरण इस टिप्पणी के नकदी जोखिम प्रबंधन खंड में विस्तार से वर्णित किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

### 30.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम नकदी और नकदी समतुल्यों, निवेशों और बैंक जमाओं और साथ ही साथ ग्राहकों से उत्पन्न होता है, जिसमें प्राप्य भी शामिल है। वर्तमान में कंपनी की मौजाबिक परियोजना विकास चरण में है और इसलिए ग्राहकों से प्राप्य से कोई ऋण जोखिम नहीं है।

बैंक शेष प्रतिष्ठित और विश्वसनीय बैंकिंग संस्थाओं में जमा हैं।

### 30.8 नकदी जोखिम प्रबंधन

मौजाबिक ब्लॉक से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत तक कंपनी के नकदी सरोकार नियंत्रक कंपनी द्वारा कवर किया जा रहा है।

निम्नलिखित सारणी सहमत पुनर्भुगतान अवधि में कंपनी की गैर – व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वता को रेखांकित करती है। सारणी में शामिल सूचना को कंपनी द्वारा अपेक्षित भुगतान हेतु सबसे पहली तिथि पर आधारित वित्तीय देयताओं के गैर आयजन्य नकदी प्रवाहों के आधार पर तैयार किया गया है। इस सारणी में ब्याज तथा मूलधन दोनों नकदी प्रवाह शामिल हैं। संविदात्मक परिपक्वता उस सबसे पहली तिथि पर आधारित है जिसमें कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान अपेक्षित है।

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	अग्रणीत राशि
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार							

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	अग्रणीत राशि
परिशोधित लागत पर मापे गए							
बैंक से अल्पावधिक ऋण		—	—	—	—	—	—
वित्त पट्टा दायित्व	—	—	—	—	—	—	—
व्यापार संदेय	—	931.45	—	—	—	931.45	931.45
गैर रिक्त आस्थगित ऋण (निवल)	—	—	—	—	—	—	—
ऑपरेटरों को संदेय	—	—	—	—	—	—	—
उत्पादन साझीदारी करार के विस्तार के लिए देय बोनस	—	—	—	—	—	—	—
नियंत्रि कंपनी को संदेय	चल दर	—	3.94	82,150.00	98,580.00	180,733.94	180,733.94
ओएनजीसी को संदेय	0.00 प्रतिशत	—	0.76	—	—	0.76	0.76
अनुषंगी कंपनियों को संदेय	—	—	—	—	—	—	—
आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं का जमा	—	—	—	—	—	—	—
प्रोद्भूत ब्याज	—	13,425.98	—	—	—	13,425.98	13,425.98
अन्य (अन्य वित्तीय देयताएं)	—	—	—	—	—	—	—
कुल	—	14,356.98	4.70	82,150.00	98,580.00	195,091.65	195,091.68

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	अग्रणीत राशि
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार परिशोधित लागत पर मापे गए							
बैंक से अल्पावधिक ऋण		—	—	—	—	—	—
वित्त पट्टा दायित्व	—	—	—	—	—	—	—
व्यापार संदेय	—	1,259.67	—	—	—	1,259.67	1,259.67
गैर रिक्त आस्थगित ऋण (निवल)	—	—	—	—	—	—	—
ऑपरेटरों को संदेय	—	—	—	—	—	—	—
उत्पादन साझीदारी करार के विस्तार के लिए देय बोनस	—	—	—	—	—	—	—
नियंत्रि कंपनी को देय	चल दर	—	3.76	75,750.00	90,900.00	166,653.76	166,653.76
ओएनजीसी को संदेय	—	—	0.39	—	—	0.39	0.39
अनुषंगी कंपनी को संदेय							
आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं का जमा	—	—	—	—	—	—	—
प्रोद्भूत ब्याज	—	6,216.19	—	—	—	6,216.19	6,216.19
अन्य (अन्य वित्तीय देयताएं)	—	—	—	—	—	—	—
कुल	—	6,216.19	—	—	—	174,130.01	174,130.01

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

### 30.9 उचित मूल्य मापन

यह टिप्पणी इस संबंध सूचना प्रदान करता है कि कंपनी किस प्रकार से विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारण करती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों के वे उचित मूल्य जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाता है

कंपनीके ऐसे कोई वित्तीय विलेख नहीं हैं जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापने की आवश्यकता है। इसलिए और कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य जो उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है (परंतु उचित मूल्य प्रकटन आवश्यक होता है)

प्रबंधन मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की अग्रणीत राशियां वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात की गयी हैं उनके उचित मूल्यों का लगभग माप करता है।

### 31. आकस्मिक देयताएं

31.1 माध्यस्थम / न्यायालय / अन्य में संविदाकारों के दावे : शून्यरुपए ।

### 31.2 प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
(क) पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	4,647.51	3,542.10
(ख) प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम	—	—
कुल	4,647.51	3,542.10



सुरक्षा परिस्थितियों में सुधार के आधार पर, एरिया-1 परियोजना वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में संभावित पुनः शुरुआत के लिए तैयारी कर रही है। पुनः शुरुआत की तैयारी में, यह परियोजना वर्तमान में परियोजना की संशोधित लागत और समय अनुसूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह बिक्री वर्ष 2027 से शुरू होने की आशा है।

### 31.3 प्रत्याभूतियां

कंपनी अपने सह-रियायतग्राहियों के साथ संयुक्त रूप से और अलग अलग मोज एलएनजी 1 मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (विक्रेता एसपीई) की ओर से एलएनजी की प्रत्याशित बिक्री के संबंध में निष्पादन गारंटी प्रदान किया है। ये बिक्री वर्ष 2027 से प्रारंभ होने की अपेक्षा है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रूपए में)

32. अतिरिक्त विनियामकीय प्रकटन

32.1 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का काल प्रभावन

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	2,966.49	10,316.14	23,216.16	29,895.65	—	66,394.44

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	9,512.45	21,407.47	10,179.01	17,387.58	—	58,486.51

32.2 प्रगतिधीन अन्वेषणात्मक कूपों का काल प्रभावन

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	147.47	—	147.47

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—	—

32.3 अधिग्रहण लागत का काल प्रभावन (विकास अधीन अमूर्त आस्ति)

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	341.91	17,964.07	—	18,305.98

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	365.66	333.68	16,597.74	—	17,298.08

32.4 अधिग्रहण लागत का काल प्रभावन (विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां)

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	714.01	4,380.14	215,082.92	0.00	220,183.06

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	4,697.28	4,110.17	194,221.97	24,023.00	179,006.42

\*ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड 15 अप्रैल 2019 को अधिनिगमित किया गया था। ऊपर उल्लिखित निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य, निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप और अमूर्त परिसंपत्तियां मोजांबिक बिजनेस से संबंधित है जिसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ("नियंत्रक कंपनी") से व्यापार अंतरण करार (बीटीए) के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसकी लेनदेन तिथि 1 जनवरी, 2020 है। इसलिए ऊपर उल्लिखित मदों का काल प्रभावन कारोबार प्रचालनों के हस्तांतरण के पूर्व नियंत्रक कंपनी द्वारा मूल रूप से अभिलेखित पूंजीकरण तिथि के आधार पर प्रकटन किया गया है।

32.5 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

प्रयोज्य नहीं।

32.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन

प्रयोज्य नहीं।

32.7 अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

प्रयोज्य नहीं।

32.8 धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

प्रयोज्य नहीं।

32.9 मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रति प्रतिभूत उधार

प्रयोज्य नहीं।

32.10 जान बूझकर चूककर्ता

प्रयोज्य नहीं।

32.11 बंद कंपनियों के साथ संबंध :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद कंपनियों के साथ कंपनी का दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (पूर्व अवधि – शून्य) कोई बकाया शेष नहीं है।

32.12 कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी ) के साथ प्रभारों का पंजीकरण या संतुष्टि

प्रयोज्य नहीं

32.13 कंपनियों के कई स्तरों के साथ अनुपालन :

प्रयोज्य नहीं

32.14 व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (ओं) का अनुपालन

प्रयोज्य नहीं

32.15 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

चूँकि कंपनी का संपूर्ण प्रचालन भारत से बाहर है, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर प्रयोजनों के लिए पात्र निवल लाभ वित्त वर्ष 22 के लिए शून्य है।

32.16 प्राप्त अनुदान या दान

प्रयोज्य नहीं

32.17 प्रकटन नहीं की गयी आय

कंपनी ने कोई अतिरिक्त लेन देन दर्ज नहीं किया है, जिसे वित्त वर्ष 22 या वित्त वर्ष 23 के दौरान आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया है।

32.18 उधार ली गयी निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग

सभी उधारों का कंपनी द्वारा अभीष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है, इसलिए प्रयोज्य नहीं है।

32.19 उधार राशियों के उपयोग में विसंगति

प्रयोज्य नहीं

32.20 अचल संपत्तियों के विवरण जिसके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

प्रयोज्य नहीं

32.21 क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा का विवरण

प्रयोज्य नहीं

32.22 प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों को संस्वीकृत ऋणों की प्रकृति के ऋण या अग्रिम (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा परिभाषित),

प्रयोज्य नहीं

32.23 अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	वि.व. 23	वि.व. 22	परिवर्तन	स्पष्टीकरण	सूत्र
1	वर्तमान अनुपात	0.24	0.42	-41.60 %	अनुपातों में 25 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन विकास अधिनियम परियोजना के आलोक में है।	वर्तमान परिसंपत्तियां / वर्तमान देनदारियां
2	कर्ज - इक्विटी अनुपात	1.99	3.09	-35.65 %		कुल कर्ज / शेयरधारक की इक्विटी
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	(0.11)	(1.35)	-92.16 %		कर्ज सेवा के लिए उपलब्ध आय / कर्जसेवा कर्ज सेवा के लिए आय करोपरांत निवल लाभ + गैर नकदी प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल परिसंपत्तियों इत्यादि की बिक्री पर हानि कर्ज सेवा = ब्याज और पद्म भुगतान + मूल धन पुनर्भुगतान
4	इक्विटी अनुपात पर आय	0.27	(0.11)	-338.05 %		करोपरांत निवल लाभ - अधिमानी लाभांश (यदि कोई हो) / औसत शेयरधारक की इक्विटी
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	-	-	-		बेची गए माल की लागत या बिक्री / औसत इन्वेंटरी (प्रारंभिक + अंतिम शेष / 2)
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	-	-	-		निवल साख बिक्री / औसत लेखा प्राप्य (प्रारंभिक + अंतिम शेष / 2)
7	व्यापार संदेय टर्नओवर अनुपात	-	-	-		निवल साख खरीद / औसत व्यापार प्राप्य (प्रारंभिक + अंतिम शेष / 2)
8	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	-	-	-		निवल बिक्री / कार्यशील पूंजी
9	निवल लाभ अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	-		निवल लाभ / निवल बिक्री

10	नियोजित पूंजी से आय	0.077	(0.006)	-1288.81%		ब्याज और कर पूर्व आय / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य+कूल कर्ज +आस्थगित कर देयता
11	निवेश से आय	लागू नहीं	लागू नहीं			{ एमवी (टी1) – एमवी (टी0) – योग[सी(टी)] } / एमवी (टी0)– योग [डब्ल्यू(टी) + सी(टी)] } टी1=समय अवधि का अंत टी0=समय अवधि की शुरुआत टी – टी1 औ टी0 के बीच पड़ने वाली विशिष्ट तिथि एमवी (टी1) =टी1 पर अंकित मूल्य एमवी (टी0)=टी0 पर अंकित मूल्य

### 33.तेल और गैस उत्पादन गतिविधियों के लिए लेखांकन (इंड एएस) संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी के अंतर्गत प्रकटन

33.1 प्रमाणित भंडारों में कंपनी का हिस्सा (संयुक्त प्रचालन, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में हिस्सों सहित), इस प्रकार है :

परियोजना	विवरण	कच्चा तेल (एमएमटी)		गैस (बिलियन घन मीटर)		कुल तेल समतुल्य (एमएमटीओई) <sup>2</sup>	
		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
एरिया – 1, मोजांबिक	प्रारंभिक	–	–	43.891	43.891	–	43.891
	परिवर्द्धन	–	–	–	–	–	–
	कटौती / समायोजन	–	–	–	–	–	–
	परिवर्तन	–	–	–	–	–	–



	उत्पादन	—	—	—	—	—	—
	अंतिम	—	—	43.891	43.891	—	43.891
कुल भंडार	प्रारंभिक	—	—	43.891	43.891	—	43.891
	परिवर्द्धन	—	—	—	—	—	—
	कटौती / समायोजन	—	—	—	—	—	—
	परिवर्तन	—	—	—	—	—	—
	उत्पादन	—	—	—	—	—	—
	अंतिम	—	—	43.891	43.891	—	43.891

33.2 प्रमाणित विकसित भंडारों में कंपनी का हिस्सा (संयुक्त प्रचालन, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में हिस्सों सहित), इस प्रकार है :

कंपनी के पास एरिया – 1, मोजाबिक में आज की तिथि तक कोई विकसित भंडार नहीं हैं।

<sup>1</sup> कच्चे तेल में कंडेसेंट शामिल है।

<sup>2</sup> एमएमटीओई का तात्पर्य है "मिलियन मिट्रिक टन तेल समतुल्य" है और तेल समतुल्य गैस की संगणना करने के लिए, 1000 घन मीटर को 1 एमटी कच्चा तेल माना जाता है।

परियोजना की स्थिति के लिए टिप्पणी 29 देखें।

34 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

ये वित्तीय विवरण 10 मई, 2023 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता.

(निशा ढींगरा)

कंपनी सचिव

हस्ता.

(श्याम सिंह)

सीएफओ एवंनिदेशक

हस्ता.

(रमिंदर सिंह साहनी)

निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 10 मई2023

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार (स. सं. 017199)

यूडीआईएन : 23017199बीजीवायवायआईआर3533



(सभी राशियां मिलियन रुपए में, जब तक अन्यथा कथित न हो)

खंड ख : संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यम

संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

क्र. सं.	सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम के नाम	नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र तिथि	तिथि जब संबद्ध कंपनी या संयुक्त उद्यम से संबद्ध हुए थे या अधिग्रहण किया गया था	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के श्रेयर			विवरण, कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	संबद्ध कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने के कारण	नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार श्रेयर धारिता का निवल मूल्य	वर्ष का लाभ या हानि	
				संख्या	संबद्ध कंपनी / संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	धारिता की सीमा (प्रतिशत में)				प. समेकन में विचारित	प.यदि समेकन में विचारन नहीं किया गया
1	मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	31 दिसंबर 20	8 मई 2022	1 अमेरिकी डॉलर प्रत्येक के 3,41,68,460शेयर	2806.94	10 प्रतिशत	धारित शेयरों के अनुसार	प्रयोज्य नहीं	2,564.62	(211.46)	0

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता.  
(श्याम सिंह)  
निदेशक

हस्ता.  
(रमिंदर सिंह साहनी)  
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार  
जैन चोपड़ा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

(अशोक चोपड़ा)  
भागीदार (स. सं. 017199)

सं. डीजीए (ई)/आरईपी/01-51/ओवीआरएल/सीपीएस/2022-23/953118

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)  
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
Office of the Director General of Audit (Energy)  
New Delhi

दिनांक : 20/07/2023

सेवा में,  
निदेशक,  
ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड  
नई दिल्ली

विषय : 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(ख) एवं धारा 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,  
हस्ताक्षर

संलग्नक : यथोपरि।

(संजय कुमार झा)  
महानिदेशक

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के समेकित वित्तीय लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के समेकित वित्तीय लेखाओं को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के लिए ही उत्तरदायी हैं। 19 जुलाई 2023 की उनकी संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जो 13 मई की उनकी पूर्व की रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है, के तहत यह कहा गया है कि उनके द्वारा यह कार्य कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है। हमने ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(क) मोज एलएनजी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पर प्रयोज्य नहीं है क्योंकि यह विदेश में अधिनिगमित कंपनी है और सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और अनुपूरक लेखापरीक्षा उनके यहां लागू कानूनों के तहत आयोजित की जाती है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कंपनी के लिए न तो सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है और न ही कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेजों को उपयोग में लिए बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जानकारियों तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा की गयी कुछ टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन के आलोक में, इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर मेरी और कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

के निमित्त और उनकी ओर से  
हस्ता.

(संजय कुमार झा)

लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 जुलाई, 2023

जैन चोपड़ा एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

8, चन्द्रा हाउस, प्रथम तल, डॉ. लेन, गोल मार्केट, नई दिल्ली – 110001

1960, प्रथम तल, औट्राम लाइन, दिल्ली 110009

दूरभाष : 011-2334 0155, 2334 2776 मो. : 9810247478

ई-मेल : [jainchopra.company@gmail.com](mailto:jainchopra.company@gmail.com)

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में,

सदस्यगण, ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी संशोधित रिपोर्ट

यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट हमारी पूर्व की दिनांक 13 मई 2023 को जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अधिक्रमण में जारी की जा रही है। यह संशोधित रिपोर्ट सी एंड एजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के दौरान दी गयी टिप्पणी के अनुसार एसए 706 (संशोधित) के अंतर्गत सुझाए गए अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले की रिपोर्टिंग के संबंध में रिपोर्ट की जाने वाली अतिरिक्त सूचना और सीएआरओ, 2020 के खंड 3(ix)(क) और 3(xvii) में अतिरिक्त सूचना के आलोक में जारी की जा रही है। आगे हम पुष्टि करते हैं कि पूर्व में व्यक्त राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और साथ ही 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित किसी आंकड़े में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राय

हमने "ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड" ("कंपनी") और इसकी सहयोगी कंपनी (कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है) के संलग्न समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इसके तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण और नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश शामिल है। कंपनी का उक्त वित्तीय विवरण संयुक्त हित बिलिंग (जेआईबी) के माध्यम से ऑपरेटर द्वारा भेजे गए व्यय विवरणों के आधार पर लेखाओं का संकलन है। हमने अंतर्निहित दस्तावेजों और उससे संबंधित वाउचरों की लेखा परीक्षा नहीं की है। हमने प्रबंधन द्वारा यथा अभिनिर्धारित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटनों पर भरोसा किया है।



हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार प्रदान करते हैं जिस प्रकार यह अपेक्षित है तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, (इंड एस) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार समूह के कार्यों (वित्तीय स्थिति) तथा उस तिथि को समाप्त अवधि में इसकी हानि जिसमें अन्य व्यापक हानि शामिल हैं, वर्ष के दौरान इक्विटी परिवर्तनों और इसके नकद प्रवाह से संबंधित सच्चे और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

#### राय का आधार

हमने समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा का आयोजन अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी में और वर्णन किया गया है। हम भारतीय लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता, कंपनी अधिनियम 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं और समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा विचारों को उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

#### मामले पर जोर

1. कंपनी ने वर्ष के दौरान 25,488.41 मिलियन रुपए की राशि की क्षरण हानि के विपर्यय का आकलन किया है, जिसमें व्यापार संयोजन के अंतर्गत व्यापार हस्तांतरण के पूर्व नियंत्रक कंपनी की बहियों में अभिज्ञात 19,833.07 मिलियन रुपए की क्षरण हानि शामिल है। इस प्रकार कंपनी को बिना किसी संगत प्रोद्भवन के वर्ष के लाभ में उपर्युक्त राशि की वृद्धि हो गयी (टिप्पणी संख्या 24.2 देखें)
2. कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2023-24 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुसार मौजूदा कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में अंतरित होने का विकल्प चुना है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावी कर दर 34.944 प्रतिशत से 25.168 प्रतिशत हो गया है और तदनुसार बिना किसी संगत प्रोद्भवन के वर्ष के लाभ और हानि विवरण में 7654.51 मिलियन रुपए की राशि की आस्थगित कर देयता (निवल) का विपर्यय प्राप्त हुआ है। (टिप्पणी संख्या 25.3 देखें)

3. 3128.69 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2637.40 मिलियन रुपए) की अन्य वर्तमान आस्तियों में ऑपरेटर से देय के रूप में दर्शाए गए 349.39 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 600.29 मिलियन रुपए) शामिल है और इसे अप्रत्याभूत और अच्छा माना गया है। इसकी पुष्टि नहीं की गयी है। (टिप्पणी संख्या 12 देखें)
4. नियंत्रक कंपनी के साथ प्रशासनिक व्यय साझा करने के लिए नियंत्रक कंपनी, इस कंपनी के निगमन के बाद से अभी भी आधार निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में कोई भी व्यय प्रभारित (बुक) नहीं किया गया है क्योंकि इसे प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण न माना गया है। (टिप्पणी सं. 23.1 देखें)

उपर्युक्त मामले में हमारी राय उपांतरित नहीं की जाती है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को समग्र रूप से, और उस पर हमारी राय बनाने में इस समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किए गए थे, और हम इन मामलों पर कोई पृथक राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने हेतु नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखा परीक्षा मामला अभिनिर्धारित किया है :

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
अचल आस्ति अभिलेख : ऑपरेटर द्वारा अधिग्रहित और उपयोग में लायी गयी अचल आस्तियों को निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य में शामिल किया जा रहा है और अग्रणित किया जा रहा है। सृजित की गयी और निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की गयी परिसंपत्तियों / सुविधाओं का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। (टिप्पणी संख्या 6 देखें)	प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि एक बार जब उत्पादन शुरू हो जाएगा सभी परिसंपत्तियों अर्थात् प्रचालक में निहित सभी उत्पादन परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों की इन्वेंटरी बनाया जाएगा और प्रासंगिक इंड एस की अपेक्षाओं के अनुसार उसे लेखा बही में दर्ज किया जाएगा। निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य की संरचना के संबंध में किसी सूचना के अभाव में हम उसकी संरचना पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा किसी विस्तृत सूचना के अभाव में हम उसमें शामिल वस्तुओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जो हो सकता है कि पूंजीकरण के लिए अर्हक न हो।
सर्वेक्षण लागत कंपनी लाभ और हानि विवरण में 27.81 मिलियन रुपये की सर्वेक्षण लागत को लेखांकित किया है।	लेखा में शामिल सर्वेक्षण लागत की राशि प्रचालक द्वारा प्रदत्त विवरण पर आधारित है, जो अनंकेक्षित है। हमने

	ऑपरेटर द्वारा यथा प्रस्तुत और प्रबंधन द्वारा अनुमोदित ऐसी सूचना पर भरोसा किया है।
अप्रत्याशित घटनाक्रम : कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में ब्याज सहित 9544.79 मिलियन रुपये की राशि लेखांकित की है। (टिप्पणी 22 एवं 23 देखें)	अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण लेखांकित राशि प्रबंधन द्वारा विश्लेषित और प्रदत्त सूचना पर आधारित है। हमने प्रबंधन द्वारा यथा प्रदत्त ऐसी सूचना पर भरोसा किया है।

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और उनका दायित्व जो इसके अभिशासन के लिए भारित हैं

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो इन समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी प्रस्तुति से संबंधित है जिनमें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, समय समय पर यथा संशोधित, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन लाभ और नकद प्रवाह के संबंध में समूह की एक वास्तविक और निष्पक्ष स्थिति दर्शायी गई है।

इन उत्तरदायित्वों में समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उन्हें रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; वे निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण हों; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, कार्यान्वित व उनका रखरखाव करना जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, वे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी प्रस्तुति से प्रासंगिक है जो एक वास्तविक व उचित स्थिति को दर्शाते हैं तथा वास्तविक मिथ्या बयानी से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो, भी शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन संबंधित कंपनियों की चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का यथा प्रयोज्य प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन संबंधित कंपनी को परिसमाप्त

करने या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं हो।

कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा लक्ष्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण, समग्र रूप से तथ्यात्मक मिथ्या बयानी, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, से मुक्त है, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानक के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा हमेशा तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का, जब यह मौजूद हो, पता लगा लेगा। मिथ्या बयानी धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है या त्रुटिवश हो सकती है और इसे तथ्यात्मक माना जाता है यदि अलग अलग या समुदित रूप से, इससे प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करना और निष्पादित करना और हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटिवश हुई मिथ्या बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन लोप, मिथ्या प्रस्तुति, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ हासिल करना ताकि प्रदत्त परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के

अंतर्गत, हम इस विषय पर भी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और ऐसे नियंत्रण कार्यसाधक रूप से परिचालन में हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की युक्तियुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबद्ध प्रकटन का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के चालू समुत्थान आधार लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता है जो इस समूह की चालू समुत्थान के रूप जारी रखने की समूह की क्षमता पर अर्थपूर्ण आशंका प्रकट करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां समूह को चालू समुत्थान के रूप में अस्तित्व को समाप्त कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु, जिनमें प्रकटन भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और यह मूल्यांकन करना कि क्या ये समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन – देन और घटनाक्रमों को उस तरीके से निरूपित करते हैं जिससे उचित प्रस्तुति हासिल होता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंदर शामिल कंपनियों की वित्तीय सूचना के संबंध में उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गयी ऐसी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक नहीं हैं।

तात्त्विकता समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में मिथ्या बयानी का वह परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या समुदित रूप से, यह संभाव्य बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित रूप से जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम (i) हमारी लेखा परीक्षा के दायरे की आयोजना और हमारे कार्य के निष्कर्षों के मूल्यांकन; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी अभिज्ञात मिथ्या बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, परिमाणात्मक तात्त्विकता और गुणात्मक तात्त्विकता पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषय – वस्तुओं में, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और इसका समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिसमें हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में हमारे द्वारा चिन्हित आंतरिक नियंत्रण में अर्थपूर्ण विचलन भी शामिल हैं, के संबंध में उनको संसूचित करते हैं जो इनके अभिशासन के लिए भारित हैं।

हम उनको, जो अभिशासन के लिए भारित हैं, को यह भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने निरपेक्षता के सापेक्ष प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी रिशतों और अन्य मामलों और और जहाँ प्रयोज्य है, संबंधित सुरक्षापायों के बारे में भी संसूचित करते हैं जिनके संबंध में हमारी निरपेक्षता को प्रभावित कर सकने की क्षमता, के संबंध में तर्कसंगत रूप से सोचा जा सकता है।

उन मामलों में से, जिन मामलों में अभिशासन से भारित को संसूचित किया गया है, हम उन मामलों को चुनते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे मुख्य लेखा परीक्षा मामले थे। हम इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कानून और विनियम ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को प्रतिबन्धित नहीं करता है या जब, हम अत्यंत ही दुर्लभ परिस्थितियों में, निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के ऐसे प्रतिकूल परिणाम होंगे जिनके ऐसी सूचना के जनहित हितलाभों पर भारी पड़ने की अपेक्षा है।

अन्य मामले

क) हमने कूपों के अन्वेषणात्मक, विकासात्मक के रूप में वर्गीकरण, उन पर व्ययित लागत के आवंटन, तेल और गैस परिसंपत्तियों के प्रमाणित (अविकसित)/संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों, क्षरण, डिकमिशनिंग लागतों की देयता, प्रगतिधीन परियोजनाओं के समापन हेतु मूल्यांकन और समय-सीमा के संबंध में प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किए गए तकनीकी/वाणिज्यिक आकलनों, पर भरोसा किया है। तथापि, इस प्रकार से मूल्यांकित आकलनों को किसी तकनीकी वाह्य एजेंसी सत्यापित नहीं किया गया है।

ख) हमने सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी। सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण जो अनकेंक्षित हैं, हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 242.32 मिलियन रुपये की राशि के कंपनी के 10 प्रतिशत हिस्से शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इसका संबंध शामिल किए गए सहयोगी कंपनी की राशियों और प्रकटन से है, और इस अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अनुसार, जहाँ तक इसका संबंध शामिल किए गए सहयोगी कंपनी से है, एकमात्र प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित है।

इन मामलों में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय उपांतरित नहीं की जाती है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के संबंध में हम 'अनुलग्नक क' में सूचना देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा अनुसार, हम सूचित करते हैं कि :
  - (क) हमने सभी सूचनाएं व व्याख्याएं मांगी व प्राप्त कर ली हैं, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
  - (ख) हमारे राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जहां तक हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से ज्ञात होता है।
  - (ग) इस रिपोर्ट द्वारा लिए गए समेकित तुलन पत्र तथा लाभ – हानि विवरण, (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल हैं) और नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी परिवर्तन विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं।
  - (घ) हमारी राय में, उक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
  - (ङ) 31 मार्च 2023 को निदेशकों की ओर से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया है, कि कोई भी निदेशक 31 मार्च 2023 को अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है।
  - (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस प्रकार के नियंत्रण की प्रचालन प्रभावता के संदर्भ में 'अनुलग्नक ख' में संदर्भित हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें।
  - (छ) यथा संशोधित इस अधिनियम की धारा 197 (16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस अवधि के दौरान इसके निदेशकों को कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संलग्न अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

- i) कंपनी का कोई लंबित मुकदमा नहीं है;
- ii) हमें दी गयी सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी की व्युत्पन्न संविदाएं सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं;
- iii) ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षण और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

iv) (क) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है कि, इसके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 32.18 में यथा प्रकटित के अलावा, कंपनी द्वारा कोई भी निधि इस समझौते/समझ, लिखित में अभिलेखित या अन्यथा, कि मध्यवर्ती या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिज्ञात अन्य व्यक्तियों या निकायों को उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति प्रदान करेगा, किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जिसमें विदेशी निकाय ("मध्यवर्ती") भी शामिल हैं, को अग्रिम नहीं दिया है या ऋण नहीं दिया या उनमें निवेश नहीं किया है (या तो उधार ली गयी निधियों से या शेयर प्रीमियम या या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से)।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है कि, इसके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 32.18 में यथा प्रकटित के अलावा, कंपनी ने कोई भी निधि इस समझौते/समझ, लिखित में अभिलेखित या अन्यथा, कि कंपनी या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निधियन पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") को या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिज्ञात अन्य व्यक्तियों या निकायों को उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई प्रत्याभूति, प्रतिभूति प्रदान करेगा, किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जिसमें विदेशी निकाय ("निधियन पक्षकार") भी शामिल हैं, निधि प्राप्त नहीं की है।

(ग) लेखा परीक्षा प्रक्रियाविधियों जिन्हें प्रदत्त परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो हमें विश्वास दिलाता हो कि ऊपर (क) और (ख) के तहत यथा प्रदत्त, नियम 11(ड) के उप खंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए प्रतिवेदनों में कोई तात्त्विक मिथ्याब्यानी है।



v) कं॒पनी ने कं॒पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के उपबंधों के उल्लंघन में वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

vi) हमारी जांच के आधार पर, जिनमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कं॒पनी ने अपनी लेखा बहियों अनुरक्षण के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा लीक (ट्रैल) (संपादन संलेख) का अभिलेख रखने की विशेषता है और सॉफ्टवेयर सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इसी सॉफ्टवेयर को पूरे वर्ष परिचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में हमें लेखा परीक्षा लीक में किसी छेड़छाड़ का दृष्टांत नहीं मिला है।

3. लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए, अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कं॒पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कं॒पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गयी सहयोगी कं॒पनियों पर लागू नहीं है। इसके अलावा सहयोगी कं॒पनियों के अंकक्षित लेखा 31 दिसंबर, 2021 के बाद उपलब्ध नहीं हैं।

कृते जैन चोपड़ा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

स्थान : नई दिल्ली  
तिथि : 19 जुलाई 2023

(अशोक चोपड़ा)  
भागीदार  
(सदस्यता संख्या : 017199)  
यूडीआईएन : 23017199 बीजीवायवायआईयू 2263

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	निर्देश	कृत कार्यवाई	समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखाओं की संपूर्णता / शुद्धता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ बताए जाएं।	हाँ, कंपनी में एसएपी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित है। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिनमें कोई लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से बाहर की गयी है।	शून्य
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गयी है या कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज माफी / छूट का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताएं। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया गया है? (यदि, ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है)	वर्ष के दौरान कंपनी का नियंत्रक कंपनी के साथ दिनांक 22.04.2022 का करार हुआ था, जिसके अंतर्गत पुनर्भुगतान अनुसूची को निम्नवत परिभाषित किया गया है : तथापि, कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गयी है या कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज माफी / छूट का कोई मामला नहीं है। इसके अलावा वर्ष के दौरान कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।	शून्य
पुनर्भुगतान अनुसूची			

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार शेष (मिलियन रुपये में)		
1000 मिलियन अमे. डालर	82,150	30 मार्च, 2025	
500 मिलियन अमे. डालर	41,075	12 जुलाई, 2026	
600 मिलियन अमे. डालर	49,290	27 अक्टूबर, 2026	
100 मिलियन अमे. डालर	8,215	27 जनवरी, 2027	
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को उसकी निबंधनों और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखा रखा गया था / उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजनाओं के लिए इस प्रकार की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई / प्राप्य नहीं है।	शून्य

कृते जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

स्थान : नई दिल्ली

(अशोक चोपड़ा)

तिथि : 19 जुलाई 2023

भागीदार

(सदस्यता संख्या : 017199)

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का 'अनुलग्नक ख'

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट' शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2(च) में उल्लिखित अनुलग्नक :

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार "ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड" (इसमें इसके पश्चात "कंपनी" कहा गया है) का इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण का संयोजन करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है। हमने उस तिथि को भारत से बाहर अधिनिगमित इसकी सहयोगी कंपनी की लेखा परीक्षा नहीं की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी और भारत से बाहर अधिनिगमित इसकी सहयोगी कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल का दायित्व भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण करने से संबंधित मार्ग दर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना व रखरखाव करने का है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा रखरखाव करने को शामिल किया गया है जो इसके व्यवसाय को क्रमबद्ध तरीके से व कुशलतापूर्वक संचालित करना सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्व प्रचालन कार्य कर रहे थे इनमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समयबद्ध तैयारी शामिल हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में राय व्यक्त करना है। हम अपना लेखा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण की लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शक टिप्पणी”) संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण मार्गदर्शी टिप्पणी तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार आयोजित की हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी के लिए आवश्यकता होता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें तथा इन उचित आश्वासनों को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और नियंत्रण बनाए रखा जा रहा है तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रण प्रभावी रूप से सभी वास्तविक मामलों में प्रचालित किए जा रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन पद्धतियां और उनकी प्रचालन संबंधी कुशलता शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या इसमें कोई वास्तविक क्षीणता मौजूद है, और आंकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की रूप रेखा व प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिम का आंकलन शामिल होता है, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जिन्हें हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारी लेखा परीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथोचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित होती है जो उचित विस्तार युक्त, सटीक होते हैं तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के सौदों व निपटान को उचित तौर पर प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि वित्तीय विवरणों को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने के लिए अनुमत किए जाने की अनिवार्यता के साथ लेनदेन को दर्ज किया गया है, तथा कंपनी की उन प्राप्तियों व व्ययों को कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है; तथा

(3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा निपटान को रोकने अथवा समय पर उनका पता लगाने के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करना जिनका वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना हावी होती है, त्रुटियों और धोखाधड़ी के होने तथा उनके ज्ञात न होने के कारण तथ्यात्मक मिथ्या बयानी होती है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के पूर्वानुमान जोखिम पर आधारित होते हैं जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा जिससे नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर दूषित हो सकते हैं।

राय

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परीक्षण मूल कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए मानक प्रचालन प्रक्रिया के आधार पर आमतौर पर अनुपालित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार किया गया है और मूल कंपनी के स्तर पर ही सतत रूप से इसकी निगरानी की गयी है।

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी वास्तविक आयामों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निहित है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2023 तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण संबंधी दिशा निर्देश टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर कार्यसाधक ढंग से कार्य कर रही थीं।

कृते जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 19 जुलाई 2023

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार

(सदस्यता संख्या : 017199)



31 मार्च 2023  
को समाप्त अवधि के लिए  
समेकित वित्तीय विवरण



31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरण

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

31 मार्च, 2023की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
<b>I</b>	परिसंपत्तियां			
(1)	गैर – मौजूदा परिसंपत्तियां			
	क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
	(i) अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	1.53	2.43
	ख) उपयोग अधिकार परिसंपत्तियां			-
	ग) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	6		
	(i) तेल और गैस परिसंपत्तियां			
	1) निर्माणाधीन विकास कूप		147.47	
	2) निर्माणाधीन तेल और गैस सुविधा		66,394.44	58,486.51
	(ii) अन्य	-	-	-
	घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-
	ड) प्रगतिधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	7		
	(i) प्रगतिधीन अन्वेषणात्मककूप	-	18,305.98	17,298.08
	(ii) अधिग्रहण लागत	-	220,183.06	179,006.42
	च) इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित निवेश	8	2,564.63	1,629.25
	छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) निवेश	-	-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	-
	(iii) ऋण	-	-	-
	(iv) स्थल प्रत्यावर्तन निधि के लिए जमा	-	-	-
	(v) वित्त पट्टा प्राप्य	-	-	-
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	21,826.28	17,858.72

	ज) गैर मौजूदा कर परिसंपत्तियां (निवल)	—	—	—
	झ) अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	9	1,119.23	1,003.13
	कुल गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	—	330,542.62	275,314.54
<b>(2)</b>	मौजूदा परिसंपत्तियां			
	(क) माल सूचियां (इन्वेंटरी)	10	375.48	386.97
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) कैश और कैश कॉल समतुल्य	11	4.69	2.87
	(ii) ऋण	—	—	—
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	3,128.69	2,637.40
	(ग) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	9	73.77	142.98
	कुल मौजूदा परिसंपत्तियां	—	3,582.63	3,170.22
	कुल परिसंपत्तियां	—	334,125.25	278,484.76
<b>II</b>	इक्विटी एवं देयताएं			
(1)	इक्विटी			
	(क) इक्विटीशेयर पूंजी	13	108,910.57	87,789.66
	(ख) अन्य इक्विटी	14	(18,148.29)	(33,791.86)
	कुल इक्विटी	—	90,762.28	53,997.80
	देयताएं			
(2)	गैर मौजूदा देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं	—	—	—
	(i) उधार राशियां	15	180,730.00	166,650.00
	(ii) पट्टा देयता	—	—	—
	(iii) अन्य वित्तीय देयता	—	—	—
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	17	48,002.22	50,276.65
	कुल गैर मौजूदा देयताएं	—	228,732.22	216,926.65
(3)	मौजूदा देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			

(i) व्यापार की चुकाई जाने वाली राशियां	—	—	—
1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशियां	—	—	—
2) सूक्ष्म उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां	18	931.45	1,259.67
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	13,430.23	6,220.34
(ख) अन्य मौजूदा देयताएं	19	269.07	80.30
(ग) प्रावधान		—	—
(घ) मौजूदा कर देयताएं (निवल)		—	—
कुल मौजूदा देयताएं	—	14,630.75	7,560.31
कुल देयताएं	—	243,362.97	224,486.96
कुल इक्विटी और देयताएं	—	334,125.25	278,484.76
वित्तीय परिणामों की संलग्न टिप्पणियां देखें	1-34		

\*पुनर्कथित टिप्पण 35 देखें

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से  
हस्ता.

(निशा ढींगरा)  
कंपनी सचिव

(श्याम सिंह)  
सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

हस्ता.

(रमिन्दर सिंह साहनी)  
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

स्थान : नई दिल्ली  
तिथि : 10 मई 2023

ह0  
(अशोक चोपड़ा)  
भागीदार (स. सं. 017199)  
यूडीआईएन : 23017199 बीजीवायवायआईक्यू 1712

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

	मद	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि
I	प्रचालनों से राजस्व	—	—	—
II	अन्य आय	20	1,321.42	747.58
III	कुल आय (I + II)	—	1,321.42	747.58
IV	व्यय			
	तैयार माल की सूची में परिवर्तन			
	अधि उठान/कम उठान के कारण कमी / (वृद्धि)			
	उत्पादन, परिवहन, विक्रय और वितरण व्यय	—	—	—
	(क) सर्वेक्षण लागत	—	27.81	242.47
	(ख) अन्वेषी कूप लागत	—	—	—
	मूल्यहास, निःशेषण, परिशोधन और क्षति	21	1.08	1.43
	वित्तीय लागतें	22	7,672.38	3,140.30
	प्रावधान, बड़े खाते और अन्य क्षरण	—	—	—
	अन्य व्यय	23	2,104.84	4,681.40
	कुल व्यय (IV)	—	9,806.11	8,065.60
V	असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (III - IV)	—	(8,464.69)	(7,318.02)
VI	असाधारण (आय) / व्यय	24	(25,488.41)	(2,477.00)
VII	सहयोगी कंपनियों के लाभ का हिस्सा		(211.46)	(40.06)
VIII	कर पूर्व लाभ / (हानि) (V - VI - VII)	—	16,792.26	(4,881.08)
IX	कर व्यय :			
	(क) मौजूदा कर से संबंधित	—	—	—
	— मौजूदा अवधि	—	—	—
	— पूर्व अवधि	—	—	—
	(ख) आस्थगित कर	25	(7,654.51)	1,247.23
	कुल कर व्यय (VIII)	—	(7,654.51)	1,247.23
X	वर्ष का लाभ / (हानि) (VII - VIII)	—	24,446.77	(6,128.31)
XI	अन्य व्यापक आय			
	(क) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	—	—	—

	(i) परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन	—	—	—
	—उपर्युक्त से संबंधित आय कर	—	—	—
	(ख) मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	—	—	—
	(i) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	—	5,288.25	1,350.36
	विदेशी प्रचालनों के वित्तीय व्यय			
	— उपर्युक्त से संबंधित आय कर	—	(1,330.95)	(471.87)
	कुल अन्य व्यापक आय	—	3,957.30	878.49
XII	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (IX+ X)	—	28,404.07	(5,249.32)
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय : (10 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य पर)	26	—	—
	मूल (रुपये)	—	2.48	(0.87)
	तनुकृत (रुपये)	—	2.44	(0.87)
	वित्तीय विवरण से संलग्न टिप्पण देखें	1- 34	—	—

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता.

(निशा ढींगरा)

कंपनी सचिव

हस्ता.

(श्याम सिंह)

सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

(रमिन्दर सिंह साहनी)

निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 10मई2023

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार (स. सं. 017199)

यूडीआईएन : 23017199 बीजीवायवायआईक्यू 1712

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित नकद प्रवाह विवरण

मद	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
<b>i) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
कर पश्चात निवल लाभ	—	24,446.77
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	—	—
— ब्याज आय	(1,321.42)	—
— इक्विटी लेखांकित निवेशितियों के लाभ का हिस्सा	211.46	—
— मूल्यहास, निःशेषण, परिशोधन और क्षति	1.08	—
— वित्तपोषण लागत	7,672.38	—
— अप्राप्तविदेशी मुद्रा हानि / (लाभ)	(14.31)	—
— अपवादात्मक मदें	(25,488.41)	—
— आय कर व्यय	(7,654.51)	—
	—	(26,593.73)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व प्रचालन लाभ	—	(2,146.96)
निम्नलिखित के लिए समायोजन	—	—
— अन्य परिसंपत्तियां	(1,285.83)	—
— मालसूचियां	43.23	—
— व्यापार की चुकाई जाने वाली राशियां और अन्य देयताएं	(247.37)	(1,489.96)
प्रचालनों से सृजित नकद	—	(3,636.92)
संदत्त आय कर (कर प्रतिदाय के निवल)	—	—
प्रचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद "क"	—	(3,636.92)
<b>ii). निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य सहित)	—	(2,593.67)
अन्वेषणात्मक एवं विकास वेधन	—	(9.10)
संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय/सहयोगी कंपनियों में निवेश	—	(960.05)
निवेश गतिविधियों (में प्रयुक्त)/ से जनित निवल नकदी "ख"	—	(3,562.82)
<b>iii) वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह :</b>		
इक्विटी के प्रति अग्रिम	—	7,923.81
संदत्त ब्याज	—	(726.60)
वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी "ग"	—	7,197.21
नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि / कमी (क + ख + ग)	—	(2.53)

मद	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
अवधि के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	—	2.87	—	2.73
अवधि के दौरान विनिमय अंतरों का प्रभाव	—	4.35	—	(47.97)
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य	—	4.69		2.87

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का मिलान

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	नकद प्रवाह	गैर नकद प्रभारें	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
उधारें	166,650.00	—	14,080.00	180,730.00
अन्य वित्तीय देयताएं – प्रोद्भूत ब्याज	6,216.19	(726.60)	7,935.94	13,425.53
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल देयताएं	172,866.19	(726.60)	22,015.94	194,155.53

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता.

(निशा ढींगरा)

कंपनी सचिव

हस्ता.

(श्याम सिंह)

सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

(रमिन्दर सिंह साहनी)

निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार (स. सं. 017199)

यूडीआईएन : 23017199 बीजीवायवायआईक्यू 1712

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी परिवर्तन का समेकित विवरण

(i) इक्विटी शेयर पूंजी

1 अप्रैल 2022 को शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पूर्व रिपोर्टिंग अवधि में के प्रारंभ में पुनर्कथित शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	इक्विटी पर प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागत	31 मार्च 2022 को शेष
87,789.66	—	87,789.66	21,142.05	(21.14)	108,910.57
1 अप्रैल 2021 को शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में के प्रारंभ में पुनर्कथित शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	इक्विटी पर प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागत	31 मार्च 2023 को शेष
69,852.74	(69.85)	69,782.89	18,024.80	(18.03)	87,789.66

कंपनी ने वर्ष 20-21 के दौरान शेयर निर्गत किए हैं, जिसमें नकदी के अलावा अन्य विचारन पर मोजाबिक कारोबार के स्थानांतरण हेतु खरीद विचारन के मद में 48,052.02 मिलियन रुपए के मूल्य के 4,802,202,286 शेयर शामिल हैं।

कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान, अक्टूबर, 2021 से नवंबर, 2022 (पिछले वर्ष जनवरी 2021 से सितंबर, 2021 तक) इक्विटी के प्रति अग्रिम को रूपांतरित कर 21,142.05 मिलियन रुपए के मूल्य के 4,802,202,286 शेयर (पिछले वर्ष : 1,802,480,000 शेयर) जारी किए हैं।

कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु 21.14 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 18.03 मिलियन रुपए) की राशि के स्टांप ड्यूटी पर व्यय किया है।

(ii) अन्य इक्विटी (टिप्पण 14 देखें)

मद	नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत योगदान	ओएनजीसी 1 से मान्य पूंजीगत योगदान	आरक्षित और अधिशेष			विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण को रूपांतरित करने पर विनिमय अंतर	कुल
			पूंजीगत आरक्षित निधि	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन		



मद	नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत योगदान	ओएनजीसी से मान्य पूंजीगत योगदान	आरक्षित और अधिशेष			विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण को रूपांतरित करने पर विनिमय अंतर	कुल
			पूंजीगत आरक्षित निधि	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन		
1 अप्रैल 2021 को शेष	8,751.44	24.92	23,441.40	—	(71,022.77)	(234.56)	(39,039.57)
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	—	—	(61,128.31)	—	(61,128.31)
वर्ष की अन्य व्यापक आय, आय कर के निवल	—	—	—	—	—	878.49	878.49
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	—	—	—	—	(61,128.31)	878.49	(5,249.82)
वर्ष के दौरान परिवर्तन	10,486.41	11.13	—	—	—	—	10,497.54
31 मार्च 2022 को शेष	19,237.85	36.05	23,441.40	—	(77,151.08)	643.93	(33,791.86)
1 अप्रैल 2022 को शेष	19,237.85	36.05	23,441.40	—	(77,151.08)	643.93	(33,791.86)
वर्ष का लाभ	—	—	—	—	24,446.77	—	24,446.77
वर्ष की अन्य व्यापक आय, आय कर के निवल	—	—	—	—	—	3,957.31	3,957.31
वर्ष की कुल व्यापक आय	—	—	—	—	24,446.77	3,957.31	28,404.08
वर्ष के दौरान परिवर्तन	(12,760.51)	—	—	—	—	—	(12,760.51)
साझे नियंत्रण कारोबार संयोजन के कारण समायोजन	—	—	—	—	—	—	—
31 मार्च 2023 को शेष	6,477.34	36.05	23,441.40	—	(52,704.30)	4,601.24	(18,148.29)

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता.

(निशा ढींगरा)

कंपनी सचिव

हस्ता.

(श्याम सिंह)

सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

(रमिन्दर सिंह साहनी)

निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार (स. सं. 017199)

यूडीआईएन : 23017199 बीजीवायवायआईक्यू 1712

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 10 मई 2023

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित  
(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(सभी राशियां मिलियन रुपये में जब तक अन्यथा कथित न हो)

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. कॉरपोरेट सूचना

“ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (‘ओवीआरएल’ या ‘कंपनी’)” भारत में अधिवासित और स्थापित एक कॉरपोरेट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 5ए – 5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली : 110070 में अवस्थित है। ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

यह कंपनी मुख्यतया कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के लिए भारत के बाहर तेल एवं गैस रकबों की तलाश करने और उनके अर्जन के काम में लगी है।

2. भारतीय लेखांकन मानक (“इंड एएस”) का अनुप्रयोग

इन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, वित्तीय विवरणों को अधिकृत किए जाने तक कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और अधिसूचित किए गए सभी भारतीय लेखांकन मानकों ध्यान में रखा गया है।

2.1 जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी न किए गए मानक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (“एमसीए”) समय समय पर नये मानक या कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अंतर्गत मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। 31 मार्च 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2015 में संशोधन अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली वार्षिक प्रतिवेदन अवधियों के लिए लागू होंगे। ये संशोधन इस प्रकार हैं :

इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

ये संशोधन कंपनियों को उनकी वस्तुगत लेखांकन नीतियों का प्रकटन अपेक्षित करते हैं न कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को। अन्य सूचना के साथ लेखांकन नीति सूचना महत्वपूर्ण है जब यह सामान्य उद्देश्य

वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जाती है।

### इंड एस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां

यह संशोधन कंपनियों को लेखांकन नीतियों और लेखांकन प्राक्कलनों में भेद करने में मदद करेगा। लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन को लेखांकन प्राक्कलनों की परिभाषा को लेखांकन प्राक्कलनों की परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया है। नयी परिभाषा के अंतर्गत, लेखांकन प्राक्कलन वित्तीय विवरणों की मौद्रिक राशियां हैं जो मापन की अनिश्चितता के अध्वधीन हैं। कंपनी को इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

### इंड एस 12– आय कर

यह संशोधन मान्यता छूट के दायरे को परिमित करता है ताकि यह अब उन लेन-देनों पर लागू नहीं होगा जो प्रारंभिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों को उदित करते हैं। कंपनी को इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

### अन्य संशोधन

अन्य संशोधन में इंड एस 102, शेयर आधारित भुगतान, इंड एस 103, व्यवसाय संयोजन, इंड एस 109, वित्तीय विलेख, इंड एस 115, ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व, मुख्यतया संपादन प्रकृति के हैं ताकि संबंधित इंड एस पर बेहतर स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सके। कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

## 3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 3.1 अनुपालन का विवरण

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत जारी किए गए इंड एस और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा तेल एवं गैस उत्पादनकारी गतिविधियों (इंड ए एस) के लिए जारी किए गए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी टिप्पण के अनुसार तैयार किया गया है।

### 3.2 तैयार करने और प्रस्तुत करने के आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछेक वित्तीय लिखतों को जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा गया है, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में वर्णित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को सतत् रूप से अनुप्रयुक्त किया गया है सिवाय जहां नये जारी किए गए इंड एस को प्रारंभिक तौर पर अंगीकृत किया गया है या मौजूदा लेखांकन मानक में कोई संशोधन अब तक प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन आवश्यक करता है।

ऐतिहासिक लागत सामान्यतः सेवाओं एवं वस्तुओं के विनिमय में दिए गए मुआवजे के उचित मूल्य पर आधारित होते हैं।

चूंकि परिचालन चक्र को उद्योग की विशिष्ट प्रकृति के कारण सामान्य क्रम में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसे 12 माह की अवधि के अनुरूप अनुमानित किया गया है। तदनुसार, सभी परिसंपत्तियों और देनदारियां कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची 3 में निर्धारित कंपनी परिचालन चक्र तथा इंड एस – 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों व देनदारियों को मौजूदा अथवा गैर मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा अमेरिकी डॉलर ('यूएसडी') है (टिप्पणी 4.1 (क) देखें)। इंड एस वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये ('₹') में प्रस्तुत किया गया है (टिप्पणी 3.17 देखें) और सभी मूल्यों को निकटतम दो दशमलव मिलियन रुपए में, सिवाय अन्यथा वर्णित, पूर्णांकित किया गया है।

उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मौजूदा बाजार स्थितियों के अधीन माप तिथि को किसी आस्ति की बिक्री से प्राप्त होगी अथवा बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी देनदारी को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर निर्धारित आस्तियों और देनदारियों को उनके निर्धारण में नियोजित आदानों को प्रेक्षित करने की क्षमता पर निर्भर करते हुए तीन स्तरों में से किसी एक स्तर में वर्गीकृत करती है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है :

- (क) स्तर 1 आदान समान आस्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में तयशुदा मूल्य (गैर समायोजित) हैं।
- (ख) स्तर 2 आदान आस्ति अथवा देनदारी के लिए स्तर – 1 के अंतर्गत शामिल तयशुदा मूल्य को छोड़कर, वे आदान हैं जो या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रेक्षणीय हैं।
- (ग) स्तर 3 आदान आस्ति अथवा देनदारी के प्रेक्षणीय आदान हैं, जो प्रेक्षणीय संबंधित बाजार आंकड़ों अथवा बाजार प्रतिभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में कंपनी के आकलनों को दर्शाते हैं।

### 3.3 अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत रहित क्षरण हानि, यदि कोई हो, पर अभिलेखित करती है।

कंपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के निपटान पर, निवल निपटान धनराशि और अग्रेणित राशियों के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात किया जाता है।

### 3.4 संयुक्त प्रचालनों में हित/अधिकार

एक संयुक्त प्रचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत उन पक्षकारों का आस्तियों पर संयुक्त अधिकार होता है, और इस व्यवस्था से संबंधित देनदारियों का संयुक्त दायित्व होता है।

संयुक्त प्रचालनों से हुई आय और व्यय के साथ आस्तियों और देनदारियों में कंपनी के हिस्से को इसके भाग के आउटपुट की बिक्री से हुई कंपनी की आय और कोई देनदारियां और व्यय जो कंपनी ने संयुक्त प्रचालनों

के लिए वहन किया है, सिवाय मूल्यह्रास, सर्वेक्षण और क्षरण के जो कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप हुए व्यय, के साथ व्यवस्था के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसी तरह के मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर विलयित किया जाता है।

ऐसे क्षेत्रों के हाइड्रोकार्बन भंडारों को कंपनी के भागीदारी अधिकार के अनुपात में शामिल किया जाता है।

### 3.5 साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन

साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन का अर्थ है कोई कारोबार संयोजन जिसमें वे निकाय और कारोबार शामिल हैं जिनमें सभी संयोजक या कारोबार अंततः उसी पक्षकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कारोबार संयोजन से पहले और बाद में थे, और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होते हैं।

कंपनी इंड एस 103 के परिशिष्ट ग के अनुसार लेखांकन के हित समुच्चयन पद्धति का उपयोग करते हुए साझा नियंत्रण के अधीन इसके कारोबार संयोजन के लिए लेखा जोखा रखती है। अधिग्रहणकर्ता के निर्धारण योग्य परिसंपत्तियों, देयताओं और आकस्मिक देयता जो मान्यता की परिभाषा पर खरे उतरते हैं, को अधिग्रहण की तिथि को उनकी वहन राशि पर अभिज्ञात किया जाता है। अंतरणकर्ता की आरक्षित निधियों को संरक्षित रखा जाता है और उसी प्ररूप में अंतरिती के वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात किया जाता है जिस प्ररूप में अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया होता है। अधिग्रहण तिथि, यदि यह ऐसी तिथि से पूर्व स्थापित की जाती है, पहले की अवधि की शुरुआत होती है। तथापि, यदि कारोबार संयोजन ऐसी तिथि के पश्चात होता है, तो अधिग्रहण तिथि उसी तिथि को माना जाता है।

वित्तीय विवरणों में उन संयोजनकारी निकायों या कारोबारों के वित्तीय विवरण शामिल होते हैं जिनमें साझे नियंत्रण संयोजन होते हैं जैसे कि वे उस तिथि से संयोजित हुए थे जब संयोजनकारी निकाय या कारोबार पहली बार नियंत्रक पक्षकार के नियंत्रण अधीन आए थे।

आय विवरण में प्रत्येक संयोजनकारी निकायों या कारोबारों के प्रस्तुत पूर्वतम तिथि या उस तिथि से जब संयोजनकारी निकाय या कारोबार साझे नियंत्रण अधीन आए थे, जहाँ अवधि छोटी हो, के परिणाम शामिल होते हैं, चाहे साझे नियंत्रण संयोजन की तिथि कुछ भी हो।

वित्तीय विवरणों में तुलनात्मक राशियां इस प्रकार प्रस्तुत की जाती हैं जैसे कि निकाय या कारोबार पिछली तुलन पत्र तिथि से संयोजित किए गए थे या जब वे पहली बार साझे नियंत्रण अधीन आए थे, जो भी अवधि छोटी हो।

पेशेवर शुल्क, पंजीकरण शुल्क सहित अंतरण लागत, शेयरधारकों को सूचना प्रस्तुत करने की लागत, पूर्ववर्ती अलग अलग कारोबारों के संयोजन में व्यय की गयी लागतें या हानियां इत्यादि, जिन्हें साझे नियंत्रण संयोजन के संबंध में व्ययित किए गए थे, उनका लेखा जोखा हित समुच्चयन पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया था, जो उस वर्ष के व्यय में अभिज्ञात किया गया है जिस वर्ष में वह हुआ था।

### 3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (तेल एवं गैस आस्तियों को छोड़कर)

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के क्रम में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को लागत, ह्रास कोई मान्य क्षरण हानि पर दर्शाया जाता है। किसी आस्ति की लागत में इसका क्रय मूल्य अथवा इसके निर्माण की लागत (लागू कर समंजन के निवल), उस स्थान पर आस्ति को लाने और प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य अवस्था में लाने के लिए कोई प्रत्यक्ष लागत और टिप्पणी 3.12 के अनुसार डिकमिशनिंग लागत शामिल होती है। इसमें वृत्तिक शुल्क और, अर्हक आस्तियां के लिए, उधार लागत जो कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार पूंजीकृत किया गया है, शामिल होता है। ऐसी संपत्तियां जब अभीष्ट उपयोग के लिए पूर्ण और तैयार हो जाती हैं, उन्हें पीपीई के उपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। पीपीई के किसी मद के भाग, जिनके भिन्न उपयोगी जीवन काल होते हैं और महत्वपूर्ण मूल्य होता है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत सुधार अथवा अन्य कारकों से प्रोद्भूत बाद के व्यय को पृथक घटक के रूप में दर्शाया जाता है।

इन पीपीई का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब ये परिसंपत्तियां अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

मूल्य ह्रास पीपीई (पूर्ण स्वामित्व भूमि, तेल एवं गैस आस्तियां और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत से उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर प्रदान की जाती है, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा उल्लिखित पीपीई के उपयोगी जीवन काल पर बट्टे खाते डाले गए मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए या कंपनी के तकनीकी आकलन के आधार पर प्रदान किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि नीचे प्रदत्त

उपयोगी जीवनकाल उस अवधि को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है जिस अवधि में प्रबंधन इन आस्तियों का उपयोग करने की प्रत्याशा रखता है। ब्लॉकों से संबंधित पीपीई के मामले में जहाँ लाइसेंस अवधि पीपीई के उपयोगी जीवनकाल से कम होती है, कंपनी उस वित्तीय वर्ष में पीपीई को बड़े खाते डाल देती है जिस वर्ष में लाइसेंस समाप्त हो जाता है या यदि उस पीपीई से कोई भावी आर्थिक लाभ की प्रत्याशा नहीं होती है, ब्लॉक अभ्यर्पित कर दिया जाता है। इन आस्तियों का प्राक्कलित उपयोगी जीवन काल इस प्रकार है :-

विवरण	वर्ष
फर्निचर एवं जुड़नार	3 से 10
वाहन	5 से 20
कार्यालय उपकरण	3 से 15

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यहास पद्धति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और आवश्यक होने पर अनुमानों में परिवर्तन संदर्शी रूप से किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) पर वर्धन/कटौती के संबंध में मूल्यहास का प्रावधान यथानुपात आधार पर वर्धन/हटाए जाने की तिथि के संदर्भ में किया जाता है सिवाय 100 अमेरिकी डॉलर (31 मार्च 2023 को 8,215 रुपए के समतुल्य) से अधिक न होने वाली निम्न मूल्य मदों के जिनका पूर्ण मूल्यहास वर्धन के समय पूरी तरह से कर दिया जाता है।

पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) पर पूंजीगत सुधार या अन्य कारकों के चलते बाद में किए जाने वाले व्यय हेतु उसके शेष उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यहास संदर्शी रूप से मुहैया करवाया जाता है।

नवीकृत/पुनःस्थापित पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर मूल्यहास, जिन्हें पृथक रूप से पूंजीकृत किया जाता है, पुनः आंकलित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

अन्वेषणात्मक/विकास ड्रिलिंग हेतु प्रयुक्त सहायक उपकरण तथा सुविधाओं सहित पीपीई (तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर मूल्यहास को प्रारंभ में ड्रिलिंग लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उसका व्यय/निपटान नोट 3.10 के अनुसार किया जाता है। सर्वेक्षण क्रियाकलापों हेतु नियोजित उपकरण/परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को लाभ एवं हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाता है।



पीपीई के किसी मद को निपटान के समय अथवा परिसंपत्ति के सतत् उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य कर दिया जाता है। पीपीई की किसी मद के निपटान या हटाए जाने पर होने वाले किसी लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि के मध्य अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ एवं हानि विवरण प्रदान की जाती है।

### 3.7 अमूर्त आस्तियां

**(i)** अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त आस्तियां :

निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियां जिन्हें पृथक रूप से अधिग्रहित किया जाता है, उन्हें लागत ह्रास संचित परिशोधन तथा क्षरण हानियों पर लिया जाता है। परिशोधन को पूंजीकरण की तिथि से पाँच (5) वर्ष से अधिक न होने वाली उनके उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार पर मान्यता दी जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को संदर्शी रूप से रेखांकित किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान अथवा उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों तथा हानियों का मापन निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि के मध्य अंतर के रूप में किया जाता है और इसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

**(ii)** विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां— निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप :

अन्वेषणात्मक तथा मूल्यांकन कूपों के वेधन तथा उन्हें उपकरण प्रदान किए जाने में वहन की गई सारी अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागतों को प्रारंभ में विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों—निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूपों के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जब तक कि इन्हें या तो नोट संख्या 3.8 के अनुसार पूर्णता पर तेल तथा गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करवाया जाए अथवा शुष्क या और उपयोग न होने, जैसा भी मामला हो, वाले के रूप में निर्धारित किए जाने के पश्चात अन्वेषण तथा मूल्यांकन लागत के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

अन्वेषणात्मक प्रकार के स्ट्रेटीग्राफिक जांच कूपों की ड्रिलिंग की लागत को प्रारंभ में विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों—निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि इन्हें या तो नोट संख्या 3.8 के अनुसार पूर्णता पर तेल तथा गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करवाया जाए अथवा शुष्क या पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अभ्यर्पित के रूप में निर्धारित किया जाता है।

अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन की लागत को तब तक अग्रणीत नहीं किया जाता है जब तक यह तर्कसंगत रूप से दर्शाया न जाए कि पर्याप्त मात्रा में भंडारों के संकेत हैं, भंडारों का आकलन करने में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा परियोजना आर्थिक एवं प्रचालन रूप से अर्थक्षम है। अग्रणीत की गयीं ऐसी सारी लागतें कंपनी की नीति के अनुसार क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

### 3.8 मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का क्षरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किसी “रोकड़ सृजक इकाई” (सीजीयू) की अपनी मूर्त (तेल तथा गैस आस्तियां, निर्माणाधीन विकास कूप (डीडब्ल्यूआईपी)), और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यो सहित) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रदर्शित मूल्य की समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षरण हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान क्षरण हानि (यदि कोई हो) की सीमा के निर्धारण के लिए लगाया जाता है। जब किसी पृथक संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो कंपनी उस परिसंपत्ति के नकदी सृजक इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है।

वसूली योग्य राशि उचित मूल्य ह्रास निपटान की लागत तथा उपयोग के मूल्य में से जो भी उच्चतर हो, होगी। उपयोग में होने वाले मूल्य का आकलन करते समय अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को एक कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो आस्ति के उस समय के मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और उस परिसंपत्ति से जुड़े विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (अथवा नकदी सृजक इकाई) की वसूली योग्य राशि का अनुमान इसकी अग्रणीत राशि से कम लगाया गया हो तो परिसंपत्ति (अथवा नकदी सृजक इकाई) की अग्रणीत राशि को कम करके उसकी

वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। क्षरण हानि को तत्काल लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में यह देखने के लिए एक आकलन किया जाता है कि इसके कोई संकेत हैं कि पहले पहचान की गई क्षरण हानि के कोई संकेत अब मौजूद हैं अथवा कम हो गए हैं। पिछली क्षरण हानि को मान्यता दिए जाने के समय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन होने से क्षरण हानि को वापिस किया जाता है। यदि ऐसा हो तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को बढ़ाकर इसके वसूली योग्य मूल्य से कम पर लाया जाता है और मूल्यह्रास के निवल निर्धारित की गई अग्रणीत राशि में पिछले वर्षों हेतु किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती है। वापिस किए जाने के पश्चात मूल्यह्रास प्रभार को भविष्य की अवधियों में परिसंपत्ति की संशोधित अग्रणीत राशि को आवंटित किया जाता है, किसी अपशिष्ट मूल्य को घटाते हुए, इसके शेष उपयोगी जीवनकाल में एक व्यवस्थित आधार पर क्षरण हानि की वापसी को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्वेषणात्मक चरण के दौरान क्षरण परीक्षण को क्षेत्र / परियोजना स्तर पर किया जाता है जब निकट भविष्य में आगे के अन्वेषण क्रियाकलापों की योजना नहीं बनाई जाती अथवा जब यह दर्शाने के लिए पर्याप्त डाटा मौजूद होता है, यद्यपि विशिष्ट क्षेत्र में विकास के होने की संभावना है, अन्वेषण परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को सफल विकास या बिक्री द्वारा पूरी तरह से वसूले जाने की संभावना नहीं है। क्षति को बाद में इस सीमा तक वापिस किया जाता है कि क्षति की स्थितियां अब मौजूद नहीं हैं।

### 3.9 अन्वेषण एवं मूल्यांकन, विकास और उत्पादन लागत

#### (i) अधिग्रहण पूर्व लागत

तेल एवं गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के अधिकार को प्राप्त करने से पूर्व किए गए व्यय जब जब वहन किया जाता है, व्यय में दिखाया जाता है।

#### (ii) अर्जन लागत

अर्जन लागत में, किसी संपत्ति अथवा प्रमाणित या अप्रमाणित खनिज अधिकार क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा अन्यथा अर्जन करने पर आने वाली सारी लागतें शामिल होती हैं और इनका लेखांकन कार्य निम्नानुसार किया जाता है :

### अन्वेषण और विकास चरण

अन्वेषण या विकास के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं से संबंधित अधिग्रहण लागत को प्रारंभ में क्रमशः विकासाधीन अमूर्त आस्तियां – क्रमशः निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप अथवा विकासाधीन तेल और गैस आस्तियां – निर्माणाधीन विकास कूप के रूप में लेखांकित किया जाता है। ऐसी लागतों को तब तेल और गैस परिसंपत्तियों को अंतरित करते हुए पूंजीकृत किया जाता है जब कूप वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाता है। परित्याग/छोड़ दिए जाने के मामले में, ऐसी लागतों को बट्टे खाते में डाला जाता है।

### उत्पादन चरण :

उत्पादनशील तेल एवं गैस परिसंपत्ति की अधिग्रहण लागत को तेल तथा गैस परिसंपत्ति के अंतर्गत प्रमाणित संपत्ति अधिग्रहण लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के प्रमाणित भंडारों पर उत्पादन पद्धति की इकाई का उपयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है।

### (iii) सर्वेक्षण लागत

तेल एवं गैस की खोज में संपादित सर्वेक्षण और संभावना तलाश क्रियाकलापों की लागतों को अन्वेषण लागत के रूप में उसी वर्ष के व्यय में दर्शाया जाता है, जिस वर्ष में उन्हें व्यय किया जाता है।

### (iv) विकासाधीन तेल और गैस परिसंपत्ति – निर्माणाधीन विकास कूप

विकासकूपों से संबंधित सभी लागतों को प्रारंभ में “निर्माणाधीन विकास कूप” के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और “पूर्णता” पर “तेल और गैस परिसंपत्तियों” के अंतर्गत अंतरित कर दिया जाता है।

### (v) उत्पादन लागत

उत्पादन लागत में सहायक उपस्कर एवं सुविधाओं के मूल्यहास एवं लागू प्रचालन लागतों सहित कूप शीर्ष –पूर्वएवं कूप शीर्ष –पश्चात व्यय सम्मिलित रहते हैं।

### 3.10 प्रतिभागिता अधिकारों से संबंधित अर्जन लागतों का क्षरण

क्षरण जाँच के प्रयोजनों के लिए, कंपनी के प्रत्येक सीजीयू (अथवा सीजीयू के समूह) जिन्हें संयोजन की सहक्रियाओं से लाभ प्राप्त होना अपेक्षित है, को अर्जन लागत आवंटित किया जाता है।

कोई सीजीयू जिसे अर्जन लागत आवंटित किया जाता है, का वार्षिक रूप से क्षरण के लिए जाँच की जाती है, जब यह संकेत मिलता है कि उस सीजीयू में क्षरण हो सकता है। यदि रोकड़ सृजक इकाई की वसूली योग्य राशि इसके बही मूल्य से कम होता है, क्षरण हानि पहले उस इकाई को आवंटित किसी अर्जक लागत के बही मूल्य को कम करने के लिए आवंटित की जाती है और फिर इस इकाई के प्रत्येक परिसंपत्ति के बही मूल्य के आधार पर अनुपातिक आधार पर सीजीयू की अन्य परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाता है। अर्जन लागत के लिए स्वीकृत क्षरण हानि को बाद की अवधियों में वापस नहीं किया जाता है।

संबंधित सीजीयू के निपटान पर, अर्जन लागत पर आरोप्य बही मूल्य को निपटान पर लाभ अथवा हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

### 3.11 तेल और गैस परिसंपत्तियां

तेल एवं गैस परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित निःशेषण और क्षरण हानियों को घटाकर दर्शाया जाता है। जब किसी क्षेत्र/परियोजना में कोई कूप वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है, तब इन्हें प्रमाणित विकसित तेल एवं गैस भंडारों वाले क्षेत्र/परियोजना के वास्ते सृजित किया जाता है।

भूमि के अस्थायी अधिभोग, सफल अन्वेषणात्मक कूपों, सभी विकसित कूप (सेवा कूप सहित), वेधन हेतु प्रयुक्त सम्बद्ध उपस्कर पर मूल्यहास एवं अनुमानित भावी डिक्मिशनिंग लागतों को पूंजीगत किया जाता है तथा इन्हें तेल एवं गैस संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तेल तथा गैस परिसंपत्तियों का निःशेषण "उत्पादन की यूनिट पद्धति" का उपयोग करते हुए किया जाता है। निःशेषण की दर की गणना रक्षित संपत्ति मूल्य के निवल आकलित भावी डिक्मिशनिंग लागत

सहित संबंधित प्रमाणित विकसित भंडारों और संबंधित पूंजीगत लागतों (सिवाय अधिग्रहण लागत) पर विचार कर किसी क्षेत्र / परियोजना / परिशोधन आधार के संदर्भ में की जाती है। तेल तथा गैस परिसंपत्तियों की अधिग्रहण लागत को प्रमाणित भण्डारों पर विचार करते हुए निःशेषण किया जाता है। इन भण्डारों का अनुमानन वार्षिक आधार पर मूल कम्पनी ओएनजीसी द्वारा गठित भण्डार आकलन समिति (आरईसी) द्वारा किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय भण्डार अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं का पालन करती है।

### 3.12 साइड ट्रेडिंग

अन्वेषणात्मक कूप के मामले में, साइड ट्रेडिंग की लागत के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि किसी नए अन्वेषणात्मक कूप पर व्यय की गई लागत के साथ। साइड ट्रेड किए गए अन्वेषणात्मक कूपों के परित्यक्त कूप की लागत को "बट्टे खाते डाली गयी अन्वेषणात्मक कूप लागत" के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

विकासकूप के मामले में, परित्यक्त भाग और साइड ट्रेडिंग की समूची लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

उत्पादक कूपों और सेवा कूपों के मामले में, यदि साइड ट्रेडिंग अतिरिक्त प्रमाणित विकसित तेल तथा गैस भण्डारों में परिणत होती है या कार्य-निष्पादन के पूर्व में आकलित मानक से परे भविष्य के आर्थिक लाभों में वृद्धि करती है, तो साइड ट्रेडिंग पर व्ययित लागत को पूंजीकृत किया जाता है, जबकि कूप के परित्यक्त भाग की लागत का निःशेषण टिप्पणी 3.10 में उल्लिखित लेखांकन नीति के अनुसार किया जाता है। अन्यथा साइड ट्रेडिंग की लागत को "वर्क-ओवर व्यय" के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

### 3.13 डिकमिशनिंग लागतें

डिकमिशनिंग लागतों में पुनःस्थापन की लागत शामिल होती है। डिकमिशनिंग लागतों हेतु प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी की किसी कूप को प्लग तथा परित्याग करने, किसी सुविधा अथवा संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मद को हटाना हो और जिस स्थल पर वह स्थित था उसका पुनःस्थापन करने का कोई संविदात्मक, कानूनी या निर्माण संबंधी बाध्यता हो।

स्वीकृत राशि वर्तमान मूल्यों पर मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निर्धारित अनुमानित भावी व्यय है और डिकमिशनिंग की प्रत्याशित तिथि तक उपयुक्त मुद्रास्फीति दर का उपयोग करते हुए बढ़ाई जाती है और उपयुक्त जोखिम रहित बट्टा दर का उपयोग करते हुए संसूचना तिथि तक कम की जाती है।

इन अवधारणाओं में किसी तात्विक परिवर्तनों को समाहित करने के लिए इन आकलनों का वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है।

डिकमिशनिंग प्रावधान की समतुल्य राशि को संबंधित परिसंपत्तियों की लागतों के साथ स्वीकृति दी जाती है। शुष्क अन्वेषणात्मक कूप से संबंधित डिकमिशनिंग लागत को अन्वेषणात्मक कूप लागत के रूप में व्यय दर्शाया जाता है।

आवधिक छूट वापसी के अलावा प्राक्कलित डिकमिशनिंग व्यय के वर्तमान मूल्य में किसी परिवर्तन को संबंधित परिसंपत्ति के डिकमिशनिंग प्रावधान और बही मूल्य में समायोजित किया जाता है। यदि प्रावधान वापसी संबंधित परिसंपत्ति के बही मूल्य से अधिक होती है, आधिक्य राशि को लाभ और हानि लेखा विवरण में दर्शाया जाता है। प्रावधान पर छूट वापसी को लाभ और हानि के लेखा विवरण में वित्तीय लागत के रूप में प्रभारित किया जाता है।

तथापि, वास्तविक डिकमिशनिंग लागतें अंततः अनिवार्य डिकमिशनिंग कार्य के लिए भावी बाजार मूल्य पर निर्भर करेगा जो संबंधित समय में बाजार स्थिति, यदि कोई हो, को परिलक्षित करेगा। इसके अलावा, डिकमिशनिंग का समय उस पर निर्भर करने की संभावना है जब फील्ड अर्थक्षम दरों पर उत्पादन करना बंद कर देता है।

संयुक्त प्रचालनों के अधीन आने वाली परिसंपत्तियों के मामले में डिकमिशनिंग लागत के लिए किए गए प्रावधान को कंपनी के प्रतिभागी हित के अनुरूप विचार किया जाता है।

### 3.14 मालसूची (इन्वेंट्रीज)

पाइपलाइन / टंकियों की मालसूची सहित और खनिज तेल तथा कन्डेसंट को लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। तैयार माल की लागत अन्वेषण लागत निर्धारण विधि से निर्धारित किया जाता है। मालसूची के मूल्य में रॉयल्टी भी शामिल होती है (जहाँ कहीं भी लागू हो)।

समूह एकत्रीकरण स्टेशनों (जीजीएस) पर अर्द्ध-परिशोधित कच्चे तेल को अवशोषण लागत पद्धति से अथवा शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

समूह एकत्रीकरण स्टेशनों (जीजीएस) / प्लेटफॉर्म तक प्रवाह लाइनों में अर्द्ध-परिशोधित कच्चे तेल को नहीं मापा जाता है, क्योंकि यह माप योग्य नहीं है। प्राकृतिक गैस का मूल्य नहीं निर्धारित किया जाता है क्योंकि इसका भंडारण नहीं किया जाता है। अप्रचलित और खपत नहीं होने वाली माल सूचियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

गैर-सेवायोज्य तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं का, जब निर्धारण किया जाता है, को अनुमानित निवल वसूली योग्य मूल्यांकित किया जाता है।

### 3.15 राजस्व स्वीकृति

राजस्वों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वादा किया हुआ उत्पाद या सेवा किसी ग्राहक को हस्तांतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई उत्पाद तब हस्तांतरित होता है जब ग्राहक उस उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो ग्राहक को अभिरक्षा हस्तांतरण की बिन्दु पर है जहाँ सामान्यतः स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है, बशर्ते कि संविदा मूल्य नियत हो या निर्धारण योग्य हो और प्राप्य की संग्रहणीयता तर्कसंगत रूप से आश्वासित हो।

ऐसी प्रत्येक बिक्री सामान्यतया निष्पादन दायित्व को निरूपित करती है।

किसी सेवा से प्राप्त राजस्व को उस लेखांकन अवधि में मान्य किया जाता है जिस अवधि में यह सेवा संविदात्मक रूप से सहमत दरों पर प्रदान की जाती है।



राजस्व को प्राप्त या प्राप्य वस्तु के लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है और यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्य राशि जो कारोबार के सामान्य संचालन में, छूटों और लागू करों इत्यादि के निवल राशि को निरूपित करता है। मूल्यों में किसी भूतलक्षी पुनरीक्षण को निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के समय आकलित किया जाता है। किसी और टूअप को ऐसे पुनरीक्षण के वर्ष में अभिज्ञात किया जाता है।

कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस संपत्तियां, जिसमें कंपनी का अन्य उत्पादकों के साथ अधिकार है, से राजस्व को उस अवधि के दौरान उठायी गयी वास्तविक मात्रा के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को खनित तेल की हकदारी मात्रा और उठायी गयी मात्रा के बीच के किसी अंतर को, यदि धनात्मक (अर्थात् उठायी गयी मात्रा कम) होता है तो आनुपातिक उत्पादन व्यय को पूर्व भुगतान किया गया व्यय माना जाता है और यदि ऋणात्मक (अर्थात् उठायी गयी मात्रा अधिक) होता है तो संयुक्त प्रचालन समझौता (जेओए) / उत्पादन साझीदारी करार (पीएसए) के अनुसार उत्पादन व्यय के कंपनी के आनुपातिक हिस्से के सर्वश्रेष्ठ आकलन के लिए एक लाभ एवं हानि विवरण में संगत परिवर्तन के साथ संगत प्रभार वाले कच्चे तेल की अधिक उठान मात्रा के निपटान के मद में एक देयता सृजित की जाती है।

### 3.16 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

कंपनी की व्यावहारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर ('यूएसडी') है जो प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें यह परिचालित होता है, की मुद्रा दर्शाता है।

इंड एस – 21 – विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव, के अनुसार – कंपनी की व्यावहारिक मुद्रा (विदेशी मुद्रा) के अलावा किसी अन्य मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन की तिथियों को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्राओं में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिवस को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर मौद्रिक मदों जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक दरों पर मापा जाता है, को पुनः रूपांतरित नहीं किया जाता है।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों को उस अवधि के लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

### 3.17 प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरण

कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये ('₹') में प्रस्तुत किया है। कंपनी ने अपने परिणामों और वित्तीय स्थितियों को व्यावहारिक मुद्रा (यूएसडी) से प्रस्तुति मुद्रा ('₹') में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया है :

- प्रत्येक प्रस्तुत तुलन-पत्र के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों (इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य आरक्षित निधि को छोड़ कर) को तुलन पत्र की तिथि की अंतिम दर (31 मार्च 2023 को : 1 अमेरिकी डॉलर = 82.15\*) पर रूपांतरित किया गया है;
- इक्विटी शेयर पूंजी, लंबित शेयर आवंटन के शेयरधारक अग्रिम सहित, को लेन-देन की तिथियों की विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है। पूंजीगत आरक्षित निधि को लेन-देन की तिथि की विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है। अन्य आरक्षित निधियों को उस अवधि के दौरान, जिससे वह संबंधित है, की औसत विनिमय दरों का उपयोग करते हुए रूपांतरित किया गया है;
- लाभ तथा हानि के प्रत्येक विवरण के लिए आय एवं व्यय को लेन-देन की तिथि की विनिमय दरों पर रूपांतरित कर प्रस्तुत किया गया है सिवाय कुछ मदों को, जिनके लिए उस अवधि के औसत विनिमय दरों (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष : 1 अमेरिकी डॉलर = 80.37\*) का उपयोग किया गया है;
- सभी परिणामी विनिमय अंतरों को 'विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण में विनिमय अंतर' के रूप में अन्य व्यापक आय में दर्शाया गया है, जिन्हें बाद में विदेशी प्रचालनों के निपटान पर लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

\*भारतीय स्टेट बैंक के टेलिग्राफिक अंतरण क्रय और विक्रय दरों के औसत के आधार पर निर्धारित।

### 3.18 बीमा दावे

कंपनी के बीमा दावों का लेखा निम्नवत होता है :

परिसंपत्तियों की संपूर्ण हानि के मामलों में या तो संबंधित परिसंपत्ति की बही लागत अथवा बीमा मूल्य (छूट के अध्यक्षीन) जो भी 'वसूली योग्य दावा – बीमा' शीर्ष के अंतर्गत कम है, बीमाकर्ता को सूचित कर अंतरित किए जाते हैं। जहां बीमा दावे से बही लागत से कम है, इस अंतर को लाभ तथा हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में, ऐसी परिसंपत्ति को उपयोग में लाने के लिए उपगत व्यय/भुगतान तीसरी पार्टी अथवा अन्य देयताओं (पॉलिसी छूट को कम करके), अगर कोई है तो, बीमाकर्ता से 'वसूली योग्य दावा-बीमा' माना गया है। बीमा पॉलिसी कटौतियां संगत व्यय वर्ष में व्यय की जाती हैं।

जब और ज्यों दावे बीमाकर्ता से प्राप्त होते हैं, प्राप्य दावे – बीमा और प्राप्त दावों के बीच अंतर, यदि कोई को लाभ एवं हानि विवरण में समयोजित किया जाता है।

### 3.19 आय कर

आय कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

#### (i) वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कराधीन लाभ पर आधारित होता है। कराधीन लाभ, लाभ एवं हानि के विवरण में यथासूचित "कर पूर्व लाभ" से भिन्न होता है क्योंकि किसी एक वर्ष में आय या व्यय की कर योग्य अथवा कटौती योग्य होने वाली मदें किसी अन्य वर्ष में कर योग्य तथा कटौती योग्य नहीं भी हो सकती हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या व्यापक रूप से अधिनियमित कर दरों तथा नियमों का उपयोग करके की जाती है।

#### (ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रणीत राशियों तथा कराधेय लाभ की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर अभिज्ञात किया गया है। आस्थगित कर की देयताओं को सामान्यतया सभी कराधेय अस्थाई अंतरों के लिए अभिज्ञात किया

गया है। आस्थगित कर की परिसंपत्तियों को सामान्यतया सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक अभिज्ञात किया गया है जहाँ तक इस बात की संभावना होती है कि कराधेय लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जिसके उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिस अवधि में उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है, देयताओं का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र में अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय जहाँ राजकोषीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सेट-ऑफ का अधिकार है और इस तरह के शेष को निवल आधार पर निपटाने का इरादा है।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है, जो उस तरीके का पालन करेगी जिस तरीके से कंपनी, रिपोर्ट अधीन अवधि के अंत में, अपनी आस्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि पुनः प्राप्त करने या निपटान करने की अपेक्षा करता है।

आस्थगित कर की परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसरण में संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) शामिल है जिससे आयकर की भावी देयता के विरुद्ध प्रतितुलन की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। तदनुसार, तुलन पत्र में मैट को आस्थगित कर की आस्ति के रूप में उस समय अभिज्ञात किया गया है, जब आस्ति को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है तथा इस बात की संभावना होती है कि आस्ति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

**(iii)** वर्तमान तथा आस्थगित कर व्यय

वर्तमान तथा आस्थगित कर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय जब वे ऐसी मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो, उस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्रदान की जाती है।

### 3.20 उधार लागतें

अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से पहचान की गई अथवा विशेषक परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित उधार लागतों को इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। विशेष अर्हक परिसम्पत्ति वह है जो अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने में काफी समय लेती है। सभी अन्य उधार लागतों को लाभ तथा हानि लेखों में प्रभारित किया जाता है।

### 3.21 असामान्य रिग दिवस लागतें

असामान्य रिग दिवस लागतों को गैर-आबंटन योग्य के रूप में माना जाता है तथा इन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 3.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई वर्तमान बाध्यता (विधिक या तर्कसाध्य) हो और यह संभावना हो कि कंपनी द्वारा बाध्यता का निपटान अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित मूल्य का श्रेष्ठ अनुमान होता है। जब किसी प्रावधान का मापन वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाहों का उपयोग करके किया जाता है, तो इसकी अग्रणीत राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होता है (जब राशि के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो)।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में लेखे की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभाव्य हो।

आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखे की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है, यदि आर्थिक लाभ अंतर्ग्रस्त होने वाले संसाधनों के बहिर्वाह बहुत कम हो।

### 3.23 वित्तीय विलेख

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को मान्यता, कंपनी के विलेख के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बनने पर की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का मापन प्रारंभ में उचित मूल्य पर किया जाता है। लेन-देन लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को छोड़कर) के अधिग्रहण या निर्गम पर सीधे आरोप्य होते हैं, को प्रारंभिक मान्यता पर, यथा उपयुक्त, वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण को सीधे आरोप्य संव्यवहार लागतों को लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल मान्यता प्रदान की जाती है।

### 3.24 वित्तीय परिसंपत्तियां

#### (i) नकदी तथा नकदी समतुल्य

कंपनी सभी अत्यधिक नकदी वाले वित्तीय विलेखों, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में तत्काल परिवर्तनीय होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के अत्यल्प जोखिमों के अधीन होते हैं तथा जिनकी मूल परिपक्वता क्रय तिथि से तीन माह अथवा कम समय की होती है, को नकदी समतुल्य मानती है। नकदी तथा नकदी समतुल्य

में बैंकों में शेष राशि आती है जो आहरण तथा उपयोग हेतु अप्रतिबंधित होते हैं, जब तक अन्यथा कथित न हो।

**(ii)** परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन बाद में परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके किया जाता है यदि ये वित्तीय आस्तियां उसी व्यापार में धारित हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करती हैं जो पूर्णतः मूलधन तथा मूलधन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

**(iii)** अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से किया जाता है यदि ये वित्तीय आस्तियां उसी व्यापार में धारित हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री करना है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करती हैं जो पूर्णतः मूलधन तथा मूलधन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

**(iv)** लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसका मापन परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से न किया जाए।

**(v)** वित्तीय परिसंपत्तियों को विमान्य करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाए, अथवा जब यह वित्तीय परिसंपत्ति को और व्यापक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को किसी अन्य पक्ष को अंतरित कर दे।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पूर्ण रूप से विमान्य किए जाने पर (सिवाय अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट इक्विटी विलेखों (एफवीटीओसीआई) के लिए, परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि और प्राप्त और प्राप्य के योग के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(vi) लाभांश और ब्याज आय

निवेशों से लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब शेयरधारकों का भुगतान प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि हो जाती है।

वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रारंभिक मान्यता पर लागू प्रभावी ब्याज दर पर मान्यता दी जाती है। विलंबित प्राप्ति पर ब्याज के संबंध में राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में तर्कसंगत निश्चितता हो।

### 3.25 वित्तीय देयताएं और इक्विटी विलेख

(क) कर्ज अथवा इक्विटी लिखतों के रूप में वर्गीकरण

कंपनी द्वारा निर्गत कर्ज और इक्विटी विलेखों को संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय देयताओं और किसी इक्विटी विलेख की परिभाषाओं के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इक्विटी विलेख

एक इक्विटी विलेख किसी ऐसी संविदा को कहते हैं जिसमें किसी कंपनी की परिसंपत्तियों में से इसकी सभी देयताओं की कटौती करने के पश्चात् अवशिष्ट हित का साक्ष्य होता है। कंपनी द्वारा जारी इक्विटी लिखतों को प्राप्त राशि पर मान्यता दी जाती है। नये साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गम पर प्रत्यक्ष रूप



से आरोग्य वृद्धिशील लागतों को कर प्रभावों के निवल इक्विटी से एक कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

#### ग) वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का मापन प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है।

नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज मुक्त ऋणों को संवितरण की तिथि को उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है और उचित मूल्य निर्धारण के अंतर को नियंत्रक कंपनी से स्वीकृत पूंजी योगदान के रूप में मान्य होता है। नियंत्रक कंपनी से प्राप्त मान्य पूंजीगत योगदान को इक्विटी परिवर्तन विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

देयता घटक को प्रभावी ब्याज दर का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पद्धति पर लेखांकित किया जाता है। यदि ऋण का पहले पुनर्भुगतान हो जाता है तो पहले मान्य नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत योगदान की अनुपातिक राशि को समायोजित किया जाता है।

#### (घ) वित्तीय देयताओं की विमान्यता

कंपनी केवल और केवल अपने दायित्वों के निपटान, निरस्त या समाप्त होने पर ही वित्तीय देयताओं को विमान्य करती है। विमान्य की गई वित्तीय देयता के वहन मूल्य और प्राप्त तथा प्राप्य प्रतिफल की राशि के रूप में मान्यता प्राप्त अंतर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

### 3.26 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जनों की गणना कर पश्चात निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जन की गणना कर पश्चात लाभ को आधारभूत अर्जन प्रति शेयर निकालने के लिए लिए गए इक्विटी शेयरों की

भारित औसत संख्या और सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी की जा सकने वाली इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी भाग देकर की जाती है।

### 3.27 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके सूचित किया जाता है जिसके द्वारा वर्ष हेतु लाभ को किसी गैर-नकदी प्रकृति के संव्यवहारों, पूर्व या भविष्य की प्रचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के विलंबन अथवा प्रोद्भवन और नकदी प्रवाहों के निवेश या वित्त-पोषण से संबद्ध आय या व्यय की मद हेतु समायोजित किया जाता है। नकदी प्रवाह को प्रचालन, निवेश तथा वित्त पोषण क्रियाकलापों में पृथक किया जाता है।

### 3.28 खंड प्रतिवेदन

प्रचालन खंडों की उस खंड को आवंटित किए जाने वाले संसाधनों के बारे में निर्णय करने के लिए और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न जोखिमों और प्रतिफलों, आंतरिक प्रतिवेदन प्रणालियों और उस आधार पर जिस पर प्रचालन के परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, की पहचान की जाती है और संसूचित किया जाता है।

### 3.29 पट्टे

इंड एस 116 "पट्टे" ने पट्टेदारों के लिए एक , तुलन पत्र पर लेखांकन मॉडल की शुरुआत की है। परिणामस्वरूप, समूह ने, पट्टादार के रूप में, उपयोग अधिकार आस्तियों को मान्यता दी, जो अन्तर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने के इसके अधिकारों को द्योतित करता है और पट्टा देयता जो पट्टा भुगतान करने के इसके दायित्व को द्योतित करता है।

पट्टादाता के रूप में

कंपनी किसी सक्रिय पट्टा संविदा में पट्टादाता नहीं है। इसलिए, और कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अंतर्गत, पट्टेदार के रूप में, इसने उपयोग अधिकार परिसंपत्ति जो अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग करने के इसके अधिकार द्योतित करता हो और पट्टा

देयताएं जो पट्टा भुगतान करने के इसके दायित्व को द्योतित करता हो। सिवाय बारह माह या कम अवधि के पट्टे (अल्पावधिक पट्टे) के और निम्न मूल्य पट्टे के इन अल्पावधिक और निम्न मूल्य पट्टों के लिए, कंपनी पट्टा भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में अभिज्ञात करती है।

#### 4. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, मान्यताएं और अनिश्चिता के अनुमानन के प्रमुख स्रोत

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त कई लेखांकन नीतियों के उपयोग में निर्णय लेने, अनुमान तथा मान्यताओं को लेने की प्रबंधन की आवश्यकताएं अंतर्निहित हैं जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि, आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटीकरण और राजस्व तथा व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम प्रयुक्त अनुमानों तथा मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों तथा निहित मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन मानकों में संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमान संशोधित होते हैं तथा भविष्य की अवधियां प्रभावित होती हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में निर्णय, मान्यताओं तथा अनुमानन अनिश्चिता के प्रमुख स्रोत जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों तथा देयताओं की अग्रणीत राशि में कोई महत्वपूर्ण समायोजन कर सकते हैं, वे कार्यात्मक मुद्रा, तेल तथा गैस भंडारों, क्षति, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवनकाल, तेल तथा गैस परिसंपत्तियों के निःशेषण, मौजूदा न किए जाने के प्रावधान, कर्मचारी लाभ बाध्यताओं, प्रावधान, आयकर हेतु प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के मापन से संबंधित हो सकते हैं।

##### 4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय

उन अनुमानों (टिप्पणी 4.2 देखें) को शामिल करने के अलावा प्रबंधन द्वारा कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

### (क) व्यावहारिक मुद्रा का निर्धारण

कंपनी के प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालन करती है, की मुद्रा ('व्यावहारिक मुद्रा') अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) है, जिसमें कंपनी मुख्य रूप से नकदी का सृजन और व्यय करती है। तदनुसार, प्रबंधन ने अपनी व्यावहारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया है।

### (ख) तेल तथा गैस परिसंपत्तियों में क्षरण के संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोजनीयता के मूल्यांकन में बाहरी कारकों (परिसंपत्ति के मूल्य में भारी कमी, प्रौद्योगिकीय, बाजार, आर्थिक या विधिक परिवेश, बाजार ब्याज दरों में बड़े परिवर्तन आदि) और आंतरिक कारकों (किसी परिसंपत्ति का अप्रचलित होना या उसमें भौतिक क्षति, परिसंपत्ति का खराब आर्थिक निष्पादन आदि) का आकलन अपेक्षित होता है जो तेल तथा गैस परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य मात्रा में बड़े परिवर्तनों में परिणत हो सकते हो।

### (ग) अन्वेषणात्मक कूप

यह निर्धारण कि क्या किसी अन्वेषण कूप द्वारा खोज किए गए संभाव्य आर्थिक तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडार आमतौर पर कूप पूर्णता के पहले वर्ष में हो जाते हैं, पर इसमें भू-वैज्ञानिक ढांचे की जटिलता पर निर्भर करते हुए अधिक समय भी लग सकता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस की संभाव्य आर्थिक मात्राओं की खोज करने वाले अन्वेषण कूप तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां उत्पादन को प्रारंभ करने से पूर्व प्रमुख पूंजीगत व्यय (जैसे कि कोई अपतटीय प्लेटफार्म अथवा पाइपलाइन), की आवश्यकता होगी, अथवा जहां प्रमुख पूंजीगत व्यय की आर्थिक व्यवहार्यता उस क्षेत्र में और अन्वेषण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने पर निर्भर करती हो, तुलन-पत्र में तब तक पूंजीकृत रहती है जब तक कि अतिरिक्त अन्वेषण या मूल्यांकन कार्य जारी हो अथवा उसकी ठोस आयोजना बनाई गई हो।

कई वर्षों तक तुलन-पत्र में अन्वेषण कूपों तथा अन्वेषणात्मक प्रकार के स्ट्रेटीग्राफिक जांच कूपों का स्थगित रहना असमान्य नहीं है जबकि संभाव्य तेल तथा प्राकृतिक गैस फील्डों में अतिरिक्त मूल्यांकन ड्रिलिंग और भूकंपीय कार्य को निष्पादित किया जाता है अथवा ईष्टतम विकास योजनाओं तथा समय

सारणी को स्थापित किया जा रहा होता है। ऐसी सभी वहन की जा सकने वाली लागतें कम से कम वार्षिक आधार पर नियमित तकनीकी, वाणिज्यिक तथा प्रबंधन समीक्षा के अधीन है ताकि खोज को विकसित करने या अन्यथा उससे मूल्य के निष्कर्षण हेतु सतत् मंशा की पुष्टि की जा सके। जहां ऐसा मामला न हो, लागतों को तत्काल व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

#### 4.2 अनिश्चिता आकलन की मान्यताएं और प्रमुख स्रोत

वे आकलन और पूर्वानुमान जिनका परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की मान्यता तथा मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, नीचे दिए गए हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

##### (क) डिकमिशनिंग हेतु प्रावधान का आकलन

कंपनी तेल एवं गैस परिसंपत्तियों के आर्थिक कार्यकाल के अंत में उनकी भावी डिकमिशनिंग हेतु इंड एस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां के सिद्धांतों के अनुसार डिकमिशनिंग के लिए प्रावधान का आकलन करता है। डिकमिशनिंग की इन गतिविधियों में से अधिकांश गतिविधियां भविष्य में होंगी, सटीक आवश्यकताओं को हटाने के समय पूरी करनी पड़ सकती है, में अनिश्चितता शामिल है। डिकमिशनिंग के लिए प्रौद्योगिकी एवं लागत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। भावी नकदी प्रवाहों की राशि एवं समय महत्वपूर्ण अनिश्चितता के अधीन होते हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी प्रवाहों को बढ़ा करने में प्रयुक्त ब्याज दर तथा मौजूदा लागत के अनुमानों को बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति की दर के साथ भावी व्यय के समय एवं राशि की समीक्षा की जाती है। तेल एवं गैस की परिसंपत्ति की दीर्घवधिक उत्पादन प्रोफाइल के आधार पर तेल एवं गैस की परिसंपत्तियों के अर्थक्षम जीवन काल का अनुमान लगाया जाता है।

##### (ख) परिसंपत्तियों का क्षरण

यह निर्धारित करना कि क्या किसी सीजीयू में कोई क्षरण हुआ है, और कितना हुआ है, में भविष्य के मूल्यों, प्रचालन व्ययों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव, छूट दरों, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा मूल्यवर्धित उत्पादों की उत्पादन प्रोफाइल जैसे अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान अंतर्ग्रस्त होते हैं। तेल तथा गैस परिसंपत्तियों हेतु प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों का अनुमान भविष्य के खनिज तेल और प्राकृ

तिक गैस मूल्यों, उत्पादन तथा आरक्षित प्रमात्राओं के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों का उपयोग करके लगाया जाता है।

कंपनी के नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों का निर्धारण कर पूर्व छूट दरों को अनुप्रयोग कर किया जाता है जो प्रत्येक सीजीयू से संबंधित धन के समय मान और देयता के विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। खनिज तेल की बिक्री से भावी नकदी अंतर्प्रवाह की गणना ब्लूमबर्ग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार डेटेड ब्रेंट खनिज तेल के बाजार आधारित अग्रिम मूल्यों या स्वतंत्र प्रतिष्ठित अन्य पक्षकारों द्वारा ब्रेंट कृड ऑयल वायदा / पूर्वानुमान मूल्यों के अनुसार और बेंचमार्क खनिज तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के साथ इसके सहसंबद्ध के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक गैस की बिक्री से भावी नकदी प्रवाह की भी गणना संबंधित समझौतों और / अथवा बाजार अनुमान के अनुसार निर्धारित मूल्यों के आधार पर प्रत्याशित भावी मूल्यों के आधार पर की जाती है।

प्रयुक्त बट्टा दर एक स्थापित मॉडल से पूंजी की लागत पर आधारित होती है।

उत्पादनकारी / विकासशील सीजीयू के उपयोग मूल्य का निर्धारण प्रमाणित और संभावित भंडारों पर आधारित आकलित भावी नकद प्रवाहों पर विचार करते हुए किया जाता है। उपयोग मूल्य का निर्धारण करते समय मूल्यांकन / विकास की प्रत्याशित लागत के पूरे आकलन पर भी विचार किया जाता है।

उत्पादन प्रोफाइल का आकलन करने में कंपनी सभी संविदात्मक संभावित विस्तारों, जिन पर वे लाइसेंस की अवधि तक सीमित किए बिना अर्थक्षम रूप से उत्पादन योग्य होते हैं, पर विचार करते हुए पूरी अवधि में अपने भंडारों का आकलन करती है।

क्षरण गणना के आकलन में अनुप्रयुक्त बट्टा दरों का प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) भंडारों का आकलन

वर्ष के अंत में कंपनी के भंडारों का आकलन अंतिम नियंत्रक कंपनी ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की क्षेत्रीय आकलन समिति (आरईसी) द्वारा किया जाता है, जो सतत् रूप से अंतर्राष्ट्रीय भंडार अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं का पालन करती है।

कंपनी अपने भंडारों का वार्षिक रूप से आकलन करती है और भंडारों का प्रकटन वित्त वर्ष के अंत में अर्थात् 1 अप्रैल को किया जाता है। इस कंपनी का गैर प्रचालक, संयुक्त प्रचालक और प्रचालक के रूप में भागीदारी हित के साथ पूरे विश्व में विभिन्न उत्पादनकारी और अन्वेषित परिसंपत्तियों में विश्व प्रमुख कंपनियों के साथ साझीदारी है। प्रत्येक परिसंपत्ति के प्रचालक / संयुक्त प्रचालक कंपनी वार्षिक आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों के भंडारों का मूल्यांकन करती है, और कंपनी के प्रतिनिधि तकनीकी / प्रचालन समिति बैठकों के माध्यम से उत्साह पूर्वक अंतःक्रिया करते हैं, जिनमें भंडारों के आकलन पर चर्चा की जाती है और इसे अंतिम रूप दिया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए अनुमोदित भंडारों की प्राप्ति पर, कंपनी मूल कंपनी ओएनजीसी के ई एंड डी निदेशालय के भंडार आकलन विशेषज्ञों के साथ इस पर चर्चा करती है और इसे मूल कंपनी ओएनजीसी के निदेशक (अन्वेषण) की अध्यक्षता में भंडार आकलन समिति (आरईसी) के विमर्श और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।

परिमाणात्मक आकलन, आकलन की मुख्य प्रक्रिया होती है जो इन-प्लेस हाइड्रोकार्बन की गणना करने के लिए कुंड चट्टानों और द्रव्य गुणधर्मों का उपयोग करती है और फिर यह आकलन करती है कि जो भाग एक दी हुई तिथि से, मौजूदा आर्थिक स्थितियों के तहत, स्थापित प्रचालन संव्यवहारों और विद्यमान सरकारी विनियमों के तहत दोहन के परिमाण का आकलन करती है। ज्यों ज्यों वे क्षेत्र जिनका यूप्रसंगत अच्छा उत्पादन इतिहास होता है, परिपक्व होते हैं, निष्पादन पद्धतियों जैसे सामग्री शेष, उत्प्रेरण, गिरावट आलेख विश्लेषण का भंडारों के सटीक आकलन के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। कई उत्पादनकारी और अन्वेषितपरिसंपत्तियों के लिए जिनमें कंपनियों का पण होता है, संबंधित प्रचालक और संयुक्त प्रचालक कंपनियां विधिवत जाँच और लेखा परीक्षा के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी परिसंपत्तियों के भंडारों का आवधिक रूप से तृतीय पक्ष संपरीक्षा आयोजित करवाती है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त परामर्शदाता द्वारा किया जाता है जो अपने मूल्यांकन के लिए नवीनतम औद्योगिक प्रथाओं का अपनाते हैं।

आकलनों का वार्षिक पुनरीक्षण वार्षिक अन्वेषणात्मक तथा विकास क्रियाकलापों और तत्संबंधी परिणामों पर आधारित होता है। नई इन-प्लेस मात्रा और अंतिम भंडारों का आकलन पहले से खोज किए गए क्षेत्रों में नई फील्ड खोजों या नई पूल खोजों हेतु लगाया जाता है। साथ ही मूल्यांकन क्रियाकलाप नए उप-सतह डाटा के कारण अनुमानों में संशोधन में भी परिणत होते हैं। इसी प्रकार, पेट्रो-भौतिक पैरामीटरों में बदलाव, स्थिर तथा परिवर्तनशील मॉडलों को अद्यतन करने और भंडारों में परिवर्तन में परिणत होने वाले निष्पादन विश्लेषण के कारण पुराने फील्डों हेतु पुनःव्याख्या क्रिया भी की जाती है। नई प्रौद्योगिकी के अंतर्क्षेप, वर्गीकरण तथा संविदात्मक प्रावधानों में परिवर्तन के चलते भी भंडारों के अनुमानन में संशोधन आवश्यक हो जाता है।

(घ) नकदी सृजक इकाई का निर्धारण (सीजीयू)

कंपनी मुख्यतः अभितट और अपतट में तेल और गैस अन्वेषण एवं उत्पादन का कारोबार करती है। उन फील्डों में जहां साझी उत्पादन / परिवहन सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है और जहाँ पर्याप्त आर्थिक अंतर्निर्भरता है, उसे नकदी सृजक इकाई (सीजीयू) गठित माना जाता है।



ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

5. अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

अग्रणीत राशि :	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
फर्निचर एवं जुड़नार	1.49	2.39
वाहन	0.02	0.02
कार्यालय उपकरण	0.02	0.02
कुल	1.53	2.43

लागत	फर्निचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2021 को शेष	6.32	1.29	0.54	8.15
अवधि के दौरान परिवर्द्धन	1.58	—	—	1.58
निपटान / समायोजन / अंतरण	—	—	—	—
विनिमय अंतर प्रभाव (देखें टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1 (क) देखें)	0.22	0.04	0.02	0.28
31 मार्च, 2022 को शेष	8.12	1.33	0.56	10.01

संचित मूल्यहास एवं क्षरण	फर्निचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2022 को शेष	8.12	1.33	0.56	10.01
मूल्यहास व्यय	—	—	—	—
निपटान/समायोजन/अंतरण पर निरसन	—	—	—	—
विनिमय अंतर प्रभाव (देखें टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	0.69	0.11	0.05	0.85
31 मार्च, 2023 को शेष	8.81	1.44	0.61	10.86

संचित मूल्यहास और क्षरण	फर्निचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2021 को शेष	4.28	1.14	0.52	5.94

मूल्यहास व्यय	1.30	0.13	—	1.43
निपटान / समायोजन / अंतरण	—	—	—	—
विनिमय अंतर प्रभाव (देखें टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1 (क) देखें)	0.15	0.04	0.02	0.21
31 मार्च, 2022 को शेष	5.73	1.31	0.54	7.58

संचित मूल्यहास एवं क्षरण	फर्निचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2022 को शेष	5.73	1.31	0.54	7.58
मूल्यहास व्यय	1.08	—	—	1.08
निपटान/समायोजन/अंतरण पर निरसन	—	—	—	—
विनिमय अंतर प्रभाव (देखें टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	0.51	0.11	0.05	0.67
31 मार्च, 2023 को शेष	7.32	1.42	0.59	9.33

5.1. कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य भागीदारों के साथ परिसंघीय (कंसोर्टियम) रूप में आयोजक सरकारों के साथ समझौते के तहत हाइड्रोजनकार्बन के अन्वेषण, विकास और उत्पादन से संबंधित अपना व्यवसाय कर रही हैं। कार्य क्षेत्रों / परियोजनाओं में कंपनी की गतिविधियों के संचालन कर रहे ऐसे कई समझौतों में ये प्रावधान हैं कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों के अर्जन / प्रथम उपयोग पर अथवा “लागत तेल” और “लागत गैस” के आवंटन के माध्यम से इन लागतों की 100 प्रतिशत वसूली पर अथवा संबंधित संविदा क्षेत्रों के परित्याग या संबंधित समझौते के निरस्तीकरण पर इस प्रकारकी परिसंपत्तियों तथा अन्य सहायक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व आयोजक सरकार या इसके द्वारा नामित कंपनियों के नाम हस्तांतरित हो जाएंगे। तथापि, समझौतों की शर्तों के अनुसार, परिसंघ और/ अथवा ऑपरेटर के पास इस प्रकार की सभी परिसंपत्तियों की धारिता होती है और वह संबंधित समझौतों की संपूर्ण अवधि के दौरान निःशुल्क रूप से पेट्रोलियम के संचालन के लिए इस प्रकार की सभी परिसंपत्तियों का निःशुल्क उपयोग करने का हकदार होता है। परिसंघ के पास इस प्रकार की परिसंपत्तियों का अभिरक्षण व अनुरक्षण अधिकार भी होता है और यह इनसे संबंधित सभी प्रकार के आकस्मिक घाटों व क्षतियों के जोखिमों को वहन करता है और इन परिसंपत्तियों का रखरखाव करने तथा इनके क्षतियों व हानियों की प्रतिपूर्ति व मरम्मत के लिए सभी आवश्यक लागतों को भी वहन करता है। इन सभी परिस्थितियों के तहत, इस प्रकार की परिसंपत्तियों को संबंधित समझौतों की वैधता अवधि के दौरान कंपनी के अभिलेखों में भी रखा जाता है।

5.2 प्रभारित मूल्यहास की गणना करते समय, अर्जन लागत के 2 प्रतिशत मूल्य के अवशिष्ट मूल्य पर अन्य पीपीई की मूर्त मदों के लिए विचार किया गया।

6. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य

मद	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार	
क) तेल और गैस आस्तियां						
(i) निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाएं	—	—	—	—	—	—
प्रारंभिक शेष	—	—	—	—	—	—
साझा नियंत्रण कारोबार संयोजन के कारण समायोजन	—	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान व्यय	9.10	—	—	—	—	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पण सं. 6.2 देखें)	135.18	—	—	—	—	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	3.19	147.47	—	—	—	—
घटाएं : संचयित क्षरण	—	—	—	—	—	—
प्रारंभिक शेष	—	—	—	—	—	—
अवधि के दौरान प्रावधानित	—	—	—	—	—	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पण सं. 3.17 और 4.1 (क) देखें)	—	—	—	—	—	—
निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाओं की अग्रणीत राशि	—	147.47	—	—	—	—

मद	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
(ii) निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाएं	—	—	—	—
प्रारंभिक शेष	58,486.51	—	47,512.92	—
वर्ष के दौरान व्यय	2,593.67	—	7,055.80	—
वर्ष के दौरान समायोजन	308.58	—	2,304.39	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	5,005.68	66,394.44	1,613.40	58,486.51
	—	—	—	—
घटाएं : संचयित क्षरण	—	—	—	—
प्रारंभिक शेष	—	—	—	—
अवधि के दौरान प्रावधानित	—	—	—	—
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1(क) देखें)	—	—	—	—
	—	—	—	—
निर्माणाधीन तेल एवं गैस सुविधाओं की अग्रणीत राशि	—	66,394.44	—	58,486.51

6.1 सीडब्ल्यूआईपी संबंधी उधार लागत के पूंजीकरण को 1 अप्रैल 2021 से इस परियोजना में अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण निलंबित कर दिया गया है। मेजाबिक कारोबार से संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2020 से उधार लागत पूंजीकरण शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 तक जारी रहा।

6.2 ये समायोजन वर्तमान वर्ष में विकास कूपों में पुनर्वर्गीकरण से संबंधित है जो पिछले वर्ष में अर्थात् दिनांक 31.03.2022 में निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूपों के रूप में अभिज्ञात किए गए थे।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

7. निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
क. निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप				
सकल लागत	-	-	-	-
प्रारंभिक शेष	17,298.08	-	19,054.00	-
वर्ष के दौरान समायोजन (टिप्पणी 7.4 देखें)	(443.76)	-	(2,304.39)	-
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	1,451.66	18,305.98	548.47	17,298.08
	-	-	-	-

घटाएं : संचित क्षरण	-	-	-	-
प्रारंभिक शेष	-	-	-	-
अवधि के दौरान प्रावधान	-	-	-	-
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	-	-	-	-
निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूपों की अग्रणीत राशि	-	18,305.98	-	17,298.08

ख. खनिज अधिकार अधिग्रहित करने के लिए अर्जन लागत	-	-	-	-
लागत	-	-	-	-
प्रारंभिक शेष	203,029.42	-	196,972.04	-
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	17,153.64	220,183.06	6,057.38	203,029.42
घटाएं : संचित क्षरण				
प्रारंभिक शेष	24,053.00	-	25,748.46	-
अवधि के दौरान प्रावधानित (टिप्पणी 24.1 और 24.2 देखें)	(25,488.42)	-	(2,477.00)	-
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	1,465.42	0.00	751.54	24,023.00
अर्जन लागत की अग्रणीत राशि	-	220,183.06	-	179,006.42

7.1 सीडब्ल्यूआईपी संबंधी उधार लागत के पूंजीकरण को 1 अप्रैल 2021 से इस परियोजना में अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण निलंबित कर दिया गया है। मोजाबिक कारोबार से संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2020 से उधार लागत पूंजीकरण शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 तक जारी रहा।

7.2 अधिग्रहण लागत प्रमाणित या अप्रमाणित तेल एवं गैस संपत्तियों के संपत्ति या खनिज अधिकार अधिग्रहित करने की लागत से संबंधित है जो वर्तमान में अन्वेषण/विकास चरण में है; ऐसी लागतों को वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत से या अन्वेषण परियोजना के परित्याग के मामले में बड़े खाते डाले जाने पर उत्पादन इकाई पद्धति से तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में अंतरित कर निःशेषित किया जाएगा।

एरिया 1 ईपीसीसी के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक फील्ड की विकास और उत्पादन अवधि उस तिथि से शुरू होगी जिस तिथि से उस फील्ड की विकास योजना प्रभावी है (अर्थात् एफआईडी) और तीस (30) वर्षों की अवधि तक जारी रहेगी। यह अवधि एफएम के कारण विस्तारित की जा सकती है। एरिया 1 में मोजांबिक के विनियामक द्वारा अनुमोदित पाँच अन्वेषित फील्ड हैं जिनके लिए एफआईडी 18 जून 2019 को लिया गया था। अन्य फील्डों के लिए, 30 वर्षीय विकास और उत्पादन अवधि, प्रत्येक फील्ड की एफआईडी की तिथि से शुरू होगी। अंतिम फील्ड की एफआईडी वर्ष 2035 तक शुरू होने की अवधारणा के आधार पर, विकास और उत्पादन अवधि वर्ष 2064 तक माना गया है।

- 7.3 इस परियोजना में घोषित अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण 1 अप्रैल 2022 से अधिग्रहणलागत संबंधी उधार लागत के पूंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। मोजांबिक कारोबार से संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उधार और पूंजीकरण 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ और दिनांक 31.03.2021 तक जारी रहा।
- 7.4 समायोजन वर्तमान वर्ष में निर्माणाधीन विकास कूप में पुनर्वर्गीकरण से संबंधित है जो पिछले वर्ष में अर्थात् दिनांक 31.03.2022 में निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप में अभिज्ञात किया गया था।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

8. निवेश (गैर मौजूदा)

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
सहयोगी कंपनियों में निवेश (इक्विटी पद्धति) :		
(क) इक्विटी विलेखों में निवेश :	2,564.63	1,659.25
	2,564.63	1,659.25

8.1 इक्विटी विलेखों में निवेश

विवरण	निवेश मुद्रा	अंकित मूल्य / चुकता मूल्य	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
			शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अनुद्धृत निवेश (पूर्णतः चुकता)						
क. सहयोगी कंपनी में निवेश						
(क) मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड		1.00	34,168,460	2,564.63	22,223,160	1,659.25
सहयोगी कंपनी में कुल निवेश				2,564.63	—	1,659.25
घटाएं : संचित क्षरण				—	—	
सहयोगी कंपनी में निवेश (I)				2,564.63	—	1,659.25
इक्विटी विलेखों में निवल निवेश (I)				2,564.63	—	1,659.25
अनुद्धृत निवेशों का समुदित अग्रणीत मूल्य				2,564.63	—	1,659.25
निवेशों के मूल्य में क्षरण की समुदित राशि				—	—	

8.1.2 सहयोगी कंपनी के इक्विटी विलेखों में निवेश के मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष

अवधि की शुरुआत में शेष	1,659.25	1,467.56
अवधि के दौरान परिवर्द्धन	765.16	144.24
विनिमय अंतर का प्रभाव (टिप्पणी सं. 3.17 और 4.1 (क) देखें)	140.22	47.95
अवधि के अंत में शेष	2,564.63	1,659.25

### 8.1.3 सहयोगी कंपनी का विवरण

सहयोगी कंपनी का नाम	मुख्य कार्यकलाप	अधिनिगमन का स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार / मताधिकार का अनुपात	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार / मताधिकार का अनुपात
			31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
(क) मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लि.	कंपनी विक्रेता एसपीई (विपणन एवं पोत परिवहन गतिवधियां) एवं उधारकर्ता एसपीई (परियोजना वित्तपोषण) के शेयरों का 100 प्रतिशत धारित करती है	यूएई में अधिनिगमित और प्रचालन मोजाबिक में	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

8.14 सहयोगी कंपनी मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वर्तमान वर्ष के लाभ एवं हानि हिस्से में पिछले वर्ष अर्थात् दिनांक 1.4.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि से संबंधित 110.68 मिलियन रुपए की राशि की हानि शामिल है, जिसे सहयोगी कंपनी के अनकेक्षित लेखाओं के आधार पर समायोजित किया गया है। कोई पुनर्कथन नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व अवधि के लिए अभिज्ञात राशि कंपनी द्वारा निर्णीत तात्विक थ्रेशोल्ड सीमा से कम है।

8.1.5 भारत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की ऋणों की सामान्य शर्तों में निहित विश्व बैंक के नकारात्मक रेहन प्रसंविदा के अधीन है, जो भारत की "सार्वजनिक संपत्तियों" पर प्रतिभूति हितों (मोटे तौर पर परिभाषित) की संस्वीकृति पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। तदनुसार, ओएनजीसी, ओवीएल और ओवीआरएल सहित एरिया 1 परियोजना के भारतीय प्रायोजक उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ डब्ल्यूबीएनपी प्रसंविदा से प्रभावित हैं और परिणामस्वरूप उनकी पीआई, और परियोजना परिसंपत्तियों में उनके हिस्से और प्राप्यों पर वरीय ऋणदाताओं के पक्ष में कोई रेहन, प्रभार या अन्य ऐसी प्रतिभूति संस्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया जाता है। उपर्युक्त के आलोक में, प्रसंविदात्मक प्रतिभूति पैकेज की स्वीकृति के बदले, ओवीआरएल ने परियोजना वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सीएसए (साझा प्रतिभूति करार) प्रतिभूति अभिरक्षक के रूप में स्टैंडर्ड बैंक, एस.ए. को होल्डको में शेयरों पर अभिरक्षा व्यवस्था प्रदान किया है।

### 8.1.5 महत्वपूर्ण सहयोगी कंपनियों की सारबद्ध वित्तीय सूचना

महत्वपूर्ण सहयोगी कंपनियों की सारबद्ध वित्तीय सूचना नीचे दी गयी है :

विवरण	मोज एलएनजी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	
	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
गैर-मौजूदा आस्तियां	48,385.82	38,414.61
मौजूदा आस्तियां	1,011.38	654.88
गैर-मौजूदा देनदारियां	19,617.95	21,762.98

मौजूदा देनदारियां	4,163.65	924.14
आस्तियों और देनदारियों की उपर्युक्त राशियों में निम्नलिखित शामिल है		
नकदी और नकदी समतुल्य	974.00	964.16
मौजूदा वित्तीय देनदारियां (व्यापार संदेयों और प्रावधानों को छोड़कर)	1,118.27	902.33
गैर-मौजूदा वित्तीय देनदारियां (व्यापार संदेयों और प्रावधानों को छोड़कर)	19,617.95	21,762.98
	मोज एलएनजी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	
विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
राजस्व	720.05	4,659.32
सतत् प्रचालनों से लाभ या हानि	(1,280.41)	(1,294.49)
वर्ष की अन्य व्यापक आय	—	—
वर्ष की कुल व्यापक आय	(1,280.41)	(1,294.49)
वर्ष के दौरान सहयोगी कंपनियों से प्राप्त लाभांश	—	—
वर्ष की उपर्युक्त लाभ (हानि) में निम्नलिखित शामिल है :		
मूल्यह्रास और परिशोधन	28.96	23.24
ब्याज आय	—	(13.84)
ब्याज व्यय	1,115.97	678.52
आय कर व्यय (आय)	9.83	276.34



9. अन्य आस्तियां

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	गैर मौजूदा	मौजूदा	गैर मौजूदा	मौजूदा
(क) जमा	—	—	—	—
सरकारी / कर प्राधिकरणों में	1,085.68	—	970.01	—
(ख) पूर्व भुगतान				
- प्रत्याभूति प्रभार	33.55	2.36	33.12	2.18
- अन्य	—	71.41	—	140.80
कुल	1,119.23	73.77	1,003.13	142.98

9.1. ओएनजीसी (मुख्य नियंत्रक कंपनी) द्वारा मोजांबिक परियोजना में 10 प्रतिशत पीआई के लिए 1920 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का कर्ज सेवा वचन (डीएसयू) दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक परियोजना द्वारा 287.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आहरण (ड्रॉ-डाउन) किया गया है (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 287.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर), और कंपनी की 10 प्रतिशत पीआई की राशि 28.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 28.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पीआई तक सीमित डीएसयू के उचित मूल्य को बही में दर्ज किया गया है। परियोजना में विद्यमान अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के कारण वर्ष के दौरान आगे और कोई आहरण नहीं किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

10. मालसूची (इन्वेंट्री)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
स्टोर और कलपूर्जे	375.48		386.97	386.97
घटाएं : अप्रचलित / अचर मालसूची	—	—	—	—
कुल	—	375.48	—	386.97

11. नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष	4.66	2.81
रोकड़ शेष	0.03	0.06
कुल	4.69	2.87

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो परिशोधित लागत पर)

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	गैर मौजूदा	मौजूदा	गैर मौजूदा	मौजूदा
(क) पक्षकारों से प्राप्त की जाने वाली राशि				
– अप्रतिभूत, अच्छे माने गए				
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाबिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)	–	2.76	–	2.64
भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (बीआरईएमएल)	–	0.37	–	0.71
(ख) प्रतिभूति जमा				
– अच्छे माने गए, अप्रतिभूत	0.19	–	0.18	–
(ग) नकद में प्राप्त होने वाले अग्रिम				
–अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	–	–	–	–
– अन्य से		2,776.17		2,033.76
(घ) ऑपरेटर से प्राप्य				
–अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	–	349.39	–	600.29
(ङ) निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज				
– अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	–	–	–	–
– अग्रनीत ब्याज (टिप्पणी सं. 12.1 देखें)	3,648.15	–	2,118.49	–
(च) अग्रनीत ब्याज (टिप्पणी सं. 12.1 देखें)	–	–	–	–
– अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	18,177.94	–	15,740.05	–
कुल	21,826.28	3,128.69	17,858.72	2,637.40

12.1 अग्रनीत ब्याज और उस पर प्रोद्भूत ब्याज मोजाबिक प्रचालनों से संबंधित हैं, जो ईपीसीसी के खंड 9.13 (ङ) और निधियन करार के खंड 4 के आधार पर एरिया 1 अपतट मोजाबिक से संबंधित मोजाबिक की राष्ट्रीय तेल कंपनियों से वसूली योग्य है। उक्त मद का, यह ध्यान में रखते हुए कि यह पुनर्भुगतान सीधे ही परियोजना से उससे वाणिज्यिक उत्पादन से धनात्मक नकद प्रवाह से सीधे ही संबद्ध है, इंड एस 36 के अंतर्गत क्षरण परीक्षण किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

13. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी शेयर पूंजी	108,910.57	87,789.66
	108,910.57	87,789.66
अधिकृत :		
10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के 15,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	150,000.00	100,000.00
निर्गत और अभिदत्त : 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 8,78,77,53,831 इक्विटी शेयर)	109,019.59	87,877.54
पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर : 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के 10,90,19,58,887 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 8,78,77,53,831 इक्विटी शेयर)	109,019.59	87,877.54
कुल	109,019.59	87,877.54

13.1 प्रतिवेदनाधीन अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान प्रतिवेदन अधीन वर्ष की शुरुआत में पुनर्कथित शेष	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	इक्विटी पर प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागत	31 मार्च, 2023 को शेष
87,789.66	—	87,789.66	21,142.05	— (21.14)	1,08,910.57
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष		—	—		
69,852.74	(69.85)	69,782.89	18,024.80	(18.03)	87,389.66

13.2 इक्विटी शेयरों की शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक एक मत प्रति शेयर का हकदार है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी के परिसमापन की दशा में इक्विटी शेयरों के धारक, सभी अधिमानी राशियों के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष आस्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

13.3 नियंत्रि कंपनी और इसके नामिति द्वारा धारित शेयरों के विवरण :

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एवं इसके नामिती	10,901,958,887	109,019.59	8,787,753,831	87,877.54

13.4 आवंटित बोनस शेयर की कुल संख्या, नकदी में भुगतान किए बिना संविदा के अनुसरण में आवंटित शेयर और प्रतिवेदन तिथि के ठीक 5 वर्ष पहले की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या : शून्य।

13.5 शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा या प्रतिबद्धता के तहत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर : शून्य

13.6 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण इस प्रकार हैं :-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयरधारिता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयर धारिता
नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी लिमिटेड एवं इसके नामिती	10,901,958,887	100 प्रतिशत	8,787,753,831	100 प्रतिशत

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

14 अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
क1. नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजी योगदान – निधियन*	4,530.18	17,694.41
क2. नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजी योगदान – ब्याज रहित ऋण का उचित मूल्य	1,947.16	1,543.44
क3. नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजी योगदान – गारंटी प्रभागों का उचित मूल्य	36.05	36.05
ख. आरक्षित निधि और अधिशेष		
- पूंजीगत आरक्षित निधि	23,441.40	23,441.40
- प्रतिधारित आय	(52,704.32)	(77,151.09)
ग. विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को रूपांतरित करने से उत्पन्न विनिमय अंतर (टिप्पणी 3.17 और 4.1 (क) देखें)	4,601.24	643.93
	(18,148.29)	(33,791.86)
विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
(क) पूंजी आरक्षित निधि	—	—
वर्ष के प्रारंभ में शेष	23,441.40	23,441.40
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
वर्ष के अंत में शेष	23,441.40	23,441.40
(ख) प्रतिधारित आय		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(77,151.08)	(71,022.76)
वर्ष का लाभ / (हानि)	24,446.77	(6,128.32)
वर्ष के अंत में शेष	(52,704.31)	(77,151.08)
(ग) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर	—	—
वर्ष के प्रारंभ में शेष	643.87	(234.56)
वर्ष के दौरान परिवर्तन	3,957.31	878.49
अवधि के अंत में शेष	4,601.24	643.93

\*प्रकटन की गयी राशि इक्विटी के प्रति अग्रिम को निरूपित करते हैं

14.1 कंपनी ने मुख्य मूल कंपनी ओएनजीसी से ब्याज रहित प्रत्याभूति प्राप्त किया है। नियंत्रक कंपनी से मान्य पूंजीगत अंशदान के रूप में दर्शायी गयी 36.05 मिलियन रुपए की राशि बिना किसी प्रतिफल के दी गयी वित्तीय गारंटी के उचित मूल्य के मद में है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

15 उधार

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
	गैर – मौजूदा	मौजूदा	गैर – मौजूदा	मौजूदा
अप्रतिभूत –परिशोधित लागत पर				
(i) नियंत्रक कंपनी से ऋण	180,730.00	–	166,650.00	–
कुल	180,730.00	–	166,650.00	–

15.1 नियंत्रक कंपनी से ऋण

कंपनी ने मोजाबिक कारोबार के अधिग्रहण हेतु ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (मूल कंपनी) से ऋण लिया है। वर्ष के दौरान, ओएनजीसी विदेशलिमिटेड ने अपने आंतरिक संसाधनों से सावधि ऋण में से 89.785 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का पुनर्भुगतान कर दिया है। इसलिए, ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड की बहियों में 89.785 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण से इक्विटी के प्रति अग्रिम में अंतरित कर दिया गया है।

15.2 ओवीएल और ओवीआरएल के बीच हस्ताक्षरित ऋण करार के अनुसार पुनर्भुगतान अनुसूची इस प्रकार है :

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	आहरण तिथि	पुनर्भुगतान तिथि	कूपन
1000 मिलियन अमे. डा.	82,150.00	1 जनवरी, 2020	30 मार्च 2025	1000 मिलियन अमे. डा. +लायबोर +0.95 प्रतिशत
500 मिलियन अमे. डा.	41,075.00		12 जुलाई 2026	500 मिलियन अमे. डा. + लायबोर +0.97 प्रतिशत
600 मिलियन अमे. डा.	49,290.00		27 अक्टूबर, 2026	600 मिलियन अमे. डा. +लायबोर+0.85 प्रतिशत
100 मिलियन अमे. डा.	8,215.00		27 जनवरी 2027	100 मिलियन अमे. डा.– 3 माह अवधि एसओएफआर +0.90 प्रतिशत
कुल	180,730.00			

\* पुनर्भुगतान अनुसूची ऋण करार के औपचारिकरण और वर्ष के दौरान निष्पादित पुनर्भुगतान अनुसूची के आधार पर रखा गया है ।

लायबोर लंदन अंतर्राष्ट्रीय बैंक की प्रस्तावित दर को निरूपित करता है।

एसओएफआर प्रतिभूत ओवरनाइट वित्तपोषण दर को निरूपित करता है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

16. अन्य वित्तीय देयताएं

मद	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
	गैर – मौजूदा	मौजूदा	गैर – मौजूदा	मौजूदा
नियंत्रक कंपनी को संदेय	—	3.94	—	3.76
ओएनजीसी को संदेय	—	0.76	—	0.39
उपचयित ब्याज	—	—	—	—
—नियंत्रक कंपनी से ऋण	—	13,425.53	—	6,216.19
कुल	—	13,430.23	—	6,220.34



ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

17. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

निम्नलिखित एकल तुलन पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर आस्तियों (देयताओं) का विश्लेषण है :

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	5,589.64	6,147.49
आस्थगित कर देयताएं	53,591.86	56,424.11
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	48,002.22	50,276.65

विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
	1	2	3	4	(1+2+3+4)
निम्न से संबद्ध आस्थगित कर (देयताएं) / परिसंपत्तियां					
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान (प्राप्य)	—	—	—	—	—
अग्रेनीत हानियां – मूल्यहास	3,997.14	2,150.35	—	—	6,147.49
अग्रेनीत हानियां कारोबार हानि	—	—	—	—	—
अप्रयुक्त कर जमा	—	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,997.14	2,150.35	—	—	6,147.49
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / अमूर्त	51,208.53	903.12	—	3,966.61	56,078.26
विदेशी करें	—	—	—	—	—
वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर	(125.99)	—	471.87	—	345.88
कुल आस्थगित कर देयताएं	51,082.54	903.12	471.87	3,966.61	56,424.14
निवल आस्थगित कर देयताएं	47,085.40	(1,247.23)	471.87	3,966.61	50,276.65

विवरण	1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	अवधि के लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष
	1	2	3	4	(1+2+3+4)
निम्न से संबद्ध आस्थगित कर (देयताएं) / परिसंपत्तियां					
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान (प्राप्य)	—	—	—	—	—
अग्रेनीत हानियां – मूल्यहास	6,147.49	(557.85)	—	—	5,589.64
अग्रेनीत हानियां कारोबार हानि	—	—	—	—	—
अप्रयुक्त कर जमा	—	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—	—
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	6,147.49	(557.85)	—	—	5,589.64
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / अमूर्त	56,078.26	(8,212.36)	—	4,049.13	51,915.03

विदेशी करें	—	—	—	—	—
विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर	345.88	—	1,332.95	—	1,678.48
कुल आस्थगित कर देयताएं	56,424.14	(8,212.36)	1,330.95	4,049.13	53,591.86
निवल आस्थगित कर देयताएं	50,276.65	(7,654.51)	1,330.95	4,049.13	48,002.22

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

18. व्यापार संदेय – मौजूदा

मद	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय	931.45	1,259.67
कुल	931.45	1,259.67

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	बिल नहीं बनाया गया	देय नहीं	देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों से बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	931.45	—	—	—	—	—	931.45
(iii) विवादित देय (एमएसएमई)	—	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय (अन्य)	—	—	—	—	—	—	—
कुल	931.45	—	—	—	—	—	931.45

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	बिल नहीं बनाया गया	देय नहीं	देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों से बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	1,259.67	—	—	—	—	—	1,259.67
(iii) विवादित देय (एमएसएमई)	—	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय (अन्य)	—	—	—	—	—	—	—
कुल	1,259.67	—	—	—	—	—	1,259.67

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

19. अन्य मौजूदा देयताएं

मद	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक भुगतानों के लिए देयता	269.07	80.30
कुल	269.07	80.30

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

20. अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क) निम्नलिखित से ब्याज आय :		
(i) अन्य (ईएनएच अग्रणीत ब्याज)	1,321.42	747.58
कुल	1,321.42	747.58

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

21. मूल्यहास, निःशेषण, परिशोधन और क्षरण

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास	1.08	1.43
कुल	1.08	1.43

22. वित्त पोषण लागत

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज व्यय		
— नियंत्रक कंपनी से ऋण (टिप्पणी 22.1 देखें)	7,669.69	3,137.78
घटाएं : अर्हकारी परिसंपत्तियों की लागत में पूंजीकृत राशि	7,669.69	3,137.78
वित्तीय प्रत्याभूति शुल्क का परिशोधन	2.69	2.52
कुल	7,672.38	3,140.30

22.1 अप्रत्याशित घटनाक्रम पर विचार करते हुए, अप्रैल, 2021 से उधार लागतों के पूंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है और वर्ष के दौरान व्ययित 7,669.69 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3,137.78 मिलियन रुपए) मूल्य की उधार लागत लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित किया गया है।

23 अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
विनिमय दर परिवर्तन हानि (निवल)	(14.31)	(1.22)
स्टैंडबाय / रूकना / परिरक्षण / निपटान लागत (टिप्पणी 23.4 देखें)	1,875.10	3,436.77
निम्न मूल्य पट्टा किराया	4.07	4.36
अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए स्टॉप शुल्क	2.50	—
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (टिप्पणी 23.3 देखें)	1.49	1.00
कारोबार विकास और अन्य प्रकीर्ण व्यय	235.99	1,240.49
कुल	2,104.84	4,681.40

23.1 कंपनी ने 1 जनवरी 2020 से नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड से संयुक्त प्रचालन, एरिया 1 मोजाबिक में प्रतिभागिता अधिकार अधिग्रहित किया है। कंपनी ने पहले ही कार्यालय स्थान, कर्मचारी, परियोजनाओं के ऑफ साइट पर्यवेक्षण और संबंधित सेवाओं जैसी सेवाओं के लिए नियंत्रक कंपनी के साथ एक साझा सेवा करार का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है।

23.2 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान समीक्षाधीन अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 22–23 के लिए कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

23.3 टिप्पणी 23 में सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल हैं :

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षा शुल्क	1.37	1.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.12	—
कुल	1.49	1.00

23.4 पिछले वर्ष अप्रैल, 2021 के दौरान, एरिया-1, मोजाबिक के ऑपरेटर ने सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर इस परियोजना में अप्रत्याशित घटनाक्रम (एफएम) की घोषणा संसूचित की। एफएम स्थिति के आलोक में रोक, स्टैंडबाय, निपटान और परिरक्षण लागतों की प्रकृति के विभिन्न व्यय किए गए थे। कंपनी ने आकलन किया है कि चूंकि 1,875.10 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3,436.77 मिलियन रुपए) की राशि की ये लागत सीधे ही अंतर्निहित परिसंपत्ति के समापन पर रोप्य नहीं हैं और इसलिए इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

24. अपवादात्मक (आय) / व्यय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क्षरण (टिप्पणी 24.1 एवं 24.2 देखें)	(25,488.41)	(2,477.00)
कुल	(25,488.41)	(2,477.00)

24.1 वर्ष के दौरान अभिज्ञात क्षरण

यह कंपनी मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के लिए भारत से बाहर तेल एवं गैस रकबों के तलाश में लगी है। कंपनी ने एरिया – 1 ऑफशोर, मोजांबिक में प्रतिभागिता अधिकार अधिग्रहित किया है। तदनुसार, परियोजना स्तर पर क्षरण परीक्षण निष्पादित किया गया है।

सीजीयू के उपयोग मूल्य का निर्धारण एक बहु चरणीय दृष्टिकोण के अंतर्गत किया गया है, जिसमें भावी नकद प्रवाहों को प्रारंभ में प्रमाणित और संभावित भंडार (2पी) भंडार के आधार पर किया गया है। उपयोग मूल्य का निर्धारण करने के लिए भावी विकास की प्रत्याशित लागत का पूर्ण आकलन पर भी विचार किया गया है।

उपयोग मूल्य का आकलन करने में, परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से और इसके उपयोगी जीवन काल/लाइसेंस अवधि के अंत में इसके निपटान से प्राक्कलित भावी नकद प्रवाहों को उनके वर्तमान मूल्य से मिति काटा किया गया है। नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण उन छूट दरों को लागू कर किया गया है जो पूंजी की जोखिम समायोजित देश विशिष्ट भारित औसत लागत का उपयोग कर किया गया है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्य वर्द्धित उत्पादों की बिक्री से भावी नकद अंतर्प्रवाहों को अमेरिकी डॉलर में मापे गये नकद प्रवाहों पर लागू दर का अनुप्रयोग कर छूट प्राप्त भावी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्य वर्द्धित उत्पादों के प्रबंधन के आकलन का उपयोग कर परिकलन किया गया है।

कंपनी ने अपनी नकदी सृजक इकाइयों की वसूली का निर्धारण करने में वैश्विक अनिश्चितताओं के संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कंपनी ने भविष्य की आर्थिक स्थितियों की आंतरिक और वाह्य सूचना/संकेतकों के आधार पर भावी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों का आकलन करने के लिए मौजूदा व्यावसायिक स्थितियों पर विचार किया है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, संबंधित सीजीयू के लिए 2पी भंडार को क्षरण परीक्षण के लिए आधार के रूप में माना गया था: 200.708 एमएमटीओई (टिप्पणी 33 देखें)।

उपयोग मूल्य की गणना करने के लिए विचार किए गए पूंजी की कर पूर्व भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी) : 9.49 प्रतिशत (पिछले वर्ष 10.02 प्रतिशत)।

इसलिए, वर्तमान वर्ष में निम्नतर डब्ल्यूएसीसी से सामान्यतः क्षरण का विपर्यय हुआ है।

24.2 नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश ने अपने मोजांबिक व्यवसाय को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (बीटीए) के माध्यम से चालू समुत्थान के आधार पर स्थानांतरित कर दिया, जिसमें उसके दस प्रतिशत (10%) प्रतिभागिता अधिकार

(पीआई) और संयुक्त संचालन समझौते के तहत संबंधित अधिकारों और हितों को प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2020 को कंपनी को सौंपना शामिल था। कंपनी को मोज़ाम्बिक व्यवसाय का उक्त हस्तांतरण, एक समूह के भीतर कंपनियों के बीच व्यवसाय का हस्तांतरण होने के कारण, सामान्य नियंत्रण के तहत एक व्यवसाय संयोजन माना गया था क्योंकि कंपनी ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। तदनुसार, एरिया-1 मोज़ाम्बिक में नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश की 10 प्रतिशत पीआई से संबंधित संचित मूल्यह्रास और संचित हानि प्रावधान सहित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रभावी तिथि को उनकी संबंधित राशि पर कंपनी को हस्तांतरित कर दी गईं। परिणामस्वरूप, 19,833.07 मिलियन रुपए (246.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का हानि प्रावधान भी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्ष के दौरान, कंपनी ने परियोजना के उपयोग मूल्य को 31 मार्च, 2023 तक उसके वहन मूल्य से अधिक होने के मद्देनजर पूर्ण हानि प्रावधान के विपर्यय होने का अनुमान लगाया है। तदनुसार, कंपनी, ऐसे हानि मूल्यांकन के आधार पर, 25,488.41 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2,477 मिलियन रुपए ) की राशि के हानि प्रावधान के उक्त विपर्यय को मान्यता दी गई है, जिसमें लाभ और हानि के विवरण में ऊपर उल्लिखित व्यवसाय हस्तांतरण के तहत नियंत्रक कंपनी द्वारा हस्तांतरित 19,833.07 मिलियन रुपए की हानि प्रावधान भी शामिल है। इंड एस 36 के पैरा 122 और 119 के साथ पठित पैरा 123 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि हानि की भरपाई संबंधित परिसंपत्ति को संचित हानि प्रावधान की सीमा तक आवंटित की जाएगी। इंड एस प्रावधानों के अनुसार उक्त हानि प्रत्यावर्तन, अनुमानित और लेखांकन के परिणामस्वरूप, कंपनी के कर पूर्व लाभ में 25,488.41 मिलियन रुपए की गैर-नकद, गैर-प्रचालनात्मक वृद्धि हुई है।



ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

25. कर व्यय

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निम्न से संबद्ध मौजूदा कर		
— मौजूदा अवधि	—	—
— पूर्वअवधि	—	—
	—	—
आस्थगित कर		
मौजूदा अवधि से संबंधित	(7,654.51)	1,247.23
कुल	(7,654.51)	1,247.23

25.1 अवधि की आय कर व्यय को निम्नवत लेखांकन लाभ से मिलान किया जा सकता है :

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लाभ	16,792.26	(4,881.08)
25.168 प्रतिशत पर संगणित आय कर व्यय (31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए : 34.944 प्रतिशत)	4,226.28	—
असाधारण (आय)/व्यय के प्रभाव को कर योग्य लाभ के विनिर्धारण में विचार किया गया है	(6,414.92)	—
अन्य	(5,465.86)	1,247.23
लाभ या हानि में अभिज्ञात आय कर व्यय	(7,654.51)	1,247.23

25.2 ऊपर मिलान में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रयुक्त कर दर भारतीय कर कानूनों के अंतर्गत कर योग्य लाभ पर भारत में कॉरपोरेट निकायों द्वारा संदेय 25.168 प्रतिशत का कॉरपोरेट कर दर है।

25.3 नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश ने अपने मोज़ाम्बिक व्यवसाय को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (बीटीए) के माध्यम से चालू समुत्थान के आधार पर स्थानांतरित कर दिया, जिसमें उसके दस प्रतिशत (10%) प्रतिभागिता अधिकार (पीआई) और संयुक्त संचालन समझौते ("जेओए") के तहत संबंधित अधिकारों और हितों को प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2020 को कंपनी को सौंपना शामिल था। कंपनी को मोज़ाम्बिक व्यवसाय का उक्त हस्तांतरण, एक समूह के भीतर कंपनियों के बीच व्यवसाय का हस्तांतरण होने के कारण, सामान्य नियंत्रण के तहत एक व्यवसाय संयोजन माना गया था क्योंकि कंपनी ओएनजीसी विदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। तदनुसार, एरिया-1 मोज़ाम्बिक में नियंत्रक कंपनी ओएनजीसी विदेश की 10 प्रतिशत पीआई से संबंधित संचित मूल्यह्रास और संचित हानि प्रावधान सहित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रभावी तिथि को उनकी संबंधित अग्रणीत राशि पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गयी थी। इसके अलावा, प्रभावी तिथि को नियंत्रक कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले उक्त व्यवसाय से संबंधित अन्य इक्विटी के हिस्सा के रूप में शामिल आरक्षित निधि कंपनी द्वारा उसी रूप में हासिल किया गया था, जिसमें नियंत्रक कंपनी द्वारा उन्हें उनके वित्तीय विवरणों में रखा जा रहा था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2023-24 (प्रासंगिक वित्तीय वर्ष 2022-23 से ) से आयकर की धारा 115बीए के अनुसार मौजूदा कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में बदलाव का विकल्प चुनकर

प्रभावी कर दर को 34.94 प्रतिशत से बदलकर 25.168 प्रतिशत कर दिया है। तदनुसार, कंपनी ने, इस तरह की संशोधित कर दर के आधार पर, वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में 7,654.51 मिलियन रुपए की आस्थगित कर देनदारियों और प्रभार का विपर्यय किया है।

25.4 कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्तियों को गैर अवशोषित मूल्यह्रास पर ही अभिज्ञात किया है और न कि आगे अग्रणीत हानियों पर।

#### 25.5 विवरण

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व का पुनर्मापन	—	—
विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को रूपांतरित करने में विनिमय अंतर	5,288.25	1,350.36
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात कुल आय कर	(1,330.95)	(471.87)
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात आयकर का निम्नवत द्विभाजन :	—	—
वे मदें जो लाभ या हानि पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	—	—
वे मदें जो लाभ या हानि पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे	(1,330.95)	(471.87)

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड समेकित  
(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

26. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरधारकों पर आरोग्य वर्ष के लिए लाभ (मिलियन रुपये में)	24,446.77	(6,128.31)
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत (संख्या मिलियन में)	9,869.14	7,005.03
प्रति शेयर तनुकृत अर्जन के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या मिलियन में)	10,025.95	7,005.03
प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन (रुपए )'	2.48	(0.87)
प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत अर्जन (रुपए )	2.44	(0.87)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रुपए )	10.00	10.00

26.1 प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत अर्जन

कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रति शेयर तनुकृत अर्जन को उतना ही माना है जितना मूल अर्जन है, क्योंकि कंपनी के मामले में, संभावित इक्विटी शेयरों का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण से प्रति शेयर हानि में कमी आएगी।

## 27. खंड रिपोर्टिंग

### 27.1. उत्पाद और सेवाएं जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपने राजस्व प्राप्त करते हैं

कंपनी ने विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभों, आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणालियों और वे आधार जिन पर उस खंड को संसाधन आवंटित करने के बारे में निर्णय करने के लिए और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रचालन परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा करती है, को ध्यान में रखते हुए, प्रचालन खंडों की पहचान की है और रिपोर्ट किया है। कंपनी ने निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को रिपोर्ट योग्य खंडों के रूप में पहचान की है :

#### क. मध्य पूर्व और अफ्रिका

### 27.2 खंड राजस्व और परिणाम

#### 27.2.1 रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा सतत प्रचालनों से कंपनी के राजस्व और परिणामों का एक विश्लेषण नीचे दिया गया है :

विवरण	खंड राजस्व		खंड लाभ (हानि)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका	—	—	24,446.77	(6,128.31)
कुल	—	—	24,446.77	(6,128.31)

#### 27.2.2. खंड राजस्व शून्य है, क्योंकि परियोजना विकास अधीन है।

27.2.3. रिपोर्ट योग्य खंडों की लेखांकन नीतियां टिप्पणी 3.28 में वर्णित कंपनी की लेखांकन नीतियों के समान है। खंड लाभ प्रत्येक खंड के कर पूर्व लाभ को निरूपित करते हैं जिसमें वित्तपोषण लागत और अन्य जैसे ब्याज / लाभांश आय शामिल नहीं होते हैं। यह संसाधन आवंटन और खंड निष्पादन के प्रयोजनों हेतु मुख्य प्रचालक निर्णयकर्ता को सूचित किया गया उपाय है।

### 27.3. खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
खंड परिसंपत्तियां		
मध्य पूर्व और अफ्रिका	334,125.25	278,484.76
कुल खंड परिसंपत्तियां	334,125.25	278,484.76
खंड देयताएं	—	—
मध्य पूर्व और अफ्रिका	243,362.97	224,486.96
कुल खंड देयताएं	243,362.97	224,486.96

27.3.1. सभी परिसंपत्तियों को रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित किया गया है।

27.3.2. सभी देयताओं को रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित किया गया है।

27.3.3 खंड राजस्व, परिणामों, परिसंपत्तियों तथा देयताओं में प्रत्येक खंड को संबंधित अभिनिर्धारणीय राशियां तथा तर्कसंगत आधार पर आवंटित राशि शामिल है।

### 27.4. अन्य खंड सूचनां

विवरण	बट्टे खाते डाली गयी अन्वेषण लागत सहित मूल्यहास, निःशेषण और परिशोधन	अन्य गैर नकदी मदें – बट्टे खाते और क्षरण
-------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका	28.89	243.90	—	—
	28.89	243.90	—	—

#### 27.5 क्षरण हानि

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व और अफ्रिका	(25,488.41)	(2,477.00)
	(25,488.41)	(2,477.00)

#### 27.6 गैर मौजूदा परिसंपत्तियों में वर्द्धन

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
मध्य पूर्व अफ्रिका	55,228.08	20,047.29
	55,228.08	20,047.29

#### 27.7. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना :

यह कंपनी भारत में अधिवासित है, हालांकि कंपनी भारत से बाहर तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण, विकास और उत्पादन करने के लिए तेल एवं गैस रकबों की तलाश और अधिग्रहण करती है।

वित्तीय विलेखों को छोड़कर कुल गैर मौजूदा परिसंपत्तियों और कर परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के स्थान के अनुसार अलग अलग नीचे दर्शाया गया है :

स्थान	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
भारत	—	—
अन्य देश	327,978.00	273,655.29
कुल	327,978.00	273,655.29

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

28. संबंधित पक्षकार प्रकटन

28.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंध का विवरण :

क. मूल नियंत्रक कंपनी

1. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

ख. नियंत्रक कंपनी

1. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

ग. सहयोगी कंपनी

मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

घ. सह अनुषंगी कंपनी

1. ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजांबिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)

ड. मुख्य प्रबंधन कार्मिक

ड.1. कार्यात्मक निदेशक

5. श्री मधुकर मोहन, निदेशक (11.12.2020 – 17.08.2022)
6. श्री विनोद हलन (9.11.2021 से 20.04.2022 तक)
7. श्री श्याम सिंह, निदेशक (5.10.2021 से – अभी बने हुए हैं)
8. श्री ओमकार नाथ ज्ञानी, निदेशक(21.04.2023–अभी बने हुए हैं)
9. सुश्री निशा ढींगरा (27.06.2022 –अभी बने हुए हैं)
10. श्री रमिंदर सिंह साहनी, निदेशक (18.08.2022– अभी बने हुए हैं)

ड.2 कंपनी सचिव

- 1 सुश्री ज्योति सिंह (27.06.2022 – 31.03.2023)
2. सुश्री निशा ढींगरा (01.04.2022 –27.06.2022 और 31.03.2023– अभी बनी हुई हैं)

28.2 लेनदेन का विवरण :

28.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेनदेन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि
क. जिनसे सेवाएं प्राप्त की गयीं :			
क). ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ओवीएल शाखा समापन प्राप्तियां और परिसंपत्ति अंतरण	–	2.54
ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ब्याज व्यय	7,265.97	3,051.49
ख. ऋण लिया गया			
क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण लिया गया	–	–

ख)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	—	—
ग) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण को इक्विटी के प्रति अग्रिम में परिणत किया गया	—	6,691.68
ग. इक्विटी			
क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	इक्विटी जारी की गयी	21,142.05	18,024.80
ख)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	मान्य इक्विटी	8,381.55	21,819.84
घ. गैर नकदी लेनदेन (इंड एस उचित मूल्यांकन)		—	—
क)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ब्याज व्यय	403.72	86.29
ख) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	मान्य इक्विटी – प्रत्याभूति प्रभारें	—	11.13
ग) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय प्रत्याभूति शुल्क का परिशोधन	2.69	2.52
ड. कारोबार की खरीद			
क)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	कारोबार खरीद	—	—
च. दी गयी सेवाएं :			
क) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाबिक लि. (बीआरईएमएल)	शाखा व्यय	1.51	1.45

#### 28.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेष

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
क. ऋण :			
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण	180,730.00	166,650.00
ख. अन्य			
क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	मान्य इक्विटी – निधियन	4,530.18	17,694.11
ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	13,425.53	6,216.19
ग)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	मान्य इक्विटी – एफवी ब्याज रहित ऋण	1,947.16	1,543.74
घ) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	मान्य इक्विटी – एफवी गारंटी प्रभार	36.05	36.05
ड)ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय गारंटी संबंधी जीएसटी प्रभारें	0.76	0.39
च)ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	व्यय की प्रतिपूर्ति	3.94	3.76
छ) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाबिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)	शाखा व्यय	2.76	2.64

#### 28.2.3 सहयोगी कंपनियों के साथ लेनदेन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
क. मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड से अंतरित	—	—
ख. मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	इक्विटी पूंजी में प्रत्यक्ष निवेश	964.79*	187.30*

\*लेन-देन की तिथि की स्थिति के अनुसार समतुल्य भारतीय रुपए में निरूपित राशि वित्त वर्ष 22-23 के लिए 964.79 मिलियन रुपए और वित्त वर्ष 21-22 के लिए 187.30 मिलियन रुपए है।

#### 28.2.4 सहयोगी कंपनियों के साथ लेनदेन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
क. मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड से अंतरित	28.75	26.51
ख. मोज एलएनजी1 होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	इक्विटी पूंजी में प्रत्यक्ष निवेश	2,535.88	1,632.74

#### 28.3 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधियों के साथ लेनदेन का प्रकटन

इस अवधि के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधियों से कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

टिप्पणी : कारोबार अधिग्रहण के संबंध में लेनदेन की राशि को कार्यात्मक मुद्रा ("अमेरिकी डॉलर") में दर्ज किया गया है और परिणामी राशि को लेनदेन की तिथि के विनिमय दर का उपयोग करते हुए प्रस्तुति मुद्रा ("भारतीय रुपए") में दर्ज किया गया है। तथापि, अंतिम परिसंपत्ति और देयता शेष को वर्ष अंत की विनिमय दर का उपयोग करते हुए प्रस्तुति मुद्रा में पुनर्कथित किया गया है। इसलिए, कुछेक मामलों में, लेनदेन की राशि प्रस्तुति मुद्रा में बकाया शेष में नहीं जुड़ने की संभावना हो सकती है।



ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

29. संयुक्त व्यवस्थाओं में अधिकारों का प्रकटन :

29.1 संयुक्त प्रचालन

कंपनी के संयुक्त प्रचालनों के विवरण इस प्रकार हैं :

परियोजना का नाम और प्रचालन का देश	कंपनी की प्रतिभागिता	अन्य संघ सदस्य पीआई	प्रचालक	परियोजना स्थिति
ब्लॉक एरिया 1, मोजाबिक, अपतट	10 प्रतिशत	टोटल – 26.5 प्रतिशत, मित्सुइ – 20 प्रतिशत, ईएनएच – 15 प्रतिशत, बीपीआरएल – 10 प्रतिशत, बीआरईएमएल – 10 प्रतिशत, पीटीटीईपी – 8.5 प्रतिशत	टोटल	यह परियोजना विकास अधीन है

प्रयुक्त संकेताक्षर :

टोटल – टोटल ई एंड पी मोजाबिक एरिया 1, लि., मित्सुइ – मित्सुइ एंड कं. लिमिटेड, ईएनएच – इन्ग्रेस नेचुरल डि हाइड्रोकार्बन; बीपीआरएल – भारत पेट्रो रिसोर्सज लिमिटेड, बीआरईएमएल – ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाबिक लिमिटेड, पीटीटीईपी – पीटीटी पेसिफिक कंपनी लिमिटेड।

29.1.1 संयुक्त प्रचालन ब्लॉकों / परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है :

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

मद	मौजूदा परिसंपत्तियां	गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	मौजूदा देयता	गैर मौजूदा देयता	कुल राजस्व	जारी प्रचालनों से लाभ या	बंद प्रचालनों से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
----	----------------------	--------------------------	--------------	------------------	------------	--------------------------	------------------------------	----------------	---------------

						हानि				
अनंकेक्षित										
ब्लॉक एरिया 1, मोजाबिक	3,572.45	327,942.72	931.45	—	—	24,695.46	—	—	—	24,695.46
सकल योग	3,572.45	327,942.72	931.45	—	—	24,695.46	—	—	—	24,695.46
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार										
विवरण	मौजूदा परिसंपत्तियां	गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	मौजूदा देयता	गैर मौजूदा देयता	कुल राजस्व	जारी प्रचालनों से लाभ या हानि	बंद प्रचालनों से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय	
अनंकेक्षित										
ब्लॉक एरिया 1, मोजाबिक	3,161.82	273,619.56	1,259.67	—	—	(494.72)	—	—	—	(494.72)
सकल योग	3,161.82	273,619.56	1,259.67	—	—	(494.72)	—	—	—	(494.72)

29.1.2 संयुक्त प्रचालन ब्लॉकों / परियोजनाओं से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय सूचना इस प्रकार है :

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	नकदी और नकदी समतुल्य	मौजूदा वित्तीय देयताएं	गैर-मौजूदा वित्तीय देयता	मूल्यहास, निःशेषण और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज व्यय	आय व्यय या ब्याज
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------	---------------	---------------------------

अनंकेक्षित								
ब्लॉक एरिया – 1, मोजांबिक	–	931.45	–	–	1,321.42	–	–	–
सकल योग	–	931.45	–	–	1,321.42	–	–	–
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार								
विवरण	नकदी और नकदी समतुल्य	मौजूदा वित्तीय देयताएं	गैर-मौजूदा वित्तीय देयता	मूल्यहास, निःशेषण और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज व्यय	आय व्यय ब्याज	कर या
अनंकेक्षित								
ब्लॉक एरिया 1, मोजांबिक	–	1,259.67	–	747.58	–	–	–	–
सकल योग	–	1,259.67	–	747.58	–	–	–	–

29.1.3 ऑपरेटर से प्राप्त अनंकेक्षित संयुक्त अधिकार बिलिंग विवरण, जिनके अंतर्निहित दस्तावेज ऑपरेटर पर उपलब्ध, के आधार पर संयुक्त प्रचालनों से हुई आय और व्यय के साथ परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी के हिस्से को कंपनी के वित्तीय विवरणों में समरूप मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर विलयित किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

### 30. वित्तीय विवरण

#### 30.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य निम्नलिखित होता है :

- कंपनी की चालू समुत्थान क्षमता को संरक्षित रखना ताकि कंपनी हितधारकों को प्रतिआय प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुँचा सकना; और
- कंपनी ऋण और इक्विटी संतुलन की एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना।

कंपनी एक सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित रखते हुए शेयरधारकों हेतु मूल्य संवृद्धि के लक्ष्य में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी वित्तीय संरचना बनाए रखे। पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांशों की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापसी कर सकती है, नये शेयर जारी कर सकती है या कर्ज कम करने के लिए परिसंपत्तियों को बेच सकती है।

कंपनी की पूंजी संरचना में कंपनी का निवल कर्ज (नकदी और बैंक शेष द्वारा टिप्पणी 15 में यथा वर्णित उधारों का प्रतिसंतुलन) और कंपनी की कुल इक्विटी शामिल है।

#### 30.1.1 पूंजी जुटाने का अनुपात

प्रतिवेदन अवधि के अंत में पूंजी जुटाने का अनुपात इस प्रकार था :-

विवरण	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 को की स्थिति के अनुसार
कर्ज (टिप्पणी 15 देखें)	180,730.00	166,650.00
नकद और नकद समतुल्य (टिप्पणी 11 देखें)	4.69	2.87
निवल कर्ज	180,725.31	166,647.13
कुल इक्विटी (टिप्पणी 13 और 14 देखें)	90,762.28	53,997.80

निवल कर्ज और कुल इक्विटी अनुपात	1.99	3.09
---------------------------------	------	------

### 30.2 वित्तीय विलेखों की श्रेणियां

#### वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए	शून्य	शून्य
परिशोधित लागत पर मापे गए	—	—
(क) नकदी और नकद समतुल्य	4.69	2.87
(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,128.69	2,637.40

#### वित्तीय देयताएं

मद	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए	शून्य	शून्य
परिशोधित लागत पर मापे गए	—	—
(क) उधार	180,730.00	166,650.00
(ख) व्यापार संदेय	931.45	1,259.67
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	13,430.23	6,220.34

### 30.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

कंपनी की प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करते हुए, कंपनी का प्रबंधन जोखिम अनावरण का स्तर और परिमाण का विश्लेषण कर कंपनी के प्रचालनों से संबंधित मुख्य वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन भी करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और नकदी जोखिम शामिल हैं।

### 30.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम संभावित बाजार मूल्य परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाला जोखिम या अनिश्चितता और व्यापार के भावी प्रदर्शन पर उनका प्रभाव है। बाजार जोखिम के प्रमुख घटक वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम शामिल हैं।

कंपनी की मोजाबिक परियोजना अभी विकास चरण में है, इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय खनिज तेल मूल्यों से कोई जोखिम अनावरण नहीं है। खनिज तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन कंपनी के भावी नकदी प्रवाहों के मूल्य को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में व्यापक तथा लंबे समय तक कमी का कंपनी के सूचित परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

### 30.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। कंपनी विभिन्न विदेशी मुद्राओं में लेनदेन करती है और इसके परिणामस्वरूप विदेशी प्रचालनों के कारण मुद्रा दर उतार-चढ़ाव से अनावृत है।

### 30.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम से अनावृत है क्योंकि कंपनी नियंत्रक कंपनी से परिवर्तनीय ब्याज दर पर निधि उधार लेती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर ब्याज दरों से कंपनी के अनावरण इस टिप्पणी के नकदी जोखिम प्रबंधन खंड में विस्तार से वर्णित किया गया है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

### 30.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम नकदी और नकदी समतुल्यों, निवेशों और बैंक जमाओं और साथ ही साथ ग्राहकों से उत्पन्न होता है, जिसमें प्राप्य भी शामिल है। वर्तमान में कंपनी की मोजाबिक परियोजना विकास चरण में है और इसलिए ग्राहकों से प्राप्य से कोई ऋण जोखिम नहीं है।

बैंक शेष प्रतिष्ठित और विश्वसनीय बैंकिंग संस्थाओं में जमा हैं।

### 30.8 नकदी जोखिम प्रबंधन

मोजाबिक ब्लॉक से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत तक कंपनी के नकदी सरोकार नियंत्रक कंपनी द्वारा कवर किया जा रहा है।

निम्नलिखित सारणी सहमत पुनर्भुगतान अवधि में कंपनी की गैर – व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वता को रेखांकित करती है। सारणी में शामिल सूचना को कंपनी द्वारा अपेक्षित भुगतान हेतु सबसे पहली तिथि पर आधारित वित्तीय देयताओं के गैर आयजन्य नकदी प्रवाहों के आधार पर तैयार किया गया है। इस सारणी में ब्याज तथा मूलधन दोनों नकदी प्रवाह शामिल हैं। संविदात्मक परिपक्वता उस सबसे पहली तिथि पर आधारित है जिसमें कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान अपेक्षित है।

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	अग्रणीत राशि
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार							
परिशोधित लागत पर मापे गए							
बैंक से अल्पावधिक ऋण		—	—	—	—	—	—

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	अग्रणीत राशि
वित्त पट्टा दायित्व	—	—	—	—	—	—	—
ब्यापार संदेय	—	931.45	—	—	—	931.45	931.45
गैर रिक्त आस्थगित ऋण (निवल)	—	—	—	—	—	—	—
ऑपरेटरों को संदेय	—	—	—	—	—	—	—
उत्पादन साझीदारी करार के विस्तार के लिए देय बोनस	—	—	—	—	—	—	—
नियंत्रि कंपनी को संदेय	चल दर	—	3.94	82,150.00	98,580.00	180,733.94	180,733.94
ओएनजीसी को संदेय	0.00 प्रतिशत	—	0.76	—	—	0.76	0.76
अनुषंगी कंपनियों को संदेय	—	—	—	—	—	—	—
आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं का जमा	—	—	—	—	—	—	—
प्रोद्भूत ब्याज	—	13,425.53	—	—	—	13,425.53	13,425.53
अन्य (अन्य वित्तीय देयताएं)	—	—	—	—	—	—	—
कुल	—	14,356.98	4.70	82,150.00	98,580.00	195,091.65	195,091.68



विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	अग्रनीत राशि
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार							
परिशोधित लागत पर मापे गए							
बैंक से अल्पावधिक ऋण		—	—	—	—	—	—
वित्त पट्टा दायित्व	—	—	—	—	—	—	—
व्यापार संदेय	—	1,259.67	—	—	—	1,259.67	1,259.67
गैर रिक्त आस्थगित ऋण (निवल)	—	—	—	—	—	—	—
ऑपरेटरों को संदेय	—	—	—	—	—	—	—
उत्पादन साझीदारी करार के विस्तार के लिए देय बोनस	—	—	—	—	—	—	—
नियंत्रि कंपनी को देय	चल दर	—	3.76	75,750.00	90,900.00	166,653.76	166,653.76
ओएनजीसी को संदेय	—	—	0.39	—	—	0.39	0.39
अनुषंगी कंपनी को संदेय							
आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं का जमा	—	—	—	—	—	—	—
प्रोद्भूत ब्याज	—	6,216.19	—	—	—	6,216.19	6,216.19
अन्य (अन्य वित्तीय देयताएं)	—	—	—	—	—	—	—
कुल	—	6,216.19	—	—	—	174,130.01	174,130.01

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड

(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपए में)

### 30.9 उचित मूल्य मापन

यह टिप्पणी इस संबंध सूचना प्रदान करता है कि कंपनी किस प्रकार से विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारण करती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों के वे उचित मूल्य जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाता है

कंपनीके ऐसे कोई वित्तीय विलेख नहीं हैं जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापने की आवश्यकता है। इसलिए और कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य जो उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है (परंतु उचित मूल्य प्रकटन आवश्यक होता है)

प्रबंधन मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की अग्रणीत राशियां वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात की गयी हैं उनके उचित मूल्यों का लगभग माप करता है।

### 31. आकस्मिक देयताएं

31.1 माध्यस्थम / न्यायालय / अन्य में संविदाकारों के दावे : शून्य रूपए ।

### 31.2 प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
(क) पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	4,647.51	3,542.10
(ख) प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम	—	—
कुल	4,647.51	3,542.10

सुरक्षा परिस्थितियों में सुधार के आधार पर, एरिया-1 परियोजना वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में संभावित पुनः शुरुआत के लिए तैयारी कर रही है। पुनः शुरुआत की तैयारी में, यह परियोजना वर्तमान में परियोजना की संशोधित लागत और समय अनुसूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह बिक्री वर्ष 2027 से शुरू होने की आशा है।

### 31.3 प्रत्याभूतियां

कंपनी अपने सह-रियायतग्राहियों के साथ संयुक्त रूप से और अलग अलग मोज एलएनजी 1 मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (विक्रेता एसपीई) की ओर से एलएनजी की प्रत्याशित बिक्री के संबंध में निष्पादन गारंटी प्रदान किया है। ये बिक्री वर्ष 2027 से प्रारंभ होने की अपेक्षा है।

ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित  
(सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673)

(जब तक अन्यथा कथित न हो सभी राशियां मिलियन रुपये में)

32. अतिरिक्त विनियामकीय प्रकटन

32.1 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का काल प्रभावन

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	2,966.49	10,316.14	23,216.16	29,895.65	—	66,394.44

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	9,512.45	21,407.47	10,179.01	17,387.58	—	58,486.51

32.2 प्रगतिधीन अन्वेषणात्मक कूपों का काल प्रभावन

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	147.47'	—	147.47

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—	—

32.3 अधिग्रहण लागत का काल प्रभावन (विकास अधीन अमूर्त आस्ति)

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	341.91	17,964.07	—	18,305.98

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	366.66	333.68	16,597.74	—	17,298.08

32.4 अधिग्रहण लागत का काल प्रभावन (विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां)

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	714.01	4,380.14	215,082.92	0.00	220,183.06

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विवरण

विवरण	अवधि के लिए विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				संचयित क्षरण	कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक*		
प्रगतिधीन परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	4,697.28	4,110.17	194,221.97	24,023.00	179,006.42

\*ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड 15 अप्रैल 2019 को अधिनिगमित किया गया था। ऊपर उल्लिखित निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य, निर्माणाधीन अन्वेषणात्मक कूप और अमूर्त परिसंपत्तियां मोजाबिक बिजनेस से संबंधित है जिसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ("नियंत्रक कंपनी") से व्यापार अंतरण करार (बीटीए) के

माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसकी लेनदेन तिथि 1 जनवरी, 2020 है। इसलिए ऊपर उल्लिखित मदों का काल प्रभावन कारोबार प्रचालनों के हस्तांतरण के पूर्व नियंत्रक कंपनी द्वारा मूल रूप से अभिलेखित पूंजीकरण तिथि के आधार पर प्रकटन किया गया है।

32.5 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

प्रयोज्य नहीं।

32.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन

प्रयोज्य नहीं।

32.7 अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

प्रयोज्य नहीं।

32.8 धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

प्रयोज्य नहीं।

32.9 मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रति प्रतिभूत उधार

प्रयोज्य नहीं।

32.10 जान बूझकर चूककर्ता

प्रयोज्य नहीं।

32.11 बंद कंपनियों के साथ संबंध :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद कंपनियों के साथ कंपनी का दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (पूर्व अवधि – शून्य) कोई बकाया शेष नहीं है।

32.12 कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी ) के साथ प्रभारों का पंजीकरण या संतुष्टि

प्रयोज्य नहीं

32.13 कंपनियों के कई स्तरों के साथ अनुपालन :

प्रयोज्य नहीं

32.14 व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (ओं) का अनुपालन

प्रयोज्य नहीं

32.15 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

चूँकि कंपनी का संपूर्ण प्रचालन भारत से बाहर है, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर प्रयोजनों के लिए पात्र निवल लाभ वित्त वर्ष 22 के लिए शून्य है।

32.16 प्राप्त अनुदान या दान

प्रयोज्य नहीं

32.17 प्रकटन नहीं की गयी आय

कंपनी ने कोई अतिरिक्त लेन देन दर्ज नहीं किया है, जिसे वित्त वर्ष 22 या वित्त वर्ष 23 के दौरान आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया है।

32.18 उधार ली गयी निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग

सभी उधारों का कंपनी द्वारा अभीष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है, इसलिए प्रयोज्य नहीं है।

32.19 उधार राशियों के उपयोग में विसंगति

प्रयोज्य नहीं

32.20 अचल संपत्तियों के विवरण जिसके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

प्रयोज्य नहीं

32.21 क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा का विवरण

प्रयोज्य नहीं

32.22 प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों को संस्वीकृत ऋणों की प्रकृति के ऋण या अग्रिम (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा परिभाषित),

प्रयोज्य नहीं



32.23 अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	वि.व. 23	वि.व. 22	परिवर्तन	स्पष्टीकरण	सूत्र
1	वर्तमान अनुपात	0.24	0.42	-41.60 %	अनुपातों में 25 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन विकास अधीन परियोजना के आलोक में है।	वर्तमान परिसंपत्तियां / वर्तमान देनदारियां
2	कर्ज – इक्विटी अनुपात	1.99	3.09	-35.48 %		कुल कर्ज / शेयरधारक की इक्विटी
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	(0.13)	(1.35)	-90.12 %		कर्ज सेवा के लिए उपलब्ध आय / कर्जसेवा कर्ज सेवा के लिए आय करोपरांत निवल लाभ + गैर नकदी प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल परिसंपत्तियों इत्यादि की बिक्री पर हानि कर्ज सेवा = ब्याज और पढ़ा भुगतान + मूल धन पुनर्भुगतान
4	इक्विटी अनुपात पर आय	0.27	(0.11)	-336.63 %		करोपरांत निवल लाभ – अधिमानी लाभांश (यदि कोई हो) / औसत शेयरधारक की इक्विटी
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	–	–	–		बेची गए माल की लागत या बिक्री / औसत इन्वेंटरी (प्रारंभिक + अंतिम शेष / 2)
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	–	–	–		निवल साख बिक्री / औसत लेखा प्राप्य (प्रारंभिक + अंतिम शेष / 2)
7	व्यापार संदेय टर्नओवर अनुपात	–	–	–		निवल साख खरीद / औसत व्यापार प्राप्य (प्रारंभिक + अंतिम शेष / 2)
8	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	–	–	–		निवल बिक्री / कार्यशील पूंजी
9	निवल लाभ अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	–		निवल लाभ / निवल बिक्री
10	नियोजित पूंजी से आय	0.077	(0.006)	-1279.52%		ब्याज और कर पूर्व आय / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कूल कर्ज + आस्थगित कर देयता
11	निवेश से आय	लागू नहीं	लागू नहीं			{ एमवी (टी1) – एमवी (टी0) – योग [सी(टी)] } / एमवी (टी0) – योग [डब्ल्यू(टी) + सी(टी)] टी1 = समय अवधि का अंत टी0 = समय अवधि की शुरुआत टी – टी1 औ टी0 के बीच पड़ने वाली विशिष्ट तिथि

						एमवी (टी1) =टी1 पर अंकित मूल्य एमवी (टी0)=टी0 पर अंकित मूल्य
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------

### 33.तेल और गैस उत्पादन गतिविधियों के लिए लेखांकन (इंड एएस) संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी के अंतर्गत प्रकटन

33.1 प्रमाणित भंडारों में कंपनी का हिस्सा (संयुक्त प्रचालन, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में हिस्सों सहित), इस प्रकार है :

परियोजना	विवरण	कच्चा तेल (एमएमटी)		गैस (बिलियन घन मीटर)		कुल तेल समतुल्य (एमएमटीओई) <sup>2</sup>	
		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
एरिया – 1, मोजांबिक	प्रारंभिक	—	—	43.891	43.891	—	43.891
	परिवर्द्धन	—	—	—	—	—	—
	कटौती / समायोजन	—	—	—	—	—	—
	परिवर्तन	—	—	—	—	—	—
	उत्पादन	—	—	—	—	—	—
	अंतिम	—	—	43.891	43.891	—	43.891
कुल भंडार	प्रारंभिक	—	—	43.891	43.891	—	43.891
	परिवर्द्धन	—	—	—	—	—	—
	कटौती / समायोजन	—	—	—	—	—	—
	परिवर्तन	—	—	—	—	—	—
	उत्पादन	—	—	—	—	—	—
	अंतिम	—	—	43.891	43.891	—	43.891

33.2 प्रमाणित विकसित भंडारों में कंपनी का हिस्सा (संयुक्त प्रचालन, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में हिस्सों सहित), इस प्रकार है :

कंपनी के पास एरिया – 1, मोजाबिक में आज की तिथि तक कोई विकसित भंडार नहीं हैं।

<sup>1</sup> कच्चे तेल में कंडेसैंट शामिल है।

<sup>2</sup> एमएमटीओई का तात्पर्य है "मिलियन मिट्रिक टन तेल समतुल्य" है और तेल समतुल्य गैस की संगणना करने के लिए, 1000 घन मीटर को 1 एमटी कच्चा तेल माना जाता है।

परियोजना की स्थिति के लिए टिप्पणी 29 देखें।

#### 34. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

ये वित्तीय विवरण 10 मई, 2023 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता.

(निशा ढींगरा)

कंपनी सचिव

हस्ता.

(श्याम सिंह)

सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.

(रमिन्दर सिंह साहनी)

निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 10 मई 2023

ह0

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार (स. सं. 017199)

यूडीआईएन : 23017199 बीजीवायवायआईक्यू 1712

**ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड (समेकित)**  
**अनुसूची-III- समेकित वित्तीय विवरण -2022-22 संबंधी अतिरिक्त प्रकटन**

क्र.सं.	समूह की कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार निवल परिसंपत्ति (अर्थात् कुल परिसंपत्ति घटाव कुल देयताएं)		31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ या हानिक का हिस्सा		31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अन्य व्यापक आय का हिस्सा		31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कुल व्यापक आय का हिस्सा	
			समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि
	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड समेकित		100.00 %	90,762.28	100.00 %	24,446.77	100.00 %	3,957.30	100.00 %	28,404.07
क	मूल कंपनी :									
क1	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	भारत	97.17 %	88,197.66	100.86 %	24,658.23	100.00 %	3,957.30	100.00 %	28,615.53
ख	अनुषंगी कंपनी – शून्य									
ग	सभी अनुषंगी कंपनियों में गैर नियंत्रण अधिकार									
घ	सहयोगी कंपनी (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)									
घ.1	विदेशी									
घ.1.1	मोज एलएनजी 1 होल्डिंग कंपनी लि.	आबुधाबी	2.83 %	2,564.62	(0.86) %	(211.46)	0.00 %	—	(0.74) %	(211.46)
ड	संयुक्त उद्यम कंपनी – शून्य									
	कुल			90,762.28		24,446.77		3,957.30		28,404.07

टिप्पण –

1. तुलन पत्र मदों के लिए विनिमय दर : 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 82.15
2. लाभ व हानि मदों के लिए विनिमय दर : 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 80.37

हस्ता.  
(श्याम सिंह)  
सीएफओ एवं निदेशक

हस्ता.  
(रमिन्दर सिंह साहनी)  
निदेशक

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन चोपड़ा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 002198एन

ह0  
(अशोक चोपड़ा)  
भागीदार (स. सं. 017199)

पंजीकृत कार्यालय

दीनदयाल ऊर्जा भवन

प्लॉट सं. 5ए-5बी

5, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

दूरभाष : 91 11 26754316, ई-मेल : [secretariat@ovrl.in](mailto:secretariat@ovrl.in)

सीआईएन : यू11201डीएल2019जीओआई348673